

विद्यालयीन शारीरिक शिक्षा एवं सेवा :

संगठन, प्रशासन एवं पर्यवेक्षण

ORGANISATION, ADMINISTRATION & SUPERVISION
OF
PHYSICAL EDUCATION & SPORTS
IN SCHOOLS

लेखक

हरि किशन शर्मा

एम.ए., एम.पी.ई., बी.एड. एवं व्यायाम विद्यार्थ

सोनियर व्याख्याता

राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय
जोधपुर (राजस्थान)

1986

पण्डित-प्रकाशन

मुख्य कार्यालय :

1333, बैदवाड़ा-नई सड़क
दिल्ली-6

शाखा कार्यालय ।

133, गणेश कुंज, भगवती नगर-कर्तीरपुरा
जयपुर-6

प्रकाशक :

संजय शर्मा

पण्डित प्रकाशन

1333, बैदवाड़ा-नई सड़क,
दिल्ली-110006

④ प्रकाशकाधीन

मूल्य :

35 रु.

प्रथम संस्करण

1986

मुद्रक :

राजधानी प्रिंटर्स
चोपड़ा

खेलों की चहेती एवं खिलाड़ियों की कद्रदान



प्रियदर्शनी मां इन्दिरा को सादर समर्पण

पण्डित जवाहरलाल नेहरू के मानसरोवर की राजहंसनी एवं भारत ममत्व की देवी जिसे विरासत से प्राप्त खेलों के प्रति लगाव तथा अपने प्रधान मंत्रीत्व काल की उल्लेखनीय उपलब्धियाँ एवं निर्माण कार्य सदैव—सदैव हमें स्मरण कराते रहेगे—

- दिल्ली स्टेडियमों और खेल-क्रीड़ागणों को इस्पाती इमारतें,
- राष्ट्रीय महिला खेलों का थीगणेश
- नवम एशियाई खेलों का आयोजन
- खेल मंत्रालय की स्थापना
- भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन
- ओलम्पिक गोल्ड-ग्रांडर का सर्वोच्च सम्मान
- खिलाड़ियों को प्रोत्साहन



लेखकीय भावांजली

यह पुस्तक ऐसे समस्त लोगों के लिए उपयोगी हो सकेगी जिनकी शारीरिक शिक्षा तथा खेलों के विकास में सक्रिय रूचि है, अथवा इस दोनों में शिक्षण के साथ किसी न किसी रूप में जुड़े हुए है, जैसे-प्रधानाध्यापक, शारीरिक शिक्षक, खेल प्रशिक्षक, तथा निरीक्षण-पर्यंवेक्षण प्रशासनिक अधिकारी आदि। इसके अलावा एस.टी.सी. एवं डी.पी.एड, बी.एड. एवं डी.पी.एड शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों अथवा महाविद्यालयों में अध्ययन-अध्यापनरत शिक्षक एवं शिक्षार्थी आदि के लिए भी लाभप्रद है। क्योंकि पुस्तक में तकनीकी ज्ञान एवं शिक्षण की दृष्टि से विद्यालयों में संचालित शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, एवं खेल-क्रीड़ा सम्बन्धी क्रियाकलापों के सीखने-सिखाने की प्रवस्थाओं एवं परिस्थितियों के विकासोन्मुख उद्देश्य से उनके सगठनात्मक, प्रशासनिक एवं पर्यंवेक्षणात्मक पहलूओं पर सविस्तार प्रकाश ढाला गया है। इसके अलावा इस विषय के प्रति आम आदमी की शारीरिक स्वस्थता की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया है।

पुस्तक लेखन का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा में जिस कदर इस विषय की महत्ता एवं उपयोगिता को शिक्षा-शास्त्रियों द्वारा सराहा गया है तथा शिक्षा से अटूट सम्बन्ध आपूर्त करके बांधित परिणामों की कल्पना की गई है, क्या वे उपलब्ध हुए हैं? यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं? क्या इनके आयोजन में कोई व्यवस्था सम्बन्धी दोप है जेनके कारण अपेक्षित परिणाम-प्राप्ति की सम्भावनाएँ बन सकती हैं? आदि तथ्यों के सन्दर्भंगत ठोस विचार प्रेपित किये गये हैं।

ग्रन्त में, मैं उन सभी शिक्षा अधिकारियों जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया, उन सभी शारीरिक-शिक्षा एवं खेल साथी अधिकारियों, शारीरिक शिक्षकों तथा खेल प्रशिक्षकों जिन्होंने मेरे साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर काम किया, जिनकी प्रेरणा एवं नदत अनुभवों का ही भाज यह फल है कि यह मेरी दूसरी रचना प्रकाशित हो रही है, उन सभी का हृदय से आभारी है। इसके साथ ही देश-विदेशी जिन प्रकाशित एवं प्रकाशित रचनाओं एवं पत्र-पत्रिकाओं के अध्ययन से मेरी कलम को बल मिला उन सब लेखकों के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूँ। इसी सन्दर्भ में मेरीजीवन-संगनी धीमती भगवतीदेवी भोजक जो स्वयं भी शिक्षिका है, धन्यवाद की पात्र है जिन्होंने इस धर्म-यज्ञ में मुझे उत्साहप्रद सहयोग दिया।

मुझे पूर्ण विश्वास है, कि पाठकगण इस प्रथम संस्करण के दोष निवारणार्थं घपने पूजनात्मक सुझाव मुझे भेजकर सहयोग प्रदान करेंगे।

विषय-सूची

अध्याय

पृष्ठांक

1. शिक्षा और शारीरिक-शिक्षा में अन्तर्सम्बन्ध	1—11
◦ शिक्षा का ग्रंथ, परिभाषा, लक्ष्य और उद्देश्य	2
◦ शारीरिक शिक्षा का स्वरूप, लक्ष्य और उद्देश्य	4
◦ शिक्षा से शारीरिक शिक्षा की अविभाज्यता	7
◦ शिक्षा-उद्देश्यों की पूर्ति में शारीरिक शिक्षा का योगदान	8
2. शारीरिक-शिक्षा संगठन और प्रशासन का स्वरूप	12—30
◦ संगठन का ग्रंथ, परिभाषा और महत्व	13
◦ संगठन के कार्य एवं उद्देश्य	15
◦ संगठन, प्रशासन और प्रबन्ध में अन्तर	17
◦ संगठन निर्माण के आधारभूत तत्व एवं विशेषताएं	18
◦ प्रशासन का ग्रंथ एवं परिभाषा	20
◦ प्रशासन और संगठन में एकरूपता	21
◦ प्रशासनिक कार्यप्रणाली एवं उत्तरदायित्व	23
◦ प्रशासन के प्रभावी मूल-सिद्धान्त एवं प्रकार	27
◦ प्रशासक के गुण एवं योग्यताएं	28
◦ प्रशासकीय निर्णय	29
3. विभिन्न स्तर पर संगठन-योजनाएं एवं कार्यक्रम	31—59
◦ योजना का ग्रंथ एवं महत्व	31
◦ राष्ट्र-स्तरीय संगठन-योजनाएं: स्वरूप एवं कार्यक्रम	32
◦ स्वाधीनता पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा गठित संगठन	41
◦ राष्ट्रीय स्तर पर युवा-विकास कार्यक्रम	43
◦ राज्य स्तरीय संचालित योजनाएं	43
◦ जिला स्तरीय संचालित योजनाएं	49
◦ स्कूली शिक्षा में शारीरिक शिक्षा एवं खेल विकास कार्यक्रम	51
◦ विशिष्ट परियोजनाएं : व्यायाम-प्रदर्शन, खेल क्रीड़ा-समारोह	53
◦ सीमान्तर्गत प्रतियोगिताएं	56
4. मैदानी खेलक्षेत्र एवं धावन-परिपथ संसाधन-सुविधाएं	60—82
◦ संसाधन-सुविधाओं से अभिप्राय, महत्व एवं उनके प्रकार	62
◦ मैदानी खेल-क्रीड़ा क्षेत्र और उनका नियोजन	63
◦ धावन-परिपथ का अभिन्यास एवं निर्माण	70
◦ क्रीड़ा-समारोह संचालन अधिकारी एवं उपकरण	79
◦ विभिन्न खेल-प्रांगणों के नाम एवं विवरण	80
5. व्यायामशाला और तरणताल निर्माण	83—111
◦ भारतीय व्यायाम-शिक्षा एवं संगठन : ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि	83
◦ समाज में व्यायाम-शाला और तरणताल की मावश्यकता	87
◦ व्यायामशाला की बनावट एवं साज-सज्जा	88
◦ तरणताल की आकृति और उसका निर्माण	94
◦ सुसंचालित व्यायाम कार्यक्रम एवं शारीरिक स्वस्थता	104

6. उपस्कर एवं उपकरण व्यवस्थाएं	112—123
◦ उपकरणों का महत्व और उपयोगिता	112
◦ उपकरण व्यवस्था के आधारभूत सिद्धान्त	113
◦ उपकरणों का चयन एवं क्रय प्रणाली	114
◦ उपकरण देखरेख एवं रखरखाव	117
◦ अनुपयोगी उपकरणों का अपलेखन	120
◦ उपकरण निलामी-प्रक्रिया	121
◦ शिक्षण महायक-सामग्री	122
7. कुशल नेतृत्व, योग्यताएं एवं उत्तरदायित्व	124—135
◦ शारीरिक शिक्षा अध्यापकीय गुण एवं योग्यताएं	125
◦ विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक का उत्तरदायित्व एवं कार्य	127
◦ विद्यार्थी नेतृत्व के गुण एवं उपयोगिता	132
◦ शारीरिक शिक्षण हेतु समय एवं कालाश निर्धारण	133
8. कार्यालय व्यवस्था एवं अभिलेख रखरखाव	136—14
◦ कार्यालय व्यवस्था	136
◦ विद्यालयी अभिलेखों का प्रयोजन	136
◦ अभिलेख रखरखाव के बुनियादी सिद्धान्त	138
◦ अभिलेखों के प्रकार एवं उनका क्रम	138
◦ शारीरिक शिक्षा एवं सेल-कीड़ा सम्बन्धी अभिलेख	139
9. आय-व्ययक एवं वित्त व्यवस्था	141—147
◦ वित्त एवं आय-व्ययक का अर्थ और महत्व	141
◦ बजट निर्माण के मार्गदर्शक मिडान्ट एवं सौपान	142
◦ बजट का प्राप्ति एवं तैयारी के मद	143
◦ बजट उपयोग में आवश्यक सावधानियों	145
◦ बजट का लेखा और अकेशण	146
10. शिक्षक प्रशिक्षणालय संगठन	148—153
◦ प्रशिक्षणालय भवन एवं कक्षालय	149
◦ पुस्तकालय सेवा	150
◦ द्यावावास व्यवस्था	151
◦ शारीरिक शिक्षा शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	151
◦ भारतीय विश्वविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा का ध्यायन	153
11. शारीरिक शिक्षण कार्यक्रम का नियोजन	154—168
◦ कार्यक्रम नियोजन का धर्मप्राप्त, उद्देश्य एवं महत्व	154
◦ कार्यक्रम नियोजन के आधारभूत मिडान्ट	155
◦ कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया एवं उनके स्वरूप	158
◦ कार्यक्रम धार्योजन में उत्पन्न घाँटाये एवं उनका समाधान	166
◦ कार्यक्रम धार्योजन में सफलता प्राप्ति के माध्यार	166
12. समय-तात्त्विक अध्यया समय-विभाग चक्र	169—178
◦ समय तात्त्विक का अर्थ एवं परिभाषा	169
◦ आधारप्रता और महत्व	170

◦ समय तालिका नियोजनार्थं आवश्यक आलेख एवं दस्तावेज	171
◦ समय तालिका-निर्माण के आधारभूत सिद्धान्त	171
◦ समय तालिका के प्रकार एवं उसका प्रारूप	175
◦ शारीरिक शिक्षा समय तालिका; क्रियाकलाप एवं कालांश आवंटन	177
3. पाठ्यक्रम संकलन एवं संगठन	179—183
◦ पाठ्यक्रम का अर्थ, परिभाषा और महत्व	179
◦ पाठ्यक्रम संगठन के आधार एवं मार्ग दर्शक सिद्धान्त	181
◦ पाठ्यक्रम निर्माण-प्रक्रिया के सौपान	183
4. शारीरिक-शिक्षा में मूल्यांकन एवं मापन	184—188
◦ मूल्यांकन का अर्थ	184
◦ मूल्यांकन, मापन और परीक्षण	185
◦ मूल्यांकन की उपयोगिता	185
◦ मूल्यांकन की रीतिया एवं तकनीकें	186
◦ मूल्यांकन परिशुद्धता की विशेषतायें	187
◦ शारीरिक शिक्षा में प्रचलित परीक्षण	187
i. विद्यालयीन स्वास्थ्य शिक्षा-संगठन	189—195
◦ स्वास्थ्य शिक्षा से अभिप्राय	189
◦ स्वास्थ्य शिक्षा का लक्ष्य एवं उद्देश्य	191
◦ स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम	192
◦ स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व	194
◦ स्वास्थ्य शिक्षा के विकास में शारीरिक शिक्षक का कार्य	194
6. शिविर, पिकनिक, हाइक और पर्यटन	196—205
◦ शिविर का अर्थ, महत्व एवं प्रकार	197
◦ शिविर नियोजन के मार्गदर्शक सिद्धान्त	198
◦ शिविर-संगठन संरचना एवं उसके निर्देशक तत्व	201
◦ शिविर समय-सारिणी एवं क्रियाकलाप	202
◦ पिकनिक हाइक एवं ब्रमण	203
◦ शैक्षिक पर्यटन एवं फिल्ड-ट्रिप्स	205
7. शारीरिक-शिक्षा में निरीक्षण-पर्यवेक्षण	208—226
◦ पर्यवेक्षण का अर्थ, परिभाषा एवं निरीक्षण से अन्तर	209
◦ पर्यवेक्षण का महत्व और उसकी आवश्यकता	211
◦ पर्यवेक्षण के उद्देश्य	213
◦ पर्यवेक्षण के बुनियादी सिद्धान्त	214
◦ पर्यवेक्षणीय सेवाएं एवं उत्तरदायित्व	216
◦ पर्यवेक्षणीय प्राविधियाँ एवं तकनीकें	217
◦ पर्यवेक्षक योग्यताएं एवं गुण	223
◦ पर्यवेक्षणीय मूल्यांकन-कसोटी के आधार	224
◦ शारीरिक शिक्षा में पर्यवेक्षण की स्थिति	226



शिक्षा और शारीरिक शिक्षा में अन्तर्सम्बन्ध

अध्ययन विन्दु :-

- प्रस्तावना
- शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, लक्ष्य और उद्देश्य
- शारीरिक शिक्षा का स्वरूपः लक्ष्य और उद्देश्य
- शिक्षा से शारीरिक शिक्षा की अविभाज्यता
- शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में शारीरिक शिक्षा का योगदान

प्रस्तावना

शरीर किया विज्ञान के आधार पर शिक्षा शास्त्री ऐसा मानते हैं कि मानव की प्रत्येक किया का मूल आधार उसका शरीर है। उसकी वृद्धि और विकास में शारीरिक गत्यात्मक क्रियाओं का प्रमुख प्रभाव रहता है। मानव के किया कलाप चाहे वैचारिक ही अथवा आंगिक दोनों में उसके शरीर की मांस पेशिया किसी न किसी रूप में हिल-डुल कर अथवा क्रियाशील होकर कार्य करती है। यही मांस पेशियों का गतियुक्त कार्य जो बालक के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है उसके शारीरिक और मानसिक क्रियाओं के समन्वित विकास का आधार है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है (Sound mind in a sound body). इस मूल विचार का आधार शरीर और मन के पारस्परिक सम्बंधों में समन्वित गति की पुष्टि करता है। शारीरिक शिक्षा का प्रमुख कार्य-शारीरिक क्रिया कलाओं में बालक की भाग दिलाकर उसकी इस गति को सुदृढ़, सुन्दर एवं सौदेश्य पूर्ण बनाना है।

प्राकृतिक गति पर आधारित शारीरिक शिक्षा के जन्मदाता रुडोल्फ लबान (Rudolf Laban) ने एक क्रौतिकारी विचार दिया। उनका यह कथन - "बालक को गति की शब्दावली से परिचित करना चाहिए; उम्रको विविध शारीरिक अनुभवों का अभ्यास दो; उसे स्वयं स्वदंदेता पूर्वक कुछ करने दो; उसे पहल, चंयन और रचनात्मक चेष्ठाओं के पूर्ण अवसर दो; साथ ही उसे युगल और समूह के रूप में उद्देश्यनिष्ठ समन्वित गति (Co-ordinated movement) के प्रभ्यास दो; इसका एक जवरदस्त प्रभाव उसके मस्तिष्क और कल्पना पर पड़ेगा और ऐसा होने पर मस्तिष्क का शरीर के साथ और शरीर का मस्तिष्क के साथ समन्वित मन्त्रधर्यवहार (Inter-action) होगा। वस्तुतः

इसी मूलभूत सत्य ने शारीरिक शिक्षा को शिक्षा के साथ जोड़े रखा है" वयोंकि मनुष्य के जीवन-विकास का प्राधार शरीर और उसमें होने वाली गति है। भारत के शिक्षाविद् थी एल. पी. कदाम ने शरीर की महत्ता को इस प्रकार बतलाया है— "Mental and emotional development are based on the bodily development. The bodily development helps in tackling successfully difficult problems and helps in the development of knowledge. (Formulative Objectives of Primary Education—NCERT)

यदि देखा जाय तो मानव-ध्यक्तित्व के सम्पूर्ण विकास के लिए शरीर और मस्तिष्ठ का एकीकृत प्रशिक्षण होना आवश्यक है और इस एकीकृत प्रशिक्षण का मूल प्राधार मानव शरीर है जिसकी मौस वेशियों की हलचलें एवं गतियाँ विविध अनुभव कराकर बालक के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य की वैचारिक तथा आंगिक क्रियाओं की गति अथवा हलचलों को सबल, सुन्दर और उत्तम बनाने के लिए उसके शरीर का संतुलित और मसुचित विकास होना चाहिए। इसके लिए आवश्यकता है विद्यालयों में उत्तम शारीरिक शिक्षण और प्रशिक्षण की जिसमें भाग लेकर बालक का सर्वांगीण विकास हो सके।

शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, लक्ष्य और उद्देश्य

शिक्षा के अर्थ को भृतिभ्राति समझने के लिए हमें सबसे पहले शरीर, मन और आत्मा के एकात्मक हृष्टरूप को जानना आवश्यक है। वस्तुतः बालक उक्त तीनों शक्तियों को अपने जन्म से ही साथ लेकर सासार में आता है। इन तीनों शक्तियों—शरीर, मन, आत्मा में से यदि किसी भी एक का अभाव हो जाता है तो हम उसे निर्जीव प्राणी अथवा मृत समझते हैं। अतः शिक्षा का लक्ष्य इन तीनों शक्तियों का संतुलित विकास करके उसे एवं मुनाफारिक बनाना है। चरक के अनुसार— "शरीरेन्द्रिय सत्त्वात्म संयोगोद्यारि जीवितम्" शर्वात्म शरीर मन और आत्मा के सम्यक योग को जीवन कहते हैं। बालक इसी जीवन को लेकर सम्पूर्ण रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होता है जिसे हमें शिक्षित एवं सुसंस्कृत बनाना है। उसका शरीर मन और आत्मा कोई अलग-अलग वस्तु नहीं है। यही कारण है कि बालक को सम्पूर्ण रूप में (As a whole) समझते हुए शिक्षा दी जानी चाहिए फिरी विद्वान ने भी कहा है कि—*we are training up a man as a whole, no a soul or a body seperately, therefore, we can't devide him into two parts.*"

बालक के सर्वांगीण विकास में वशानुक्रम और वातारण का भी बहुत महत्व है। उनकी स्वयं की अक्तिकता जो उसे वशानुक्रमण से प्राप्त होती है तथा उसके चारों ओर पर्यावरण जिसमें उसका पालन पोषण अथवा जीवन यापन होता है उसके सर्वांगीण

विद्यास में प्रभाव पूर्ण सहायक सिद्ध होते हैं। शिक्षा का कार्य बालक की वंशानुक्रमण में प्राप्त जन्मजात पाश्विक प्रवृत्तियों या समुचित मर्मान्वितकरण एवं परिशोधन करना है। इसी प्रकार शिक्षा बालक को अच्छा पर्यावरण देकर उसके स्वस्कारों में परिवर्तन करती है और उसे सुनागरिक के रूप में समाजोपयोगी कार्य करने के लिए समर्थ बनाती है। बालकों को किसी बंद कमरे में एकत्र करके शिक्षा का उद्देश्य केवल उनके मस्तिष्क में ज्ञान ठूंसना ही नहीं है प्रत्युत शिक्षा का अभिशाय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके द्वारा बालक के शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और सामाजिक पहलुओं का इस प्रकार से विकास करना है जिससे वह बालक व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व कल्याण के लिए 'मपनी सेवाएं' देने में समर्थ हो सके।

उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि में कुछेक शिक्षा शास्त्रियों तथा दार्शनिकों के उल्लिखित वाक्यों द्वारा शिक्षा के अर्थ को भलिभाति समझा जा सकता है—

पेस्टालोजी (Pestalozze) के ग्रनुसार—Education is defined as a natural harmonious and progressive developments of man's innate powers,' अर्थात् शिक्षा मनुष्य की शक्तियों का स्वाभाविक सर्वांगीण तथा प्रगतिशील विकास है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शब्दों में—“By education, I mean an all round drawing out of the best in child and man—body, mind and Spirit” अर्थात् शिक्षा से मेरा अभिशाय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में निहित सर्वोत्तम शक्तियों के सर्वांगीण प्रकटोकरण से है।

डमविल (Dumvil) के कथानुसार—Education in its widest sense includes all the influences which act upon an individual during his passage from cradle to the grave. अर्थात् विस्तृत अर्थों में पालने से लेकर कब तक के मार्ग में व्यक्ति के जीवन पर पड़ने वाले समस्त प्रभाव ही शिक्षा है।

अमेरिका के शिक्षाशास्त्री डीवे (Dewey) के शब्दों में—Education is a process of leaving through continuous reconstruction and re-organisation of experiences अर्थात् शिक्षा व्यक्ति के ग्रनुभवों की भवितव्य आजन्म चलने वाली रचना तथा पुनरेचना है।

उपरोक्त परिभाषाओं को दृष्टिगत रखते हुए सारांश में यह कहा जा सकता है कि शिक्षा से अभिशाय व्यक्ति के जीवन को उन समस्त सार्थक ग्रनुभवों में से गुजारने की ऐसी प्रक्रिया से है जो व्यक्ति के बुद्धि और विकास में सहायक हो और जिसके द्वारा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और सामाजिक व्यक्तित्व को उच्चतम विकास स्तर तक पहुंचाया जा सके।

इस प्रकार बालक के सर्वांगीण विकास के सद्य को दृष्टिगत रख कर नेतृत्व

एज्यूकेशन आंक अमेरिका द्वारा शिक्षा के निम्नांकित सात उद्देश्य निर्धारित किये गए हैं जिन्हे सप्त गुणात्मक सिद्धात (Seven cardinal principles) के नाम से संसार में जाना जाता है —

- 1 स्वास्थ्य (Health)
2. मूल नीतिगिक क्रियाओं पर प्रभुत्व (Command on fundamental process)
- 3 नागरिक ज्ञान (Civic knowledge)
- 4 उत्तम गृहस्थ जीवन (Worthy home membership)
- 5 अवकाश काल का सदृश्योग (Worthy use of leisure)
6. व्यावसायिक ज्ञान (Vocational knowledge)
7. नीतिक चरित्र (Ethical character)

शारीरिक शिक्षा का स्वरूप : लक्ष्य और उद्देश्य

विद्यालयी शिक्षण में शारीरिक शिक्षा का विषय अध्ययन-अध्यापन की वट्टि से एक तम्बे समय से उपेक्षित रहा है। अन्य शिक्षण विषयों की भाँति इस विषय को अभी तक समानता का दर्जा प्राप्त नहीं है। जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस विषय की अपनी महत्ता है, उन्हें प्राप्त होने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है! यही कारण है कि आम आदमी इसके अभिप्राय के बारे में भ्रमपूर्ण धारणाएँ बनाये हुए हैं श्रीमद्भागवत का अर्थ केवल पी.टी., ड्रिल तथा खेल-क्षेत्रों में भाग लेने तक से समझता है।

वस्तुतः शारीरिक शिक्षा का होत्र बड़ा व्यापक है। इसमें विविध प्रकार के कार्य-प्रमो का समावेश है जिनमें भाग लेने पर बालक का शारीरिक ही नहीं अपितु उसका मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास इस प्रकार से होता है कि वह अपने भावी जीवन में एक अच्छे नागरिक की भाँति समाज में जीवन व्यक्तित बन गके। इस विषय के शिक्षण के अन्तर्गत अनेकों प्रकार के बहुत तथा लघु सेनो, दोष-परिपथ और होशीर श्रीदामो, नृत्य तथा मनोरजन के कार्यों, पर्यटन, शिविर तथा प्रकृति-विहार आदि कार्यक्रमों का समावेश है। इसके साथ-साथ इगमें स्वास्थ्य एवं योग शिक्षण, शरीर-रचना, शरीर-क्रिया विज्ञान, जीव एवं भौतिक विज्ञान, समाज विज्ञान एवं मनो-विज्ञान आदि शिक्षण के तत्व भी भीड़बूद हैं।

शारीरिक शिक्षा के होत्र में भाने वाले ये समस्त क्रिया कलाप बालक के शिक्षण के लिए तेज़ी साधन हैं क्रिनमें भाग दिलाकर बालक को एक अतितरपूर्ण नागरिक बनाने का माध्यम प्रतिष्ठित किया जाता है। त्रिम प्रकार शिक्षा अपने माध्यनी द्वारा बालक को विविध प्रकार के कार्यक्रमों कराकर उने मुनश्शृत व्यवहारों में ढासनी है उसी प्रकार शारीरिक शिक्षा भी अपने ही व्यक्तियुक्त यूहृद मांगपेशीय क्रिया क्रमाओं में उसके सम्मूल व्यक्तित्व विकास में अपना योगदान देती है।

विद्या और शारीरिक शिक्षा में यदि अन्तर है तो केवल साधनों का है जबकि साध्य एक है—बालक का सर्वांगीण विकास करना। शारीरिक शिक्षा के विद्वानों ने इस विषय के ग्रन्थ को स्पष्ट करने के बारे में निम्नांकित परिभाषाएँ देकर अपने विचारों का निरूपण किया है ।

ए. आर. वेमेन (A. R. Wayman) के अनुसार—‘Physical Education is that phase of education which has to do with the development of the whole individual through physical activities.’’ अर्थात् शारीरिक शिक्षा शिक्षा की वह घटवस्था है जिससे शारीरिक कार्यशक्तियों द्वारा पूर्ण व्यक्तित्व का विकास एवं प्रशिक्षण दिया जाता है ।

जे. एफ. विलियम (J. F. William) के शब्दों में—“Physical education is the sum of man's physical activities selected as to kind and conducted as to outcome,” अर्थात् शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के उन शारीरिक क्रिया कलाओं को कहते हैं जिनका चयन उनके प्रभाव की दृष्टि से किया जाता है ।

चाल्स ए. बूचर (Charles A. Bucher) के अनुसार—Physical education an integral part of the total education process is a field of endeavour which has its aim the development of physically, mentally, emotionally and socially fit citizens through the medium of physical activities which have been selected with a view to realizing these outcomes.”

भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय द्वारा गठित संषट्टल एडवाइजरी बोर्ड आंक फिजिकल एज्युकेशन एण्ड रिक्रियेशन ने शारीरिक शिक्षा को शिक्षा के साथ जोड़ते हुए उसके ग्रन्थ को इस प्रकार परिभाषित किया है—“Physical education is education. It is education through physical activities for the development of the total personality of the child to its fullness and perfection in body, mind and spirit” अर्थात् शारीरिक शिक्षा भी एक शिक्षा है । यह एक ऐसी शिक्षा है जिसमें शारीरिक क्रिया कलाओं के माध्यम से बालक के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किया जाता है और उसमें शारीरिक, मानसिक तथा भावात्मक पूर्णता उत्पन्न की जाती है ।

उपरोक्त उल्लिखित शारीरिक शिक्षाविदों के विचारों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि शारीरिक शिक्षा का ग्रन्थ और ध्येय मानव के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का संतुलित विकास करना है । इस प्रकार ध्येय प्राप्ति की दृष्टि से शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य की प्राप्ति में शारीरिक शिक्षा का सम्पूर्ण योगदान है । यह भी सही है कि शारीरिक शिक्षा मानव शरीर तथा उसके विभिन्न शर्तों—शब्दवर्तों को स्वस्थ्य बनाकर यति प्रदान करने तथा उसे सही रूप से प्रतिक्रिया करने के लिए ऐसे शारीरिक अन्यासों का अवसर प्रदान

करती है जिससे व्यक्ति के सीखने को बल मिलता है। व्यक्ति का सीखना चाहे वैचारिक ही अथवा ग्रांगिक, यह बात स्वस्थ्य शारीरिक क्रिया कलाओं के सौदेश्यपूर्ण चयन और उसके संगठन की समेकित गति (*Unified movement*) की प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है। इस दृष्टि से यह एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जो बातको और युवाओं में निम्नांकित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम है :—

- 1 पण-पण पर अपनी बुद्धि को काम लेने के अवसर देकर तक, चिन्तन और निर्णय शक्ति के उपयोग से उसे मानसिक दृष्टि से आगे बढ़ाना।
- 2 विविध तीव्र गतियुक्त क्रिया कलाओं से चुम्ह और तन्दुरुस्त बनाकर शक्ति, बतादम स्फूर्ति और नमनीयता प्रदान करना।
- 3 शरीर के आन्तरिक और बाह्य अंगों को सशक्त और विकसित करके रोगाणुओं से प्रतिरोध करने का समर्थन देना।
- 4 शरीर के विभिन्न अंगों को निरन्तर अन्वयत करके समेकित, सही और सौन्दर्य परक गति के ज्ञान और कौशल में अभिवृद्धि करना।
- 5 विविध मनोरंजनात्मक क्रिया कलाओं में भाग दिलाकर सामाजिकरण के माध्यम से मानन्दमय जीवन व्यतीत करने की कला सिखाना।

सेण्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एज्युकेशन एण्ड रिक्रियेशन (1956) के प्रतिवेदन के अनुसार शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों का उल्लेख इस प्रकार है :—

- 1 शारीरिक अंगों की पुष्टता का विकास
(Development of organic Fitness)
- 2 स्नायु मासपेशीय कुशलता का विकास
(Development of neuro-muscular skills)
- 3 चरित्र एवं व्यक्तित्व का विकास
(Development of character and personality)

इस प्रकार शारीरिक शिक्षा के विविध उद्देश्यों पर यही संदेश में विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि शारीरिक शिक्षण केवल बल या शरीर सवधन ही नहीं बरन यह व्यक्तित्व सर्वथन भी है। इसका महत्व मुख्यतः व्यक्तियों के निर्माण का है, जो समाज और राष्ट्र की उन्नतिशील बनाने में याक्षर्यक भूमिका निभाते हैं। जे. ए. विनियम (J. F. William) ने शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य को बहुत ही मुद्रर शब्दों में व्यक्त किया है—Physical education should aim to provide skilled leadership and adequate facilities which all afford an opportunity for the individual or group to act in situations that are physically wholesome, mentally stimulating and satisfying and socially sound," यथात् शारीरिक

“एवं व्यक्तियों एवं मूल नेतृत्व तथा पर्याप्त माध्यन-मुविधाएँ”

उपलब्ध करा देना है जिमरे उन्हे ऐसे अनुभव प्राप्त करने के अवसर मिले जो शारीरिक इटि से हितकर, मानसिक इटि से उत्साहजनक एवं सत्तोप्रद तथा सामाजिक इटि से मान्यता प्राप्त हो ।

यह शारीरिक शिक्षण के कार्यक्रमों में जिन गुणों का बीजारोपण और पोषण करने को क्षमता है वे सारे गुण अन्य किसी भी एक पाठ्य विषय द्वारा नहीं प्राप्त किये जा सकते हैं । इसी कारण से इस विषय की विद्यातात्त्वी पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान देना राष्ट्रोन्नति को इटि से आवश्यक है ।

शिक्षा और शारीरिक शिक्षा में अविभाज्यता -

शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के नट्य और उद्देश्यों की इटि से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि दोनों विषय हमारे तन और मन की भाँति एक दूसरे के इतने नजदीक हैं कि उन्हे अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में अपने शारीरिक क्रियाकलापों के माध्यम से जिक्षा के समस्त निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति में अपना महत्वपूर्ण महत्वोग प्रदान करते हैं । इस तथ्य की पुष्टि में अमेरिकन शिक्षा शास्त्री प्रोफेसर हाल्साई और लारेन पोर्टन(Halsai & Laren Porton) ने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किये हैं कि—“शारीरिक शिक्षा यात्रों और युवकों के मशक्त गतियुक्त क्रिया कलाओं वाला नियोजित विकासात्मक अनुभव है जो यात्रक के अधिगम (Learning) में महत्वोग प्रदान करता है ।”

प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जान लॉक (John Lock) के अनुसार शरीर और मस्तिष्क के पारस्परिक सम्बन्धों को निम्नांकित शब्दों में स्पष्ट किया है—“Keep the body in strength and vigour so that it may be able to obey and execute the words of the mind.” यही कारण है कि संसार के प्रसिद्ध दार्शनिकों एवं शिक्षा विदों-स्सो, स्पेन्सर, डोवी, गांधी और अरचिन्द्र आदि ने अपनी शिक्षा योजनाओं के साथ शारीरिक शिक्षा को एक महत्वपूर्ण कड़ी मानकर दोनों विषयों के सम्बन्धों को अविभाज्य और अद्वितीय बताया है ।

राष्ट्रीय शंक्षणिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद (National Council of Educational Research & Training) नई दिल्ली ने शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा निर्मित शारीरिक शिक्षा और मनोरजन की राष्ट्रीय योजना (1956) को सामूह करने के लिए कक्षा 1 से 10 तक के लिए एक सशोधित पाठ्यक्रम का प्रारूप सन् 1980 में देश के सभी विद्यालयों में लागू करने के लिए रखा है, जिसमें शारीरिक शिक्षा को सम्पूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का एक अविभाजित अंग बताते हुए शारीरिक शिक्षा के निम्नांकित उद्देश्य उल्लिखित किये हैं—

1. शारीरिक अंगों की स्वस्थता का विकास करना ।
2. स्वस्थ यात्रों का निर्माण करना ।

3. व्यायाम करने की आदत डालना ।
4. स्नायु ग्रासपेशीय कोशल का विकास करना ।
5. उत्तम खेतवृति, सहकारिता तथा अच्छी खेत भावना का विकास करना ।
6. चारित्रिक गुणों का विकास करना ।
7. नागरिक गुणों का विकास करना ।
8. अवकाश काल का सदृश्योग करना ।
9. व्यवसाय क्षमता विकसित करना ।
10. नवीन खेत प्रतिभाओं को ढूँढ निकाल कर उन्हें विशिष्ट प्रशिक्षण देना ।

शारीरिक शिक्षा के उपरोक्त उद्देश्यों के सम्बद्ध में यदि शिक्षा के उद्देश्यों का अवलोकन किया जाय तो प्राप्ति साम्यता प्रतीत होती है । अन्तर है, तो केवल साधनों का है । शारीरिक शिक्षा वालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण संबंधन अपने शारीरिक क्रियाओं और खेत कोड़ाओं के माध्यम से प्राप्त करती है । इस प्रकार सोधे रूप में शारीरिक शिक्षा अपने उपरोक्त निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल है तो साथ ही साथ अप्रत्यक्ष रूप में यह शिक्षा के उद्देश्यों को भी प्राप्त करती है । इसलिए शारीरिक शिक्षा और शिक्षा में पारस्परिक घनिष्ठता के ऐसे वर्धन है जो पृथक नहीं हो सकते ।

शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में शारीरिक शिक्षा का योगदान-

जिस प्रकार शारीरिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा का सम्बन्ध एक ही है कि वालक का सर्वांगीण विकास हो, उसी प्रकार शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी शारीरिक शिक्षा के किया कराप सभाम है । नेशनल एज्युकेशनल एसोशियेशन ऑफ अमेरिका के निम्नांकित सात प्रमुख सूची (Seven Cardinal principles) शिक्षा उद्देश्यों को जन प्रभावी बनाने एवं वालक के व्यक्तित्व को उभारने में शारीरिक शिक्षा की महत्व भूमिका रही है ।

१ स्वास्थ्य-

स्वास्थ्य का तात्पर्य केवल शारीरिक स्वास्थ्य से नहीं अपितु समूर्ण स्वास्थ्य से है । समूर्ण स्वास्थ्य का व्यक्ति और राष्ट्र के जीवन में अत्यन्त महत्व है । विना स्वास्थ्य के जीवन अध्यर्थ है । इसलिए अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति और सुरक्षा के लिए शिक्षण की आवश्यकता है । जहाँ एक और शारीरिक शिक्षा के किया-कलापों द्वारा शरीर की सभी बाह्य व आन्तरिक अंगों को व्यायाम मिलने से वे अधिक कार्यक्षम हो जाते हैं, उनमें स्वस्थता विकसित होती है वहाँ दूसरी ओर अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव मन पर भी पहता है । मानसिक स्वास्थ्य के लिए यह परम आवश्यक है कि व्यक्ति को अपने आन्तरिक भाव प्रकट करने के अवसर मिले, उसको अच्छे रूप में अभियक्ति हो, व्यक्ति का मन तनाव, चिन्ता एवं धकान मुक्त होकर प्रसन्न रहे, इसलिए शारीरिक शिक्षा के मेज और क्रियायें एक उत्तम साधन के रूप में अपनी महत्वपूर्ण

भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि शिक्षा में बालकों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रख कर खेल चिकित्सा पद्धति (Play Therapy) का प्रयोग किया जाता है। अतः तभी और भन को स्वस्थ रखने में सेलों और शारीरिक कार्यक्रमों जैसा उत्तम अन्य साधन और कोई नहीं है। इन कार्यक्रमों में भाग लेने से स्वास्थ्य ही नहीं अपितु कार्य करने के लिए पुनर्जनित का अजंत और आरोग्यता विकसित होकर दोषाद्यु-जीवन का लाभ प्राप्त होता है।

2. मूल नैसर्गिक क्रियाओं पर अधिकार-

यह माना जाता है को जीवन को कुछ मौलिक स्वरूप की क्रियाएं होती हैं। कुछ विद्वान् इनका शारीरिक आधार मानते हैं और कुछ बौद्धिक। शारीरिक दृष्टि से ये क्रियाएँ जैसे चलना, दौड़ना, फैलना, चढ़ना घकेतना, कूदना आदि प्राकृतिक स्वरूप की हैं, जिन्हें मनुष्य जन्म से प्राप्त करता है और बौद्धिक दृष्टि से लिखना, पढ़ना और गणित करना भी प्राकृतिक स्वरूप को क्रियाएँ मानी जाती हैं। शारीरिक स्वरूप की मौलिक क्रियाओं के विकास पर शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में भाग लेने से बालक का स्वभावतः ही सीधा अधिकार प्राप्त हो जाता है परन्तु बौद्धिक स्वरूप की क्रियाओं पर अधिकार प्राप्त करने के भी अवसर शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में निहित है। इस विषय में ज्ञानार्जन के लिए सम्बन्धित पुस्तकों के अध्ययन से पढ़ने और लिखने पर अधिकार होता है। गुणा भाग और जोड़ करने जैसे अवसरों की प्राप्ति खेल कीड़गणणों को उनके मापों के अनुसार भूमि पर अंकित करना, दौड़-परिपथ बनाना, तथा खेलों की स्कोरिंग आदि करने से होती है। इस प्रकार शारीरिक शिक्षा द्वारा शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार को नैसर्गिक मूल क्रियाओं पर अधिकार एवं सीधने के अवसर प्राप्त करने में सहायता मिलती है।

3. नागरिक ज्ञान-

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने समुदाय में रहकर सफल नागरिक जीवन व्यतीत करके संतुष्टि प्राप्त करता है। यह तभी सम्भव है जबकि उसमें उत्तम नागरिक गुणों का विकास हो। शारीरिक शिक्षा इन गुणों का बीजारोपण करने और उनको विकसित करने का प्रयाम खेल प्रांगणों में करने के अवसर प्रदान करती है। शारीरिक शिक्षा के क्रिया-कलाप इस प्रकार की अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करते हैं जिससे बालक में सहकार्य, महयोग, सहनशोलता, आज्ञापालन, विनय, धैर्य, निष्पक्षता नेतृत्व, प्रेम, शारीरिक तथा भात्मवल एवं भात्म प्रनुभासन जैसे नागरिक गुणों का विकास होता है। उसमें राष्ट्रनिष्ठा एवं राष्ट्रप्रेम की स्थापना होने से वह सुनागरिक बन सकता है।

4. उत्तम शृहस्थ मोग्यता-

कुटुम्ब एक प्रकार में समाज का ढोटा हृप है। अपने कुटुम्ब एवं परिवार के सदस्य के हृप में रहने से बालक में उन गुणों का विकसित होना आवश्यक है जिससे वह

परिवार के अन्य सदस्यों अथवा अपने पर आश्रित व्यक्तियों के प्रति समुचित कर्तव्यों को निष्ठा के साथ बहन कर सके। शारीरिक शिक्षा और खेल-कीड़ा के क्रिया-कलाओं में ऐसे शिक्षण तत्व भौतूद हैं जिनसे बालक को सदव्यवहार, नेतृत्व, आज्ञापालन एवं सहकार्य अभ्यास के अवसर प्राप्त होते हैं जिनके कारण उसमें मुखी गृहस्थ जीवन व्यतीत करने की उत्तम आदतों का विकास होता है।

5. अवकाश काल सदुपयोग-

आधुनिक यान्त्रिक युग की यह एक भहत्वपूर्ण समस्या है कि व्यक्ति अपने दैनिक कार्य के बाद बचे समय का उपयोग किम प्रकार करे? क्योंकि समाज में प्रचलित यह प्राचीन कहावत “खाली दिमांग शैतान का घर” (Empty mind Devil's work shop) भी सत्य है। यह इस बात को प्रभाग्नित करती है कि निष्क्रिय रहकर व्यक्ति में निरर्थक, कुकर्म एवं मिथ्याचार की दुरुद्धि विकसित होने से वह कोई न कोई समाज विरोधी जैसे शैतानी के कार्य करता है! उसका निष्क्रिय भन कोई न कोई उत्पात मचाता है। शारीरिक शिक्षा के क्रिया-कलाओं में इस समस्या के निवारण के ऐसे अनेकों उपाय उपलब्ध हैं जिनमें भाग लेने में व्यक्ति को भनोरजन प्राप्त होता है। वह अपने खाली समय को खेल-कीड़ाओं, शिविर एवं पर्यटन जैसे कार्यक्रमों में भाग लेकर अच्छे तरीके से व्यतीत कर सकता है। इस प्रकार निष्क्रिय समय में खेल कीड़ाएं शारीरिक या मानसिक दृष्टि से हितकर होने के साथ-साथ बालक में अच्छी आदतों के विकास करने में भावी जीवन के लिए भी उपयोगी हैं।

6. व्यवसाय-

यदि उच्च और निष्ठा भाव से शारीरिक शिक्षण के क्षेत्र में कार्य किया जाए तो यह व्यवसाय अन्य किसी व्यवसाय से कम महत्व का नहीं है। अन्य राष्ट्रों की भाँति भारत में भी अब इस प्रकार की परिस्थितियां बनती जा रही हैं कि शारीरिक शिक्षा उदर निर्वाह का साधन भी है। शारीरिक शिक्षा और खेल प्रशिक्षण सम्बन्धों से इस विषय में विद्या भर्जन प्राप्त व्यक्ति अपनी योग्यता अनुमान समाज में निष्ठावान सेवायें देकर धनार्जन करने में सहम हैं। इस प्रकार यह विषय भी एक सम्मान जनक एवं प्रतिष्ठित व्यवसाय होता जा रहा है जिसमें व्यक्ति को अपनी निष्ठापूर्ण एवं रुचिकर सेवाएं देकर व्यक्तिगत निर्माण के कलस्वरूप राष्ट्र निर्माण में भव्य योगदान देता है। राष्ट्र निर्माण या भाग्यार त्वरण सोग और उनकी आधिक सम्पदता पर निर्भर है। शारीरिक शिक्षा या यह नारा—“FIT PEOPLE FIT NATION” मनुष्य में गम्भीर त्वरणता विकसित करके राष्ट्र के भज्यूत इन्हानों द्वारा भव्य उत्पादन और आधिक सम्पदता में विकास प्राप्ति का खोलक है।

7. नैतिक चरित्र-

भव्य चरित्र गमन जीवन की ही नहीं परिनु राष्ट्र की महत्व पूर्ण भाग्यार्थिना
*। शारीरिक शिक्षा और खेल-कीड़ा कार्यक्रम धारोंजन में केवल सफलता पाने में

उतना महत्व नहीं है जितना उनमें भाग लेने में है। इसी प्रभुत्व सन्दर्भ में हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू के बी शब्द जो उन्होंने प्रथम एशियाई खेलों के उद्घोषणा करते समय कहे थे - "Play the game with the spirit of the game" आज भी खेलों के नैतिक आधारों पर प्रकाश डालते हैं। आधुनिक आंतरिक सेवाओं के आयोजन में भी यही नैतिक उद्देश्य निहित है— "The important thing in the Olympic games is not to win but to take part. The important thing in life is not the triumphs but the struggle. The essential thing is not to have conquered but to have fought well." कहने का तात्पर्य यह है कि बालक में नैतिक चरित्र के विकास के लिये शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों द्वारा इस प्रकार के गुणों यथा - अपने अधिकारियों के प्रति आदर, आदेशों का पालन, सत्यवादिता, शिष्टाचार, हार-जीत में संयम स्वार्थ त्याग आदि का विकास होता है जो नैतिक चरित्र के आधार स्तम्भ हैं। अतः शारीरिक शिक्षा के निष्ठावान सेवक को अच्छा खिलाड़ी बनाने पर अधिक विचार न करते हुए अपितु उसे अच्छे चरित्रवान नागरिक बनाने पर अधिक जोर देना है। बास्तव में खेल तो एक माध्यन मात्र है जिनमें मात्र हार-जीत के उद्देश्य से खेलने के गुण अल्पकाल के साथी हैं जबकि खिलाड़ी के जीवन में ऐसे गुणों एवं वृत्तियों को पैदा करने की आवश्यकता है जो उसके आजीवन के साथी थें रहें।

सारोंश में यह कहा जा सकता है कि शारीरिक शिक्षा मात्र खेलकूद और दौड़-दूर करा कर पसीना बहाना नहीं है और न ही इसके द्वारा पुष्ट, गठीसे और आड़पंक झगड़े का विकास करना इतना महत्वपूर्ण है जितना कि सुन्तरिवान व्यक्तियों का विनाश करना है। क्योंकि ऐसे ही व्यक्ति अन्ततोगत्वा समाज और राष्ट्र को उत्तरित्रीय बनाने में अपने अर्थात् भूमिका निभाने में समर्थ रहते हैं। शारीरिक शिक्षा यद्युक्ति का एक महान् साधन है, जिसके क्रीड़ागणों को युली पाठ्यालाएं बहस्तर भट्टाचार की जानी है। इन्ही युली पाठ्यालामों के प्रांगण पर शारीरिक शिक्षा के विनियोग क्रिया-क्रमों के आयोजन में बालक को भागीदार बनाकर उसके व्यक्तिगत स्वरूप के लक्षण की प्राप्त करना शारीरिक शिक्षा का शिक्षा के लिये एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है।

अस्थासार्थ प्रश्न :-

1. शिक्षा से ग्राप क्यों समझते हैं ? मानव शिक्षा के द्वारा छोटे उड़े बचों की करते में शारीरिक शिक्षा विष प्रदार दृढ़तर है ।
2. शारीरिक शिक्षा क्या है ? तथा शिक्षा के द्वारा शारीरिक शिक्षा का योगदान रहा है ? वर्णन करें।
3. शारीरिक शिक्षा मामान्द शिक्षा का दृष्टिकोण है जहाँ दृष्टिकोण विवेचना की जाए।
4. मध्यूर मात्रव के व्यक्तिगत स्वरूप के बार्गुन्डी, शिल्प एवं खेल वर्गों की विवरण बोलिए।
5. शारीरिक शिक्षा के सदृश मुद्रे उड़े उड़े क्या हैं ? वर्णन करें।

2 | शारीरिक शिक्षा : संगठन और प्रशासन का स्वरूप—

अध्ययन बिन्दु :-

- प्रस्तावना
- संगठन का अर्थ, परिभाषा और महत्व
- संगठन के कार्य एवं उद्देश्य
- संगठन प्रशासन और प्रबन्ध में अन्तर
- संगठन निर्माण के आधारभूत तत्व एवं विशेषताएं
- प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषा
- प्रशासन और संगठन में एकरूपता
- प्रशासनिक कार्यप्रणाली एवं उत्तरदायित्व
- प्रशासन के प्रभावी मूल सिद्धान्त एवं प्रकार
- प्रशासक के गुण एवं योग्यताएं
- प्रशासकीय निर्णय

प्रस्तावना -

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वह अपनी आवश्यकताओं की प्राप्ति अपने सहशोभियों के साथ सह-सम्बन्धों की स्थापना करके पूर्ण करता है। इन्ही मानवीय सह-सम्बन्धों ने समाज की आधारशिला रखी है और इसके साथ-साथ अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अनेकों संगठनों को जन्म दिया है। यही कारण है कि युग-युगान्तर से अनेकों प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, जैक्षणिक और व्याव-मार्यिक संगठनों का उदय और अन्त की कहानी समाज को ममयानुकूल परिवर्तित परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के साथ जुड़ी चली आ रही है।

कहने का तात्पर्य यह है कि संगठन मानव समाज की रचना है। उसका स्वरूप चाहे कुछ भी हो, उसके अपने कुछेक विशिष्ट लक्ष्य एवं उद्देश्य निर्धारित होते हैं जिनकी पूर्ति के लिए कोई न कोई कार्य-योजना बनी होती है और निश्चित कार्य योजना की

सफल क्रियान्वयिति के लिए आवश्यक, भौतिक एवं मानवीय साधन सुविधाओं की ध्यवस्था रहती है। संगठन चाहे सरकारी हो अथवा गैरसरकारी, स्वयंसेवी हो अथवा व्यावसायिक ये सब अपने निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति वाचित साधन सुविधाएँ जुटाकर करते हैं। बस्तुतः संगठन के तीन मूलाधार हैं-कार्यक्रम, सुविधाएँ एवं कार्यकर्ता।

इन्हीं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए हम कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा भी अपने आप में एक संगठन है जो अपने निर्धारित उद्देश्यों की सुनियोजित कार्ययोजना अथवा कार्यक्रम को उपलब्ध साधन सुविधाएँ एवं कुशल कार्यकर्ताओं के सहयोग से प्राप्त करती है।

संगठन का अर्थ परिभाषा और महत्व -

शाब्दिक दृष्टि से यदि संगठन के अर्थ को समझा जाए तो अंग्रेजी भाषा में संगठन को औरगेनाइजेशन (Organisation) कहते हैं। औरगेनाइजेशन शब्द की उत्पत्ति ऑरगेन (Organ) शब्द से हुई है जिसका प्रयोग सामान्यतः दो अर्थों में किया जाता है एक तो वाद्य यन्त्र के रूप में और दूसरे शरीर के अंगों को भी हम ऑरगेन कहते हैं। कार्य की दृष्टि से वाद्य यन्त्रों को धून जिस प्रकार परस्पर तालमेल से घजने पर ही कर्ण-प्रिय लगती है, उसी प्रकार शारीरिक अंगों के परस्परिक समन्वय रूप से कार्य करने पर शरीर स्वस्थ बना रहता है अंगों की सुसंचालन से उसका विकास होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि औरगेनाइजेशन अर्थात् संगठन के कार्यों एवं विभिन्न विभागों में भी शरीर के अंगों की भाँति पारस्परिक तालमेल और समन्वय होना आवश्यक है।

इसी प्रकार किसी नदी, बृक्ष अथवा बस के स्वरूप अथवा रचना को देखते पर संगठन जैसी एक रूपता उनके कार्यों में दिखाई देती है। उदाहरणातया किसी बस के घलग-घलग कल पुर्जों को बस नहीं कहा जा सकता है। बस का स्वरूप तो तब ही बनता है जबकि उसके समस्त कल पुर्जे अपने-अपने स्थान पर जुड़े हों और मिलकर कार्य करते हों। क्योंकि बस के समस्त भागों द्वारा एक साथ महीं काम करने पर ही वह निर्धारित लक्ष्य तक पहुँचने की आशा की जा सकती है। - इसी प्रकार विसी बृक्ष अथवा नदी के पृथक-पृथक भागों को हम बृक्ष एवं नदी उसी हालत में यह सबते हैं जबकि वह एक साथ मिलकर अपना-अपना कार्य करते हों। अतः संगठन का अभिप्राय विभिन्न तथ्यों और उनसे सम्बन्धित विभिन्न वस्तुओं एवं साधन-सुविधाओं से निर्मित विभिन्न विभागों द्वारा ईकाइयों के एक रूप में कार्य करने से है। भरन शब्दों में संगठन ही किसी भी कार्य को योजना को, जिसका उद्देश्य संगठन में सम्बन्धित ममस्त साधन सुविधाओं का नमुचित उपयोग करते हुए निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करना है, उसे ही हम संगठन कहते हैं।"

उपरोक्त तथ्य की पुष्टि शारीरिक शिक्षा के निम्नांकित विद्यानों द्वारा प्रदत्त संगठन की परिभाषा से की जा सकती है—

श्री जे. पी. थामस (J. P. Thomas) के अनुसार-Organisation is planning the work.

श्री वाल्टमर और एसलिंगर (Voltmer & Esslinger) के शब्दों में—Organisation means the process which plans all the parts of a particular project for functioning as a unit into a systematic way for the central purpose of the project or agency. अर्थात् संगठन ने अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें किसी परियोजना के विभिन्न भागों को एकजुट संयोजित कर व्यवस्थित तरीके से निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है।

विभिन्न विष्ट कोणों एवं कार्यकारी उद्देश्यों की विष्ट से संगठन के स्वरूप को विभिन्न अर्थों में समझा जा सकता है जैसे—

1. संरचना की विष्ट से—(विभागीय संगठन—Departmental Organisations) लुइस हैनी के कथनानुसार—संगठन किसी सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न भागों का एकीकरण है।
2. कार्मिकों की विष्ट से—(कर्मचारी संगठन—Workers Organisation) मैकफर लैन के अनुसार—समान व्यक्तियों के समूह को जो समाज लक्षणों की प्राप्ति के लिए एक साथ मिलकर क्रियाशील रहते हैं, उसे संगठन कहते हैं।
3. व्यवसाय की विष्ट से—(व्यावसायिक संगठन—Professional Organisation) किसी भी प्रकार की व्यापारिक अथवा व्यावसायिक ईकाई को संगठन कहते हैं।
4. प्रक्रिया की विष्ट से—(क्रियात्मक संगठन—Functional Organisations) आवल के अनुसार—किसी भी कार्य योजना को सम्पादित करने के लिए विभिन्न प्राक्रियाओं एवं कार्यों का निर्धारण करना तथा इन्हें व्यक्तियों के बीच वितरण की व्यवस्थ करना ही संगठन है।

अतः शिक्षण व्यवसाय की विष्ट से शारीरिक शिक्षा भी शिक्षा की भाँति एक ऐसा संगठन है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति के स्वास्थ्य, सामर्थ्यता, मनोरंजन और लेत कीड़ाओं में नई पुष्पता विकसित करके अपने मुनियोजित, सोहे श्यामुर्ण कार्यकर्त्ताओं के द्वारा उसे एक अच्छा नामरिक घनाना है। इस संगठन की भी अपनी कार्य योजना है, जिसके सम्पादन के निए खेत प्रांगण, व्यापार गृह, तरण तात्त्व और इनसे सम्बन्धित उपकरण एवं मामग्रो, कुशल शिक्षक, प्रशिक्षक, पर्यावरण के जैसी भौतिक एवं मानवीय मुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिनको एक गूढ़ में व्यवस्थित तरीके से बांधकर निर्दिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में शारीरिक शिक्षा का मंगठन निरन्तर प्रयत्नशील है।

जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग संयोजित हैं में मिलकर कार्य करने से शरीर में स्वस्थना वा विकास होता है उसी प्रकार मंगठन ही ऐसी सयुक्त शक्ति है जिसकी

भमस्त ईकाइयों एवं कार्यकर्ताओं के एक साथ मिलकर, पारस्परिक तालमेल से कार्य करने पर समुदाय द्वारा निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्यों को विकास की दिशा मिलती है और बांधित फलों को प्राप्ति होती है। अतः यह जहरी है कि संगठन के समस्त घटक चाहे वे छोटे हों, अथवा बड़े, एक साथ मिल-जुल कर कार्य करें, क्योंकि संगठन में उसके प्रत्येक घटक अथवा इकाई की अपनी विशिष्टता एवं उपादेयता है। इसी सन्दर्भ में अंग्रेजी को यह कहावत प्रभिद्ध है—

Little drops of water,
Little grams of sand;
Make the mighty ocean,
And the pleasant land.

संगठन की छोटी से छोटी इकाई की उपादेयता एवं महत्ता को संगठन के उद्देश्य प्राप्ति एवं कार्यक्रम संचालन में उसकी साथकता की पुष्टि निम्नांकित कविता में भली प्रकार समझो जा सकती है :—

For the want of a nail, the shoe was lost;
For the want of a shoe, the horse was lost;
For the want of a horse, the rider was lost;
For the want of a rider, the battle was lost,
For the want of a battle, the Kingdom was lost.

इस प्रकार संगठन वही है जिसकी कार्य प्रणाली में अनुशासन हो, पारस्परिक सामनेल हो, मित्रव्यविता हो, और कुशल प्रबन्ध, प्रशासन सहित जागरूक नेतृत्व वा समुचित समग्र हो।

संगठन के कार्य एवं उद्देश्य —

संगठन विसों भी स्तर अथवा प्रकार का नहीं न हो। वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निर्धारित योजना एवं कार्यक्रमानुसार निरन्तर भज्य एवं प्रयत्नशील रहता है। यदि संगठन के आयोजक, अवस्थापक अथवा कार्यकर्ता इसमें जागरूक नहीं हैं तो संगठन के वायों में दिन पर दिन गिरावट घटने लगती है। इसी तर्ज को इटिंगत रखते हुए संगठन के छुट्टे उद्देश्य होते हैं जिनको ध्यान में रखना संगठन के विकास एवं प्रगति को इट से आवश्यक है। संगठन के कार्य एवं उद्देश्य निम्नांकित है :—

1. निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्यों की उपलब्धि करना

प्रत्येक संगठन के मपते बुद्धक निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्य होते हैं जिनकी प्राप्ति हेतु उसका जन्म होता है। अतः संगठन के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को इस बात के तिए सजग रहना जरूरी है कि संगठन के निर्धारित लक्ष्य किम स्तर तक प्राप्त हो रहे हैं ?

2. योजना की सफल क्रियान्विति करना

संगठन के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संगठन को अपना एक सुनियोजित कार्यक्रम निर्मित करना पड़ता है। इस कार्यक्रम अथवा योजना की सफल क्रियान्विति किम सीमा तक हो रही है, योजना की क्रियान्विति में कोई वाधा तो नहीं है आदि तथ्यों को दृष्टिगत रखना संगठन का उद्देश्य है।

3. साधन सुविधाओं का समुचित उपयोग उठाना

संगठन के कार्यकर्ता अथवा व्यवस्थापक संगठन के लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक साधन सुविधाएं जुटाने हैं। इन साधन सुविधाओं का दुरुपयोग न हो तथा यह अनुपयुक्त सिद्ध न हो। इस दृष्टि से साधन सुविधाओं को जुटाकर उनका समुचित उपयोग संगठन का कार्य एवं उद्देश्य है।

4. सोहृदेश्यपूर्ण एवं सुनियोजित कार्य प्रणाली बनाये रखना

संगठन की कार्यप्रणाली इस बात पर निर्भर करती है कि संगठन की प्रशासनिक मशीनरी एवं कार्यकर्तागणों में पारस्परिक तालमेल कैसा है? संगठन के विभिन्न घटन सोहृदेश्यपूर्ण कार्य कर रहे हैं अथवा शक्ति एवं साधनों का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है।

5. अवैज्ञानिक विधियों को हटाना

शैक्षिक संगठन के कार्यक्रम के आयोजन में शिक्षण की अवैज्ञानिक विधियों को हटाना भी बहुत जरूरी है। वैज्ञानिक पद्धतियों के उपयोग पर शिक्षा के लक्ष्य आधारित है। अतः संगठन का कार्य-उद्देश्य अवैज्ञानिक विधियों को हटाकर उपयुक्त पद्धतियों एवं विधियों का उपयोग करना है।

6. वित्त पर नियंत्रण रखना

संगठन की अर्थ व्यवस्था के स्तर में सुधार एवं उसे सुवृद्ध बनाये रखने के लिए संगठन का यह भी महत्वपूर्ण कार्य एवं उद्देश्य है कि वह अपनी आय के साधनों एवं स्रोतों को निरन्तर बनाये रखें, माथ ही साथ अपव्यय पर भी नजर रखना जरूरी है क्योंकि धन या दुरुपयोग ही संगठन के पतन का कारण बनता है।

7. अनुभवी एवं तकनीकी कार्मिक सेवाएं प्राप्त करना

यदि किमी शारीरिक शिक्षा के संगठन का उदाहरण ले तो यह आवश्यक है कि शारीरिक शिक्षा संगठन में कार्यरत व्यक्ति प्रगिक्षित और निष्ठावान हों, वे अपनी तकनीकी सेवाओं का परिचय अपनी कर्तव्य परायणता से दें, तब ही संगठन की सफलता बतती है। अतः संगठन का यह उद्देश्य रहता है कि उसके कार्यकर्ता पूर्ण प्रगिक्षित, अनुभवी, योग्यताधारी और निष्ठावान हों।

8. सुरक्षा के उपायों की व्यवस्था रखना

संगठन के विभिन्न घटक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। संगठन में काम की

चोरी, माल को चोरी तथा प्रसामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की स्थिति न बने, इसके अतिरिक्त कार्य प्रणाली में कर्मचारियों को किसी छोट—चपेट अवधारुष्टना का सामना न करना पड़े, इस दृष्टि से संगठन में सुरक्षा के कार्य एवं उपाय जुटाना संगठन का उद्देश्य है ।

9. असन्तोष एवं अस्वस्थ वातावरण का निराकरण करना।

संगठन के विकास के लिए आपब्यय एवं अवरोधन का निराकरण करना जरूरी है । इनकी उत्पत्ति का बारण संगठन में उत्पन्न असंतोष तथा अस्वस्थ वातावरण है । अतः दायित्वों का सही बोध, वितरण, पारस्परिक समन्वय, उत्साह एवं प्रेरणाप्रद मुविधायें तथा पक्षपात का अभाव होना संगठन के अच्छे वातावरण को बनाने में सहायक है ।

10. कार्यों का सूल्याकृत करना।

संगठन के निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तथा स्तर तक हो रही है ? संगठन के विकास की दर क्या है ? अतः सुधङ्क एवं सुव्यवस्थित कार्य प्रणाली के संचालन के लिए संगठन में वाचित पर्यवेक्षण एवं वस्तु स्थिति का गहन अवलोकन करना जरूरी है तब ही संगठन का विकास सम्भव है ।

संगठन, प्रशासन और प्रबन्ध में अन्तर —

किसी भी व्यवसाय में संगठन, प्रशासन और प्रबन्ध को प्राप्तः पर्यावाची शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाता है । यदि इन पर गहराई से ध्यान पूर्वक विचार किया जावे तो ये परस्पर संयुक्त होते हुए भी इनमें अन्तर प्रतीत होता है । कार्यकारी उद्देश्यों की दृष्टि से ओलीवर शेल्डन (Oliver Sheldon) ने इनमें जो अन्तर दर्शाया है वह इस तिप्रकार है :-

(अ) संगठन का प्रयोजन—व्यक्तियों अवधार समूहों के कार्यों को इस प्रकार योजना-बदल संयोजित करना है कि उनके द्वारा सम्पादित कर्त्तव्य और उपलब्ध माध्यमों का प्रयोग अत्यधिक कुण्ठल, व्यवस्थित, रचनात्मक तथा समन्वित ढाँचे पर सम्भव बनायें जा सके ।

(ब) प्रशासन से अभिप्राय—किसी व्यवसाय विशेष की नीति निर्धारित करना, वित्त के विकास तथा वितरण में समन्वय बनाए रखना, संगठन के क्षेत्र को निश्चित करना तथा उस पर नियंत्रण करना ।

(स) प्रबन्ध का उद्देश्य—किसी व्यवसाय विशेष में प्रशासन द्वारा निर्धारित नीतियों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति को संगठन की सीमाओं में नियंत्रित करना ।

इस प्रकार सारांश में तीनों का अन्तर स्पष्ट करने के लिए हम कह सकते हैं कि संगठन एक व्यवस्थित मशीनरी है जो प्रशासन के प्रभावी निर्देशन में सुसंचालित कार्य करते हुए प्रबन्ध द्वारा निर्धारित योजना एवं उद्देश्यों को प्राप्त करती है ।

संगठन निर्माण के आधारभूत तत्व एवं विशेषताएं—

संगठन की स्थापना एवं उसके निर्माण में संगठन के जन्मदाताओं को कुछेक ऐसे आधारभूत तत्वों को ध्यान में रखता है जिन्हे संगठन के मार्गदर्शक सिद्धान्त बहुत हैं। इन सिद्धान्तों के आधार पर गठित संगठन मजबूत, प्रगतिशील एवं व्यवस्थित होता है। संगठन रचना के ये मिद्दांत इस प्रकार हैं :-

1. भुवन सामाजिक पृष्ठ भूमि

मनुष्य मन्देव मत्य की खोज अपने सात्त्विक तत्वों एवं सामाजिक अनुभवों के शोधपूर्ण कार्यों में करता है। ये सात्त्विक तत्व हैं दार्शनिक पृष्ठभूमि। अतः समाज का दर्शन एवं उसकी पृष्ठ भूमि को दृष्टिगत रखकर संगठन का निर्माण किया जाना चाहिए।

2. दृढ़नीति का निर्धारण

सुदृढ़नीति एवं सिद्धान्तों की रचना दर्शन से होती है। मिद्दांत विशेषज्ञों की अपनी अनुभूतियां और उन पर आधारित विचार आने वाली पीढ़ी को मार्ग प्रदर्शित करते हैं। अतः संगठन की नीति-निर्धारण में निम्नांकित विन्दुओं को भी दृष्टिगत रखना चाहिए :-

- (अ) लक्ष्य की महत्ता
- (ब) उद्देश्यों का निर्धारण
- (स) व्यक्तिकृ आवश्यकता, रूचि एवं उनके अनुभव
- (द) साधन गुविधाओं की उपलब्धता
- (य) प्रवृत्तियों एवं क्रिया-कलापों की उपयोगिता

3. सरल एवं उपयुक्त कार्य प्रणाली

सरल, सुलभ एवं उपयुक्त कार्यप्रणाली संगठन के विकास व उन्नति में सहायक रहती है। संगठन के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि समय एवं परिस्थिति अनुकूल संगठन की कार्य प्रणाली में परिवर्तन एवं नमनीयता का प्रावधान रहना चाहिए। संगठन की कार्य-प्रणाली इतनी कठोर नहीं होनी चाहिये कि आवश्यक परिवर्तन करना भी एक समस्या बन जाए।

4. उत्तरदायित्वों एवं नियंत्रण की स्पष्ट रूपरेखा

संगठन में कार्यरत कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य के उत्तरदायित्वों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, ऐसा होने पर उनमें पारम्परिक गमनव्यय यना रहता है और उनमें दिसी प्रकार वा मतभेद एवं असंतोष वी मिथि नहीं बनती है। ये घटना दायित्व वहन पर्ने के प्रति मन्देव जागरूक रहते हैं।

5. कार्य का मूल्यांकन एवं प्रोत्तमाहन

संगठन के निर्धारित लक्ष्य वी उपनिधि विग्रह स्तर पर हो रही है? उसके स्तर क्या है? संगठन की प्रगति एवं विवाग में जिन कार्यकलाओं एवं कर्मचारियों

की निष्ठान सेवाओं एवं परिश्रम का योगदान रहा है उन्हे यथासमय प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत करना चाहिए। इससे संगठन के कार्यों में और अधिक गति आयेगी। अच्छे लोगों में लगन तथा निष्क्रिय लोगों में सुधार होगा।

6. सहकारिक, समन्वित एवं सम्मिलित प्रयत्न

संगठन को कार्य प्रणाली में सफलता प्राप्ति के लिए संगठन के समस्त पक्षों में पारस्परिक महायोग, महकारिता, सामंजस्य, समन्वय तथा मिल-जुलकर एवं एकजुट होकर कार्य करने की भावना जरूरी है।

7. आर्थिक स्थिति एवं वित्तीय स्रोतों की उपलब्धि

संगठन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में वित्तीय सुविधाओं विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखती है। संगठन को आर्थिक स्थिति कैसी हो ? संगठन के सुसंचालन में वित्तीय स्रोत कौन कौन से होगे ? इन तत्वों को भी नजर भन्दाज नहीं किया जाना चाहिए। अतः आर्थिक स्थिति भजबूत बनाने के लिए अधिकतम आय के स्रोत ढूँढ़ना, अपव्यय पर रोक रखना और मित्तव्यय पर ध्यान देना जरूरी है।

8. समाज की आदि एवं वर्तमान स्थितियाँ

संगठन के सुगठन में समाज की गत परिस्थितियों एवं वर्तमान स्थितियों का सही ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ-साथ संगठन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पिछले परिवर्तित सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभावों का ज्ञान, वर्तमान बदलता हुआ परिवेष प्रीत उसमें राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति को इष्टिगत रखना भी जरूरी है। संगठन के निर्माण में सामाजिक रीत रिवाजों, परम्पराओं, प्रथाओं एवं लोगों की व्यवहारीय व्योंगों को ध्यान में रखकर संगठन की योजना बनानी चाहिए, व्योंगोंकी ऐतिहासिक पक्ष की इष्टि से भूतकालीन अनुभवों, तथा राजनीतिक पक्ष की इष्टि से वर्तमान राष्ट्रीय उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का ज्ञान संगठन की नीति निर्धारण में सहायक सिद्ध होता है।

9. सर्वंहित की भावना

संगठन के कार्यक्रम में वहमत एवं सर्वंहित को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे अधिकतम लोग लाभान्वित हो सके। इसलिए संगठन की कार्य-योजना बनाने समय वहमत के हितों की रक्खा करना उनकी आवश्यकताओं को इष्टिगत रखना संगठन का अनिवार्य मिदान है।

10. जन सहयोग प्राप्ति

जन सहयोग ही संगठन के जन्म एवं विकास का आधार है। यदि संगठन हित के निए जन-गृह्योग के दरवाजे बन्द हो जाने हैं तो संगठन का पतन निश्चित है। ममुदाय में आर्थिक सुव्यवस्था, मानवीय बन एवं उपकरण आदि का सहयोग लेना संगठन के विवाद एवं गुस्सावालन के निए जरूरी है।

इस प्रकार उपरोक्त मिडान्टों को दृष्टिगत रखते हुए संगठन की मुद्द़े स्थापना, कुशल प्रशासकीय व्यवस्थाएं और उपयुक्त साधन—सुविधाओं की उपलब्धि निसन्देह संगठन को प्रगति पथ पर प्रगति करते हुए निर्धारित लक्षणों की प्राप्ति के उद्देश्य से समाप्त के लिए लाभप्रद है ।

संगठन-रचना के उपरोक्त मिडान्टों के सन्दर्भ में एक अच्छे सुगठित संगठन में निम्नांकित विशेषताओं का होना उसकी सफलता का दोतक है :-

1. उद्देश्यों की स्पष्टता (Clearity of objectives)
2. आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धि (Availability of needful facilities)
3. सरल कार्य प्रणाली (Ease in execution of work)
4. क्रियाओं का समूहीकरण (Grouping of activities)
5. कार्यकर्ताओं में कार्य वितरण (Allocation of task to persons)
6. अधिकारों का हस्तान्तरण (Delegation of authority)
7. विस्तार की क्षमता (Capacity of expansion)
8. श्रमिक शक्ति का सम्पूर्ण उपयोग (Fullest use of labour power)
9. सहयोग एवं समन्वय (Cooperation & Coordination)
10. समय, शक्ति और वित्त की बचत (Saving of time, energy and money)

प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषा-

किसी भी संगठन की प्रगति के लिए कुशल प्रशासन का होना भव्यता आवश्यक है । वस्तुतः प्रशासन ही संगठन को संचालित करता है । प्रशासन का दायित्व संगठन में कार्यरत व्यक्तियों से मीधे सम्बन्ध बनाये रखकर उनकी अनेकों गतिविधियों में समन्वय स्थापित करके संगठन के स्वरूप को निर्धारित करना है । प्रशासन के अर्थ को समझने के लिए अंग्रेजी भाषा में एडमिनिस्ट्रेशन शब्द को भी भवी-भाति समझना होगा, जिसका विकास लैटिन भाषा के मिनिस्टर शब्द से हुआ है । मिनिस्टर शब्द का अर्थ है सेवा करना । इस प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन शब्द में अभिप्राय है “दूसरों की सेवायां कार्य करना” डा. एस. एन. मुरुर्जी के अनुमान—“प्रशासन में अभिप्राय उपयुक्त माध्यन सुविधायें जुटाकर व्यक्तियों के भव्योगपूर्ण अच्छे कार्य करने से है ।”

जे पी. शोमस के शब्दों में “Administration is working the plan” अर्थात् प्रशासन योजना की क्रियान्वयनि है । प्रशासन वह माध्यन है जिसका उपयोग संगठन के सुसंचालन के लिए इस दृष्टि से किया जाता है ताकि संगठन के लिए जुटाये गये साधन—सुविधाओं में पारस्परिक समन्वय स्थापित करके उनका अधिकतम लाभ संगठन के निर्धारित उद्देश्यों की उपलब्धि हेतु लिया जा सके । अतः प्रशासन, संगठन की प्रगति का वह भाषार है जो घपनी योग्य एवं क्षमता पूर्ण कार्य प्रणाली से संगठन को सुसंचालित कर रहा है । वस्तुतः प्रशासन घपने साथ

को उच्चतम भावशों तक पहुँचाने का प्रयास करता है ।

प्रशासन का अर्थ समझने के लिए कुछेक विद्वानों की परिभाषाओं का अध्ययन उत्तम भी लाभप्रद होगा। इसलिए नीचे कृतिपूर्ण विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं उल्लेखित है :-

चार्ल्स ए. बूचर (Charles A. Bucher) के अनुसार-प्रशासन से अभिप्राय सम्मिलित प्रयासों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि हेतु उन वांछित कार्यक्रमों एवं दायित्व वहनता से है जिनका उद्देश्य संगठन में निर्देशन, मार्गदर्शन, समन्वय स्थापन एवं प्रोत्साहित करना है।

Voltmer & Esslinger—

"Administration deals with putting the plan into operation and keep it functioning."

William & Brownwell—

"Administration means providing the constructive leadership that plans and maintains the program and enables the program to function effectively in accomplishing the established and worth while goals." (The Administration of Health & Physical Education P -19).

Daugherty & woofs—

"Administration is guidance, leadership and control of group of individuals engaged towards some goal."

पिटनर के अनुसार -

"कार्यवताधीयों का चयन नियुक्ति तथा कार्य निर्धारण ही विद्यानय प्रशासन है।"

शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन से तार्त्त्य—"शिक्षा प्रशासन, कार्यरत व्यक्तियों की विधायों में समन्वय स्थापित करने, उपयुक्त साधन एवं सामग्री का इस प्रकार उपयोग करने की प्रक्रिया है, जिससे मानवीय गुणों का प्रभावक रूप में विकास किया जा सके।"


उपरोक्त विवेचन एवं विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रशासन के अन्तर्गत नीति-निर्धारण, योजना-निर्माण व उनका कार्यन्वयन तथा संगठन की अनेक विधायों में इस प्रकार से समन्वय स्थापित करता है जिससे संगठन से सम्बन्धित समस्त इवाइयों की अधिकतम उपति हो सके और व्यक्ति तथा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

प्रशासन और संगठन में एकरूपता-

संगठन और प्रशासन एक जंजीर में जुड़ी ऐसी कड़ियाँ हैं, जिन्हें एक दूसरे से पृथक् नहीं किया जा सकता है। संगठन एवं प्रशासन की घन्तव्यदृता(Interlocked) को मानव के

शरीर संरचना के समरूप अवलोकित किया जा सकता है। उदाहरणतः जीवित शरीर में शारीरिक अंगों का एकजुट होकर कार्य करना यदि संगठन है तो मस्तिष्क उसका प्रशासन है। इसी प्रकार मोटर गाड़ी के विविध पुर्जों एवं हिस्सों का योजनाबद्ध व्यवस्थित स्वरूप संगठन है तो वस चालक उसका प्रशासनक है जो, उसे निर्धारित लक्ष्य तक ते जाता है। निम्नांकित चार्ट में संगठन एवं प्रशासन के विविध सौपानों को देखने पर किसी भी संगठन के निर्माण और प्रशासन में उभयों एकरूपता वो भली-भांति समझ सकते हैं।—

संगठन और प्रशासन की संरचना का स्वरूप



उपरोक्त चार्ट में संगठन और प्रशासन के पारस्परिक सम्बन्धों को देखा जाये तो ज्ञात होगा कि सर्वहितकारी उद्देश्यों भ्रथवा समान इच्छाओं और आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए सोग एकत्र होते हैं और भपनी आवश्यकताओं के अनुभूल सदृश्यों का निर्धारण करते हैं, इन लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति मयुक्त प्रयासों द्वारा साधन-मुद्दियावें जुटाकर एवं कार्य-योजना तैयार करके की जाती है संगठन के भुग्नचालन के लिए प्रशासकीय मशीनरी भपनी योग्यता एवं कार्यक्षमता वे निर्धारित उद्देश्यों की उपलब्धि करती है याल्टमर और एसलिंगर के शब्दों के अनुमार-

sets up over all plan and Administration puts it into

operation and keeps it functioning." अतः संगठन में प्रशासन के कार्य एवं नियंत्रण को देखने से पता चलता है कि संगठन का सम्बन्ध वस्तुओं, उपकरणों और साधनों से रहता है जबकि प्रशासन संगठन के सदस्यों की गतिविधियों के साथ सम्बन्ध स्थापित करके और समस्त तथ्यों को कार्यरूप में लाकर उसके नियांरित उद्देश्य को प्राप्त करता है ।

उपरोक्त तथ्यों को भली-भांति भ्रवलोकन करने से यह स्पष्ट लक्षित है कि संगठन और प्रशासन एक ही गाड़ी के दो पहिये हैं । जिन्हें परस्पर जुदा करना कठिन ही नहीं अग्रिम ऐसा सोचना भी गलत होगा, क्योंकि मंगठन विना प्रशासन के सक्रिय नहीं हो सकता । इस इटिंग से किसी भी मंगठन में प्रशासन का बहुत महत्व है । संगठन के मुसंचालन में उसकी आवश्यकता एवं महत्ता को निम्नांकित कार्यों के कार्यान्वयन में देखा जा सकता है :-

1. संगठन की कार्य प्रणाली की सरलता से शुरूआत करना ।
2. उपलब्ध ममय, श्रम, शक्ति और साधनों का अधिकतम सदृपयाग लना ।
3. अपव्यय एवं घबरोधन का निवारण करना ।
4. कार्य की पुनरावृत्ति न होने देना तथा विपदाओं और धार्याओं को रोकना ।
5. संगठन वे विविध अंगों में सम्बन्ध, सहयोग और सहकारिता का निर्माण करना ।
6. कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का नियांरण करना ।
7. कार्यकर्ताओं में पारस्परिक सम्बन्धों की स्थापना बनाये रखना ।
8. कार्य-नियोजन के नियांरण में योगदान देना ।
9. आवश्यक सुविधाओं एवं साधनों की सुरक्षा उपलब्ध कराना ।
10. नियांरित लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति करना ।
11. संगठन में वाचित निर्देशन एवं मार्गदर्शन देकर अनुशासन बनाये रखना ।
12. योग्य कार्यकर्ताओं का चयन एवं नियुक्ति करना ।
13. नीति नियांरण, वित्त व्यवस्था एवं कार्यों का मूल्यांकन करना ।

प्रशासकीय कार्य प्रणाली एवं उत्तरदायित्व -

यह सबं सत्य है कि योग्य प्रशासकीय नेतृत्व पर संगठन की प्रगति एवं विकास निर्भर है । संगठन को उचित दिशा देना प्रशासन का प्रमुख दायित्व है, इसलिए प्रशासन ही मंगठन के विविध अनुभागों एवं कार्यों को एक सूत्र में बांधकर उसे मुसंचालित करता है ताकि वाचित उद्देश्यों की प्राप्ति हो ।

जन-प्रशासन विज्ञानवेता श्री लूथर गुलिक (Luther Gulick) ने प्रशासन प्रक्रिया के लिए प्रणीत POSDCORD शब्द का सात सोपानों में इस प्रकार उल्लेप किया है :-

1. नियोजन (Planning)

2. व्यवस्था (Organisation)
3. कर्मचारी भर्ती (Staffing)
4. नियोजन (Directing)
5. समन्वय (Co-ordination)
6. प्रतिवेदन (Reporting)
7. बजट (Budgeting)

श्री लूथर गुलिक एण्ड उर्विक (Luther Gullik & Urvik) के मनुमार प्रशासन के भर्त्य के माध्य-माध्य उम्मीकी कार्यप्रणाली को निम्न प्रकार व्यक्त किया है—

"Administration means—"The process of functioning or working the planned organisation" It means directing, co-ordinating, observing, supervising, reporting and evaluating If we combine organisation and administration then they will include-Planning Organising, Staffing Directing, Co-ordinating, Reporting & Budgeting.

वाल्टमर एवं एसलिंगर (Voltmer & Esslinger) के मनुसार—Administration is the process by which an organisation attempt to achieve its goals. This process is concerned with planning, organising, staffing, directing, co-ordinating, reporting & budgeting. (Org. Adm Pg. 20).

1. नियोजन -

किसी भी कार्य योजना को व्यवस्थित ढंग से सम्पादित करने के लिए पूर्ण निर्धारित कार्यक्रम बनाना आवश्यक है। कार्य-योजना में किये जाने वाली कार्य-सम्पादन की प्रणाली, कार्य करने वाले लोगों की सूची, व्यवस्था सम्बन्धी कार्य का विभाजन, वित्त तथा ग्रन्थ आवश्यक सामग्री की व्यवस्था का प्रावधान निहित है। इस पूर्व निर्धारित कार्य-योजना में विभिन्न कार्यों को क्रियान्वित करने की योजनाओं का उल्लेख भी होना आवश्यक है।

शारीरिक शिक्षा की योजना बनाते समय भी उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर कार्य योजना बनानी पड़ती है तभी निर्धारित उद्देश्यों तक सुगमता से पहुंचा जा सकता है। अतः शारीरिक शिक्षा के क्रिया-कलापों की योजना बनाते समय हमें निम्नांकित विन्दुओं का पालन करना चाहिए—

1. योजना प्रजातांत्रिक हो।
2. योजना लचीली एवं शीघ्र परिवर्तनशील हो।
3. योजना भ्रमने में पर्याप्त एवं स्पष्ट हो।
4. योजना पर्याप्त सूप से विस्तृत हो उसमें कोई कार्य विन्दु बीच में छूटा न हो।
5. योजना सामाजिक मूल्यों के मनुरूप हो।

2. व्यवस्थापन

शारीरिक शिक्षा के क्रिया-कलापों के संचालन हेतु कार्य-योजना के आधार पर अनेक भौतिक व भानवीय साधन - सुविद्याओं की व्यवस्था करनी पड़ती है तथा शारीरिक शिक्षा के एक प्रशासक को शारीरिक शिक्षा संगठन के संचालन हेतु विद्यालय-भवन, कीड़ा गण, जिम्नेजियम, धावनपथ, पुस्तकालय, फर्नीचर, शिक्षण एवं प्रशिक्षण सामग्री, शिक्षकगण, कर्मचारी-वर्ग, समय-विभाग चक्र, पाठ्यक्रम, परीक्षा, कक्षोप्रति एवं वित्त आदि की व्यवस्थाएँ करनी पड़ती हैं। इन व्यवस्थाओं को हम तीन भागों में बांट कते हैं।

अ. भानवीय तत्वों की व्यवस्था—

अध्यापक वर्ग, कर्मचारी वर्ग, छात्र वर्ग आदि।

ब. विचार तत्वों की व्यवस्था—

विभागीय नियम, परम्पराएँ, नीतियाँ, धारणाएँ, पाठ्यक्रम, मूल्याकन-प्रणाली आदि।

स. भौतिक तत्वों की व्यवस्था—

भवन, खेल प्रांगण, जिम्नेजियम, धावनपथ, तरण-ताल, फर्नीचर, पुस्तकालय, इन एवं अन्य उपकरण व शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, प्राथमिक चिकित्सालय और शाश्वतावास आदि।

3. कर्मचारी नियुक्ति —

शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों की सफलता उन्हें संचालित करने वाले व्यक्तियों की हार्दिक दुश्यता, लगान, एवं प्रेरणा पर निर्भर करती है। आतः प्रशासन को सभी आवश्यक पदों के लिए उपयुक्त कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़ती है। प्रशासन द्वारा शारीरिक शिक्षा अध्यापक वर्ग, लिपिक वर्ग, अन्य कर्मचारीवर्ग, एवं संस्थाप्रधान आदि की इस प्रकार से व्यवस्था करनी पड़ती है कि सभी आवश्यक कार्य पूरे किये जा सकें। इनकी भर्ती के समय प्रशासक को कर्मचारियों की योग्यताएँ, अनुभव, एवं दक्षताओं का अवलोकन आवश्यकता अनुसार करना पड़ता है और उपयुक्त पदोन्नति के अवसर प्रदान करने की व्यवस्थाओं का प्रावधान रखा जाता है।

4. निर्देशन —

शिक्षा प्रशासन में निर्देशन से तात्पर्य है कि विभिन्न कार्यक्रमों को कार्य करने के आदेश देना उपयुक्त निर्णय लेना, प्रादेश प्रसारित करना तथा कार्यों का निरीक्षण करना आदि है। प्रशासक को उपरोक्त कार्यों को भली-भाति करने का ज्ञान होना चाहिए।

5. समन्वय

प्रशासन के कार्य का पंचम सोपान विविध प्रकार की भौतिक

तथा वैचारिक साधनों को जुटाना है तथा उनमें समन्वय स्थापित करना है, जिससे प्रत्येक तत्व एवं साधनों का उपयोग हो सके तथा शिक्षा के चारों घटक, विद्यालय, स्कूल, पश्चिम पक्ष और समाज का हित ही सके। समन्वय का मुख्य ध्येय दो तत्वों के बीच मनाशान हो जाने वाले टकराव को सेकना है। संगठन में यारस्परिक संघर्ष न हो तथा प्रत्येक संसाधनों का कोई भी तत्व व्यर्थ पड़ा न रहे, कम से कम शक्तिव्यवस्थ से भविकृतम् सार प्राप्त हो, इमके लिए संगठन में मुन्दर समन्वय की आवश्यकता है, जो प्रशासन की मुद्रा कार्यप्रणाली को दर्शाती है।

6. प्रतिवेदन

प्रशासन का कार्य संगठन में संचालित कार्यों का निरीक्षण करना भी है। प्रशासनी तत्व निरीक्षण के आधार पर मूल्यांकन करके अभिलेख तैयार करते हैं, भावी मुद्रा हेतु अपने सूजनात्मक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं और अपनी गतिविधियों से समाज, तथा राष्ट्र को प्रतिवेदन भेजकर वस्तु स्थिति से अवगत करते हैं जिससे संगठन की दिशा का भान हो सके।

7. बजट निर्माण

प्रशासन का कार्य वित्त की ममुचित व्यवस्था करना भी है। बजट बनाना, फैक्ट्रों के स्रोत दूदना, उनका लेखाजोखा रखना, तथा अर्थ नियन्त्रण का कार्य करना यह प्रशासन का कार्य रहता है।

उपरोक्त वर्णित प्रशासन प्रक्रिया के विभिन्न तत्वों के आलावा प्रशासन को संगठन के सही मूल्यांकन का कार्य भी करना पड़ता है। मूल्यांकन कार्य के अन्तर्गत अपनी नीतियों व निर्णयों का मूल्यांकन निर्धारित उद्देश्यों को तुलना में करता है। इसके अन्तर्गत मानवीय एवं भौतिकीय साधनों के उपयोग एवं सहयोग का मूल्यांकन करता है। कार्यक्रमों से सम्बन्धित सफलताओं व प्रसफलताओं का मूल्यांकन करके भवित्व के नियमों जैसाएं बनाना भी संमिलित है।

इस रूप से शारीरिक शिक्षा के संगठन की कार्य योजना में प्रशासक का दायित्व एवं कार्यान्वयन प्रकार है :—

1. कार्यक्रम प्रशासन एवं उसका संस्थापन
2. निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति
3. कार्यक्रम प्रशासन
 - (अ) शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम शिक्षण (Instructional Programme)
 - (ब) स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम शिक्षण (Health Education)
 - (म) घन्त: खेल-कीदा कार्यक्रम (Intramural)
 - (द) घन्तर स्कूलों खेल-कीदा कार्यक्रम (Extramural)

साधन मुद्रियाओं को उपलब्धि एवं देख रेख

5. उपकरण व्यवस्था और उनका रख रखाव
6. बजट और वित्त
7. कार्यालय व्यवस्था
8. आलेख-प्रलेख रखरखाव
9. जन-सम्पर्क एवं सामुदायिक कार्य
10. वैधानिक दायित्व
11. मूल्यांकन
12. कार्यक्रम का नियोजन एवं धार्योजन
13. पर्यवेक्षण और निरीक्षण
14. मनोरंजन कार्यक्रम

प्रशासन के प्रभावी मूल सिद्धान्त एवं प्रकार-

यह पूर्व में स्पष्ट कर दिया गया है कि समान इच्छाओं के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समान लक्ष्य वाले व्यक्ति एकत्रित होकर और समुचित साधन सुविधाओं की व्यवस्थाएं जुटाकर संगठन की रचना करते हैं और तत्पश्चात संगठन के कार्यों को प्रभावी रूप से भली-भांति संचालित करने के लिए कुछेक ऐसे साधन जुटाते हैं जिसे हम प्रशासन कहते हैं। प्रशासन को अधिक सुचारू रूप से चलाने लिए कुछेक वैज्ञानिक पहलुओं एवं प्रभावी तत्वों को ध्यान में रखना होता है जिन्हें प्रशासन के मार्गदर्शक सिद्धान्त कहते हैं जिन्हें पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री एच. फायल (H. Fayel) ने तिम्न प्रकार उल्लेखित किया हैः—

1. अम का विभाजन
2. अधिकारों और दायित्वों का स्पष्ट ज्ञान
3. अनुशोसनबद्ध कार्य का संचालन
4. आदेशों एवं निर्देशों का एंकल
5. व्यवस्था का संयोजन
6. सर्वहितकारी उद्देश्य
7. प्रभावी एवं तीव्र संचार माध्यम
8. योजनावद्ध एवं न्यायोचित व्यवस्था
9. प्रेरणा एवं प्रोत्साहन व्यवस्था
10. कार्मिक स्थायित्व एवं प्रोक्षोति
11. सरल वार्य प्रणाली

सारोंग में यह कहा जा सकता है कि शारीरिक शिक्षा के संगठन की कार्य योजना को अनुशासनबद्ध एवं उत्तम नेतृत्व में क्रियान्वित करने वाली इकाई प्रशासन है, जो संगठन के विविध कार्यों और प्रयासों को उचित गति देने में चोली और दामन की भाँति मावद्ध है। वस्तुतः प्रशासन शारीरिक शिक्षा संगठन के द्वय एवं उद्देश्यों को प्राप्त

करने की इटिट से कार्यों के निष्पादन हेतु साधन मुद्रिधारों का ममुचित उपयोग, कार्यस कमंचारियों की पार्यंक्षमता, योग्यता एवं सेवामार्गों के गान के प्राधार पर उनमें समुचित कार्य-वितरण, पारस्परिक सहचर्या एवं सहयोग की व्यवस्था, प्रेरणा एवं पुरस्कार तथा आदेश एवं निर्देशन की घनुपालनना, नीति निर्धारण, उपलब्धियों की जाच एवं निष्कर्ष के प्राधार पर सुधार के प्रयत्न आदि यातों को ध्यान में रखकर संगठन की कार्य प्रणाली को समुचित दिशा प्रदान करता है ।

आधुनिक युग में प्रशासन के मुद्य चार प्रकार हैं—

1. निरंकुश प्रशासन
2. भराजक प्रशासन
3. अशासन
4. प्रजातात्रिक प्रशासन

निरंकुश प्रशासन—इसमें समस्त प्रकार के निर्णय लेने की शक्ति एक ही व्यक्ति होती है । वह बलपूर्वक नियमों का पालन करवाता है । वह स्वयं को सर्वेसर्वा, योग्य शक्तिशाली समझता है और व्यवहार में भी शक्ति से पेश आता है ।

भराजक प्रशासन—इसमें प्रशासक किमी भी व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता है । ऐसे प्रशासन के लिए 'टके सेर भाजी और टके सेर खाजा' वाली कहावत प्रसिद्ध है ऐसे प्रशासन में अव्यवस्था रहती है, कारून, और आदेश प्रायः समाप्त हो जाते हैं ।

अशासन—इसमें भी भराजकतावादी शासन रहता है प्रशासनिक नियमों का अभाव होने से 'जिमकी लाठी उमकी भैम' वाली बात प्राप्त हो जाती है । राजशक्ति का लोप हो जाता है और अमुरदा, अव्यवस्था का बोतबाला रहता है ।

प्रजातात्रिक प्रशासन—यह सर्वथेष्ठ प्रशासन है । इसमें प्रशासक प्रजा के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करता है । इस प्रकार के प्रशासन में समाज के प्रजातात्रिक मूल्यों को स्थित रखकर कार्य किये जाते हैं ।

प्रशासक के गुण एवं योग्यतायें—

प्रशासन में प्रशासकीय कार्य एवं उत्तरदायित्व के उचित निर्वाह के लिए निम्नानित दोनों में कुशलता एवं प्रवीणता प्राप्त करना आवश्यक है :-

1. सामान्य शिक्षा के दोनों में
 2. व्यवसायिक ज्ञान के दोनों में
 3. सामाजिक गुणों के दोनों में
 4. व्यक्तित्व विकास के दोनों में
 5. प्रशासकीय घनुभव के दोनों में
- सामान्य शिक्षा के दोनों में प्रशासक की न्यूनतम योग्यता - कला, विज्ञान प्रथा के किसी भी एक दायरे में स्नातक होनी चाहिए ।

२. व्यवस्थापन

शारीरिक शिक्षा के क्रिया-कलाओं के संचालन हेतु कार्य-योजना के आधार पर प्रनेक भौतिक व मानवीय साधन — सुविधाओं की व्यवस्था करनी पड़ती है तथा शारीरिक शिक्षा के एक प्रशासक को शारीरिक शिक्षा संगठन के संचालन हेतु विद्यालय-भवन, कीड़ा गण, जिम्नेजियम, धावनपथ, पुस्तकालय, फर्नीचर, शिक्षण एवं प्रशिक्षण सामग्री, जिक्षणगण, कर्मचारी-वर्ग, समय-विभाग चक्र, पाठ्यक्रम, परीक्षा, परीक्षण एवं विद्यालय की व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। इन व्यवस्थाओं को हम तीन भागों में बाट सकते हैं ।

अ. मानवीय तत्वों की व्यवस्था—

प्रध्यापक वर्ग, कर्मचारी वर्ग, धाव वर्ग आदि ।

ब. विचार तत्वों की व्यवस्था—

विभागीय नियम, परम्पराएं, नीतियाँ, धारणायें, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन-प्रणाली आदि ।

स. भौतिक तत्वों की व्यवस्था—

भवन, सेल प्रांगण, जिम्नेजियम, धावनपथ, तरण-ताल, फर्नीचर, पुस्तकालय, तथा ऐं अन्य उपकरण व शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, प्राथमिक चिकित्सालय और अधावास आदि ।

३. कर्मचारी नियुक्ति —

शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों की सफलता उन्हें संचालित करने वाले व्यक्तियों की नीति कुशलता, लगन, एवं प्रेरणा पर निर्भर करती है। अतः प्रशासन को सभी आवश्यक दोनों के लिए उपयुक्त कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़ती है। प्रशासन द्वारा शारीरिक शिक्षा प्रध्यापक वर्ग, लिपिक वर्ग, अन्य कर्मचारीवर्ग, एवं संस्थाप्रधान आदि की इस प्रकार व्यवस्था करनी पड़ती है कि सभी आवश्यक कार्य पूरे किये जा सके। इनकी भर्ती के अमर प्रशासक को कर्मचारियों की योग्यताएं, भ्रुभय, एवं दक्षतायों का अवलोकन आवश्यकता पनुसार करना पड़ता है और उपयुक्त पदोन्नति के अवसर प्रदान करने की व्यवस्थाओं का प्रावधान रखा जाता है ।

४. निर्देशन —

शिक्षा प्रशासन से निर्देशन से तात्पर्य है कि विभिन्न कार्यक्रमों को कार्य करने के आदेश देना उपयुक्त निर्णय सेना, आदेश प्रमारित करना तथा यात्रों का निरीक्षण करना आदि है। प्रशासक को उपरोक्त कार्यों को भ्रती-भाति करने का ज्ञान होना चाहिए ।

५. समर्थन

प्रशासन के कार्य का संबंध गोपन विविध प्रशासन की मानवी-

तथा वैचारिक साधनों को जुटाना है तथा उनमें समन्वय स्थापित करना है, जिससे प्रत्येक एवं संसाधनों का उपयोग हो सके तथा शिक्षा के चारों घटक, विद्यालय, छात्र, अपक और समाज का हित हो सके। समन्वय का मुख्य ध्येय दो तत्वों के बीच अनायास जाने वाले टकराव को रोकना है। संगठन में पारस्परिक संघर्ष न हो तथा संसाधनों का कोई भी तत्व व्यंग्य पड़ा न रहे, कम से कम शक्तिव्यय से अधिकतम प्राप्त हो, इसके लिए संगठन में सुन्दर समन्वय की आवश्यकता है, जो प्रशासन की सुकार्यप्रणाली को दर्शाती है।

6. प्रतिवेदन

प्रशासन का कार्य संगठन में मन्चालित कार्यों का निरीक्षण करना भी है। प्रशासन तत्व निरीक्षण के धाधार पर मूल्यांकन करके अभिलेख तैयार करते हैं, भावी मुहेतु अपने मूजनात्मक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं और अपनी गतिविधियों से समाज, तथा राष्ट्र को प्रतिवेदन भेजकर यस्तु स्थिति से अवगत करते हैं जिसमें संगठन की सदिगत का भान हो सके।

7. बजट निर्माण

प्रशासन का कार्य वित्त की समुचित व्यवस्था करना भी है। बजट बनाना, फ्रेंच के स्रोत ढूँढ़ना, उनका लेखाजोखा रखना, तथा अर्थ नियंत्रण का कार्य करना यह संप्रशासन का कार्य रहता है।

उपरोक्त वर्णित प्रशासन प्रक्रिया के विभिन्न तत्वों के अलावा प्रशासन को संकेत सही मूल्यांकन का कार्य भी करना पड़ता है। मूल्यांकन कार्य के अन्तर्गत अपनी नीतियों व निर्णयों का मूल्यांकन निर्धारित उद्देश्यों की तुलना से करता है। इस अन्तर्गत भानवीय एवं भौतिकीय साधनों के उपयोग एवं सहयोग का मूल्यांकन करके भविष्य के नियोजनाएं बनाना भी मम्मिलित है।

इस इटिंग से शारीरिक शिक्षा के संगठन की कार्य योजना में प्रशासक का दायित्व एवं कार्य धोन निम्न प्रकार है :—

1. कार्मिक प्रशासन एवं उसका संस्थापन
2. निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति
3. कार्यक्रम प्रशासन

- (ए) शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम शिक्षण (Instructional Programme)
- (ब) स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम शिक्षण (Health Education)
- (स) अन्तर्भूतीय एवं बाह्यीकीय कार्यक्रम (Intramural)
- (द) अन्तर्भूतीय एवं बाह्यीकीय कार्यक्रम (Extramural)

साधन मुकियाएँ को उपलब्ध एवं देय रेख

5. उपकरण व्यवस्था और उनका रख रखाव
6. बजट और वित्त
7. कार्यालय व्यवस्था
8. आलेख-प्रलेख रख रखाव
9. जन-सम्पर्क एवं सामुदायिक कार्य
10. वैज्ञानिक दायित्व
11. मूल्यांकन
12. कार्यक्रम का नियोजन एवं आयोजन
13. पर्यवेक्षण और निरीक्षण
14. मनोरंजन कार्यक्रम

प्रशासन के प्रभावी मूल सिद्धांत एवं प्रकार-

यह पूर्व में स्पष्ट कर दिया गया है कि समान इच्छाओं के संक्षय की प्राप्ति हेतु समान लक्ष्य वाले व्यक्ति एकत्रित होकर और समुचित साधन मुविधायों की व्यवस्थाएं जुटाकर संगठन की रचना करते हैं और तत्परतात संगठन के कार्यों को प्रभावी रूप से भली-भांति संचालित करने के लिए कुछेक ऐसे साधन जुटाते हैं जिसे हम प्रशासन कहते हैं। प्रशासन को अधिक सुचारू रूप से चलाने लिए कुछेक वैज्ञानिक पहलुओं एवं प्रभावी तत्वों को ध्यान में रखना होता है जिन्हें प्रशासन के मार्गदर्शक सिद्धांत कहते हैं जिन्हें पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री एवं फायल (H. Fayel) ने निम्न प्रकार उल्लेखित किया है :—

1. अम का विभाजन
2. अधिकारों और दायित्वों का स्पष्ट ज्ञान
3. अनुशासनबद्ध कार्य का संचालन
4. आदेशों एवं निर्देशों का एंकल
5. व्यवस्था का संयोजन
6. मर्वहितकारी उद्देश्य
7. प्रभावी एवं तीव्र संचार माध्यम
8. योजनाबद्ध एवं न्यायोचित व्यवस्था
9. प्रेरणा एवं प्रोत्साहन व्यवस्था
10. कार्मिक स्थायित्व एवं प्रोग्नोति
11. मरम कार्य प्रणाली

सारोंग में यह कहा जा सकता है कि शारीरिक-शिक्षा के संगठन की कार्य योजना को अनुशासनबद्ध एवं उत्तम नेतृत्व में क्रियान्वित करने वाली इकाई प्रशासन है, जो संगठन के विधि कार्यों और प्रयासों को उचित गति देने में चोली और दामन की भाँति भावद है। वस्तुतः प्रशासन शारीरिक-शिक्षा संगठन के घोय, एवं उद्देश्यों वो प्राप्त

करने की रटि से कार्यों के निष्पादन हेतु साधन सुविधामों का समुचित उपयोग, कार्यरत कर्मचारियों की कार्यक्षमता, योग्यता एवं सेवाओं के शान के प्राधार पर उनमें समुचित कार्य-वितरण, पारस्परिक सहबर्या एवं सहयोग की व्यवस्था, प्रेरणा एवं पुरस्कार तथा प्रादेश एवं निर्देशन की भवुपालना, नीति निर्धारण, उपलब्धियों की जांच एवं निष्पर्यं के प्राधार पर सुधार के प्रयत्न आदि बातों को ध्यान में रखकर, संगठन की कार्य प्रणाली को समुचित दिशा प्रदान करता है ।

भाष्यनिक युग में प्रशासन के मुख्य चार प्रकार हैं—

1. निरंकुश प्रशासन
2. भराजक प्रशासन
3. अशासन
4. प्रजातांत्रिक प्रशासन

निरंकुश प्रशासन—इममें गममत प्रकार के निर्णय लेने की शक्ति एक ही व्यक्ति में होती है । वह बलपूर्वक नियमों का पालन करता है । वह स्वयं को सर्वोसर्वा, योग्य, शक्तिशाली समझता है और व्यवहार में भी शक्ति से पेश आता है ।

भराजक प्रशासन—इमें प्रशासक किसी भी व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता है । ऐसे प्रशासन के लिए 'टके सेर भाजी और टके सेर खाजा' वाली कहावत प्रसिद्ध है । ऐसे प्रशासन में अव्यवस्था रहती है, कानून, और आदेश प्राप्त: समाप्त हो जाते हैं ।

अशासन—इसमें भी भराजकतावादी शासन रहता है प्रशासनिक नियमों का अभाव होने से 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' वाली बात प्रारम्भ हो जाती है । राजशक्ति का लोप हो जाता है और असुरक्षा, अव्यवस्था का बोलबाला रहता है ।

प्रजातांत्रिक प्रशासन—यह सर्वथेठ प्रशासन है । इसमें प्रशासक प्रजा के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करता है । इस प्रकार के प्रशासन में समाज के प्रजातांत्रिक मूल्यों को दर्शित रखकर कार्य किये जाते हैं ।

प्रशासक के गुण एवं योग्यतायें—

प्रशासन में प्रशासकीय कार्य एवं उत्तरदायित्व के उचित निर्वाह के लिए निम्नांकित होते में कुशलता एवं प्रबोधनता प्राप्त करना आवश्यक है :—

1. सामान्य शिक्षा के द्वेष में
2. व्यवसायिक ज्ञान के द्वेष में
3. सामाजिक गुणों के द्वेष में
4. व्यक्तित्व विकास के द्वेष में
5. प्रशासकीय अनुभव के द्वेष में

सामान्य शिक्षा के द्वेष में प्रशासक की न्यूनतम योग्यता - कला, विज्ञान गण्य के किसी भी एक दायरे में स्नातक होनी चाहिए ।

व्यावसायिक ज्ञान वृद्धि की दृष्टि से प्रशासनिक कार्य क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण आज के युग में आवश्यक है। शारीरिक शिक्षा के प्रशासक के लिए शारीरिक शिक्षा के विषय में न्यूनतम स्नाकोत्तर डिप्लोमा अथवा डिग्री का होना चाहित है। जैससे प्रशासनिक तकनीकी सेवाओं का निर्वाह भली-भांति सम्पादित किया जा सके योकि प्रशासक को प्रशासन सम्बन्धी अनेकों जटिल कार्य करने होते हैं यथा :-

1. विद्यालयी योजना वा निर्माण
2. पृथक-पृथक कार्यों का संगठन
3. अधिनस्थ कर्मचारियों के कार्य की देखरेख
4. सामाजिक कार्यों में सक्रियता
5. विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन आदि।

मामाजिक गुणों के क्षेत्र में उसमें सहानुभूति, सहभागिता, महनर्या, नेतृत्व, निर्दारता, मत्यप्रियता, मानवीयता, ईमानदारी, प्रजातात्त्विक और विश्वगनीयता आदि गुणों का होना आवश्यक है।

इसी प्रकार व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में मानसिक दृष्टि से विवेकशील, तीव्र निर्णय विकृति, गहन अवनोकन, दूरदर्शी, आत्म नियंत्रण, अनुशासन क्षमता, इड़ता, निष्ठावान एवं कर्तव्य परायण होना चाहिए इसी के साथ शारीरिक विकास की दृष्टि से अच्छा वास्थ और शारीरिक क्षमता, प्रभावी मधुर वाणी आदि गुणों का होना भी अपेक्षित है।

प्रशासकीय अनुभव के क्षेत्र में उसमें संगठन क्षमता, पर्यवेक्षण क्षमता, प्रशासनिक नियुक्ति एवं प्रशिक्षण का तकनीकी ज्ञान एवं कौशल नैपुण्यता आदि योग्यताओं एवं क्षमताओं का होना भी महत्वपूर्ण है।

प्रशासकीय निर्णय-

निर्णय लेना प्रशासन का मुख्य कार्य है, योकि प्रशासन का महत्वपूर्ण कार्य नीतियों ने लागू करना है। बहुत सी नीतियों का सही चुनाव एवं उन पर सही निर्णय लेकर ही नहीं लागू करना होता है। इसी प्रकार किसी भी कार्यक्रम को अधिकान्वित करने से पहले किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचना भी आवश्यक है। अतः कुछेक ऐसे प्रमुख तत्व हैं जो निर्णय लेते समय ध्यान में रखने चाहिए जैसे :-

1. समस्या का स्वरूप
2. निर्णय लेने वाला व्यक्ति
3. छायेय अथवा उद्देश्य जिन पर पहुंचना है
4. समस्याओं के सही हल का चुनाव एवं निर्णय
5. लिये गये नहीं निर्णय का समस्याओं के भाव सम्बन्ध
6. लिया गया सही निर्णय

प्रशासक के निए प्रशासनीय सम्बन्धी उचित निर्णय लेने के निए निम्नाविन सोपनो को ध्यान में रखना चाहिए-

1. समस्या का उचित निदान करना

2. समस्या का अत्यन्त उचित हल ढूँढ़ना

3. उचित हलों की आपस में तुलना करना तथा उनका विश्लेषण करना

4. सबसे उत्तम निर्णय का चयन करना

बहुत बार यह भी देखा गया है कि तथ्यों का अपूर्ण ज्ञान तथा सम्पूर्ण तथ्यों पूरी जानकारी न होने, अनेकों व्यक्तिगत वातां निर्णय के मध्य में आ जाने से और संपरिस्थितियों की जानकारी न होने पर प्रशासन को निर्णय लेने में कठिनाई होती है ऐसी स्थिति में सही निर्णय लेने के लिए कुछेक विधियों का विकास किया गया है जिन प्रशासक को निर्णय की जल्दीजाजी में न पगकर इन्हे धैर्यपूर्वक अपनाना चाहिए :-

1. एक व्यक्ति जाच प्रतिवेदन

2. जांच समिति का गठन एवं वस्तु स्थिति का ज्ञान

3. मभा पद्धति का उपयोग

4. परामर्श समितियों की स्थापना

अभ्यासार्थ प्रश्न -

1. शारीरिक शिक्षा में संगठन और प्रशासन के अर्थ को समझाइये। संगठन के क्या-व्यय उद्देश्य है ? व्याख्या करें।
2. संगठन एवं प्रशासन शब्दों की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिये। शारीरिक शिक्षा संगठन के आधारभूत सिद्धान्त क्या है ? समझाइये।
3. प्रशासन की व्याख्या कीजिये और शारीरिक शिक्षा में उमड़ी आवश्यकता को व्यायाम संगत ठहराइये ?
4. प्रशासन के बार सिद्धान्त दर्शाएं तथा उनका विवरण देवें। किसी उच्चतर, माध्यमिक शाला के शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में इनका किस प्रकार उपयोग करेंगे ?
5. शारीरिक शिक्षा के संगठन और प्रशासन में क्या अन्तर है ?
6. संगठन और प्रशासन एक ही मिक्के के दो पहलू हैं। चर्चा करें तथा संगठन महत्व पर अपने विचार व्यक्त करें।
7. घन्टे प्रशासक के कार्य एवं प्रशासन की कार्य प्रणाली क्या है ? उत्तेज करिए।

3 राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तरीय : विभिन्न संगठन-योजनाएं एवं कार्यक्रम

अध्ययन विन्दु :-

१२४९

- योजना का अर्थ एवं महत्व
- राष्ट्र-स्तरीय संगठन-योजनाएँ : स्वरूप एवं कार्यक्रम
- स्वाधीनता पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा गठित संगठन
- राष्ट्रीय स्तर युवा विकास कार्यक्रम
- राज्य स्तरीय संचालित योजनाएँ
- जिला स्तरीय संचालित योजनाएँ
- स्कूली शिक्षा में शारीरिक शिक्षा एवं खेल विकास कार्यक्रम
- विशिष्ट परियोजनाएँ : व्यायाम एवं खेलक्रीड़ा समारोह

योजना का अर्थ एवं महत्व

"किसी भी योजना से तात्पर्य ऐसे उत्तरदायित्व पूर्ण होते से है जो अपनी मजबूत कार्य प्रणाली के माध्यम से संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में क्रियाशील है।" संगठन की सुनियोजित योजना का अपना विशिष्ट महत्व है। योजना वद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मियों को अपने-अपने कार्य मंचालन को सरलता से भली-भांति सम्पादित करने में प्रसन्नता का आभास होता है। योजनावद्ध कार्यक्रम से संगठन की समस्त कार्यप्रणाली उचित दिशा में गतियुक्त होकर संगठन को उद्देश्यनिष्ठ बनाती है। योजना का अर्थ ऐसी प्रभावपूर्ण कार्य प्रणाली से है, जिसमें उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक साधनों का समुचित उपयोग हो, उनमें पारस्परिक समन्वय हो तथा आदेश एवं निर्देशों को सही अनुपालना होती हो। समाज के निर्माण एवं राष्ट्रीय हित को दृष्टिगत रखकर लागू की गई योजना से समुचित समाज के लोगों को लाभ प्राप्त होने के साथ-साथ संगठन के कार्यक्रमों को अस्तित्व में लाया जाता है। इस प्रकार सुसंगठित योजना का विशिष्ट महत्व उसकी सुनियोजित एवं सोहृदयपूर्ण कार्य प्रणाली से है। जिसके निर्माण से पूर्व निमांकित बातों पर विचार करना और उसके अनुरूप संगठन की कार्य-योजना का स्वरूप बनाना आवश्यक है :—

- (म) संगठन की योजना एवं उद्देश्य ।
- (व) विविध विभागों एवं अनुभागों का गठन ।

(स) प्रत्येक विभाग से सम्बन्धित आलेखित कार्य-सूची ।

(द) कार्य-सूची अनुरूप योग्य कामिकों की नियुक्ति ।

(च) नियुक्त कामिकों के कार्यों में तालिमेल, एवं समन्वय ॥


राष्ट्रीय संगठन-योजनाएँ : स्वरूप एवं कार्यक्रम

केन्द्र में संवैधानिक कार्य-सूची के अनुसार विभिन्न विभागों के मंत्रालय बते हुए हैं, जिनका प्रमुख केन्द्रीय मंत्री है। इसके सहयोगार्थ राज्यमंत्री एवं उपमंत्री हैं। शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का अभिन्न अंग होने के कारण ही शारीरिक शिक्षा की योजनाएँ सर्व शिक्षा मंत्रालय के साथ जुड़ी रही है। लेकिन नवम एशियाई सेल 1982 के आयोजन के समय राष्ट्रीय स्तर पर सेल एवं युवा विकास कार्यों में गति एवं एकरूपता लाने की इच्छा से हमारी सेलप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सेल श्रीर युवा कल्याण कार्यों को शिक्षा से अलग करके एक स्वतन्त्र मत्रालय स्थापित कर दिया था, परन्तु 26 सितम्बर 1985 को केन्द्रीय मत्रालय के कार्यों में नये प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने विभागों का पुनर्गठन करवाया तथा सरकारी घोषणानुसार शारीरिक शिक्षा, सेल और युवा कार्यों को शिक्षा संस्कृति एवं महिला विकास के साथ मिलाकर लगभग 103 कार्यों का एक अलग मत्रालय बना दिया गया, जिमका नाम "मानव समाधन विकास मंत्रालय" रखा गया। ऐसा परिवर्तन करने का उद्देश्य राष्ट्रीय योजनाओं की कार्यान्वयिता में सुरक्षा लाना, उन्हें गति प्रदान करना तथा उनमें पारस्परिक तालिमेल स्थापित कर एकीकृत रूप से राष्ट्रीय नीतियों को लागू करना था।

मंत्रालय कार्य के संचालन हेतु प्रत्येक मंत्रालय का एक पृथक् सचिवालय है जो मंत्री भवोदय के प्रति उत्तरदायी रहता है। सचिवालय का प्रमुख सचिव होता है। प्रत्येक सचिवालय में कई व्यूरो होते हैं। प्रत्येक व्यूरो का प्रमुख संयुक्त सचिव होता है। व्यूरो छिवीजन में विभाजित होते हैं, जिनका प्रमुख उपसचिव होता है। छिवीजन में कई बांचे होती हैं प्रत्येक ब्रांच अधिकारी को अङ्गर सैकेटी कहते हैं। ब्रांच में कई अनुभाग और प्रकोष्ठ भी होते हैं जो डैस्क ऑफिसर एवं सेक्शन ऑफिसर के मार्गदर्शन में कार्य करते हैं। सचिवालय के कार्यों के संचालन के लिए योग्य मत्रालयिक कमंचारी स्टाफ नियुक्त होता है। मानव संसाधन मंत्रालय के अन्तर्गत सेल एवं युवा कार्य के प्रशान्तिक सचिवालय का प्रमुख कार्य निम्न प्रकार है एवं इसके संगठनात्मक स्वरूप फो थार्ग थार्ट में दर्शाया गया है :-


- | | |
|----------------------|---|
| 1. नीति निर्धारण | 8. प्रकाशन एवं प्रसारण |
| 2. व्यवस्थापन | 9. माह्यकी मकान |
| 3. नियन्त्रण | 10. सांस्कृतिक सम्बन्ध |
| 4. निर्देशन | 11. अंतर्राष्ट्रीय सेलसंघ |
| 5. समन्वय | 12. राष्ट्रीय-स्तर शारीरिक शिक्षा संस्थायें |
| 6. अनुमंधान | 13. राष्ट्रीय सेल क्रीड़ा संस्थायें |
| 7. धार्त्र वृत्तियाँ | 14. भारतीय सेल प्राधिकरण |

- राष्ट्रीय-स्तर पर मंत्रालयिक प्रशासन का संगठनात्मक स्वरूप -



विभिन्न संगठनों का स्वरूप, उद्देश्य एवं कार्यक्रम

विभिन्न संगठनों का स्वरूप, उद्देश्य एवं कार्यक्रम
 मानव संसाधन विवाग मंत्रालय द्वारा शारीरिक-गिरधा, सेन-कोड़ा, मनोरंजन प्रौ
 युवा वर्त्यारा कार्यों के दोष में जिन योजनाओं को संचालित किया जाता है उनका प्रमुख
 उद्देश्य 'ममाज के प्रत्येक आयुवर्ग, विविध स्तर के लोगों के स्वास्थ्य, शारीरि-
 की दामता, मनोरंजन और क्रीड़ा-कौशल के दोष में इन प्रकार से विवाग करना है इसे
 मुख्य नामरिक जीवन-यापन कहते हुए राष्ट्रीय विवाग हित में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका
 निभा सके। इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निमित राष्ट्रीय स्तर निर्माण योजनाओं एवं
 नीतियों प्रियान्वति के निए विभिन्न प्रकार के मंगठनों एवं गमितियों का मंगठनात्मक
 स्वरूप यों निम्न प्रकार देगा जो मत्ता है।



- भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर संचालित कार्यक्रम एवं योजना सारांश -

स्कूली जनसंख्या के लिये For Schooley Population	गैर स्कूली जनसंख्या के लिए For Non Schooley Population	युवा सेवा कार्यक्रम Youth Services Program
1. पाठ्यप्रयोग विकास	1. ग्रामराष्ट्रीय स्तर प्रतियोगितायें व संभागित्व	1. साहसिक कार्य एवं खेल
2. स्वस्थता कार्यक्रम	2. राष्ट्रीय स्तरप्रतियोगितायें	2. एन. सी. सी.
3. अनुशासन योजना	3. खेल प्रशिक्षण	3. स्काउटिंग एवं गाइडिंग
4. छात्रवृत्ति योजना	4. अर्जुन पुरस्कार योजना	4. राष्ट्रीय सेवा योजना
5. प्रतियोगिता आयोजन	5. प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना	5. नेहरू युवक केन्द्र योजना
6. खेल प्रागण विकास	6. ग्रामीण खेल	6. नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम
7. उपकरण मुद्रिता	7. महिला खेल समारोह	7. अनुशासन एवं राष्ट्रीय सेवा
• नेतृत्व व्यवसाय प्रशिक्षण	8. खिलाड़ी कल्याण कोष	8. राष्ट्रीय प्रोक्षण योजना
• क्रीड़ा प्रशिक्षण शिविर	9. सार्वजनिक स्वस्थता कार्यक्रम	9. रन फौर फन
• अनुदान आवंटन	10. खिलाड़ी कार्मिक सेवा प्रोग्राम	10. यूथ होस्टल योजना
• राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज	11. अनुदान वितरण	
• राष्ट्रीय खेल विद्यालय		

ध्यातव्य विन्दु :- विभिन्न संगठन एवं उनके द्वारा संचालित राष्ट्रीय योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी हेतु लेखक द्वारा पूर्व प्रकाशित पुस्तक "शारीरिक शिक्षा : बड़ने चारण" - जर्मेर्ए एण्ड वर्मा (प्रकाशक श्री महाशीर बुक डिपो नई मढ़क दिल्ली - 6) न अवलोकन किया जा सकता है।

संगठनों का विवरण एवं उनकी कार्य योजनाएँ -

(क) भारतीय खेल प्राधिकरण :-

(Sports Authority of India)

इस संगठन की स्थापना मन् 1983 में भारत सरकार द्वारा की गई थी, इसका जीकरण प्रथम अध्यक्ष के रूप में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा दिनांक 25 जनवरी 1984 को हुआ। इस संगठन का प्रमुख लक्ष्य खेल-क्रीड़ा के त्रैमाणिक में विकास करना तथा उनके स्तर में सुधार लाना है। इस संगठन का कार्यालय वाहरालाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में स्थित है। यह प्राधिकरण सोसाइटी एकट 1860 वर्षहूँ भारत सरकार से पंजीकृत एक स्वायतंशमी संस्था है। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के में आधीन है तथा इसका सम्पूर्ण वित्तीय भार भारत सरकार उठाती है।

खेल प्राधिकरण का गठन—इस मण्डल मे प्रत्येक तीन वर्ष धाद पदेन सदस्यों के प्रतिरक्त शेष मनोनित सदस्यों का चयन किया जाता है। इस प्राधिकरण मे कुल 33 सदस्य इस प्रकार हैं—

प्रधानमन्त्री	अध्यक्ष
खेलमंत्री	उपाध्यक्ष
पदेन सदस्य संख्या	12
मनोनित मदस्य संख्या	14
महानिदेशक	भारत सरकार द्वारा नियुक्त प्रधिकारी
सचिव	भारत सरकार द्वारा नियुक्त प्रधिकारी

इस खेल प्राधिकरण करण मे दो समितियाँ हैं—

(ग) प्रशासन एवं प्रबन्ध समिति (सदस्य संख्या 15)

(ब) संचालन समिति (सदस्य संख्या 11)

प्रशासन एवं प्रबन्ध समिति का गठन प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महानिदेशक एवं सचिव एवं संचालन समिति के 11 सदस्यों से मिलकर होता है। संचालन समिति में प्राधिकरण का उपाध्यक्ष पदेन अध्यक्ष एवं महानिदेशक पदेन उपनिदेशक पद पर पदासीन रहते हैं तथा प्राधिकरण का सचिव इस समिति में पदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करता है तथा शेष 8 सदस्य निम्न प्रकार रहते हैं—

निदेशक एन. सी. ई. आर. टी.	पदेन सदस्य
सचिव भारतीय विश्वविद्यालयी संघ	पदेन सदस्य
सचिव भारतीय ओलम्पिक संघ	पदेन सदस्य
संयुक्त सचिव खेल मन्त्रालय	पदेन सदस्य
मंत्रुक्त सचिव गृह एवं निर्माण कार्य मन्त्रालय	पदेन सदस्य
निदेशक, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल मंस्थान	पदेन सदस्य
वित्त प्राधिकरण का प्रतिनिधि	सदस्य
फिल्मों का प्रतिनिधि	सदस्य
अध्यक्ष द्वारा अधिकतम मनोनीत सदस्य संख्या	पाँच

खेल प्राधिकरण के कार्य एवं उद्देश्य—

1. खेलों में प्रोत्तिष्ठा एवं विकास करना।
2. खेल-क्रीड़ा योजनाओं की शियान्विति करना।
3. अनुसंधान एवं शोध कार्यों में प्रोत्तान देना।
4. भौतिक साधन-मुद्रिधारों का निर्माण एवं विकास करना।
5. खिलाड़ी प्रावास खण्डों का निर्माण करना।
6. खेल-क्रीड़ा स्पर्धाओं, मैत्री मैचों एवं खेल प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना।
7. खेल संगठन एवं संस्थाओं के कार्यक्रमों एवं योजनाओं में यहयोग देना।

8. खेल केन्द्रों की स्थापना करना ।
9. खेल उपकरणों के दोष में अनुसंधान करना ।
10. खेल उपकरण निर्माताओं को तकनीकी सहयोग देना ।
11. सेल-क्रीड़ाओं में शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना ।
12. खिलाड़ी कल्याण कार्य-योजना संचालित करना ।
13. राज्य सरकारी, राज्य क्रीड़ा परिषदों, भारतीय ओलम्पिक खेल संघ एवं राष्ट्रीय खेल संघों में परस्पर सम्बन्ध, सहयोग एवं सम्पर्क सूत्रों की स्थापना बनाये रखना ।
14. परामर्शदात्री सेवा सुविधाओं का विकास करना ।
15. भारत सरकार, राज्य एवं संघीय शासन सरकारों को परामर्श देना ।
16. संमिनार एवं सम्मेलनों का आयोजन करना ।
17. साहित्य एवं पत्रिका प्रकाशन में प्रोत्साहन देना ।
18. छात्रवृत्तियाँ एवं पुरस्कार वितरण करना ।
19. दान एवं उपहार प्राप्त करना ।
20. चल एवं ग्राचल सम्पति के बहए प्राप्त करना ।
21. प्राधिकरण की चल ग्राधवा ग्राचल सम्पति का क्रय-विक्रय करना ।
22. खेल-क्रीड़ा दोष में विकास एवं निर्माण के नवीन कार्य प्रारम्भ करना ।

इस प्रकार भारतीय खेल प्राधिकरण, देश में खेलबूद को प्रोत्साहन देने के लिए ठिठड़ एक राष्ट्रीय संस्था है यह दो प्रमुख गतिविधियों पर जोर देती है—(i) खेल भावना विस्तार के लिए प्रोत्साहन-गतिविधियाँ । (ii) राष्ट्रीय खेल संस्थाओं और फेडरेशनों साथ मिलकर प्रतियोगी-गतिविधियाँ ।

भारतीय खेल प्राधिकरण का उद्देश्य है कि “देश में खेल भावना का विकास ग्रासथा में आव्हान द्वारा किया जाए । खेल सुविधाओं में वृद्धि तथा भूमिका से घिक भारत लेने की सुनिश्चितता सहित एक सूरक्ष एजेन्सी के रूप में कार्य करते हुए राष्ट्रीय खेल फेडरेशन/एसोसियेशन की सहायता की जाए ताकि अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों ‘लिए भावो पुरुष तथा महिला खिलाड़ियों को तैयार किया जा सके ।”

इसके भूतिरक्त भारतीय खेल प्राधिकरण ने ग्रामीण तथा शहरी जनसंस्था की विधा के लिए योजनाएँ बनाई हैं जिसका यह ध्येय है कि साहभागिता में वृद्धि और मर्यादा का विकास हो सके ।

इन योजनाओं में है—

1. राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता और विद्यालयों का घंगीकरण (एसेक्यून)
- जैसके प्रमाणें 10-12 वर्ष वर्ग में 150-200 सड़कों और लहड़ियों को प्रति वर्ष लाए, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन में आधार पर चुना

खेल प्राधिकरण का गठन—इम संगठन मे प्रत्येक तीन वर्ष बाद पदेन सदस्यों अतिरिक्त शेष मनोनित सदस्यों का चयन किया जाता है। इस प्राधिकरण में कुल 3 सदस्य इस प्रकार हैं—

प्रधानमन्त्री	अध्यक्ष
खेलमंत्री	उपाध्यक्ष
पदेन सदस्य संख्या	12
मनोनित सदस्य संख्या	14
महानिदेशक	भारत सरकार द्वारा नियुक्त प्रधिकारी
सचिव	भारत सरकार द्वारा नियुक्त प्रधिकारी

इस खेल प्राधिकरण करण में दो समितियाँ हैं—

(अ) प्रशासन एवं प्रबन्ध समिति (सदस्य संख्या 15)

(ब) संचालन समिति (सदस्य संख्या 11)

प्रशासन एवं प्रबन्ध समिति का गठन प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महानिदेशक सचिव एवं संचालन समिति के 11 सदस्यों से मिलकर होता है। संचालन समिति प्राधिकरण का उपाध्यक्ष पदेन अध्यक्ष एवं महानिदेशक पदेन उपनिदेशक पद पर पदार्थी रहते हैं तथा प्राधिकरण का सचिव इस समिति में पदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्रता है तथा शेष 8 सदस्य निम्न प्रकार रहते हैं—

निदेशक एन. सो. ई. आर. टी.	पदेन सदस्य
सचिव भारतीय विश्वविद्यालयी संघ	पदेन सदस्य
सचिव भारतीय ओलंपिक संघ	पदेन सदस्य
संयुक्त सचिव खेल मन्त्रालय	पदेन सदस्य
संयुक्त सचिव गृह एवं निर्माण कार्य मन्त्रालय	पदेन सदस्य
निदेशक, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान	पदेन सदस्य
वित्त प्राधिकरण का प्रतिनिधि	सदस्य
किंवको का प्रतिनिधि	सदस्य
अध्यक्ष द्वारा प्रधिकरण मनोनीत सदस्य संख्या	पांच

खेल प्राधिकरण के कार्य एवं उद्देश्य—

1. खेलों मे प्रोत्तति एवं विकास करना।
2. खेल-क्रीड़ा योजनाओं को क्रियान्वित करना।
3. अनुसंधान एवं शोध कार्यों में प्रोत्तता देना।
4. भौतिक साधन-मुद्रिताओं का निर्माण एवं विकास करना।
5. खिलाड़ी साकारा खण्डो का निर्माण करना।
6. खेल-क्रीड़ा स्पर्धाओं, मैचों मैचो एवं खेल प्रशिक्षण शिविरो का आयोजन करना।
7. खेल संगठन एवं संस्थाओं के कार्यक्रमों एवं योजनाओं मे सहयोग देना।

8. खेल केन्द्रों की स्थापना करना ।
9. खेल उपकरणों के दोत्र में अनुसंधान कराना ।
10. खेल उपकरण निर्माताओं को तकनीकी सहयोग देना ।
11. खेल-कीड़ाओं में शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना ।
12. खिलाड़ी कल्याण कार्य-योजना संचालित करना ।
13. राज्य सरकारों, राज्य कीड़ा परिषदों, भारतीय ओलम्पिक खेल संघ एवं राष्ट्रीय खेल संघों में परस्पर समन्वय, सहयोग एवं सम्पर्क सूत्रों की स्थापना बनाये रखना ।
14. परामर्शदात्री सेवा सुविधाओं का विकास करना ।
15. भारत सरकार, राज्य एवं संघीय शासन सरकारों को परामर्श देना ।
16. सेमिनार एवं सम्मेलनों का आयोजन करना ।
17. साहित्य एवं पत्रिका प्रकाशन में प्रोत्साहन देना ।
18. द्वात्रवृत्तियाँ एवं पुरस्कार वितरण करना ।
19. दान एवं उपहार प्राप्त करना ।
20. चल एवं अचल सम्पत्ति के अद्वारा प्राप्त करना ।
21. प्राधिकरण की चल अथवा अचल सम्पत्ति का क्षण-विक्रय करना ।
22. खेल-कीड़ा दोत्र में विकास एवं निर्माण के नवीन कार्य प्रारम्भ करना ।

इस प्रकार भारतीय खेल प्राधिकरण, देश में खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए इब्द एक राष्ट्रीय संस्था है यह दो प्रमुख गतिविधियों पर जोर देती है—(i) खेल भावना विस्तार के लिए प्रोत्साहन-गतिविधियाँ । (ii) राष्ट्रीय खेल संस्थाओं और रेडरेशनों साथ मिलकर प्रतियोगी-गतिविधियाँ ।

भारतीय खेल प्राधिकरण का उद्देश्य है कि “देश में खेल भावना का विकास जातस्था में घाघान द्वारा किया जाए । खेल सुविधाओं में वृद्धि तथा अधिक से अधिक भार लेने की सुनिश्चितता सहित एक पूरक एजेन्सी के रूप में कार्य करते हुए राष्ट्रीय खेल फेडरेशन/एसोसियेशन की सहायता की जाए ताकि अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों तिए भावी पुरुष तथा महिला खिलाड़ियों को तैयार किया जा सके ।”

इसके प्रतिरक्त भारतीय खेल प्राधिकरण ने ग्रामीण तथा शहरी जनसंस्था को विधा के लिए योजनाएँ बनाई हैं जिसका यह घेय है कि सहभागिता में वृद्धि और मध्य प्रतिभा या विकास हो सके ।

इन योजनाओं में है—

1. राष्ट्रीय भेल प्रतिभा प्रतियोगिता और विद्यालयों का अंगीकरण (एडोप्शन) जैसके मानदंड 10-12 वार्ष वर्ग में 150-200 लड़के और लड़कियों को। या, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन के

जाएगा और पूरे देश में चुने हुए विद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा जहाँ उनी शिक्षा ममताधीर रिहायश और प्रशिक्षण आदि आवश्यकताओं की पूर्ति प्राप्तिकरण बी जाएगी ।

2. राष्ट्रीय शारीरिक स्वस्थता योजना (नेशनल फिजिक फिटनेस इनीश) । उद्देश्य है कि राष्ट्र में स्वास्थ्य और शारीरिक स्वस्थता की भावना गे विभिन्न स्थानों पर शारीरिक स्वस्थता योग्यता तथा बहुमुखी (गलटीमीडिया) अभियान के जरिये उत्पन्न बी जाए ।
 3. रोल विज्ञान में भनुसंधान के लिए स्थानवृत्तियां प्रदान करना
 4. देश में सभी महानगरों से पड़ोसी सामुदायिक रोल केन्द्रों (नेवर हूड कम्पनी स्पोर्ट्स सेंटर्स) की स्थापना करना ताकि रोलकूद प्रतिविधियों में सार्वभागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके ।
 5. स्वदेशी सेलों तथा संगठन करतव कलाओं का विकास, विशेषकर, ग्रामीण शहरी दोनों में
 6. सकनीकी साज समान के केन्द्रीय पूल को स्थापना
 7. जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक सेल विकित्सा कोर्ड की स्थापना
 8. विशेष दोनों जैसे कि भासाम, त्रिपुरा, नागालैण्ड मणिपुर, मिजोरम असम प्रदेश, झेह, याहीत स्पीति, झण्डमात एवं तिकोबार हीप समूह, पश्चिम देशी प्रदेश भादि में खेलों का विकास इस उद्देश्य के साथ हो कि परम्पर खेलों जैसे की निशाने वाजी, तैराकी, कुश्ती भादि में प्रतिभाओं की खोज प्रशिक्षण भी हो सके ।
 9. शहरी और ग्रामीण दोनों में सामान्य खेलों का विकास-जीविंग बलबो स्थापना, तरण बच्चों के लिए प्रशिक्षण शिक्षियों के आयोजन, ग्रामीण बो उनके अपने स्थानीय खेलों के प्रतिरक्त भ्रम्य खेलकूद में प्रोत्साहित क तथा 'मोज के लिए दोड़ो और कोय एकत्रित करो' नारे के भन्तवंत प्रायोदीहों के आयोजन द्वारा किये जाए ।
 10. भारतीय योस प्राधिकारण का अन्य महत्वपूर्ण कदम दिल्ली के 6 स्टेडिय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इन्दिरा गांधी स्टेडियम, यमुना बेलोडोम, तातकटी स्वीमिंग पूल, नेशनल स्टेडियम और तुगलकाबाद शूटिंग रेंज को कियां बनाना है एवं सभी भाग्य वर्ग के लियाइयो 16 घेतों में प्रशिक्षण देना ।
- (ख) भारतीय ओलंपिक संगिति-
(Indian Olympic Committee)
1. सेल प्राधिकारण को परमार्थिंग योजनाभूतीत, देश भीड़ा विकास के प्रस्ताव योजनायें प्रस्तुत करना ।
 2. भ्रमराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं एवं मेन भ्रमरोती के भाग्योत्तम करना ।

- 3 खिलाड़ियों एवं खेलदलों को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग दिलाने हेतु भिजवाना ।
4. अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने से पूर्व खिलाड़ियों के गहन प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं करवाना ।
5. खेल प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के प्रस्ताव एवं मुफ्काव सरकार को देना ।
6. राष्ट्रीय खेल संगठनों की मान्यता एवं सम्बद्धता प्रदान करना ।
7. खेल संघों के लिए अनुदान एवं वित्तीय सहायता की व्यवस्था करना ।
8. भारतीय खेल प्राधिकरण से सह-सम्बद्धता एवं सहयोग बनाये रखना ।

(ग) राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं खेल संस्थान-

(Society For National Institute of Physical Education & Sports)

सोसाइटी फौर नेशनल इन्स्टीच्यूट - आफ फिजिकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स का गठन सन् 1965 में हुआ । यह एक राष्ट्रीय स्तर की सोसाइटी पंजीकृत स्वायत्तशासी संस्थान है । इसका कार्य दोनों राष्ट्रीय स्तर की शारीरिक शिक्षा और खेल कीड़ा प्रशिक्षण संस्थाओं एवं संगठनों की योजनाओं के विकास में सहायता प्रदान करना है । लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा, महाविद्यालय व्यालियर और नेताजी भुभाप राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला की देख-रेख एवं नियंत्रण इसी स्नाइप्स संगठन के द्वारा की जाती है ।

स्नाइप्स का कार्यक्षेत्र सूलों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में खेल प्रणाली, जिम्नाजियमो, तरणतालों, स्टेडियम एवं उपकरण आदि साधन मुद्रिताओं के निर्माण यथा विकास में भारत सरकार से आर्थिक सहायता दिलाने की अनुशंसा करना है । इसके प्रतिरिक्त विश्वविद्यालयों में खेल मुद्रिताओं एवं होमीय प्रतिभाओं को ध्यान में रखते हुए खेल प्रशिक्षण की स्थाई मुद्रिता एन. आई. एस. के सहयोग से प्रदान कराना है एवं शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेलों के लिए साहित्य प्रकाशन में प्रोत्साहन देना है । यह संस्थान समय-समय पर शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को संसाधन विकास हेतु नार्थिक अनुशासन के लिए मंत्रालय की अनुशंसा भेजती है ।

(घ) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, व्यालियर-

(Laxmibai National College of Physical Education)

भारत में शारीरिक शिक्षा के दोनों ओर विश्वविद्यालयों के लिए कुशल एवं तैयार करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए व्यालियर में इम व्यवसायिक शिक्षण संस्थान की स्थापना सन् 1957 में केन्द्र सरकार द्वारा की गई थी । इसमें निम्न प्रकार के नियम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किये जाते हैं जो जिवाजी विश्वविद्यालय से मान्य एवं मम्बद्ध हैं :-

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1) वैधवर टाई इन किसीकल एजुकेशन | — तीन वर्षीय प्रशिक्षण (B.P.E.) |
| 2) मास्टर्स डिप्लोमा " " | — दो वर्षीय " (M.P.E.) |

- (3) स्नातकोत्तर (शारीरिक शिक्षा प्रणिकरण) — दो वर्षीय „ (M.A.)
 (4) एम. फिल „ „ — एक वर्षीय „ (M. Phil.)
 (5) पी. एच. डी. „ „ — तीन वर्षीय „ (Doctorate)
 (6) सेवारत शारीरिक शिक्षक मास्टर्स डिप्लोमा — तीन ग्रीष्मावधिकाश मत्र (M.P.E.)
 (7) आर्मी प्री रिलीज ओफिसियन्स फिजिकल प्रैज़्युकेशन कोर्स-4 माह

(इ) नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान-पटियाला-

(Netaji Subhash National Institute of Sports)

खेलों में राष्ट्रीय स्तर को ऊचा उठाने तथा खिलाड़ियों को उच्च प्रशिक्षण एवं नवीन तकनीकों सिखाने की दृष्टि से इस संस्था की स्थापना केन्द्र सरकार द्वारा सन् 1961 में की गई थी। यह संस्था भारतीय खेल प्राधिकरण के भीधे नियन्त्रण एवं मानदंडन में कार्यरत है तथा स्नाइप्स भी इसकी देखरेख करता है। इसके प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं—

1. खेल प्रशिक्षक तैयार करना ।
2. राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना जैसे-बंगलौर, कलकत्ता, मणिपुर आदि ।
3. राज्य खेल परिषदों तथा नेहरू युवक केन्द्रों द्वारा संचालित खेल प्रशिक्षण केन्द्रों एवं शिविरों की स्थापना एवं उनके संचालन में सहयोग प्रदान करना ।
4. राज्य की राजधानी, परिषेन्ट्र, एवं जिला मुख्यालयों पर खेल प्रशिक्षण योजनाएँ संचालित करना ।
5. आमीण खेल प्रशिक्षण योजनायों का संचालन नेहरू युवक केन्द्रों की देखरेख में करना ।
6. राष्ट्रीय महिला खेल स्पर्धा समारोह का प्रतिवर्ष आयोजन करना ।
7. भारतीय टीमों के प्रशिक्षण शिविर लगाना ।
8. विदेशों से खेल प्रशिक्षिकों की सहायता लेना ।
9. महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के आमन्त्रण पर खेल प्रशिक्षक भेजना ।
10. खिलाड़ियों को स्पॉर्ट्स टेलेन्ट सर्च स्कोलरशिप प्रदान करना ।
11. खेल-कीड़ा के दोनों में घनुगंधान एवं शोध कार्यों को प्रोत्साहन देना ।
12. खेलों पर राष्ट्रीय सम्मेलन, सेमिनार, कार्यगोष्ठी आदि के आयोजन करना ।

राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में खेल प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत योग्य व्याव-
भाविक नेतृत्व तैयार बनने की दृष्टि से जिन पाल्यक्रम प्रशिक्षणों का संचालन किया जाता
है वे निम्न प्रकार हैं :—

1. प्रमाण पत्र येत्र प्रशिक्षण कोर्स — 6 महान (Certificate)
2. डिप्लोमा येत्र प्रशिक्षण „ — एक वर्ष (Diploma)
3. मास्टर्स डिप्लोमा येत्र प्रशिक्षण „ — दो वर्ष (M.S.)
सेवारत प्रशिक्षण प्रभिन्नत प्रमाणपत्र कोसे — ग्रीष्मावधिकाश में (Short-term)

(च) राष्ट्रीय-स्तर पर कार्यरत स्वयंसेवी एवं सार्वजनिक संगठन-
(Voluntary & Public Organisation)

(क) स्वयं सेवी संस्थायें एवं संगठन-

- | | |
|--|------------------------|
| 1. टेल्को और टिस्को-जमशेदपुर | 2. भिलाई स्टील प्लाण्ट |
| 3. मफतलाल ग्रूप-बम्बई | 4. डी. सी. एम.-दिल्ली |
| 5. राष्ट्रीयकृत वैक | 6. भारतीय वायुसेना |
| 7. लाइफ इन्सोरेन्स कॉरपोरेशन | |
| 8. आई पी. मी. एल. एवं ओ. एन. जी. सी आदि। | |

(ब) सार्वजनिक संस्थायें एवं संगठन -

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. हनुमान व्यायाम प्रसारक मण्डल अमरावती। | |
| 2. वाई. एम. मी. ए. | 3. वाई. एव्ह्यू. सी. ए. |
| 4. मोहनवगान फुटवाल कलब | 5. मोहमदन स्पोर्टिंग क्लब |
| 6. इम्टवंगान स्पोर्ट्स क्लब | 7. जानन्धर स्पोर्ट्स क्लब |
| 8. डुर्लंड फुटवाल क्लब। | |

(ग) प्रचार एवं प्रसार संस्थायें-

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. ग्रेस | 2. रेडियो |
| 3. टेलीविजन | 4. फिल्म डिवीजन, सूचना एवं प्रसारण विभाग |
| 5. समाचार पत्र एवं पत्रिकायें | |

स्वाधीनता पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा गठित संगठन

अ - राष्ट्रीय स्तर परामर्शदात्री समितियाँ एवं आयोग

ब - राष्ट्रीय स्तर शारीरिक शिक्षा एवं खेल संघ और संस्थाएँ

स - राष्ट्रीय स्तर के आयोजित कार्यक्रम

द - राष्ट्रीय स्तर पर संचालित युवा विकास-कार्य अभियान

(अ) राष्ट्रीय स्तर परामर्शदात्री समितियाँ एवं आयोग :-

वर्ष	समिति अथवा संगठन	उद्देश्य
1948	डॉ. ताराचन्द समिति	व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा स्कूली पाठ्यक्रम
1952	माध्यमिक शिक्षा आयोग	विद्यालयी पाठ्यक्रम विकास
1953	विश्वविद्यालयी अनुदान आयोग	विश्वविद्यालयी शिक्षा सुधार
1954	सेन्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड (शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन)	स्कूली पाठ्यक्रम की 'राष्ट्रीय योजना
1959	हृदयनाथ कुंजह समन्वय समिति	एकारमक एन. एफ. सी. कार्यक्रम
1960	कौल-कपूर खेल विकास समिति	साधन सुविधा विकास
1965	शिक्षा आयोग (कोठारी कमीशन)	परिवर्तित शिक्षा प्रणाली

- 1983 ए. आई.सी.एस. राष्ट्रीय नेतृत्वीयि राष्ट्रीय खेल योजना
 1984 शारीरिक शिक्षा, योग एवं सातवी पंच वर्षीय योजना विकास
 खेल-कीड़ा वर्किंग ग्रुपो की स्थापना
 1985 खेल एवं युवा कार्य संसदीय सेत एवं युवा विकास
 सलहाकार समिति
- (ब) राष्ट्रीय स्तर पर शारीरिक शिक्षा एवं खेलों के संगठन और संस्थाएँ-
- 1954 अखिल भारतीय खेल परिषद (ए. आई. सी. एस.) 1984 में समाप्त करदी गी
 1957 सद्मीवाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा व्यवसायिक नेतृत्व प्रशिक्षण
 महाविद्यालय वालियर
- 1961 नेहाजी सुभाष राष्ट्रीय कीड़ा प्रशिक्षण संस्थान खेल प्रशिक्षण
 1965 स्नाइप्स बोर्ड (SNIPES) प्रशिक्षण संस्थानों का नियन्त्रण
 1983 भारतीय खेल प्राधिकरण खेल एवं युवा विकास कार्य
 1927 भारतीय ओलंपिक खेल संघ खेल कीड़ा प्रतियोगिताएँ एवं प्रशिक्षण जिला
 भारतीय विश्वविद्यालय खेल संघ विश्वविद्यालयी प्रतियोगिताएँ प्रशिक्षण
 1954 भारतीय स्कूली खेल संघ (SGFI) स्कूली खेल प्रतियोगिताएँ प्रशिक्षण
 विविध 'विभागों के खेल नियन्त्रण खेल स्पर्धाएँ'
 बोर्ड आदि
- (स) राष्ट्रीय स्तर कार्यक्रमों का आयोजन-
- 1951 प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन
 1953 राजकुमारी अमृत कोर प्रशिक्षण योजना
 1956 राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन स्कूली पाठ्यक्रम योजना
 1959 राष्ट्रीय शारीरिक कुशलता (स्वस्थता) कार्यक्रम (NPFP)
 1960 राष्ट्रीय स्वस्थता योजना (NFC)
 1961 भर्जुन पुरस्कार योजना
 1965 नेशनल किटनेश कोर-स्कूली-एकीकृत पाठ्यक्रम योजना
 1970 स्पोर्ट्स टेलेस्ट सचिं स्कोलरशिप योजना
 1971 अखिल भारतीय प्रामीण खेल स्पर्धा कार्यक्रम
 1975 राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना योजना
 1975 दहिला खेल-कीड़ा विकास योजना
 1982 नवम एशियाई खेल आयोजन
 1982 राष्ट्रीय विताड़ी कल्याण कोष योजना
 1983 भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा संचालित कार्यक्रम
 1986 द्वाणाचार्य पुरस्कार योजना

राष्ट्रीय स्तर युवा विकास कार्यक्रम

(क) साहसिक विकास के कार्यक्रम-

1. पर्वतारोहण, सम्बोधात्रा, पद यात्रा (ट्रैकिंग)
2. बनों, रेतीले प्रदेशों, समुद्र में बनस्पति व जीव जन्तुओं की खोज
3. डोंगी चलना, नो चालान, समुद्रीवेहा चालन, नौकाविहार, तैराकी
4. साईबिलंग, भीटर साइबिलंग, स्केटिंग व आइस स्केटिंग
5. आधार शिविरों की स्थापना
6. प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन
7. साहित्य प्रकाशन एवं उपकरण उपलब्ध कराना
8. सीमिनार, व्याख्यान, विचार विमर्श और फ़िल्म स्टाइल शो

(ख) युवा नेतृत्व प्रशिक्षण स्वयं सेवी संगठन स्थापना कार्यक्रम-

(ग) राष्ट्रीय एकता प्रोत्साहन कार्यक्रम-

1. अन्तर राज्य पर्यटन एवं भ्रमण
2. अन्तर राज्य युवा विनियम कार्यक्रम
3. राष्ट्रीय एकता शिविर एवं प्रदर्शनियाँ

(घ) राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम :-

(ङ) नेहरू युवक केन्द्र स्थापना कार्यक्रम-

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. समाज सेवा किया कलाप | 2. युवा प्रशिक्षण |
| 3. सामुदायिक विकास | 4. राष्ट्रीय एकता शिविर |
| 5. व्यावसायिक लघु प्रशिक्षण शिविर | 6. ग्रामीण ढोल केन्द्र स्थापना |

(च) अनुशासन, राष्ट्रसेवा एवं भातृभाव कार्यक्रम-

1. राष्ट्रीय सेवा योजना—एन. एस. एम.
2. स्काउटिंग व गार्डिंग कार्यक्रम
3. एन. सो. सी. (रक्षा मंत्रालय के माध्यम से)
4. कामन वैल्य यथ प्रोग्राम
5. अन्तर्राष्ट्रीय सोसूक्तिक आदान प्रदान युवा कार्यक्रम
6. अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष कार्यक्रम


राज्य स्तरीय संचालित योजनाएँ

केन्द्रीय सरकार की भाँति राज्य सरकारों में भी पृथक-पृथक भंत्रालय बने हुए हैं तथा सचिवालय द्वारा नीति निर्धारण एवं नियन्त्रण का कार्य निर्धारित हैं। निर्धारित नीतियों एवं योजनाओं की क्रियान्विति के लिये राज्य स्तर पर प्रत्येक विभाग के निदेशालय हैं तथा परिषेक, जिला एवं तालुका स्तर पर पृथक-पृथक कार्यालय स्थापित हैं। इनका प्रमुख कार्य योजनाओं के संचालन एवं नीतियों की क्रियान्विति के लिए प्रशासनिक उत्तरदायित्व बहन करना है। राजस्थान में सचिवालय एवं निदेशालय योजना निर्माणाधीन हैं।

(अ) राज्य में स्कूली बालकों के लिए खेल संगठन योजना का स्वरूप एवं कार्य-

राज्य में शारीरिक शिक्षा और खेल-क्रीड़ा कार्यक्रम की कार्य योजना बास प्रयक से सचिवालय स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था निर्भाग्यधीन है। फिलहाल शिक्षा एवं सम्बद्ध प्रशासनिक ढाँचे एवं उनके कार्यालयों में प्रयक से प्रकोष्ठ स्थापित है। उद्देश्य स्थानों पर इस विषय का प्रशिक्षित अधिकारी नियुक्त है, जो अपने कार्यालय के प्रमुख शिक्षा अधिकारी के प्रति उत्तरदायी रहता है।

(स्कूली बालक एवं युवाओं के लिए)



गशावाल राज्य में विभिन्न नियन्त्रक दर्ताएँ :-

1. राज्य अधिकारी - शारीरिक शिक्षा का दर्ता दर्तों के एवं अधिकारी नहीं है।
2. राज्य निदेशालय - शारीरिक शिक्षा द्वारा घोषित नियन्त्रण के दो वृत्तान्त अधिकारी हैं और दोनों में एकीकृत अधिकारी नियुक्त है, जो दोनों नियन्त्रण के द्वारा अधिकारी ने विभिन्न नियन्त्रणों के लिए उपराज्यों है।

- मंडल कार्यालय - केवल महिला विद्या में उप जिला शारीरिक शिक्षा अधिकारी (महिला) नियुक्त है पुरुष वर्ग में शारीरिक शिक्षा का कोई तकनीकी अधिकारी नहीं है।
- जिला कार्यालय - पुरुष कार्यालयों में प्रत्येक जिले में पृथक से शारीरिक शिक्षा एवं खोल कीड़ा का प्रकोष्ठ है, जिसमें उप जिला शारीरिक शिक्षा अधिकारी नियुक्त है। यह अपने सामान्य शिक्षा के जिला शिक्षा अधिकारी के प्रति उत्तरदायी रहता है। इस प्रकार की व्यवस्था महिला कार्यालयों में नहीं है।
- पंचायत स्तर पर - न कोई प्रकोष्ठ है और न ही कोई तकनीकी अधिकारी नियुक्त है।


विद्यालय स्तर पर - प्रत्येक विद्यालयों में प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षक निम्न प्रकार कार्यरत है :—

- | | |
|---|-----------------------------------|
| उच्च माध्यमिक एवं शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों में | प्रथम श्रेणी वेतन थृ० खला |
| माध्यमिक विद्यालयों से | द्वितीय श्रेणी वेतन थृ० खला |
| उच्च प्राथमिक विद्यालयों में | तृतीय श्रेणी वेतन थृ० खला |
| प्राथमिक विद्यालयों में | कोई नहीं सामान्य शिक्षक की देखरेख |

ज्य स्तर पर स्कूली बालकों के लिये संचालित योजनाएँ :-

1. खोल-कीड़ा प्रतियोगिता कार्यक्रम
2. प्रशिक्षण शिविर योजनायें
3. विशिष्ट खोल प्रशिक्षण केन्द्र योजना
4. स्पोर्ट्स स्कूल योकानेर
5. शाला कीड़ा संगम योजना
6. छावनी एवं पुरस्कार
7. पर्वतारोहण (माउन्टेनियरिंग)
8. पदयात्राएं (ट्रैकिंग)
9. योग प्रशिक्षण शिविर योजना
10. सेल प्रागण एवं उपकरण सुविधा हेतु अनुदान भावंटन
11. उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को भेजना
12. स्पोर्ट्स होस्टल योजना
13. राष्ट्रीय शारीरिक कुशलता अभियान
14. शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर
15. सेवारत अभिनवम प्रशिक्षण योजना
16. सेमीनार, सम्मेलन, कार्यशैली भाग्योजना
17. पाठ्यक्रम विकास एवं निर्धारण

**राज्य में गैर स्कूली वालकों, युवाओं एवं प्रोडों के लिए
समठन योजना का स्वरूप**



गैर स्कूली वालकों, युवाओं एवं प्रोडों के लिए राज्यों में विभिन्न प्रकार की क्रीड़ा योजनाएं मंचालित हैं जिनके समुचित संचालन के लिए राज्य स्तर पर समर्थन स्थापित है तथा इन समठनों की जिला एवं तालुका स्तर तक वाखाए हैं जो कार्य सचिव की विभिन्न राज्य स्तर मंठन के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। राज्य स्तर पर निम्नलिखित समठन कार्यरत हैं।

- (अ) राज्य क्रीड़ा परिषद
- (ब) राज्य ओलम्पिक समिति
- (ग) राज्य स्तर के खेल संघ एवं संगठन
- (i) राज्य-क्रीड़ा परिषद के कार्य एवं योजनाएँ :-
(State Sports Council)
राज्य परिषद में राज्य के कुछ वरिष्ठ अधिकारी परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। इन्हें राज्य स्तर पर वर्षों में विभिन्न वर्षों में नियुक्त किये जाते हैं। परिषद का एक सचिव होता है। इसकी विभिन्न वर्षों में राज्य क्रीड़ा परिषद का कार्यालय रहता है।

केन्द्रीय सरकार की सलाह पर भारत के विभिन्न राज्यों में राज्य-कीड़ा परिषदों की स्थापना हुई है। यह परिषद मुख्य रूप से खिलाड़ियों एवं खेलकूद संघों को अपने सीमित साधनों को दृष्टिगत रखकर यथा सम्भव सहायता प्रदान करके खेलों के स्तर में वृद्धि करती है। परिषद के मुख्य कार्यकारी उद्देश्य एवं लक्ष्य इस प्रकार है :-

1. कीड़ा प्रतियोगिता एवं खेल चेम्पियनशिप में आर्थिक सहायता प्रदान करना ।
2. प्रशिक्षण शिविरों को आर्थिक अनुदान देना ।
3. राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आयोजन अथवा उसमें राज्यदल भेजते के लिए अनुदान उपलब्ध कराना ।
4. उदीयमान, अल्पायु एवं होनहार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना ।
5. खेल प्रांगणों एवं स्टेडियमों का उचित प्रबन्ध करना ।
6. खिलाड़ियों और टीमों को उपकरण-सहायता देना ।
7. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन एवं कीर्तिमान स्थापित करने वाले खिलाड़ियों को द्यावृत्तियां व आर्थिक सहायता देना ।
8. खिलाड़ियों को स्वर्णपदक, पारितोषिक, प्रमाण-पत्र आदि प्रदान कर प्रोत्साहित करना ।
9. आर्थिक दृष्टि से अभावप्रस्त अच्छे प्रोड खिलाड़ियों को भोजन भत्ता प्रदान करना ।
10. ग्रामीण खेलकूद विकास की योजनाएँ कियान्वित करना ।
11. अल्पकालीन एवं पूर्णकालीन प्रशिक्षकों की नियुक्ति करना आदि ।

उपरोक्त उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के सन्दर्भ में राज्य कीड़ा परिषद की प्रमुख योजनाएँ इस प्रकार है :-

1. गोन कीड़ाओं में विभिन्न स्तरीय प्रशिक्षण शिविर
2. केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर
3. राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र
4. राज्य स्तरीय खेल संगठनों की मात्रता
5. खेल संगठनों एवं संस्थाओं, को अनुदान
6. स्टेडियमों का विकास
7. खिलाड़ियों को द्यावृत्तियां एवं भोजन भत्ता
8. महिला खेल समारोह के आयोजन
9. ग्रामीण खेल समारोह के आयोजन
10. ग्रामीकारी धन्य जाति प्रशिक्षण योजना
11. दोनों प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना
12. ग्रामीण खेल केन्द्रों की स्थापना
13. जिला कीड़ा परिषदों को अनुदान आदि ।

(ii) राज्य ओलम्पिक समिति -

(State Olympic Association)

यह समिति राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति के निर्देशन में कार्य करती है। इसमा कार्य राज्य स्तर पर ओलम्पिक खेलों में प्रतियोगिताएं आयोजित करना तथा बिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर के खेलों में भाग दिलाना है। इसके अतिरिक्त खेल संघों को एकित्वपूर्ण एवं मान्यता प्रदान करना है।


(iii) राज्यस्तरी खेलों के सघ एवं संगठनों के कार्य-

(State Sports Associations & Federations)

1. राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता हेतु लिंगाड़ी तैयार करके उन्हे भाग दिलाना।
2. अपने राज्य में प्रतियोगितायें आयोजित करना।
3. स्पर्धा-पूर्व प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन करना।
4. विविध वर्गों में निम्न स्तर पर प्रतियोगिता के निर्देश प्रसारित करना।
5. स्थाई प्रकृति के खेल उपकरण एवं साधन मुविधाएँ जुटाना।
6. राज्य ओलम्पिक संघ से सम्बद्धता प्राप्त करना।
7. राज्य कीड़ा परियद से अनुदान प्राप्त करना।
8. जिला स्तरीय खेल संघों को मान्यता देना।

(iv) राज्य में विश्वविद्यालयी खेल संगठन का स्वरूप-

(UNIVERSITY SPORTS BOARD)



प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक स्पोर्ट्स बोर्ड बना होता है जिसके अध्यक्ष कुलपति हैं एवं सचिव पद पर शारीरिक शिक्षा के निर्देशक कार्य करते हैं। इस बोर्ड गठन प्रति तीसरे वर्ष होता है। वर्ष भर में दो बार बोर्ड को बैठक होती है। इसमें भग 13 सदस्य होते हैं जिनमें विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रोफेसर एवं विद्यार्थियों प्रतिनिधित्व रहता है। स्पोर्ट्स बोर्ड के कार्य निम्न प्रकार है :-

१. खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना
२. अन्तर विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को भाग दिलाना।
३. खेल प्रशिक्षण की आवश्यक सुविधायें प्रदान करना।
४. अन्तः विभाग एवं अन्तः महाविद्यालयों की प्रतियोगिताएं आयोजित करना।
५. वार्षिक बजट बनाना
६. पुस्तकालय, वाचनालय, एवं स्मूजियम का विकास करना
७. छात्रवृत्तियाँ एवं पुरस्कार प्रदान करना
८. शारीरिक शिक्षा और खेल के सम्मेलन एवं सेमिनार आयोजित करना
९. तरणताल, जिम्नेजियम, धावनपथ, एवं सेल प्रांगणों की देखरेख करना
१०. प्रसार, प्रचार, प्रकाशन एवं मुद्रण के कार्य करना
११. कार्यालय अभिलेख रखना आदि।

जिला स्तरीय संचालित योजनाएं-

जिला स्तर पर शारीरिक शिक्षा व खेल-क्रीड़ा कार्य योजनाओं की क्रियान्विति लिए घटेकों संगठन सक्रिय है जैसे :- शिक्षा विभाग संगठन, जिला क्रीड़ा परिषद, ला थोलम्पिक संघ, नेहरू युवक केन्द्र, सरकारी विभाग, स्वयंसेवी एवं व्यावसायिक आदि।

सूली जनसंघ्या के लिए प्रत्येक जिले में स्थित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय मेरीरिक शिक्षा का उप जिला शिक्षा अधिकारी है जिसे विभागीय निर्देशों के आधार पर जा स्तर पर घटेकों कार्यक्रम आयोजित करने होते हैं। जिला कार्यालय के निम्नांकित यह है :—

१. अन्तर विद्यालयी सेलकूद प्रतियोगिताएं
२. प्रतियोगिता पूर्व तैयारी शिविरों का आयोजन
३. चयनित खिलाड़ियों के लिए खेल प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन
४. योग प्रशिक्षण शिविर
- ५.. राष्ट्रीय दिवस समारोहों पर सामुहिक स्वायाम प्रदर्शन
६. राष्ट्रीय शारीरिक स्वस्थता कार्यक्रम
७. शारीरिक शिक्षकों की संगोष्ठी, वर्कशोप एवं सेमिनार आदि
८. प्रचार एवं प्रसार कार्य
९. खेल-प्राणण विकास एवं सुधार कार्य

10. पारितोषिक, पुरम्भार ध्यवस्था एवं प्रोत्साहन कार्य

11. स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम आदि

12. प्रीप्रायकाश में सेल प्रशिक्षण कार्यक्रम

गैर स्कूली सोनों के लिए जिला स्तर पर सेल श्रीडामों की योजनाओं का तंचानी जिलाधीश की प्रध्यादाता में गठित निमिति 'जिला श्रीडा परिषद' के मार्गदर्शन एवं निर्देश के प्रनगर्त होता है। राज्य स्तर पर भाति प्रत्येक जिला स्तर पर विभिन्न नेटों संगठन, एमोसियेशन एवं कॉरेशन बने होते हैं जिनका एफिलियेशन एवं मान्यता एवं स्तरीय संघों से होती है। जिला श्रीडा परिषद के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैः—

1. भेल संगठनों को अनुशासन वितरित करना
2. जिसे में स्टेडियम, जिम्नेजियम एवं भेल प्रागणों का निर्माण एवं विकास करना
3. दैशी सेल स्पर्धामों के आयोजन
4. अच्छे विलाहियों को सम्मानित करना
5. राज्य श्रीडा परिषद से अनुदान प्राप्त करना
6. भेल संघों के माध्यम से जिला चैम्पियनशिप मम्पद कराना।
7. राज्य स्तर पर भेल टीमों को भाग दिलाना
8. जिला स्तर पर महिला एवं ग्रामीण भेल समारोहों के आयोजन करना

प्रत्येक जिले में जिला ओलम्पिक संघ भी बने होते हैं जो श्रीडा परिषद से समन्वय बनाये रखकर उपरोक्त कार्यों की क्रियान्विति से सहयोग देकर जिला स्पर्धामों एवं प्रशिक्षण शिविरों को सम्पन्न करते हैं। इसी के साथ-साथ ये संघ उच्च स्तरीय सेल स्पर्धामों के आयोजन का भार भी वहत करते हैं।

नेहरू युवक केन्द्रों की स्थापना प्रत्येक जिला मुख्यालय पर है। यह संस्थान भी ग्रामीण खेलों को प्रोत्साहित करने, ग्रामों में खेल प्रशिक्षणों का संचालन एवं खेलों के विकास का कार्य करती है। इसके साथ-साथ नेहरू युवक केन्द्र के समन्वयक अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य एवं मनोरंजन के कार्यक्रम गैर स्कूली युवा एवं प्रोडो के लिए भी आयोजित किये जाते हैं।

ऐसे सरकारी विभाग भी हैं जो अपने कार्मचारियों की खेल प्रतियोगिता एवं करते हैं और उनके लिए विभाग में सेल सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। अनेकों ऐसे रवयं सेवी एवं व्यावसायिक संगठन भी हैं जो शारीरिक शिक्षा, खेल और मनोरंजन के द्वेष में क्रियाशील हैं। इस प्रकार जिला स्तर पर संचालित योजनाओं से सम्बन्धित सगठनों, संस्थाओं विभागों एवं बलबों का अवलोकन तिम्न प्रकार किया जा सकता हैः—

(अ) स्कूली जनसंख्या के लिए क्रियाशील संगठन एवं घटक-

जिला शिक्षा अधिकारी, उप जिला शारीरिक शिक्षा अधिकारी, पर्यवेक्षक शाला श्रीडा संगम योजना, विद्यालयों के शारीरिक शिक्षक, प्रशिक्षक खेल प्रशिक्षण केन्द्र योजना, १०८ के प्रधान आदि।

(v) मैर स्कूली जनसंख्या के लिए क्रियाशील संगठन एवं घटक -

(I) सरकारी विभाग के घटक-जिलाधीश, जिला स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, अधिकारी याक विभाग, समन्वयक नेहरु युवक केन्द्र, संगीत एवं नाट्य विभाग, जन सम्पर्क अधिकारी एवं अन्य सरकारी विभाग आदि ।

(II) अधिं सरकारी घटक-जिला कीड़ा परिषद, जिला ओलम्पिक संघ, जिला सेलों के संघ, सेल प्रशिक्षण केन्द्र, नगरपालिका, नगर विकास न्याय, स्काउट एवं गाइड विभाग आदि ।

(III) स्वयं सेवी मंगठन-व्यायाम शालाएं एवं भराड़े, सेल बनब, योग प्रशिक्षण केन्द्र, रोटेरी एवं नाईन्म बनब, अन्य ममात्र सेवी एवं धार्मिक प्रतिष्ठान आदि ।

(IV) बोडी फिटनेस केन्द्र एवं पत्र पत्रिकायें आदि ।

कूली शिक्षा में शारीरिक एवं सेल विकास कार्यक्रम-

विद्यालय स्तर पर स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा एवं मेल-कीड़ा शिक्षण व्यवस्था कार्यक्रम एवं योजनाओं का संचालन विद्यालय प्रधान के मार्गदर्शन एवं निदेशानुसार होता है । जिसके सहयोगी के रूप में शारीरिक शिक्षक सहित अभ्यासक भी कार्य जरूरते हैं । इस प्रकार विभाग द्वारा निर्धारित पांचवर्षीय की दृष्टि से विद्यालयों में संचालित शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य और सेल-कीड़ा की योजनाओं एवं परियोजनाओं को विद्यालय उपलब्ध समयावधि के आधार पर निम्न प्रकार वर्णित किया जा सकता है :—

i) शारीरिक कौशल नैपुण्यता निर्देशन कार्यक्रम (विद्यालय समयान्तर्गत) -

क. शारीरिक स्वस्थता एवं क्षमता विकास के क्रियाकलापों का आयोजन

ख. शारीरिक गठन दोष निवारक कार्यक्रम

ग. सेल-कीड़ा कीशत शिक्षण एवं अभ्यास के कार्य

घ. विविध शारीरिक व्यायाम एवं मनोरंजन की प्रवृत्तियों का शिक्षण

ii) सेल कीड़ा अभ्यास कार्यक्रम (विद्यालय समय पश्चात) -

क. सांघकालीन सेल अभ्यास (वैकल्पिक)

ख. अन्तर सदन सेल स्पर्धायें (इन्ट्राम्यूरल)

ग. सेलों का गहन प्रशिक्षण

घ. अन्तर स्कूली सेल प्रतियोगितायें (एक्स्ट्राम्यूरल)

अ. मैत्री सेलों के आयोजन

घ. सामुहिक व्यायाम प्रदर्शन हेतु पूर्व तैयारी

iii) विशिष्ट परियोजनायें एवं समाचरोह -


क. राष्ट्रीय पवों का आयोजन

ख. स्पोर्ट्स सम्मेलन

ग. राष्ट्रीय शारीरिक स्वस्थता एवं कुशलता परीक्षण

- घ. विशिष्ट खेलों के बलयों की स्थापना
 ङ. सामुदायिक एवं स्वयं सेवी समाज-कार्य
 च. मनोरजनीय शिविर, हाइक, पिकनिक व शैक्षणिक यात्राएँ
 द्ध. मनोरंजन कार्यक्रमों का प्रबन्ध एवं आयोजन
 ज. शारीरिक शिक्षा एवं खेल-श्रीडा प्रदर्शनी
 झ. स्वास्थ्य परीक्षण, निरीक्षण एवं स्वास्थ्य सेवायें गुविधा आदि ।
- (iv) विद्यालयी स्वास्थ्य शिक्षण कार्यक्रम—
 (Schooley Health Education Program)
- (I) स्वास्थ्य निर्देशन (Health Instruction)
 - (II) स्वास्थ्य पर्यवेक्षण (Health Supervision)
 - (III) स्वास्थ्य सेवायें (Health Services)
- (1) स्वास्थ्य निर्देशन—शरीर रखना, शरीर किया विज्ञान का ज्ञान, व्यक्तिगत स्वास्थ्य, भोजन शास्त्र, रोग व्याधिया एवं उनके लक्षण, कारण व उपचार, प्रथमोपचार लैंगिक ज्ञान, जनसंख्या ज्ञान, पर्यावरण, प्रदूषण आदि ।
- (2) स्वास्थ्य पर्यवेक्षण—सफाई व स्वच्छता पर्यवेक्षण प्रकाश एवं वायु सुविधाएँ प्रसाधन सुविधायें, शूद्र पेयजल व्यवस्था, विद्यालयी जलपान, खेल प्रांगण स्वच्छता मनोरंजन कथा, वैज्ञानिक समय सारिणी, गृह-कार्य भार आदि ।
- (3) स्वास्थ्य सेवाएँ—वैद्यकीय परीक्षण, अनुबर्ती कार्य एवं मार्गदर्शन, स्वास्थ्य प्रपत्र भालेखन, प्रथमोपचार सेवा, टीका लगवाने की व्यवस्था, शारीरिक दोष नियारोक्त कार्य, शरीर पोषण सेवा, बाल-मार्गदर्शन केन्द्र स्थापना आदि ।

— विद्यालय स्तर पर गठित संगठन का स्वरूप —



शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन समिति का गठन —

विद्यालय प्रधान—

मार्गदर्शक प्रधान—

प्रत्येक शारीरिक शिक्षक—

पदेन भ्रष्ट्यक्ष

पदेन उपाध्यक्ष

पदेन सचिव

स्वास्थ्य विभाग प्रभारी-	सदस्य
सांस्कृतिक विभाग प्रभारी	सदस्य
विद्यार्थी परिषद के सेल कीड़ा, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक मंत्रीगण-	सदस्य
तीन प्रवीण अध्यापक गण-	मनोनीत सदस्य

विशिष्ट परियोजनाएँ एवं प्रदर्शन-

शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में खेत सम्मेलनों, व्यायाम प्रदर्शनों एवं विविध गति के खेलों में विभिन्न स्तर की प्रतियोगिताएँ परियोजनाओं के आयोजन का ऐप महत्व है। इनके आयोजन से समुदाय से सम्पर्क ही स्थापित नहीं होता, बल्कि उस्तर में वृद्धि, प्रसार, ऊचि जागरण एवं जन मनोरंजन भी होता है। इनकी सफलता भाग्यारह इनका विधिवत नियोजन, आयोजन, एवं संचालन के सिद्धान्तों एवं तकनीकों जान होना आवश्यक है। अतः इनके आयोजन में सामान्यतया कुछेक सिद्धान्तों को न में रखना चाहिए यथा—

- (क) शक्ति केन्द्रीकरण का सिद्धान्त
- (ब) कार्य विभाजन का सिद्धान्त
- (ग) उत्तरदायित्व एवं कर्त्तव्य सीमा स्पष्टीकरण का सिद्धान्त
- (घ) एकत्व, समन्वय एवं गमायोजन का सिद्धान्त
- (ङ) प्रजातांत्रिक व्यवहारों का मिद्धान्त
- (च) कुशल एवं योग्य नेतृत्व का सिद्धान्त
- (छ) साधन-सुविधाएँ संकलन का सिद्धान्त

व्यायाम प्रदर्शन समारोह—(PHYSICAL DISPLAY ORGANISTION)

विद्यालय के वालक वालिकाओं द्वारा विशिष्ट उत्सवों, दिवसों एवं कार्यक्रमों के पर पर व्यायाम प्रदर्शन समारोह व्यक्तिक अथवा सामुहिक रूप में आयोजित किये जाते। इनका प्रदर्शन वाद्य यंत्रों के साथ तालबद्ध व्यायाम द्वारा होता है। इस प्रकार के रोहों के आयोजन एवं संचालन पर निम्नांकित बातों को ध्यान में रखना चाहिये :—

1. प्रदर्शन रूपरेखा की भूवं रखना
2. निश्चित समय पर दैनिक अभ्यास
3. नायक एवं नियन्त्रक की नियुक्ति
4. प्रदर्शन के आरम्भ, अन्त, स्थान और समय का निर्धारण
5. प्रदर्शन की क्रियाओं में पारस्परिक समन्वय
6. प्रदर्शन सामग्री व उपकरण लाने व लेजाने की स्थितियाँ
7. विशिष्ट वेषभूषा, संगीत की धून एवं वाद्य यंत्रों का प्रबन्ध
8. सही आदेश एवं निर्देशन तथा प्रांगण चिन्हाकन
9. लाउडस्पीकर, विद्युत एवं जल की व्यवस्था
10. जलपान, प्रथमोचार तथा आकस्मिक घटना के प्रति सतकंता

11. यातायात, आवागमन, प्रचार एवं प्रसार
12. पुरस्कार एवं प्रेरणायें आदि

समारोह के प्रमुख संगठन कर्ता को समारोह की व्यापकता एवं स्वरूप को ही द्वितीय रूपकर कार्य वितरण की दृष्टि से विविध प्रकार की समितियाँ बनानी चाहिए। वै

(क) प्रशासन एवं प्रबन्ध समिति

। ।

(ख) कार्यक्रम संचालन समिति

(ग) विविध कार्य सम्बन्धी उपसमितियाँ

(ii) खेल क्रीड़ा सम्मेलन (SPORTS MEET ORGANISATION)

शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र दिन प्रतिदिन विस्तृत और महत्वपूर्ण होता जा रहा है। विविध प्रकार की स्पर्धाओं का आयोजन यहाँ जा रहा है। ये कार्यक्रम हितकर एवं उपयोगी बनाने के लिए उनके संगठन तथा संचालन का पूर्ण ज्ञान चाहिए है। क्रीड़ा सम्मेलन भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें आवश्यक व्यवस्थायें एवं सुचारू रूप में उसके संचालन पर विचार करना शारीरिक शिक्षक के लिए आवश्यक है।

क्रीड़ा सम्मेलन आयोजित करने में जो विविध तकनीकी व्यवस्थायें करनी पड़ती हैं उन्हें प्रमुखतया निम्नांकित तीन भागों में विभक्त कर विचार करना चाहिए।

(क) क्रीड़ा सम्मेलन समारोह पूर्व व्यवस्थाएं (Pre-arrangements)

(ख) समारोह दिवस की व्यवस्थाएं (Meet-day-arrangements)

(ग) समारोह समापन पश्चात कार्योंतर व्यवस्था (After-arrangements)

(क) पूर्व व्यवस्था (PRE-ARRANGEMENT)

समारोह के आयोजन कर्ता को क्रीड़ा सम्मेलन प्रारम्भ होने के देश-दो माह पार्षद्वारा दिए गए बुलानी चाहिए तथा उसमें उपयोगी व्यक्ति भी नियमित रिक्विजिट जावे। बैठक में निम्नांकित आवश्यक विनियोगों पर विचार विसर्जन करके प्रतियोगिता पूर्ण निर्णय लेने जरूरी है :-

1. क्रीड़ा सम्मेलन का प्रकार एवं स्वरूप
2. संभागी स्पर्धाओं की सम्भावी संख्या
3. स्पर्धाओं के विविध गेल एवं नियमों पर विचार
4. क्रीड़ा सम्मेलन आयोजन नियम, एवं स्थल का निर्धारण
5. प्रवेश पत्र गुल्म की अन्तिम नियम
6. गेल अधिकारियों की योग्यतानुष्ठान उनकी नियुक्तियों पर विचार
7. सम्मेलन दिवस का त्रस्तवद वायरल
8. दर्यं व्यवस्था, धारा पार धारा के नियम
9. धारारेत्र गायन त्रिविधायें एवं उपराज्य गवालन
10. उपस्थान, एवं गमान गमारोह के नियम अनियम व्यवस्था

11. निमन्त्रित सम्मानित व्यक्तियों को सूची

12. प्रचार-प्रसार एवं विज्ञापन

13. समितियों एवं उप समितियों का गठन आदि

इस प्रकार कार्यकारिणी की बैठक में उपरोक्त समस्त विन्दुओं एवं अन्य महत्व-पूर्ण बातों पर विचार करके तथा तदानुसार लिये गये निर्णयों के आधार पर क्रीड़ा सम्मेलन महा सचिव एवं अन्य समितियों के संयोजक एवं सचिवों के द्वारा शीघ्र ही प्रतियोगिता मार्गेह की व्यवस्था के प्रारम्भिक प्रयत्न चालू कर दिये जाते हैं यथा—

1. निमन्त्रण, प्रवेश पत्र, आवेदन पत्र और कार्यक्रम-क्रमाली विज्ञापन आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन

2. मुख्य अतिथियों से स्वीकृति प्राप्ति

3. विद्युतीय इच्छन-क्षेत्र, छाया-चित्राकान, बैण्ड आदि की व्यवस्थायें

4. स्वयं सेवक व अधिकारी वैज्ञों का मुद्रण

5. वांछित साधन-सुविधाओं उपकरणों आदि का संकलन, निर्माण एवं सुधार कार्य

6. प्रवेश द्वारा शुल्क रखने की प्रशासनिक अनुमति

7. अनुशासन हेतु आरक्षकों की व्यवस्थाएं

8. निमन्त्रण पत्र भेजने के कार्य

9. वांछित महत्वपूर्ण पत्र व्यवहार

10. कार्यालय व्यवस्था

इस प्रकार बैठक में निर्णित सभी बातों को सम्मेलन पूर्व ही पूरा करने का गर्या प्रारम्भ कर देना चाहिए जिससे सम्मेलन के दिन सारा कार्यक्रम व्यस्थित रूप से हो सके क्योंकि यह कहावत सत्यार्थ है कि “PLAN THE WORK AND WORK THE PLAN” अर्थात् पूर्व विचारों और फिर कार्य आरम्भ करो, क्योंकि बिना पूर्व विचारे कोई कार्य सफल नहीं होता है।

ख) सम्मेलन दिवस की व्यवस्थाएं (MEET-DAY PREPARATION)

पूर्व व्यवस्था एवं तैयारी का मारा कार्य पूरा होने पर सम्मेलन दिवस की व्यवस्था कार्य निम्न प्रकार है :—

1. खेज प्रारंभण, धावनपथ, व्यायामगृह ये तरणताल की व्यवस्थित माज मज्जा

2. स्पर्धाओं से सम्बद्ध सामग्री एवं उपकरणों वौं व्यवस्थायें

3. अतिथि तथा दर्शकों आदि की पृथक-पृथक बैठने की व्यवस्था

4. प्रसाधन एवं शुद्ध पेय जल आदि की व्यवस्था

5. अल्पाहार एवं जलपान की व्यवस्था

6. प्रथमोचार व्यवस्था

7. कार्यक्रम-क्रमाली के वितरण की व्यवस्था

8. अनुशासनबद्ध कार्यक्रम संचालन व्यवस्था

9 पारितोषिक वितरण व्यवस्था

10. उदघाटन एवं समापन कार्यक्रम को परम्परागत व्यवस्थाएं आदि

यस्तुतः सम्मेलन दिवस की सफलता के लिए प्रारम्भ से लेकर इंत तक संचालकों एवं गठित उपसमितियों के सचिवों के सदस्यों व स्वयं सेवकों आदि को योजनावद् कार्यक्रम के संचालन एवं समय पालन की ममूरण चेष्टायें बरनी चाहिए। सम्मेलन दिवस कार्यक्रम के अन्त में यह भी आवश्यक है कि निर्मित भवितिगण आये हुए दर्शकों तथा क्रीड़ा सम्मेलन के संचालकों के प्रति आभार प्रदर्शन करना चाहिए। साथ ही प्रधान पद को सुशोभित करने वाले प्रथवा पुरस्कार वितरित करने वाले व्यक्ति के लिए विशेष रूप से कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त विभिन्न सहयोगी संस्थाओं जैसे :-आरक्षक विभाग, नगरपालिका, विद्युत विभाग के प्रति भी कृतज्ञता प्रदर्शन करना आवश्यक है, जिससे भविष्य में सबका सहयोग प्राप्त होता रहे।

सम्मेलन समापन बाद व्यवस्था (AFTER MEET ARRANGEMENT)

मुख्य कार्य पूरा हो जाने पर स्वभावतः कार्यकर्ताओं में शिखिलता आ जाती है। उनका उत्साह भी जो पहले था वैसा नहीं रहता। सचिव को ऐसी स्थिति नहीं आने देनी चाहिए तथा निम्नांकित आवश्यक कार्य तत्परता के साथ करने चाहिए :-

1. सम्मेलन हेतु प्राप्त गामगी एवं उपकरण आदि वापिस सम्बन्धित को घन्यवादि पत्र सहित पहुंचाना।
2. समस्त सहयोगी संगठनों, सहायक व्यक्तियों एवं संस्थाओं और विभागों को लिखित रूप में कृतज्ञता प्रकट करना।
3. पुनः कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाकर सम्मेलन की सफलता, असफलता, वृद्धियोग्यता एवं विचार करना।
4. विजेताओं से चलत शीलडों एवं पुरस्कारों के प्राप्ति पत्र लेना।
5. समस्त भाष्य-व्यय के लेखे-जॉके पुरे करना आदि।

इस प्रकार विचार पूर्वक सविवेक और योजनावद् किये गये किमी भी कार्य में सफलता स्वाभाविक है क्योंकि पूर्व नियोजित एवं पूर्व विचारित कार्य सदैव सरलता से प्राप्तिकरण एवं संचालित होते हैं।

(iii) सीमांतर्गत क्रीड़ा प्रतियोगिता कार्यक्रम ,

(INTRAMURAL-PROGRAM)

लैंटिन भाषा के शब्द इन्ट्राम्यूरल से तात्पर्य विद्यालयी चार दीवारी ग्राथवा सीमा भीतर किये गये छेल-क्रीड़ा कार्यक्रमों से हैं। ये सेलों के विकास के लिए यह एक ऐसी प्रणाली है जिसका विशेष महत्व है। इसका सीधा और स्पष्ट लक्ष्य इस प्रकार है :-

- (1) Sports for all & All for sports.
- (2) Catch them young & coach them right.
- (3) Mass Participation.

सभी उम्रत राष्ट्रों में शारीरिक शिक्षण और खेल विकास की दृष्टि से इन्डोम्यूरल उपयोगिता को सरोहा गया है क्योंकि यह एक पूरे साल सत्र-पर्यन्त चलने वाला क्रम है। जिसमें विद्यालय के समस्त बालक बालिकाओं को भाग दिलाकर निम्नांकित एवं उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है :—

1. क्रीड़ा कौशल की अभिवृद्धि ।
2. समस्त का मन्थागति
3. अन्तर स्वूच्छी प्रतियोगिता की पूर्व तैयारी
4. विविध खेलों के नियमों का ज्ञानार्जन
5. खेलों में दैनिक अभ्यास एवं लगन का विकास
6. अवकाश के भवय का सढुपयोग
7. आनन्द एवं आभोद-प्रमोद
8. मावी जीवन तथा खेल वृत्ति का निर्माण
9. नवीन प्रतिभाओं की अभिव्यक्ति
10. कम आय-व्यय में अधिकतम लाभ
11. सहकार्य, सहयोग एवं सामुदायिक भावना का विकास
12. स्पर्धा, भारत पुरस्कार एवं खिलाड़ी-वृत्ति की संतुष्टी
13. शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता
14. अच्छे खिलाड़ियों के चयन में सरलता

न्ध एवं व्यवस्था सम्बन्धित आवश्यक तत्व—

(अ) सचालन समिति का गठन —

विद्यालय का शारीरिक शिक्षक इस कार्यक्रम का प्रमुख संगठन-कर्ता होता है, उसी सहायताथै एक सचालन समिति होती है जिसमें निम्न प्रकार में अधिकारी एवं स्पष्ट होते हैं—

अध्यक्ष	- विद्यालय प्रधान
उपाध्यक्ष	- चरिष्ठतम शारीरिक शिक्षक
सचिव	- दलीय कप्तानों द्वारा चयनित छात्र
संयुक्त सचिव	- दलीय कप्तानों द्वारा चयनित छात्र
कोपाध्यक्ष	- विद्यालय का अध्यापक अथवा लेखा लिपिक
सदस्य	- प्रत्येक भदन के छात्र नायक

(ब) हाऊस अथवा सदन प्रणाली के गठन के आधार—

1. आवासीय विग के आधार पर निमित सदनों की व्यवस्था
2. मिश्रित कक्षा प्रणाली के आधार पर सदनों का गठन
3. विशिष्ट संकायों के आधार पर सदनों का गठन
4. आवासीय शहरी गृह शोन की भौगोलिक स्थिति के आधार पर सदनों का गठन

मुविधानुगार पाहे किसी भी प्राचार धर्यवा प्रणाली से उपरोक्तानुसार सत्तों^८ गठन किया जा सकता है। गठनों के गठन वर्ती में शारीरिक शिक्षक से दृढ़ गहृत्यपूर्ण यातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। जैसे :-

1. सत्र के प्रारम्भ में गठनों वा गठन किया जाए
2. कम से कम तीन या चार गठन-संघर्ष रखी जाय
3. सदन के गठन में धायु, भारतपा ऊंचाई के अनुगार बग्गीकरण का नियम लागू किया जाये
4. प्रत्येक सदन में प्रत्येक गेल के तुश्नन शिलाइयों को समान संध्या में रखा जाये जिससे स्पर्धायें आकर्षक हो गके ।
5. प्रत्येक सदन में गीनियर, जूनियर एवं राय-जूनियर वर्ग की समूह रखना की जैससे समस्त हम उभी शिलाइयों में परस्पर भाग ले सके ।
6. प्रत्येक समूह-वर्ग में एक गेल की एक धर्यवा इससे धर्यिक टीमें बनाई जावें ।
7. प्रत्येक सदन के प्रमुख, गम्भीरों के नायक एवं गेलदलों के कप्तान बनाये जावें ।
8. प्रत्येक सदन का नामकरण रखा जावे ।

(स) कार्यक्रम का समय निर्धारण-

इन्द्रामूर्ति कार्यक्रम का समय स्वतंत्र शारीरिक शिक्षा निवेशन कालाशो से प्रकार रहता है। समय निर्धारण से विद्यालय में संचालित शिक्षण कार्यक्रम को धारा न हो तरह अधिकतम ध्यान भाग ले सकें इस दृष्टि से निम्न वर्णित समय रखा जा सकता है :—

- | | |
|---------------|--|
| 1. संध्या समय | - विद्यालय समय पश्चात सप्ताह के कोई एक दो दिनों में समय सारणी के अन्तिम दो काला कम करके आयोजन करना । |
| 2. दोपहर समय | - श्रीतकाल में मध्यावधि अवकाश पश्चात सप्ताह कोई एक दिन अथवा शनिवार को आयोजित करना । |
| 3. रात्रि समय | - विद्युतीय प्रकाश में इण्डोर खेल स्पर्धाओं का आयोजन करना । |

(द) नियमावली विवरणिका का मुद्रण—

इसमें सीमान्तर्गत कीड़ा कार्यक्रम के खेलों का विवरण उनका संचालन कार्यक्रम आवश्यक प्रतिवाद तथा खेल के नियम एवं अनुशासन ममितियों का गठन आदि व्यवस्थाएँ का उल्लेख होता चाहिए ।

(च) अन्य व्यवस्थायें—

अधिकारियों की नियुक्ति करना, विद्यायियों को समस्त कार्य भार मोपना, सूचना एवं प्रसार, खेल प्रांगण तंयारी, सफाई एवं स्वच्छता आदि तथ्यों पर ध्यान देना भी जरूरी है। खेलों का आयोजन एवं उनके परिणाम निर्धारित अंक प्रणाली यथा 3 : 2 : 1 आधार पर आयोजित किए जाएं ।

(छ) पारितोषिक व्यवस्था:-

उपर्युक्त पुरस्कार की व्यवस्था हो। पुरस्कार अधिक मूल्यवान न हो, वह धन के रूप में न दिया जाय। पुरस्कार को वस्तु उपयोगी हो तथा उसके साथ प्रमाण-पत्र दिये जावें। अधिकतम छात्रों को पुरस्कार दिये जावें। इससे उनमें उत्साह, प्रेरणा व रूचि का विकास होता है। पुरस्कार के विभिन्न तरीके जैसे सम्मान पट पर नाम लिखना, विद्यालय हाल में छायाचित्र लगाना, चलतशील्ड, कप प्रधवा ध्वज प्रदान करना तथा प्रमान मूचक बैंज देने आदि की क्रियाएँ भी अपना सकते हैं।

(ज) समुदाय सम्बन्ध स्थापना:-

समय-समय पर कार्यक्रम आयोजन के ध्वन्तर पर अभिभावकों को बुलाकर उनसे खलाफियों को सम्मानित कराना चाहिए तथा प्रेरणा के दो शब्द उच्चारित करानी चाहिए। शहर अधवा गांव के सम्मानित व्यक्तियों को भी बुलाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

वस्त्यासार्थ प्रश्न :-

- . Suggest a model effective organisation pattern of Physical Education for a democratic Republic like India.
- . Describe present organisation set up of Physical Education in your state. What improvement would you suggest ?
- . Prepare a Scheme of organisation of Physical Education for a Block Education Officer in your Tehsil.
- . यदि भाष्यको किसी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का सचिव नियुक्त किया जाता है तो भाष्य प्रतियोगिता का संचालन सफलता पूर्वक कैसे करेंगे ?
- . राजस्थान में जिता कीड़ा परिषद के संगठन एवं कायों की भालोबनात्मक व्याख्या कीजिये ।
- . भाष्य अपने विद्यालय में शारीरिक शिक्षा के मंगठन हेतु योजना तैयार करिये एवं इसमें निहित उत्तरदायित्वों को संधिष्ठ में भग्नभाद्ये ।
- . किसी नगर के सामुदायिक केन्द्र में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का मंगठन किस प्रकार करेंगे ?
- . विद्यालयी नेल-कीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन कैसे करेंगे ? तथा इसकी उपादेयता पर अपने विचार प्रदान करें ।

4 शारीरिक शिक्षा और खेल-क्रीड़ा : मैदानी क्षेत्र संसाधन एवं सुविधाएं-

अध्ययन विन्दु :-

○ प्रस्तावना

- संसाधन-सुविधाओं से अभिप्राय, महत्व एवं उनके प्रकार
- मैदानी खेल-क्रीड़ा क्षेत्र और उनका नियोजन
- धावन-परिपथ का अभिन्यास एवं निर्माण
- क्रीड़ा-समारोह संचालन अधिकारी एवं उपकरण
- विभिन्न खेल-प्रांगणों के माप एवं बनावट

प्रस्तावना-

शारीरिक शिक्षा, खेल-क्रीड़ा और मनोरंजन के क्रियाकलाप जहाँ एक और अप्रत्यक्ष (Indirect) रूप से बालक के सर्वांगीण विकास के तथ्य में शिक्षा के सहयोगी उपादान के रूप में कार्य करते हैं, वहा दूसरी ओर वे सीधे (Direct) रूप में व्यक्ति में स्वास्थ्य, शारीरिक सामर्थ्यता, स्नायु-मांसपेशीय कोशल-नेपुण्यता, संवेगात्मक नियन्त्रण और उसके सामाजिक, नैतिक एवं चारित्रिक विकास के पहलुओं को ऊंचा उठाकर राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन यह उसी हाल में सम्भव है, जब कि इस विषय के कार्यक्रमों के सुरक्षात्मन के लिए समाज और विद्यालयों में आवश्यक भौतिक एवं मानवीय साधन-सुविधाओं उपलब्ध हों। समाज और प्रशासन द्वारा नगरो, शहरो और ग्रामों में आवश्यक सुलो जगह घोड़कर उन पर पांक, बाल-क्रीड़ा घाटिकाएं एवं खेल के मैदान बनाये जायें, जिससे घने बसे हुए मोहल्लों के लोगों को सुलो हवा में गांस लेने के साथ-गाथ बाल एवं युवा यिलाहियों को खेल सेतने के पर्याप्त स्थान मिल सकें।

इसी उद्देश्य में मन 1966 में घोषित मारतीय खेल परिषद द्वारा निर्मित समिति ने एक योजना प्रस्तुत की थी जिसके तहन भारत सरकार ने भौजुदा देल के मैदानों वा और गुप्तार बरने पर बस दिया था तथा नये खेल मैदानों के निए भूमि प्राप्त करे

न पर खेल मैदान क्षेत्रों (Sports Complexes) के विकास के उपाय एवं सुभाव प्रस्तुत होते हुए प्रभावी अनुशंसायें राज्य सरकारों एवं खेल-क्रीड़ा परिषदों को भेजी गई थीं ताकि वे अपने स्तर पर शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल-क्रीड़ा और मनोरंजन के क्षेत्र में पर्याप्त साधन एवं सुविधायें सामाजिक एवं शैक्षणिक संगठनों एवं आम नागरिकों के लिए प्रलब्ध करा सकें। इन अनुशंसाओं एवं सुभावों का सारांश निम्न प्रकार है :—

1. राज्य सरकारों नगरपालिकाओं, नगर परिषदों एवं नगरविकास विभाग आदि विभागों संस्थाओं द्वारा खेलों के लिए उपलब्ध स्थान और सुविधाओं के विवरण सहित ची तैयार करवायें।

2. खेल मैदानों के अंतरिक्त मनोरंजन स्थलों की पर्याप्त स्थिति का मूल्यांकन किया जावे और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए भूमि की प्राप्ति और उनके मुधार करने का यांकन बनाये जावें।

3. स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा समाज में स्थित स्वयं सेवी संस्थाओं एवं मितियों को शारीरिक शिक्षा, खेल क्रीड़ा और मनोरंजन की गतिविधियों के विकास लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराकर सहयोग प्रदान किये जावें।

4. राज्य प्रशासन के शिक्षा अधिकारी इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करें कि के क्षेत्र में प्राथमिक, माध्यमिक और उससे आगे की शिक्षा व्यवस्था में खेल-क्रीड़ा मनोरंजन और शारीरिक प्रशिक्षण की पर्याप्त सुविधायें शामिल हों।

5. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार बाल-क्रीड़ा वाटिकाएं, सामुदायिक और मनोरंजन केन्द्र, एथलेटिक परिषद, विशिष्ट क्रीड़ा क्षेत्र, बहु-प्रयोजनीय खेल तथा मनोरंजन स्थल और उनसे सम्बन्धित व्यवस्थाएं विकसित की जावें।

6. शारीरिक प्रशिक्षण, खेल-क्रीड़ा और मनोरंजन के लिए संसाधन एवं सुविधाओं उपलब्ध, उनकी सुरक्षा एवं रख-रखाव के लिए राज्य सरकारों द्वारा कानून बनाये जावें।


7. अच्छे, सौन्दर्यपूर्ण एवं तबनीकी इष्ट से उपयोगी खेल मैदानों को विकसित के लिए योजनावली नवीन बनाकर परियोजना की कियान्विति की जावें।

उपरोक्त अनुशंसाओं एवं सुभावों को कार्य हृप में परिवर्तित करने के लिए केन्द्र गर अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में आवश्यक राशि वित्तीय सहायता देने के लिए रखती है इस अनुदान योजना के कार्यान्वयन का दायित्व राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेल इन समिति (SNIPES) को संभाल रखा है। इसके द्वारा प्रतिवर्ष वित्तीय सत्र के प्रारम्भ मादेश एवं परिषद इस क्षेत्र में कार्यरत समस्त संस्थाओं, संगठनों एवं राज्य सरकारों भेजकर प्रस्ताव मांगे जाते हैं। प्राप्त प्रस्तावों पर इस समिति (SNIPES) की अनुशंसा पार केन्द्र सरकार वित्तीय अनुदान प्रदान करती है। इस प्रकार हमारी राष्ट्रीय पर्षीय योजनाओं में खेल मैदान-क्षेत्रों एवं मनोरंजन के संसाधन और यु.व.

विकसित करने का प्रावधान रहता है। जिसके आधार पर भाज अनेकों शहरों और नगरों में यहु-प्रयोजनीय सेल मैदान द्वारा विकसित किये जा रहे हैं।

— यहु-प्रयोजनीय सेल-क्रीड़ा स्थल योजना —

(SPORTS COMPLEX PLANNING)



संसाधन सुविधाओं से अभिप्राय, महत्व एवं उनके प्रकार-

शारीरिक शिक्षा की बार्यें योजना के निष्पादन भीर दिकास तथा उनमें से विविध क्रिया-कलाओं के शिक्षण, पठन-पाठन एवं कार्यान्वयन के लिये जिन उपकरणों एवं सामग्रियों को प्रयोग में लिया जाता है, उन्हें शारीरिक शिक्षा के संसाधन बहते हैं।

इन सुविधाओं का अपने भाष में बहुत बड़ा महत्व है। इनसे कौशल शिक्षण का बातावरण बनता है। बालकों की रुचि में बुद्धि होती है। अध्यापक की कार्य धमता बढ़ती है। कौशल शिक्षण में सरलता भाती है। शिक्षण में प्रभावी पद्धतियों का उपयोग होता है। इस प्रकार कार्यक्रम की सफलता एवं संचालन का आधार हो ये साधन सुविधाएं हैं जिससे कार्य में एक व्यवस्था बनी रहती है। सेवक का स्वयं का ऐसा मानना है कि— Facilities in the school are the base by which physical and sports activities are conducted well, organised well and supervised well for getting the aim of total development of child's personality.

आरीरिक शिक्षा में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों एवं फिया-कलापों के आयोजन एवं संचालन में जिन साधन-सुविधाओं को आवश्यकता है, चाहे वह भौतिक हो अथवा मानवीय उन सबको निम्न प्रकार उल्लेखित किया गया है :—

1. खेल प्रांगण (Play fields)
2. धावन परिपथ (Running Track)
3. व्यायामगृह (Gymnasium)
4. तरण-ताल (Swimming Pool)
5. क्रीड़ा उपकरण एवं सामग्री (Sports Apparatus & Equipments)
6. पुस्तकालय (Library)
7. प्रयोगशाला (Laboratory)
8. कक्षा-गृह (Class-Rooms)
9. शिक्षण सामग्री (Teaching Aids)
10. कार्यालय एवं भण्डार (Office & Store)
11. प्रशिक्षित अध्यापक एवं नेतृत्व (Trained staff & Leadership)

उपरोक्त समस्त संमाधन एवं सुविधाएं तकनीकी दृष्टि से अपनी कुछेक विशिष्टताएं रखते हैं। अतः इनके गही स्वरूप योग्यता, मापदण्ड, बनावट और देखरेख की दृष्टि से इनकी विधिवत जानकारी होना आवश्यक है।

मैदानी खेल-क्रीड़ा क्षेत्र और उनका नियोजन-

विद्यालयों में बालकों के स्वास्थ्य एवं मनोरंजन के लिये खेल-क्रीड़ा प्रांगण सुविधायें उपलब्ध कराना और उनका सही ढंग से विधिवत नियोजन करना विद्यालयी संगठन एवं प्रशासन का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। अतः इसके नियोजन में जिन प्रमुख विन्दुओं को ध्यान में रखकर मैदानी खेल-क्षेत्र एवं खेल-प्रांगणों के विकास की क्रियान्विति की जाती है, वे इस प्रकार है :—

- (क) मैदानों की आवश्यकता और चयन (Need & Selection)
- (ख) बनावट, देख-रेख एवं रख रखाव (Construction &

- (ग) अभिन्यास, मापारूप एवं चिन्हांकन (Laying out, Measuring & Marking)
 (घ) यहु उद्देशीय उपयोगी खेल प्रांगण (Multipurpose play Fields)

(क) मैदानों की आवश्यकता और चयन (Need & Selection of PlayFields) —

विद्यालय में शारीरिक शिक्षा के विविध प्रकार के खेलों के लिये बृहद खुले मैदानों को होता होना जरूरी है। यह कैसा हो ? किस आकार का हो ? इसके जानने के पूर्व यह जरूरी है कि विभिन्न प्रकार के खेलों की इटिंग से किस-किस प्रकार के मैदान की आवश्यकता है ? इन मौकों का नियोजन करने से पूर्व निम्नांकित विन्दुओं को ध्यान में रखना चाहिये —

1. मैदानी खेल प्रांगण क्षेत्र (Field games Area)
2. पर्वके कक्ष का खेल क्षेत्र (Court games Area)
3. धावनपथ-क्षेत्र (Track & Field Area)
4. बहु-उद्देशीय खेल क्षेत्र (Multiple-Use played Area)
5. बाल-कीड़ा बाटिका क्षेत्र (Children Park played Area)

उपरोक्त क्षेत्रों के पृथक-पृथक निर्माण की योजना बनाने तथा अच्छे मैदान उपलब्ध कराने और उनके भावी विकास करने आदि तथ्यों के लिये कुछेक्षण ऐसे प्रभावी विन्दु हैं, जिन पर तकनीकी इटिंग से चर्चा करना जरूरी होगा जैसे—

(1) मैदानी क्षेत्र का माप (Size) —

किसी भी संस्थान के लिये कितने खुले मैदानी क्षेत्र की आवश्यकता है यह विद्यालय स्तर, प्रकार एवं शिक्षण पाठ्यक्रम योजना तथा छात्र संख्या पर निर्भर करता है। इस विषय में केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन परामर्श बोर्ड ने निम्नांकित अनुशासनों एवं मापदण्ड निर्धारित किये हैं :—

(अ) प्राथमिक विद्यालय के लिये	100 से 200 वर्ग फुट प्रति छात्र
(ब) उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिये	100 से 200 „ „ „ „
(ग) माध्यमिक विद्यालय के लिये	250 से 500 „ „ „ „
(द) महाविद्यालय के लिये	500 से 1000 „ „ „ „

तेजरूद विषयक तदर्थं जान मिशनी (दा. देशमुख मिशनी) ने शारीरिक शिक्षा पर प्रकाशित घण्टी रिपोर्ट में विषय विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विभिन्न स्तर के सूखों के लिये पर्याप्त खेल के मैदान होने की आवश्यकता पर धूल देते हुए निश्चाल संस्थान के स्तर अनुसार महाविद्यालय के पास कम से कम 10 एकड़ भूमि एक हाई स्कूल के पास कम से कम 3.5 एकड़ भूमि और प्राथमिक विद्यालय के पास कम से कम एक एकड़ भूमि ही निष्पत्ति हो है। यूंकि प्रत्येक विद्यालय के पास इस प्रकार उपयुक्त खेल के मैदान नहीं हैं तो इन विद्यालयों के नजदीक मध्यमे ऐसे बहु-प्रयोगी योग्य मंडप (Multipurpose

ports complex) विकसित करने का सुझाव भी दिया गया है जिनका समस्त विद्यालयों रा मिलकर उपयोग किया जा सके ।

१) मैदानी दोत्र का आकार (Shape)-

आकार की इटि से आयताकार भूमि-दोत्र सर्वथेष्ठ रहता है लेकिन वह एकदम ची पट्टी के आकार का भी नहीं होना चाहिये । अल्कि इस प्रकार से चौरस शक्ल में आयताकार अथवा वर्गाकार हो जिसमें विभिन्न प्रकार के खेल-दोत्रों के प्रांगण पूर्यक-पूर्यक होये जा सके ।

२) मैदानी दोत्र की स्थिति (Location)-

खेल के मैदान विद्यालय के समीप ही सुविधाजनक रहते हैं । ऐसा होने पर उनकी -रेख, विकास एवं निर्माण कार्यों को गति मिलती है । बालकों के आने-जाने में सुविधा भी है । कार्यक्रम के आयोजन, संचालन एवं नियन्त्रण में सफलता रहती है । इस प्रकार प्रांगण विद्यालय के समीप होने से उनका अधिकतम उपयोग बालकों द्वारा किया जा सकता है ।

३) मैदानी दोत्र की स्थिति सुन्दर होना भी आवश्यक है । मैदान के आस-पास वातावरण अच्छा होना चाहिये । उसमें पेयजल की पर्याप्त सुविधा हो । मैदान वातावरण स्वास्थ्यवर्धक हो । बायु, ध्वनि आदि से प्रदूषण रहित हो । मैदान के उपर भारी एवं तीव्र गति के वाहनों का आवागमन न हो, वरना कभी भी कोई घटना सकती है । इसी प्रकार मैदान के मध्य कोई पगड़ी अथवा सड़क न हो तथा नदी-नालों के कटावों से सुरक्षित हो । बालकों की सुरक्षा एवं स्थास्थि की इटि से व यातों पर योजना बनाने से पूर्व विचारणीय आवश्यक है ।

४) मैदानी दोत्र की सतह (Surface)-

सतह की इटि से खेल प्रांगणों के लिये भूमि-दोत्र समलत होना चाहिये । उसमें मिट्टी जमी ढूँढ़ी हो, जिससे उस पर हरी धातु लगाई जा सके । मगह में दरारें डै-यादड़, भाङ्ह-भंकार व पत्थर आदि न हों । बालू रेत अथवा उड़ने वाली पून-करणों की सतह भी हानिकर है । सतह ऐसी हो जिस पर कम धर्म यक से अधिक खेल प्रांगणों का निर्माण किया जा सके । सारांश में हम कह सकते हैं शानी योग-दोत्र की सतह अधिक कठोर न होकर कुछ नरम, धकावट एवं किसान टिकाऊ प्रीर रथ-रथाव की इटि से कम धर्मीली होनी चाहिये ।

५) मैदानी दोत्र की सुरक्षा (Safety)-

बालक के शिराण एवं ध्वनित्व तिर्माण यी इटि से यह बहावत सही है कि मैदान गुलो पाठशालायें हैं, जहाँ पर बालक खेलों में भाग लेकर झँझँ बा उतरता है । इस विषय में हमारे बालप्रिय धाचा नेहरू एवं भारत

मंत्री के महत्वपूर्ण शब्द जो अनियन्त्र निर्माण के लिए है, आज भी उनकी मूँज तुम्हें दे रही है।

"गेलों तो ऐसे गेलों, कि खेल पढ़ाई बन जाए,
पड़ों तो ऐसे पड़ों, कि पढ़ाई खेल बन जाए।"

यह देयने में आया है कि बालक स्वभावतया चंचल होते हैं, खेल प्रांगणों उद्यन्पूद और दोड़-धूप मचाना उनकी नैसर्गिक प्रवृत्ति है, ऐसी स्थिति में उनके जीवन की सुरक्षा पर विचार करना जरूरी है। अतः खेलों के लिए मैदान का चयन नदी, नाव, कुओं, तालावों, झील व झरनों से दूर ही करना चाहिये। खेल मैदान के पास सड़क भारी बाहनों का आवागमन भी जीवन के लिए धूतरा पैदा कर सकते हैं। इसी प्रकार बालकों के जीवन एवं स्वास्थ्य रक्षा के लिए आवागमन तथा कारबानों के ध्वनि एवं वाय प्रदूषण से सुरक्षा बाढ़ित है।

(ख) खेल मैदानों की बनावट, देखरेख एवं रखरखाव-

खेल प्रांगणों की विद्यालय में समीपता, उनका आकार, स्थिति एवं दीवार जिस प्रकार आवश्यक तत्व हैं उसी प्रकार खेल प्रांगणों की बनावट, देख-रेख एवं रखरखाव पर भी ध्यान देना जरूरी है, जिससे उनका अधिकात्म उपयोग हो सके, वे एवं आकर्षक दिखाई दे सकें। खेल प्रांगणों की अच्छी बनावट, देख-रेख व रख-रखाव के प्रश्नात्मक, प्रबन्ध एवं पर्यावरण पर निर्भर करती है।

शारीरिक शिक्षा शास्त्री जे. एक विलियम एण्ड ब्राउनेल के कथनानुसार Efficient play-ground administration programme result in the scien^t blending of facilities, programme, leadership and equipments.

स्कूल के साथ सुन्दर एवं आकर्षक खेल-प्रांगणों की आवश्यकता और उर्गीन पोशाकी में खेलते हुए बालकों के दृश्य को थी पी.एम. जोसेफ (P. M. Jose) ने अपने सुन्दर भावों में स्कूली खेल के प्रांगणों को दुल्हे के सेहरे के समान संज्ञा है—“School is a place for study & play grounds programmes are fit to education.”

अतः विद्यालय में खेल प्रांगणों की उपयोगिता एवं महत्ता की देखते हुए उन सुनियोजित बनावट एवं देख-रेख आदि के लिए निम्नांकित बातों को ध्विष्ट रख होगा।

(1) सतह बनावट-(Surface Construction)

सतह की दृष्टि से दो प्रकार के मैदान प्रमुखतया पाये जाते हैं—एक बठोर अथवा नगतह थाले, दूसरे हरी पाया बले। चाहे किसी भी प्रकार की सतह हो उसे साफ़-मुर्श रामतल बनाकर उसमें खेल-खेलने योग्य बनाना जरूरी है। सतह के रखरखाव के नियमपर नियमित पानी वा छिड़काव, रोतरिंग एवं पास कटाई की भी जरूरत रहती।

इम प्रकार से विभिन्न प्रकार की सतहों का उल्लेख निम्न प्रकार है :-

- (अ) दोमट चिकनी-मिट्टी की सतह-
- (ब) सिंडर (भृघजले कोयले की राख) की सतह
- (स) कंकरीट व सिमेन्ट मिथित सतह
- (द) कोलतार (एसफाल्ट) की सतह.
- (च) लकड़ी की सतह
- (छ) बुराश, बालू रेत गोवर, चिकनी मिट्टी एवं स्पंज मिथित सतह
- (ज) कृत्रिम सतह (Synthetic Surface)
- (झ) प्राकृतिक धास की सतह (Natural Turf Surface)
- (य) कृत्रिम धास की सतह (Synthetic Turf Surface)

प्राकृतिक धास अथवा दोमट जमी मिट्टी की सतह वाले मैदान यदृत ग्रच्छे रहते हैं। प्राकृतिक धास की सतह का रख-रखाव जैसे उसकी बुद्धाई, कटाई, जल-छिड़काव आदि के कारण वे मंहगी जरूर पड़ती है लेकिन सर्वश्रेष्ठ उपयोगी रहती है। दोमट मिट्टी की सतह के मैदान भी सुन्दर होते हैं। इनकी सतह के निर्माण में मोरम, चिकनी मिट्टी, गोवर, राख व आलन आदि के मिथण का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की सतह तैयार करने के लिए सर्वप्रथम मोरम की सतह, उस पर चिकनी मिट्टी की सतह तृप्तचात गोवर और आलन के मिथण की सतह विद्धाई जानी चाहिए तथा यथासमय जल छिड़काव एवं हल्का रोलरिंग करते रहना चाहिए।

शिक्षा शास्त्री बाल्टमर एवं एस्लिंगर (Voltmer & Esslinger) ने भी प्राकृतिक धास के मैदान को भूरी-भूरी प्रशंसा की है। उनके अनुसार—“Natural turf comes to the closest being the best of all-round surface.”

आजकल कृत्रिम धासवाली एवं कृत्रिम सख्त सतहों (Synthetic Turf & Hard synthetic surfaces) का उपयोग भी खेलों में किया जाने लगा है। विज्ञान के दोनों में सर्वप्रथम सन् 1960 में इस प्रकार की सतह का आविष्कार हुआ तथा विभिन्न नामों से इनका खेल मैदानों की सतहों के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। आजकल हाकी के लिए एस्ट्रोटफ सतह एवं बैडमिन्टन के लिए टैरीपलेंस का कोटे तथा ट्रैक के लिए आलम्परीन आदि कृत्रिम सतहों के नाम लिये जाते हैं। भारत में इन सबको देखने का अवसर नवम एशियाई खेलों के समय मिला। कृत्रिम सतह के मैदान पद्धति एक बार काफी मंहगे पड़ते हैं; परन्तु बाद में इनके रख-रखाव पर प्राकृतिक धास की सतह की अपेक्षा ब्यापक होता है। इन्हें केवल गर्भी से बचाये रखना पड़ता है, अन्यथा ये खराब हो जाते हैं। दो मात्रातया इनका 10-12 वर्ष कुछ नहीं बिंदूता है। इसलिए इन्हें ट्रिकाऊ एवं उंपयोगी बनाये रखने के लिए इन पर सदैव पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए। नेहरू स्टेडियम एवं नेशनल स्टेडियम नई दिल्लीतया राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में इस प्रकार के कृत्रिम मैदानी सतहों को भली-भांति आज भी देखा जा सकता है।

(2) सीमावन्दी - (Fencing)

खेल प्रांगणों की सुरक्षा के लिए समूचे मैदान के चारों ओर सीमावन्दी का होना जरूरी है। यह तार की जाली, पत्थर की पट्टियां यथवा इटों की दीवार आदि से ही जा सकती हैं इसकी अधिकतम ऊँचाई 6 से 8 फुट होनी चाहिए, ताकि खेत मैदानों में गैर व्यक्तियों, पशुओं एवं बाहनों के आवागमन पर रोक होने से प्रांगणों की सुरक्षा की जा सके और खेल उपकरणों का रख रखाव भी भली-भांति किया जा सके।

(3) जल निकासी-(Drainage)

खेल की सतह को सुरक्षित रखने के लिए वर्षा के पानी का निकास आवश्यक है। इसके लिए खेल प्रांगणों की सतह के नीचे, व चारों ओर जल-निकास नालियों का होना जरूरी है। इसके अलावा केन्द्र से सतह को चारों ओर से थोड़ा ढालू भी बनाना चाहिए, जिससे सतह पर पानी इकट्ठा न होकर नालियों से बाहर चला जाए। सतह की ढाल का नाप प्रत्येक खेल प्रांगण के लिए उसके केन्द्र के चारों ओर अधिक से अधिक 100:1 अनुपात में होना चाहिए।

(4) जल द्विङ्काव (Watering)

खेल प्रांगण की सतह जमी रहे। हवा से उसमे कटाव न हो। हरी धास सतह पर लगाई जा सके तथा उसकी सुरक्षा रखी जा सके। पेयजल की भी सुव्यवस्था यथा स्थानों पर हो। इस दृष्टि से सतह के नीचे व खेल मैदानों के चारों ओर आवश्यकतानुसार जलीय पाईप लाईनों की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था होने पर ही खेल प्रांगणों पर पेयजल की सुविधा एवं सतहों पर समुचित जल द्विङ्काव का प्रबन्ध सम्भव है।

(5) प्रकाश व्यवस्था (Lighting)

खेल प्रांगणों का रात्रि में भी उपयोग किया जा सके। उन पर अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन हो तथा खेल प्रांगण में लगे उपकरणों व निर्मित भवनों आदि की सुरक्षा के प्रबन्ध के लिए विजली के प्रकाश की आवश्यकता है। इससे मैदान की चौकीदारी में भी सुविधा बनी रहेगी तथा खेल-समारोह एवं उत्सवों आदि पर साज-सजा, रोशनी और लाउड स्पीकर आदि का सुप्रबन्ध हो सकेगा।

(6) सौन्दर्यकरण एवं स्वच्छता (Beautification & Cleanliness)-

खेल प्रांगणों की सफाई, स्वच्छता रखने एवं सुन्दरता बढ़ाने के उपायों पर भी विचारना जरूरी है। इसके लिए धायादार वृक्षारोपण, प्राकृतिक धास का रख-रखाव नियमित गरमाई एवं स्वच्छता तथा खेल प्रांगणों की मतह पर लगे उपकरणों की नियमित साज-गज्जा, उनकी मरम्मत, रंगरोगन, जल द्विङ्काव एवं घूने से मैदानों का मार्किंग यथा ममय कराने रहना चाहिए।

(7) पर्यंतेशण एवं चौकीदारी (Supervision & Watchmanship)

मैदानों में उपरी मतह पर लगे उपकरणों एवं नियमित स्टोर आदि को देखरेख के लिए

चौकीदारी की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए विभिन्न कर्मचारियों यथा चौकीदार, जमादार, बागदान, गेमबौय, भाउण्डमैन आदि की तियुक्तियां करनी चाहिए। इसके प्रतिरक्त समूज देखरेख एवं विकास हित की दृष्टि से खेल प्रांगणों का नियमित उपयोग तथा समय-समय पर उनका निरोक्षण, पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं परामर्शन आदि का दायित्व अधिकारियों द्वारा निष्ठापूर्वक किया जाना चाहिए।

8. उपकरण व्यवस्था एवं मरम्मत (Equipment & Repairing)

खेल मैदानों की बनावट, मरम्मत, रखरखाव एवं सुधार के विभिन्न उपकरणों की धास काटने वाली मशीन, हल्के-भारी रोलर्स, पानी का रवड पाईप, चूना गाड़ी, गाड़ी, मैदानों को चिन्हांकित करने के छोटे-मोटे मापक-पंथ एवं उपकरण आदि व्यवस्था आवश्यक है।

I) खेल मैदानों का अभिन्यास, मापांकन एवं चिन्हांकन-

(Laying-out, Measuring & Marking of play-fields)

मैदान में खेल प्रांगणों का अभिन्यास करते समय एक जैसे खेलों के एक से अधिक गण एक ही द्वेष में पास-पास बनाने चाहिए तथा ऐसा करते समय विद्यार्थियों की यु, वर्ण एवं लिंग को दृष्टिगत रखकर पृथक-पृथक खेल द्वेष बनाये जाने चाहिए।

विद्यालय में उपलब्ध समुचित मैदान को विभिन्न खेलों के अनुसार धोव्रवार भाजित करना चाहिए जैसे मैदानी खेल-द्वेष, पक्का कोट्ट खेल-द्वेष, ट्रैक, जिम्नेजियम रणताल व बाल-क्रीड़ा वाटिका आदि। इनका सही नक्शा बनवाकर इसके पश्चात जेनावढ तरीके से खेल प्रांगणों का चिन्हांकन पूर्व मापांकन के लिए उन्हें नियमानुसार आपकर सतह पर स्थाई चिन्ह लगाने चाहिए। ये स्थाई चिन्ह रवड के टायर, इंट के कड़ो अथवा लकड़ी की खूटियों द्वारा मैदान की सतह के समतल गाड़कर लगाये जाते हैं।

मैदान बनाते समय खेलों के प्रांगण को मापने के लिए दिशा को दृष्टिगत रखना भी चाहिए। क्योंकि केवल खो-खो के खेल-मैदान के अलावा जेष समस्त खेलों के आयताकार गण लम्बाई की दृष्टि से उत्तर-दक्षिण दिशा में बनाये जाते हैं जिससे प्रातः एवं साथं में की सीधी किरणें खिलाड़ी की आखो पर न पड़े। केवल खो-खो का प्रांगण ही पूर्व-शिम दिशा में बनाया जाता है।

समस्त मैदानों वा पक्का और स्थाई चिन्हांकन प्रारम्भ में ही कर देना चाहिए जैसे प्रांगणों के मापांकन में मुविधा रहे तथा समय की बचत ही सके। खेल प्रांगणों की तिह पर रेखाओं का अकंक सूखे अथवा धोलदार चूने या छनी हुई कोयले की राख से किया गा सकता है। पक्के कोट्ट अथवा फर्झ पर बानिश पेण्ट को काम में लेते हैं।

.८) बहु-प्रयोजनीय खेल प्रांगण योजना (MULTIPURPOSE-PLAY FIELDS)

विद्यालय में प्रत्येक खेल के लिए अताग-अलग मैदान-द्वेष के अभाव के कारण एक ही

रेल मैदान को कई ऐलों के लिए उपयोग में लाने की दृष्टि से मैदान की मतह ९८ फूट रुप से अथवा उठाऊ व स्थानान्तरित हो सकने वाले उपकरण लगाये जाते हैं तथा इसकी सतह पर भिज-भिज रंगों से कई सेल प्रांगणों का मापांकन एवं चिन्हांकन करके एक फैशं को बहु-प्रयोजनीय खोलने योग्य बनाया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप गोलाल, बालीबाल, बैडमिंटन व नेटबाल, कुश्ती, बाक्सिंग व जिम्नास्टिक एक ही हात कांड पर आयोजित करने सम्भव है। इसी प्रकार एयर्लिफ्ट-ट्रूक के घन्दर भी युद्ध हाकी, हैंडबाल, व क्रिकेट आदि सेल मैदानों का मापांकन करके घरग-घरग ये नो आयोगकर्तानुमार आयोजित किया जा सकता है।

(इ) अच्छे सेल-प्रांगणों की विशेषताएँ—

ऐन मैदान थोप चाहे घरग-घरग हों अथवा बहु-प्रयोजनीय निर्मित हो सारांशतया निम्नांकित विशेषताओं का होना चाहित है :—

1. घारों पर की सीमावर्दी (All round fencing)
2. समतल व टिकाऊ सतह (Leveled & Durable surface)
3. समृद्ध गुरुक्षित (Totally safety)
4. गव-पर्यंत उपयोगी (Year-round usage)
5. स्थाई चिन्हांकित (Permanent Marked)
6. मित्रस्यो रखरखाव (Low-Cost Maintenance)
7. गुहाने एवं गुन्दर (Pleasing & Good-looking)
8. बहु-प्रयोजनीय (Multipurpose)
9. समृद्ध गुविधायुक्त (Facilitated)
10. अमूर्ख रहित धारि।

उपरोक्त विशेषताओं के गाप-गाप बीत प्रयोगों के गाय घन्दाहार पृष्ठ, फिर दाता, गदाह एवं गोवा-परायन, गोर्टेन एवं गोर घन्दाहार कस, रटोर, शारदीय वंदेश रस, तंग खेतिय अत तवा दंग दोरी धारि की गुरुस्थाने होना भी आवश्यक है।

प्राप्त-परिपथ का अभिव्याप्त एवं निर्माण—

(Running Track-Planning & Construction)


प्राप्त निर्माण को यहें भी बाता में रखिए हैं परमा एवं रेसिंग द्वारा भी बहो व्यवहारी रूप से रिक्ष एवं बड़ा भी गुन्दर लिया जाता है। बाता में भी बहो एवं रेसिंग के लिए बहुत सुखार बालहारी बाता बालहार है।

१. बालहारी बालहार
२. बालहारी बालहार
३. बालहारी बालहार एवं बालहार
४. बालहारी बालहार
५. बालहारी बालहार एवं बालहार

1. उपयोगिता और महत्व -

यह एक बहु-प्रयोजनीय अण्डाकार सेल-क्षेत्र है, जिसमें निर्मित दीड़-परिपथ का उपयोग विविध प्रकार की लम्बी, मंभली एवं कम दूरी की दीड़ों, रिले दीड़, वाधा दीड़ एवं स्टीपल चेज दीड़ आदि के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त अण्डाकार परिपथ के मध्य जो वासी भूमि द्वेष छुटा रहता है उसमें भी विविध प्रकार की फैक और कूदानों की प्रतियोगिताएं उनसे सम्बन्धित संकटर, सकंस, दीड़पथ तथा पिट आदि बनाकर आयोजित की जाती है। इसी स्थल के मध्य फुटबाल, हाकी, क्रिकेट, बबही व घो-घो जैसे सेलों को खेला जा सकता है। यह रंग-विरंगे स्थलों, रेखाओं से विन्हाँकित एवं मैदान में लगे उपकरणों से युक्त एक बहुत ही सुन्दर एवं दर्शनीय कीड़ा-क्षेत्र है जिसमें बाल, युवा आदि समस्त वर्ग के लोग प्रतिदिन सेल कीड़ाओं के अभ्यास मनोरंजन एवं स्वास्थ्य लाभ के साथ-साथ सेल-स्तर वृद्धि में उपलब्धियां प्राप्त करते हैं।

— : 400 मीटर घावन परिपथ का सौन्दर्यपूर्ण स्वरूप :—



इस कीड़ा क्षेत्र का शब्द से यह लाभ यह है कि इसमें विविध प्रकार की दीड़-कूद फैक प्रतियोगिताओं का एक साथ सरलतापूर्वक आयोजन किया जा सकता है। इसमें सेल अधिकारियों एवं आयोजन कर्त्ताओं को प्रतियोगिताओं के निरुद्योग लेने, परिणाम संकलित करने और उनका लेखांकन करने में सुविधा रहती है। समस्त दर्शकगण भी एक ही स्थान पर बैठकर कायंकम को देखने का आनन्द उठाते हैं।

इस प्रकार के कीड़ा क्षेत्रों का निर्माण केवल सेल-कूद प्रतियोगिता के लिए ही नहीं अपितु विभिन्न प्रकार के शैक्षिक, सांसारिक एवं राष्ट्रीय समारोहों के आयोजन हेतु भी उपयोगी है। यही कारण है कि इनकी उपयोगिता और महत्ता को ध्यान में रखकर आजकल इनका निर्माण शहरों नगरों और शिक्षण संस्थानों में सेले-मंडपों (Sports Pavilion) एवं स्टेडियमों के रूप में किया जाने लगा है।

2. परिष्यं हेतु निर्धारित भूमि धोग्र-(Field Area)

एक मान्य स्तर का धावन परिष्य (Standard Running Track) : 400 मीटर लम्बाई का अण्डाकार स्वरूप (Oval Shape) में दो सीधी ओर दो चौड़ी वृत्ताकार (गोलाई-Curve) रेखाओं से मिलकर बनाया जाता है। इसके बनाने के लिए कम से कम 175 मीटर लम्बा और 95 मीटर चौड़ा आयताकार मैदान चाहिए। समतल, बाधा रहित तथा लम्बाई में उत्तर-दक्षिण दिशा में हो।

विद्यालयों में स्थानाभाव के कारण 200 मीटर लम्बाई का अमान्य स्तर (Non-Standard Track) भी बनाया जा सकता है। इसके लिए कम से कम 95 लम्बे और 55 मीटर चौड़े आयताकार मैदान की आवश्यकता होती है।

3. अण्डाकार सतह का निर्माण एवं सामग्री

(Construction & Material for Oval Shape Surface)

धावन परिष्य की ऊपरी सतह समतल, जमी हुई, सख्त परन्तु नरम होनी चाहिए धावक को दोड़ने में कठिनाई न हो और वह अपनी दोड़ तीव्रतम गति से पूर्ण सके। इसके लिए आजकल मिट्टी, बजरी अथवा सिंडर मिश्रित सतह के स्थान पर सतह (Synthetic Surface) का प्रयोग भी उच्च स्तर की प्रतियोगिताओं में होने वाला है। भारत में सर्व प्रथम एशियाई खेलों के समय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रकार की कृत्रिम सतह का प्रयोग में लिया गया। इस सतह के सौन्दर्य को आज भी देखा जा सकता है। इसको आलम्परीन ट्रैक कहते हैं जिसकी सतह लाल एवं भूरे रंग है और उस पर सफेद रंग की रेखाओं से 8 गलिया बनी हुई हैं।

400 मीटर धावन परिष्य पट्टी की अधिकतम चौड़ाई 9.76 मीटर होती है जिसमें आठ धावकों को एक साथ दोड़ने के लिए 1.22 मीटर चौड़ाई की 8 गलियाँ छूने के सकेद रंग में समानांतर रेखाओं द्वारा चिन्हाकित रहती हैं।

स्मरण रहे कि परिष्य में चिन्हाकित प्रत्येक रेखा 5 से. मीटर चौड़ी है चाहिए तथा प्रथम गली के अन्दर को बाईं तरफ की रेखा सतह से 5 से. मीटर ऊंचिमेन्ट, तबड़ी अथवा किसी धातु की पक्की यनी होनी चाहिए, जिसे दिवार-रेखा कह सकते हैं।

धावन परिष्य के लिए उपलब्ध आयताकार मैदान की ऊपरी सतह की 9.76 मीटर चौड़ी दोड़-पट्टी के निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसमें 400 मीटर लम्बी एवं 10 मीटर चौड़ी पट्टी का अण्डाकार स्वरूप दो सर्वप्रथम विधिवत छूने से चिन्हाकित करना जरूरी है। तत्पश्चात इस पट्टी की सतह को 45 से. मीटर गहरा खुदवाना उसकी मिट्टी मैदान में बाहर निकलना देनी चाहिए और धावश्यक सामग्री से परिष्य ही गतहों वा आगे यताये मनुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ कराना चाहिए।

—परिपथ निर्माण सामग्री—

तेह संब्या	मोटाई	सामग्री	समतल प्रक्रिया
५ म निचली	20 से.मी.	२½ इंची मोटी रोड़ी-पथर (Crushed Stone)	जल छिड़काव एवं भारी रोलर से दबाव
२ सतह			
१ तीय मध्यम	15 से.मी.	½" छना सिण्डर (Screened Cinder)	जल छिड़काव एवं भारी रोलर से दबाव
१ तीय ऊपरी	10 से.मी.	½" छना सिण्डर व चिकनी मिट्टी का 3 : 1 का मिश्रण (Cinder Fine Clay)	जल छिड़काव एवं हल्के रोलर से दबाव
१ सतह			

परिपथ की ऊपरी सतह पर वर्षा का पानी जमा न हो इस इट से इसकी ऊपरी
तेह को निम्न प्रकार से ढालू बनाया जाता है :-

सामने ढोड़ दिशा में लम्बाई की ओर का ढाल = 1000 : 1 अनुपात
अन्दर चौड़ाई वर्ग दिशा में चौड़ाई की ओर का ढाल = 100 : 1 अनुपात

सम्पूर्ण धावन-परिपथ के चारों ओर दर्शकों, खिलाड़ियों एवं खेल संचालन अधिकारियों के बैठने के लिए सीढ़ियोंदार पवेलियन अथवा स्टेडियम बना होता है। प्रमुख तिथियों, विशिष्ट घटक्तियों एवं प्रतियोगिता संचालन अधिकारियों के लिए बैठने का गान परिपथ के पश्चिम दिशा में सुरक्षित रखना चाहिए।

धावन-परिपथ का अभिन्यास एवं मापांकन-

(Laying-out & Marking of the Track)

400 मीटर लम्बाई का मान्य स्तर धावन परिपथ के अभिन्यास एवं चिन्हांकन लिए सर्वप्रथम उसकी आधार-आयत का माप निकालना चाहिए। आधार-आयत की चौड़ाई चौड़ाई जात करने के लिए गणित पर आधारित सूत्रों का प्रयोग किया जाता है।

उदाहरणतया यदि हमें परिपथ में एक तरफ का 80 मीटर लम्बा सीधा खण्ड बना है तो आधार आयत की चौड़ाई का माप जात करने के लिए परिपथ की गोलाई का अधिन्यास अथवा चौड़ाई विज्या (Curve Radius) जात करनी होगी।

इसी प्रकार यदि गोलाई का अधिन्यास अथवा व्यास जात है तो आधार आयत के की सीधे खण्ड की लम्बाई निकालकर आधार-आयत का स्वरूप मैदान पर बनाना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि धावन-परिपथ निर्माण एवं उसके चिन्हांकन के लिए विविध प्रकार की गणनाएं (Calculations) करनी पड़ती हैं जिसके लिए गणित के विभिन्न सूत्रों को स्मरण रखना एवं उनके प्रायोगिक उपयोग से परिपथ निर्माण बाबत विभिन्न प्रकार के माप जात करने का ज्ञान होना आवश्यक है। इसी सम्बन्ध में कुछेक सूत्रों के प्रयोग उदाहरण स्वरूप आगे पृष्ठ पर दिये जा रहे हैं।

5. गणित पर पाधारित सूत्रों का प्रयोग एवं गणना :-

गणित प्रक्रिया

$$\begin{aligned} \text{दोहरा पथ की लम्बाई} &= 400 \text{ मीटर} \\ \text{एक ओर दूरी की लम्बाई} &= 80 \text{ मीटर} \\ \text{दोनों ओरे परिष्वेत की लम्बाई} &= 80 \times 2 = 160 \\ \text{परिष्वेत की कुल गोलाई} &= 400 - 160 \\ &= 240 \text{ मीटर} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{दोहरा दूरी की विज्या आपात दोहरा दूरी का \\ अर्थ द्वारा} &= 240 \cdot 2 \pi \\ &= 240 \cdot 2 \times \frac{22}{7} \\ &= 240 \div \frac{14}{7} \\ &= 240 \times \frac{7}{4} \\ &= 420 \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} \text{Running Distance} &= 38.18 \text{ मी.} \\ \text{गोलाई की विज्या} &= 38.18 - .30 \\ \text{Curve Radius} &= 37.88 \text{ मीटर} \end{aligned}$$

सूत्र प्रयोग

$$\begin{aligned} [(T - 2S) \div 2 \pi] - 30 \text{ cms.} \\ = [(400 - 160) \div \frac{14}{7}] - 30 \text{ मी.} \\ = [240 \div \frac{14}{7}] - .30 \\ = [240 \times \frac{7}{14}] - .30 \\ = [120] - .30 \\ = 38.18 - .30 \\ = 37.88 \text{ Metres} \end{aligned}$$

—: धायन परिष्वेत का अभिन्यास तर्वं मापांकन स्वरूप :—

- 400 मीटर धायन परिष्वेत -



Final Line

सूत्र प्रयोग के अनुसार सबंधित 37.88 मी. मोड़ विज्या ज्ञात करने पर धायन की ओराई की रेखा ढालने में सहायता रहती है। उपरोक्त चित्र में परिष्वेत धायन की लम्बाई 80 मीटर है और ओराई 37.88×2 अर्थात् 75.76 मी.

दिखाई नहीं है। अतः परिषथ की ग्रण्डाकार रचना करने के लिए X और Y विन्दु पर कीली लगाकर स्टील वायर के द्वारा निम्नांकित मापों के अनुसार आधार आवत के दोनों और चौड़ाई की रेखा पर बक (गोलाई-Curve) की 9 रेखाएं कीली को केन्द्र विन्दु मानकर एक साथ चिन्हांकित की जा सकती है जैसे :-

प्रथम दीवार रेखा की मोड़ त्रिज्या (C.R.) = 37.88 मीटर है।

द्वितीय रेखा-39.10 मीटर	सप्तम रेखा- 43.98 मीटर
तृतीय रेखा-40.32 मीटर	सप्तम रेखा- 45.20 मीटर
चतुर्थ रेखा-41.54 मीटर	आठम रेखा- 46.42 मीटर
पंचम रेखा-42.76 मीटर	नवम रेखा- 47.64 मीटर

इस प्रकार धावन पथ की सतह पर 1.22 से.मी. चौड़ाई की 8 गलियों की रेखाएं ढालने के बाद दोनों और के गोलाई की रेखाओं के किनारों की परस्पर सीधी रेखाओं से समानान्तर मिलाने पर धावन परिषथ पर आठ गलिया तैयार हो जाती हैं। इसके अलावा परिषथ में निम्नांकित चिन्हांकन भी लगाए जाते हैं जैसे :-

1. दोड़ समाप्ति रेखा-Finish line (पश्चिम दिशा में सीधे खण्ड को समाप्ति पर)
2. दोड़ प्रारम्भ रेखाएं-(Start lines)
3. पक्षेत अथवा स्टेगर्स (Staggered Starts)
4. टेक ओवर जोन (TOZ For changing Baton)
5. हॉल्लस रखने के निशान
6. मध्य-मैदानी दोप में फेंक और कूदान कीड़ा स्पर्धाओं के बूत, दोड़पथ, कोण क्षेत्र आदि

चूंकि प्रत्येक गली में पक्षेत की दूरी निकालने का आधार उस गली की चौड़ाई ।। उदाहरणतया यदि गली की चौड़ाई 1.22 है अथवा 1.05 है तो निम्नांकित सूत्र योग के आधार पर प्रत्येक गली के लिए पक्षेत की दूरी का माप ज्ञात किया जा सकता है :-

$$\text{सूत्र} - [W (N-1) - 10 \text{ cms}] \times 2 \overline{\text{II}}$$

गलियों के पक्षेत (Stagger) निकालने का सूत्र :

गली नं. 2 जिसकी चौड़ाई 1.22 मी. (4फुट) गली नं. 2 जिसकी चौड़ाई 1.05 मी(3.'6')

$= [1.22(2-1) - 10\text{cm}] \times 2 \overline{\text{II}}$	$= [1.05(2-1) - 10\text{ cms} \times 2 \overline{\text{II}}$
$= [1.22(1) - .10] \times 2 \frac{4}{7}$	$= [1.05(1) - .10] \times 2 \frac{4}{7}$
$= [1.22 - .10] \times 2 \frac{4}{7}$	$= [1.05 - .10] \times 2 \frac{4}{7}$
$= [1.12 \times 2 \frac{4}{7}]$	$= 0.95 \times 2 \frac{4}{7}$
$= [1.12 \times 6.28]$	$= 0.95 \times 6.28$
$= 7.0336 \text{ M. OR } 7.04 \text{ M.}$	$= 5.966 \text{ M. OR } 5.97 \text{ M.}$

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1.22 M.	00.00	7.04	14.71	22.38	30.05	37.72	45.39
1.05 M.	00.00	5.97	12.57	19.17	25.77	32.37	38.97

(क) ध्यानार्थ बिन्दु :-

- परिपथ की कुल लम्बाई का $\frac{1}{2}$ से $\frac{1}{3}$ भाग सीधे खण्ड के लिए रखना चाहिए। तोड़ मोड़ (Sharp bend) से उत्पन्न दोड़-गति में अवरोध होनेसे बचा जा सकता है।
- समस्त दोड़ प्रारम्भ रेखाओं की मोटाई और दोड़ समाप्ति रेखा की प्रयम तक दोड़ की दूरी में शामिल रहती है।
- धावक द्वारा अपनी गली की बाईं रेखा पर दोड़ना अवश्य उसे छूना दो ना जाता है।
- यह माना जाता है कि प्रयम गली का धावक दिवार-रेखा के बाहर की तरफ 30 मी. दूर दोड़ता है और अन्य गलियों के धावक भी अपनी बाईं रेखा के 20 से 30 मी. दूर बाहर की तरफ दोड़ते हैं। इसीलिए दोड़ की दूरी की विज्या (अधं व्यास-RDR) में से 30 से 30 मी. घटाकर गोलाई की विज्या (Curve Radius) जात की जाती है। यही कारण है कि पक्षोत्तों (Staggers) के माप निकालने के सूत्र में से 10 से 15 घटाने का प्रावधान है।
- अलग-अलग गलियों में परिपथ के दानों गोलाई खण्डों में उत्पन्न धावकों की दूरियों के अन्तर को बराबर करने के लिए प्रत्येक गली में पक्षोत्त (Stagger) लिए जाते हैं।
- 200 मीटर दोड़ में चूकि ट्रैक की एक ही गोलाई दोड़ के लिए काम में आवं अतः स्टेगर के माप आधी दूरी के होंगे।
- मझेंली दूरी की दोहों के लिए जिसमें एक अवश्य दो गोलाई दोड़ने के बाद प्रधावक को अपनी गली छोड़कर प्रयम गली में आने का अधिकार दिया जाता ऐसी स्थिति में पक्षोत्तों की दूरी में वर्ण वृद्धि की दूरी भी जोड़नी चाहिए।
- धावन परिपथ निर्माण के विभिन्न माप—निम्न प्रकार होते हैं :—

400 मीटर ट्रैक (पक्की दिवार रेखा सहित)			200 मीटर ट्रैक (चूने की रेखा सहित)		
Straight	RDR	CR	Straight	RDR	C
70 मी.	22.27 मी.	21.97 मी.	37.50 मी.	19.89 मी.	16.
75	39.77	39.47	40.00	19.09	18
80	38.18	37.88	42.50	18.30	18
85	36.59	36.29	45.00	17.50	17
90	35.00	34.70	47.50	16.70	16.5
95	33.41	33.11	50.00	15.91	15.5

यदि परिपथ का अन्दर का किनारा (Inner Boarder) पक्की दिवार रेखा से बता है तो RDR में से 30 से.मी. घटाकर गोलाई की त्रिज्या (C.R.) ज्ञात करते हैं।

यदि अन्दर का किनारा (Inner Boarder) चूने की रेखा से अकिल है तो RDR में से 20 से.मी. घटाकर गोलाई की त्रिज्या (C.R.) ज्ञात करते हैं। लेकिन इस प्रकार के परिपथ के अन्दर की रेखा पर 5-5 मीटर की दूरी पर 20 से.मी. ऊंचाई की लाल झण्डियाँ 60° के कोण में लगाई जाती हैं।

न परिपथ अभिव्यास के गणना सूत्र -

आधार आयत के सम्बन्धित कोण वनाना - $3 : 4 : 5$ अनुपात में भूजा से कोण वनाना

आधार आयत का करण ज्ञात करना - $\sqrt{a^2 + b^2}$

एक सीधा खण्ड का माप ज्ञात होने पर

गोलाई का अधिव्यास (त्रिज्या) निकालना - $[(T-S) \div 2\pi] - 30 \text{ cms.}$

कुल गोलाई खण्ड का माप ज्ञात होने पर

गोलाई का अधिव्यास निकालना - $(2C \div 2\pi) - 30 \text{ cms.}$

गोलाई का अधिव्यास (C.R.) ज्ञात होने पर

एक सीधे खण्ड का माप निकालना - $T - [CR + 30 \text{ cms.}] \times 2\pi$

दोड़ की दूरी का अधिव्यास (RDR) ज्ञात

होने पर एक सीधे खण्ड का माप निकालना - $T - (RDR \times 2\pi)$

प्रत्येक गोलाई रेखा (परिधि) का माप ज्ञात करना - (Lanes' C.R. $\times 2\pi$)

घावन परिपथ गली की चौड़ाई ज्ञात होने पर

प्रत्येक गली का पक्षेत्र (Stagger) निकालना :- $[W(N-1) - 10 \text{ cms.}] \times 2\pi$

400 मीटर हड्डल्स के पक्षेत्र निकालना - $t-dh \times [W(N-1) - 10 \text{ cms.}] \times 2\pi$

200 मीटर हड्डल्स दोड़ के पक्षेत्र - $\frac{t}{t} \times [W(N-1) - 10 \text{ cms.}] \pi$
निकालना -

$\frac{4 \times 100 \text{ मी.}}{t} \text{ रिले रेस में टेक औवर} \times \frac{t-d \times [W(N-1) - 10 \text{ cms.}]}{t} \times 2\pi$
जोन पर स्टेगर डिस्टेन्स निकालना -

$\frac{200 \text{ मी.}}{t} \text{ टेक में } 200 \text{ मी. हड्डल्स} \times \frac{t-dh \times [W(N-1) - 10 \text{ cms.}]}{t} \times 2\pi$
के लिए स्टेगर निकालना -

किंचिह्नों का विश्लेषण -

Track Length

Straight Length

Curve Length

RDR = Running Distance Radius

CR = Curve Radius OR MR

t = Total Running Distance on

the curve lane 1

(From Start to Finish)

W = Width of the Lane

dh = Distance Covered on the ~~concerned~~
upto the concerned hurdle
lane 1;

N = Number of the Lane

di = Distance Covered on the ~~concerned~~
by the previous runners in lane

ab = Length & Width of the Race

प्रीक शब्द पाई (π) का मान
अर्थात्

(यदि किसी वृत्त की परिधि (गोलाई) 22 है तो उसका व्यास (Diameter) 7मी. होगा)

—: परिपथ गणना में समीकरण पद्धति से माप ज्ञात करने का सूत्र : —

$$T = 2S + 2C$$

$$T = 2S + 2\pi r$$

माना एक सीधा खण्ड 90 मी. है तो गोलाई को त्रिज्या क्या होगी ?

माना गोलाई की त्रिज्या 34.70मी. है
सीधे खण्ड को दूरी क्या होगी ?

$$T = 2S + 2C$$

$$400 = 2 \times 90 + 2\pi r$$

$$400 = 180 + 2 \times \frac{22}{7} \times r$$

$$400 - 180 = \frac{44}{7} \times r$$

$$\frac{220}{7} = \frac{44}{7} \times r$$

$$r = \frac{220}{44}$$

$$r = \frac{220}{44} \times \frac{7}{4}$$

$$r = 35$$

$$\text{C.R.} = 35 - 30 \\ = 37.40 \text{ M.}$$

$$T = 2S + 2C$$

$$400 = 2S + 2\pi r$$

$$400 = 2S + 2 \times \frac{22}{7} \times 34.70 +$$

$$\frac{400}{7} = 2S + \frac{44}{7} \times \frac{35}{1}$$

$$\frac{400}{7} = 2S + 220$$

$$400 - 220 = 2 \times S$$

$$180 = 2 \times S$$

$$S = \frac{180}{2} \div \frac{7}{1}$$

$$S = \frac{180}{2} \times \frac{1}{7}$$

$$S = 90 \text{ M.}$$

घावन परिपथ के मुकाबले —

दोह :- 100; 200; 400; 800; 1500, 3000; 5000 एवं 10000

त्रिम :- 4 × 100 मी. और 4 × 400 मी.

हर्ड्स्टम :- 80; 100; 110 और 400 मी.

पूर्णानन्द :- ऊंची, सम्मी, त्रिसूद, एवं ग्रामसूद

प्रशीष्ट :- गोला फैट, ईमर, टिमरम एवं भान्ना फैट,

दीड़ा-समारोह संचालन अधिकारी एवं उपकरण

(i) संचालन अधिकारी -(OFFICIALS)

वर्ग अधिकारी	प्रतियोगिता अधिकारी	अतिरिक्त अधिकारी
मैनेजर (एक)	1. रैफरी दीड़ (एक)	1. रिकार्डर (दो)
सचिव (एक)	2. जज „ (चार)	2. माशिल (एक)
तकनीकी मैनेजर (एक)	3. लैप जज „ (चार)	3. उदघोषक (दो)
प्रतिवाद समिति(तीन)	4. अम्पायर „ (चार)	4. डाक्टर (एक)
पदन मापक (एक)	5. टाईम कीपर .. (तीन)	5. स्टीवर्ड (एक)
सर्वेयर (एक)	6. स्टार्टर .. (तीन)	6. प्रेस (एक)
	7. रैफरी बूदान (एक)	
	8. जज „ „ (चार)	
	9. रैफरी प्रक्षेपण (एक)	
	10. जज „ „ (चार)	

(ii) उपकरण व्यवस्थायें -(EQUIPEMENTS)

(i) दीड़ प्रारम्भ रेखा स्थल पर -

स्टार्टिंग ब्लाक्स, पिस्टल, काटिलेज, रिले बटन, लाल-सफेद झण्डियाँ, विशल, गली में नम्बर, मैगाफोन, पैट्टी, कार्यक्रम, रिकार्ड शीट, बलीप बोर्ड एवं सफेद कागज नेतृत्व आदि ।

(ii) दीड़ समाप्ति रेखा स्थल पर -

फिनिशिंग पोस्ट, ऊनी धागा, निरायिक स्टेण्ड, स्टोप बाच, लाल-सफेद झण्डियाँ रेयिक निर्णय कार्ड, विशल, कार्यक्रम, रिकार्ड शीट, बलीप बोर्ड एवं सफेद कागज, नेतृत्व आदि ।

(iii) ऊंची एवं बांस बूद स्थल पर -

हाई जम्प एवं पोलवाल्ट स्टेण्ड, कास बास, कांस्टीक, नापक फीता एवं छड़ी लिटिंग पोल, वाल्टिंग ट्रूह अथवा टब, टेबिल ग्राफ्यवा सीढ़ी, मैगाफोन, गणना पट्ट, बदा-दन्ताली, रिकार्डशीट, कार्यक्रम, बलीप-बोर्ड, सफेद कागज एवं पैनिल आदि ।

(iv) गोना एवं हैमर प्रक्षेपण स्थल पर -

जोहे के पेरे, स्टोप बोर्ड, गोला उठाऊ ट्रोली, सेंक्टर पलेग, गोले, हैमर, हैमर इ., नापक फीते, हयोड़ा, रस्सी, लाल-सफेद झण्डियाँ, मैगाफोन, गणना पट्ट, पूर्व भैसेय दर्जनक पट्टिया, रिकार्ड शीट, पैड, बार्ड-स्लीप, बलीप बोर्ड, पिन, सफेद कागज र पैनिल आदि ।

v) डिमक्रम (तस्तरी) प्रक्षेपण स्थल पर -

जोहे का पेरा, डिसक्स, (पुरुष एवं महिला) सेंक्टर पलेग, हयोड़ा, पिन, नापक दा, रस्सी, मैगाफोन, लाल-सफेद झण्डियाँ, डिसक्स केज, बार्ड; पैनिस्ल, गणना पट्ट, बार्ड शीट, पैड, बलीप बोर्ड, सफेद कागज आदि ।

(vi) भाला प्रथम पण स्थन पर -

नकङ्की अयया धातु पटडी, भाले, संकटर, पलेग, हथीडा, पिन, काडे, पैनि रस्सी, नापका फीता, लाल-सफेद झण्डियां, मैगाफोन, गणना पट्ट, रिकांड शीट, औ स्लीप, बलीप बोडे, पूर्वं अभिलेष पट्टिका आदि ।

(vii) मामान्य उपकरण -

हैंडल्स (एडजस्टेबल), एनियोमीटर, ध्वज (यम्ब सहित), विजयी मंच, प्रार्थना चिकित्सा बाब्स, छुना पाउडर, वाल्टी-मग, अतिरिक्त बांस, क्रासबास, भाले, तस्त हैमर हैण्डल सहित), कुसिया व टेबल, प्रतियोगी नम्बर, अधिकारी एवं स्वयं सेवक सेपटी पिने, कार्यश्रम पुस्तिका, तम्बू, बांस, रस्सी व हथीडा, ट्रोफी, शील्ड, एवं प्रथम पन्थ, दिवार रेखा के छोटे ध्वज एवं गोलाई पर लकड़ी के गुटके, श्यामपट्ट व चा गणना पट्ट, सुतली, उपकरण सहित सन्दूक ताला व चाबी, स्टील वायर व टेप, परवर रोलर, लाउडस्पीकर, अतिथि बैठक फॉनिचर आदि ।

विभिन्न खेल-प्रांगणों के माप एवं बनावट—(Area & Construction)

1. फुटबाल	14. जिन्नेजियम हाल
110 × 75 मी. (सिनियर्स)	18 × 6 × 5 मी.
60 × 45 मी. (जूनियर्स)	20 × 12 × 7 मी.
2. हाकी	30 × 18 × 8 मी.
91.40 × 55 मी. (100 गज × 60 गज)	36 × 24 × 10 मी.
3. हैण्डबाल	50 × 30 × 12.5 मी.
40 × 20 मी.	15. खुला जिन्नेजियम 40 × 30 मी.
4. खो-खो	16. टेबिल टैनिस हाल 10 × 6 मी.
27 × 15 मी. (सिनियर्स)	टेबिल 9 × 5 × 2.6 फुट ऊँची (2.74 × 1.52 × .76 मी.)
22 × 13 मी. (जूनियर्स)	17. जुडो
5. कबड्डी	हाल — 16 × 16 मी.
1. 12.5 × 10 मी. (सिनियर्स)	मंच — 14 × 14 मी.
11 × 8 मी. (जूनियर्स) महिला	घरतरा दोग्र — 10 × 10 मी.
9.5 × 6.5 मी. (सब जूनियर्स)	भन्दर बा घेरा — 9 × 9 मी.
6. वास्केटबाल कोर्ट	18. कुश्ती
28 × 15 मी. (सिनियर्स)	मंच — 12 × 12 × 1.10 मी. ऊँचा मैट वृत का अर्धच्याप — 4.5 मी.
रिं 3.05 ऊँचाई	19. वाक्सग
24 × 14 मी. (जूनियर्स)	मंच 6.10 × 6.10 × 1.10 मी.
रिं 2.60 ऊँचाई	20. भारोत्तोलन
7. यातोयात कोर्ट	मंच 4 × 4 मी.
18 × 9 मी. (सिनियर्स)	हाल — 16 × 10 × 5 मी.
15 × 7.5 मी. (जूनियर्स)	
12 × 6 मी. (सब जूनियर्स)	
8. बैडमिंटन कोर्ट	
13.40 × 6.10 मी. (44 × 20 फुट)	
दून शो ऊँचाई 9 मी.	

9. बात वैडमिष्टन
 24.38×12.9 मी.
 10. लान ईनिस
 23.77×10.98 मी. (78×36 फुट)
 11. सापटवाल
 60×60 फुट
 12. नैटवाल
 100×50 फुट
 $(30.50 \times 15.25$ मी.)
 3. किकेट
 बाउण्डरी लाईन का अधं व्यास =
 68.58 मी. एक दिवस मैच का
 स्ट्राइकिंग आर्क का अधं व्यास —
 27.40 मी.
 बास्केट बाल कोर्ट का निर्माण (तैयार फर्श का नाप 30×18 मी.)
21. धावन परिपथ के लिए भूमि की त्र
 175×95 मी. (400 मी. के लिए)
 95×55 मी. (200 मी. के लिए)
 22. साइकिलग बैलोड्रोम
 200 से 500 मी. लम्बा
 बैकिंग कोण 20° से 45°
 23. स्वीमिंग पूल
 $50 \times 21 \times 1.80$ मी. गहरा
 डाइविंग पूल — $20 \times 20 \times 5$ मी.
 24. वाटर पोलो तालाब
 $30 \times 20 \times 1.80$ मी. गहरा

रत्नक्रम	परत की मोटाई	सामग्री मिश्रण	समतल प्रशिन्या
नचली परत	3"	इटों की कंकरीड़	जल छिड़काव एवं रोलरिंग
भरी परत	3"	चिकनी मिट्टी का गारा अथवा सीमेन्ट कंकरीड़ अथवा कोलतार (एसफाल्ट)	दो-दो मीटर के बग्गे घनाकर भराई एवं लिपाई
संस्थानी परत	2"		
बालिवाल कोर्ट का निर्माण (तैयार फर्श का नाप 20×10 मी.)			

चली परत	6"	सिण्डर या पत्थर को रोड़ी	जल छिड़काव थ वोलरिंग
भली परत	4"	$\frac{3}{4}$ " जाली से छना सिण्डर	" " " "
संस्थानी परत	2"	$\frac{3}{4}$ " जाली से छना मिश्रण हल्का रोलरिंग (सिण्डर 70% मिट्टी 30%)	" " " "

किकेट पिच का निर्माण (तैयार पिच 66×8.8 फिट)

चली परत	10 से मी.	रोडी या कंकरीड़	भारी रोलरिंग
संस्थानी परत	10 मे.मी.	कंकरीट-सिमेन्ट का मसाला	गारों घोर सकड़ी का मोर्डर पाप कर मसाला भर दे तापा छला ही गमतल कर 10 दिन पानी भर कर पकाये ।

पूर्ण पिच के लिए सामग्री-सिमेन्ट 35 थोरी, नम पापु 100 पानी
 सिमेन्ट 175 घनफुट तथा मसाला मिश्रण पत्रुआत-एक थोरी सिमेन्ट में 3
 घोर 5 घन फुट मोटा मिलावा

श्रम्भासार्थ प्रश्न :-

1. शारीरिक शिक्षा प्लान्ट से आप क्या समझते हैं ? प्रकाशनिक प्रबोध में दी गई वाली सुविधाओं का वर्णन कीजिये ।
2. किमी नगरीय क्षेत्र के लोगों के लिए शारीरिक शिक्षा खेल-क्रीड़ा और मरम्मत के उपलब्ध संसाधन एवं सुविधाओं का उल्लेख कीजिये ।
3. सेल-क्रीड़ा मेंदानों के रख-रखाव एवं उनकी बनावट के लिए कौन-कौन सी मर्म्मत पूर्ण बहातों को ध्यान में रखेंगे ? व्याख्या करें ।
4. चहु-प्रयोजनीय खेल-क्रीड़ा क्षेत्र के बारे में आप क्या जानते हैं ? उनके महत्व उत्पत्तिगति पर प्रकाश डालिए ।
5. क्रीड़ागण सुली पाठ्यालार्य हैं । विवेचना कीजिये ।
6. Draw a Diagram of 400 Metre Track for giving details of facilities for all track and field events, mentioning the exact measurements of staggered starts and Relay Zones, Hurdles distances & 110 Metre Hurdles.
7. Prepare a 400 Metre track with a straight of 80 Metre making provision for all the items for school sports being organised by the school Games Federation of India.
8. Draw a plan of 400 Metre Track with Six lanes each having 1.05 M. as its width and 35 M. as its Running Distance Radius. Also show the following in the plan :-
 - (i) Kho-Kho Ground
 - (ii) Length of staggres for 200, 400 & 800 Meter Run.
 - (iii) 1500 Meter start line.
9. Find out the Stagger at all the Take-over-Zones for 4×100 Relay Race on a 400 M. Track with Six lanes, having a length of 90 M. for each straight and a width of 1.22 Meter for each lane.
10. The Curve Diameter of a 400 Metres Track is 69.40 Metres. Find out the length of a straight.
11. राज्य स्तरीय एम्लेटिक प्रतियोगिता के लिए कौन-कौन सी सुविधायें एवं सार्वजनिक सुविधायें होती हैं ? एक मान्य स्तर ट्रैक में फैक्ट्रे और यूदने के मंदार की रूप रेखाएँ दियावें ।



संसाधन-सुविधाएँ :

व्यायाम शाला और तरणताल निर्माण-

श्रेयन विन्दु :-

- प्रस्तावना
- भारतीय व्यायाम-शिक्षा एवं संगठन : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
- समाज में व्यायाम-शाला और तरणताल की आवश्यकता
- व्यायाम-शाला की बनावट एवं साज-सज्जा
- तरणताल की आकृति और उसका-निर्माण
- सुसंचालित व्यायाम कार्यक्रम एवं शारीरिक स्वस्थता

प्रस्तावना—

शारीरिक व्यायाम और तैराकी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव प्रता के विकास का इतिहास है। ऐसा अनुमान है कि आदिम-मानव में इन क्रीड़ाओं जैसे उसकी जीवन सुरक्षा और भोजन प्राप्ति की समस्याएँ साथ जुड़ा हुआ होगा। कि जंगली जानवरों से सुरक्षा, भूख-निवारण एवं भरण-पोषण के लिए उनके पीछे छोड़ा, गिरावर परना, उनसे लड़ना एवं भिड़ना करना तथा वृक्षों पर चढ़ना, सटकना खोड़ना भादि चेष्टाएँ एवं शारीरिक क्रियाएँ ही धीरे-धीरे सेल-क्रीड़ाओं के साथ चली गई हैं।

प्रतीय व्यायाम-शिक्षण एवं संगठन : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि—

हमारे भारतीय संस्कृति संदर्भ से सेल और व्यायाम की भावना से ओत-प्रोत रही। इसका पता हमारे प्राचीन ग्रन्थों (वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण और महाभारत इ.) एवं उपलब्ध प्राच्य गिला-सेखों में मिलता है। मनुष्य का कर्म और दिनचर्या जीवनीमें भाग्यम एवं वर्ण व्यवहारा पर ध्यायारित थी। शारीरिक श्रम जीवन का प्रमुख था। श्रमः कर्म-प्रधान जीवन में थ्रम, ग्रक्ति और बल का होना प्रतिवार्य था, यहाँ परए था कि उन समय के ग्रन्थों में बल को पूजा की विशेष महत्व दिया जाता था।

प्राचीन ग्रन्थों में बल की महिमा पर अधोतिखित वाक्यों के उल्लेख आज भी देखने मिलते हैं :-

- (1) बलम् उपास्वः (बल ही पूजा है)
- (2) बलं ब्रह्मा (बल ही ब्रह्मा की शक्ति है)
- (3) नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः (बलहीन आत्मा को भगवान् नहीं मिलता)
- (4) प्राणी वे बलम् (शरीर में प्राण ही बल का स्थान है)
- (5) धर्मार्थं कामा मोक्षाणाम् आरोग्यं मूलं मुक्तम्
- (6) शरीर माद्यं खलु धर्मं साधनम् (शरीर धर्म के लिए साधन है)

प्राचीन काल में ऋषि-मुनियों के गुरुकुल-आश्रम, द्राह्याण-पर्णशालाएं एवं द्वं संत कुटीर आदि शिक्षा के केन्द्र थे जिनमें युसुओं द्वारा अपने शिष्यों को ब्रह्मचर्यं दीत नियमों का पालन कराते हुए शरीर-ध्यायाम् एवं शस्त्रास्त्र-संचालन का शिक्षण द्वारा युद्ध आदि के कौशल शिक्षण एवं अभ्यास के साथ-साथ अस्वारोहणं मूल्यां आखेट आदि कियाकलापों में विद्यार्थी भाग लेते थे। नदी और सरोवरों के तटीयों कीड़ा कलापों के शिक्षण स्थल थे। स्वयंबंव-समारोह एवं राजप्रसादों के सुने भूमि में आयोजित जन समाराहों में शस्त्रास्त्र संचालन एवं मल्लयुद्ध आदि क्रियाएँ कौशल-परीक्षण के प्रदर्शन इस बात के पक्के प्रमाण हैं कि भारतीय संस्कृति धर्म शिख थी। प्राचीन भायुवेदिक ग्रन्थों में भी स्वास्थ्य और आरोग्यता के लिए व्यायाम प्रावश्यकता पर बल दिया गया है। कौटिल्य के धर्मशास्त्र, चौनी यात्रियों के उन नालन्दा और तदशिला जैसे विश्वविद्यालयों से भी उस समय के शारीरिक स्वभाव और ध्यायाम् शिक्षण का पता चलता है।

मुगलबादशाहों काल (1200 से 1825) में सैनिक संगठन शक्ति पर विशेष दिया गया। यद्यपि भारतीय संस्कृति से प्रात वश परम्परागत ध्यायाम् प्रणाली भी सर्व में प्रचलित थी, परन्तु इसक साध-साध भाला, घजर, कुशती, पोतो, अस्वारोहण, शिख धन्य पशु सहन, शतरज, चोपड़, गुल्मी इष्टा, पतम एवं कदूतर भाजी, पदियों की समादि ध्यायाम्, शस्त्र विष्णाए, नेतृ-बीड़ाएँ और मनोरंजन के साधन थे। तेजोकी गोंगों द्वा यहुन गोक था। धर्माद्वे, तारीमगाने, ध्यायाम् मन्दिर आदि संगठनों द्वारा भी प्रशिक्षण दिया जाता था और इस्ते शत्रा-महाराजाओं द्वारा बादशाह संरक्षण भी थाला था।

गोदावरी यज्ञान और जाट आदि गणाओं एवं सरदारों के बाल में सभारन विभिन्न राज्यों में दिसात्रिन था। धर्मजी बन्दियों के ग्रामों के विसाक्ष स्वामी भगवान् भी गोंग शूभ्र रहे थे। उत्तर भारत में धर्माद्वे, तारीमगाने द्वारा ध्यायाम् द्वारा दिया में दर्शित थी वसारिम, पूर्व में ध्यायाम्-गृह, परिगम में हतुमान द्वारा

गिरि, जिमखाने तथा व्यायाम मण्डल आदि संगठनों एवं संस्थाओं द्वारा व्यायाम शिक्षण एवं उनके अध्यायाम की सुविधाएँ आम जनता के लिए उपलब्ध थी। इनमें कुश्ती, एड बैठक, सूर्य नमस्कार, मलखम्ब, मुग्दर-जोड़ी व करेली प्रमाणा, लाठी-बनेट व लेजिम, रसा-भाला व जम्बिया आदि व्यायामों वा शिक्षण अनुभवी गुरुओं, उस्तादों और रीफाओं के मार्ग दर्शन में दिया जाता था। नदियों, झीलों और बड़े तालाबों में तौराकी ताढ़ोरो, नोका चालन एवं नोका विहार का शोक लोगों में मौजूद था।

ब्रिटिश शासन काल में स्वतन्त्रता-संग्राम के आनंदोलन को समाप्त करने के लिए जी सरकार द्वारा व्यायाम प्रशिक्षण के केन्द्रों, प्रखाड़ों, व्यायाम शालाओं, जिमखानों दिव प्रतिबन्ध लगा दिए गये। लोगों का ध्यान नोकरियों की ओर आकर्षित किया गया। व्यायाम प्रेमी एवं क्रान्तिकारी भारतीयों को गिरपतार करके सजाएं दी गई। उका प्रभाव यह हुआ कि भारतीय परम्परागत व्यायाम पद्धति का पतन होता चला गया पा भारतीय व्यायाम पद्धति की गिरावट में कुछेक और भी कारण जुड़ गये। जैसे :—

। विदेशी शासकों को द्वे पूर्ण नीति

। पाश्चात्य संस्कृति एवं सन्ध्यता का प्रभाव

व्यायाम शिक्षण संस्थाओं को आश्रय एवं संरक्षण की समाप्ति

लोगों में सरकारी नौकरी का आकर्षण

पश्चिमी खेलों को प्रोत्साहन

शारीरिक बल और शक्ति में गिरावट

भारतीय व्यायामों के प्रति अवृच्छा

अखाड़ों पर प्रतिबन्ध लगाने की सरकारी घोषणा

गुरुओं, उस्तादों एवं खेलिकाओं में पारस्परिक ईच्छा, द्वे प्रारम्भ

घनि वर्ग का व्यायाम के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण

ब्रिटिश शासन के दबाव और सामाजिक चेतना के रूख में परिवर्तन के कारण भारतीय प्रारम्भ व्यायाम-संस्कृति को गहरी चोट लगते के बावजूद भी गुलामी की जंजीरों से छोड़कर स्वाधीन भारत के लिए लड़ने वाले लोगों की बड़ती हुई जागरूकता ने शारीरिक, शक्ति और एकता के लिए व्यायाम शालाओं, व्यायाम मन्दिरों, जिमखानों, तालांम जैसे गरादिमों और कलारिसों जैसी संस्थाओं का पूनर्गठन किया। समाज के पढ़े-लिखे देवीबो वर्ग के लोगों में इस कार्य के प्रति चेतना पैदा हुई। समाज में सामाजिक क्रान्ति और जागरूकता के लिए व्यायाम शिक्षण संस्थाओं की मावश्यकता को महसूस किया जाने गा। इसीलिए 20वीं सदी का प्रारम्भ शारीरिक शिक्षा के इतिहास में नव जागरण का लाल दहलाता है। घनेकों कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह पर ऐसे संगठनों की ओर भारतीय संस्कृति पर आधारित व्यायाम शिक्षण एवं प्रसार के लिए जूट पड़े।

प्रसार, शारीरिक शिक्षण एवं योग शिक्षण के केन्द्रों की स्थापना होने लगी। जैसे :-	
वर्ष	संस्थापक
1904 जुमादादा व्यायाम मन्दिर बडोदा	राजरत्न प्रो. माणक राठौड़
1908 वाई. एम. सी. ए. कलकत्ता	डॉ. हैनरी फ्रे
1914 हनुमान व्यायाम मन्दिर अमरावती	अनन्तकृष्ण-भगवान्धण वंश
1919 दक्षिण जिमखाना-पूना	
1920 वाई. एम. सी. ए. मद्रास	श्री एस. सी. वक
1922 कठियावाड़ व्यायाम प्रसारक मण्डल भावनगर	सरदार पृथ्वीसिंह भावान्द
1923 गुजरात व्यायाम प्रसारक मण्डल अहमदाबाद	
1925 बोड़ फार फिजिकल वैलफेयर महाराष्ट्र	डा. कोकरडेकर
1925 सेण्ट्रल प्रोविन्स एण्ड बरार ओलम्पिक इयोतमाल	
1927 भारतीय ओलम्पिक एसोसियेशन	दोराबजी टाटा-प्रथम पद्म
1928 आखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षा मण्डल	प्रथम अधिवेशन पूना
1930 अहलिया राम व्यायाम प्रसारक मण्डल नासिक	
1938 शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय काम्बोडी वम्बई थो. पी. एम. जोसेफ	
1946 अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षा मण्डल	द्वितीय अधिवेशन अमरावती

इसके प्रलापा भारतीय योग पढ़नि पर आधारित स्वास्थ्य और शारीरिक के संस्थानों का विकास हुआ। हरिद्वार एवं झूपिकेश में स्वामी थदानन्द एवं शिवानन्द योग आश्रम, स्वामी डा. कुबल्यानन्द द्वारा लोनावला वम्बई में केवल्यधाम प्रशिक्षण केन्द्र, घंगाल में ध्रताचारी समाज और वम्बई में गोविन्दराम सेकसरिया व ग्रांफ योग एण्ड कल्चरल सिन्येसिस आदि संस्थाओं का जन्म हुआ श्री योगेन्द्र सहस्रनामाकुंज वम्बई, श्री सुन्दरम् योग केन्द्र वगलोर, श्री खी. एन. कु मद्रास आदि में भी योग प्रशिक्षण केन्द्र चालू किए।

राजस्थान में भी महिलाओं के शारीरिक विकास और स्वास्थ्य के लिए स्वतन्त्रता सेनानी एवं भूतपूर्व मुक्य मत्रों श्री हीरातारा शास्त्री ने जयपुर के बनस्पती गांव में ग्राम महिला विद्यापोठ की, सन् 1935 में स्थापना की। उतना यह माना जा कि—“स्वस्थ शरीर के कन्धों पर ही स्वस्थ मस्तिष्क रह सकता है”। पुत्रों की मांद में उन्होंने इस संस्था की नीव रखी जिसे प्राज हम महिला विश्वविद्यालय में देख सकते हैं। इस मंस्ता में महिलाओं के लिए शारीरिक व्यायाम पर धर्म बत दिया गया। यहाँ पुड़ मवारी, स्वीमिंग, लाटो, भाला, योगामन, फुटबाल, वार्फ एवं बज्जू आदि में वातिराधी की विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। जोधपुर प्रान्त में शारीरिक व्यायाम का गिरावण एवं परीक्षण स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम के साथ जुड़ा है। यह त्रिमास उत्तीर्ण होता अनिवार्य या। कुन्ती दा शोइ भी राजस्थान के ग्रामों परा-

रहा है। भारत का प्रसिद्ध पहलवान गुलाम प्रयम जिसे पिंडत मोतीलाल नेहरू न में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में भाग दिलाने के लिए स्वयं अपने साथ ले गये थे औ जोधपुर का ही बाबा था ।

वहने का तात्पर्य यह है कि स्वाधीनता प्राप्ति के लिए एकजुट होकर शक्ति, वल, र साहस संबंधन में भारतीय व्यायाम शालाओं एवं जिमखालों जैसे समठनों का विशिष्ट स्थान रहा है। स्वाधीनता पश्चात् हमारी सरकार ने इस और विशेष ध्यान देते शिक्षा के साथ-साथ शारीरिक शिक्षा, डेल-कोड़ा और मनोरंजन पर भी वल दिया । यह परिणाम कि आज हमारे देश में आधुनिक किस्म के जिम्नेजिम और ट्रैनिंग पूल बनने लगे हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण तथा उससे संबंधन विभिन्न संस्थानों पर इनके निर्माण के लिए आर्थिक एवं तकनीकी महायता भी दी जाती है। यही रण है कि आज लोगों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं को देखने तथा उनमें गतेने के सुविवर प्राप्त हैं ।

भाज में व्यायाम-शाला और तरणताल की आवश्यकता—

इतिहास इस बात का साक्षी है कि मानव जीवन में शारीरिक विकास और रंजन के लिए व्यायाम शालाओं और तरण-तालाओं की महत्ता रही है। क्योंकि जीवन-न्यापन के लिए स्वास्थ्य और मनोरंजन आवश्यक है। दिनचर्या से उत्पन्न न के निवारण एवं खाली विश्रान्ति-काल में भी व्यायाम, तंराकी और विविध-सेल-एं मनोरंजन के साधन हैं। इनके लिए आज के युग में सुलभ स्थान की जरूरत है। हमारी व्यायाम शालाएं, जिम्नियम और तरणताल ही पूरी कर सकते हैं। अतः साम शाला एवं तरणताल की उपयोगिता को पृथक्-पृथक् सारांश में निम्न प्रकार दिया गया है :—

व्यायाम-शाला की उपयोगिता एवं महत्व—

1. सम्पूर्ण वर्ष कार्यक्रमों का संचालन (year-round Program)
2. विविध कार्यक्रमों के आयोजन (Variety in Program)
3. शरीरगाढ़ी एवं अनुकूलन कार्यक्रम (Body Remedial & Adaptive Program)
4. भौपूर्म से सुरक्षा (Weather-Safety)
5. सुविधाजनक एवं गुणकारी शिक्षण (Convenient & Effective Teaching)
6. कार्यक्रम में नियमितता (Regularity in Programme)
7. अनुगासन एवं समय-पावनी (Discipline & Time-Saving)
8. स्पर्धा सुविधाएं (Competition Facilities)
9. योग्यता एवं क्षमता विकास (Developing Competency & Efficiency)
10. व्यायाम विवितमा प्रयोग (Applying Physio-Therapy)
11. कार्य क्षमता में वृद्धि (Increasing efficiency)

(स) तरणताल की उपयोगिता एवं महत्व—

1. स्वास्थ्य एवं स्वस्थता (Health & Fitness)
2. जलीय सुरक्षा शिक्षण (Learning Water Safety)
3. तंत्रोक्ति एवं गोताघोरो कौशल नेपुण्यता (Developing Swimming & Diving Skills)
4. आत्म एवं साहसिक विकास (Improving Self-reliance & Adventure)
5. जलीय चिकित्सा प्रयोग (Applying Hydro-therapy Treatment)
6. जीवन सुरक्षा ज्ञान (Life Safety Knowledge)
7. जलीय क्रीड़ा स्पर्धाएं (Competition in water sports)
8. जलीय कौशल शिक्षण (Learning Aquatic skills)
9. जलवायु सुरक्षा (Climatic Safety)
10. सामाजिक सम्बन्ध स्थापना (Developing Social Contact).
11. मनोरंजन (Recreation)

जिम्नेजियम एवं तरणताल की महत्ता पर प्राइवेट शारीरिक शिक्षा शास्त्री सो. सी. कोवल (C.C. Cowell) ने बालक के सर्वांगीण विकास के परिवेत में प्रकार अपने विचार व्यक्त किये हैं—The Gymsasiums, Swimming P and Playing Fields under good supervision give plentiful opportunity for self-expression. Children get a chance to choose activities friends. They are more free from resentment and restraint. Self-expression and self-reliance are important factors in emotional poise self-control.

व्यायाम-शाला की बनावट एवं साज-सज्जा—

(Construction & Maintenance of Gymnasium)


व्यायाम शालाएं दो प्रकार की होती हैं—खुली व्यायाम शाला और बन्द व्यायाम शाला। उपलब्ध साधन-सुविधा एवं विस्तीर्ण स्थिति को दृष्टि गत रखकर किसी भी की व्यायाम शाला का निर्माण किया जा सकता है। उपयोगिता की दृष्टि से व्यायाम शाला अधिक सामन्तर रहती है। व्यायाम शाला बहु-प्रयोजनीय बनानी व जिसमें परम्परागत भारतीय व्यायाम, भारतीय जिम्नास्टिक्स, शरीर सूख्त एवं ध्यादि व्यायामों के अतिरिक्त विभिन्न सेलो जैसे—कुश्ती, बाँधिंग, भारोत्तोलन, बाल, बालिबाल, बैंडिंग्टन, टेबिल टैनिस आदि को सुविधाएं हो और अवश्य पढ़ने पर इनकी स्पर्धाओं का सचालन भी कराया जा सके। इस दृष्टि से व्यायाम

निर्माण के पूर्व उसकी आकार और स्वरूप के निम्नांकित विभिन्न पहलूओं पर विचार तरके योजना बनानी चाहिए :—

1. आकार एवं स्वरूप (Shape & Size)
2. फर्श (Floor)
3. दीवारें (Walls)
4. छत (Ceiling)
5. प्रकाश, वायु एवं जल व्यवस्था (Light, Air & water arrangement)
6. ताप व्यवस्था (Heating Arrangement)
7. उपस्कर एवं उपकरण (Appratus & Equipment)
8. अन्य वांछित सुविधाएं (Other Allied Facilities)
9. व्यायाम के उपकरण (Gym'Articals)
10. मायोजित स्पर्धाएं एवं क्रियाकलाप (Organised Competition & Activities)

— व्यायाम घृह —

SMALL GYMNASIUM HALL (30X18X8M)



व्यायाम शाला का आकार एवं स्वरूप (Shape & Size) -

नेशनल प्लान आंक फिजिकल एज्यूकेशन एण्ड रिक्रियेशन द्वारा प्रदत्त प्रतिवेदन मनुसंदेश प्रमुखार-प्रत्येक विद्यालय में उसकी समर्थ-सारिणी मनुसार भास्तवों के निए

शारीरिक शिक्षा के क्रियाकलापों का नियमित कक्षावार शिक्षण-प्रशिक्षण संचालित है तथा उनमें खेल-क्रीड़ा कोशलय-नेपुण्यता विकसित करने के लिए सूखे भवन में 60×30 फिट लम्बाई चौड़ाई का एक हॉल जो 15 से 20 फिट ऊँचा हो व्यायाम भवन (Gymnasium Hall) के रूप में रखता अनिवार्य बताया गया है। जगह के में दो या तीन कमरों की परस्पर मिलाकर हाल के रूप में उपयोग किया जा सकता यदि यह भी न हो सके और विद्यालय की वित्तीय स्थिति इस काविल न हो, तो व्यायाम शाला विकसित करने का भी सुझाव है। प्रतिवेदन में शारीरिक शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों के लिए $100 \times 40 \times 18$ फिट माप का जिम्नेजियम बनाने पर बताया है।

नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान (NSNIS) पटियाला से प्रकाशित 'खेल के मंदानों की रूप रेखा' (Play Field Manual)—डॉ. आर. एल. मानन अनुसार आवश्यकता एवं सुविधानुसार व्यायामशालाओं के निम्नांकित आकार गये हैं :—

सूखे के लिए $- 20 \times 12 \times 7$ मीटर

छोटे आकार की $- 30 \times 18 \times 8$ मीटर

मंभले आकार की $- 36 \times 24 \times 10$ मीटर

बड़े आकार की $- 50 \times 30 \times 12.5$ मीटर

खुली व्यायामशाला के लिए स्थान $- 40 \times 30$ मीटर

(विद्यालयी भवन को दिवार के साथ बनाना चाहिए)

राष्ट्रीय शैक्षणिक शोध और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) नई दिल्ली प्रकाशित—"शारीरिक शिक्षा" ए ड्राफ्ट, करोव्यूलम फार क्लासिज (I से X) की अनुसार-A Gymnasium in the school is an asset in conducting some the Physical-Education classes during all seasons of the year.

विद्यालयों में व्यायाम शाला की अनिवार्यता को दर्शित रखते हुए एन. सी.ई. डो द्वारा निम्नांकित आकार के जिम्नेजियम हाल द्वारा संवेद्य के आधार पर सुझाए हैं :—

द्वारा संकेत $500\text{-से } 500 - 12.19 \times 9.14 \times 5.49$ मीटर (अंचाई)

" " $500\text{-से पहिक-}18.28 \times 12.19 \times 6.71$ मीटर (अंचाई)
व्यवहार

जिम्नेजियम हाल न बनने की स्थिति में $- 5 \times 5$ मीटर वर्गाकार का कमरा

(30 से 40 धारों की बनाव के लिए)

राष्ट्रीय शैक्षणिक परिषद ने शिक्षण के माध्यम से शारीरिक विद्या विद्यालयों के कोशल शिक्षण के नियमित धारोंजन पर धम दिया है। यदि शिम्नेजिम्नेजियम नहीं है तो शिसी भी प्रकार की बदल व्यवहार व्यायामारण गुलों जगह हो, यहाँ तक कि विद्यालय धम के वरामदे को भी उपयोग में सेने तक का सुझाव है।

iii) व्यायाम शाला का फर्श (Floor) —

व्यायाम शाला का फर्श सख्त परन्तु नमनीय बनाने के लिए लकड़ी, कार्क, चिकनी और हुई मिट्टी, लिपा हुमा गोबर अथवा मुलायम धास का फर्श अच्छा रहता है। फर्श मितल, बाधा अथवा अवरोधन रहित, तरम् एवं टिकाऊ होना चाहिए। फर्श के अन्दर व्यायाम के उठाऊ उपकरण लगाने एवं उन्हें हटाने अथवा इधर-उधर खिसकाने के लिए लीकिट, प्रेस व हुक आदि आवश्यकतानुसार लगे हुए होने चाहिए।

iii) व्यायाम शाला की दीवारें (walls) —

चार दीवारों दुर्घटना रहित, चिकनी एवं साफ सुथरी बनी हो। दीवारों में बनी खिड़कियाँ फर्श से कम से कम 1.50 मीटर की ऊँचाई पर बाहर की तरफ सुलने वाली होनी चाहिए। इसी प्रकार हाल में निर्मित दरवाजे एवं रोशनदान भी बाहर की तरफ सुलने वाले हों अथवा दीवार में ही खिसकने वाले होने चाहिए। दीवारों का रंग चमक हित रखने के लिए हल्का पीला रंग उपयुक्त रहता है। चोट से सुरक्षा के लिए दीवार र खिड़कियों के नीचे-नीचे मैटिंग भी लगाई जा सकती है। दीवारें साउन्ड-प्रूफ होनी चाहिए।

iv) व्यायाम शाला की छत (Ceiling) —

व्यायाम शाला की छत नियमानुसार कम से कम 6 मीटर पौर अधिकतम 12 मीटर ऊँची तक बनाई जा सकती है। छत में 5.50 से 5.80 मीटर की ऊँचाई पर हुक आदि होने चाहिए ताकि बलाइम्बिंग-रोप, रोमनरिंग आदि उपकरण लटकाएं जा सकें। छत के नीचे दीवार के साथ अधिकतम 1.5 मीटर आगे निकलती हुई बालकनी बनाई सकती है।

v) प्रकाश, वायु एवं जल व्यवस्था (Light, Air & Water Arrangement) —

व्यायाम शाला में समुचित प्रकाश, शुद्ध वायु एवं शुद्ध पेय जल आदि का प्रवान्ध भी चाहिए। प्राकृतिक प्रकाश एवं शुद्ध हवा आगे के लिए पर्याप्त खिड़कियाँ एवं रोशनी होने चाहिए। विद्युतीय प्रकाश की भी समुचित व्यवस्था रहनी चाहिए। अन्दर की हवा शोध बाहर निकालने के लिए एम्ब्रोस्ट फैन लगे होने चाहिए टेलिमन्डर में की पुठन महसूस न हो। प्रकाश धांधों को चकाचौध करने वाला नहीं होना चाहिए। इसी तक सम्मत ही पलड़लाइटों की सुविधा होनी चाहिए।

vi) ताप व्यवस्था (Heating Arrangement) —

व्यायाम शाला के ताप को सही बनाये रखने के लिए एवर कॉण्डीशनिंग एवं हिटिंग ऐंटर्मेंट को व्यवस्थाएं भी वित्तीय स्थितियों को रखिंगत रखकर विस्तृत रूप से जा जायेंगी। दिल्ली निर्मित इन्शिरा गांधी इन्ड्रोर-स्टैंडिंग में इस प्रकार की संतुष्ट व्यवस्था की गई है।

(vii) उपस्कर एवं उपकरण व्यवस्था (Appratus & Equipments) —

व्यायाम शाला के उपकरण उठाऊ एवं स्थान्तरित (Portable & Adjustable) होने योग्य लगाने चाहिए जिससे व्यायामशाला को बहु-प्रयोजनीय बनाया जा सके। गुणात्मक दृष्टि से उपकरण नियमानुसार अच्छे बने होने चाहिए।

(viii) अन्य वांछित सुविधाएँ (Other allied facilities) —

व्यायाम शाला से मंलग्न अन्य सुविधाएँ जैसे—पुरुष एवं महिला प्रमाणी (शीचालय आदि); स्नानगृह, पेयजल-गृह; वाणवेसिन; लाकर्स एवं इंस चेजिंग रूम, स्टोर; डिस्पेन्सरी, मैडीकल जांच कक्ष, शिक्षण कक्ष एवं कार्यालय आदि का प्रवास होने चाहिए।

जिम्नास्टिक, भारीत्तोलन: कुश्ती, जुड़ों एवं शरीर सीप्टब आदि स्पर्धाओं अतिरिक्त व्यायाम शाला भवन के हाल में बास्केटबाल, वालिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस आदि खेलों का शिक्षण-प्रशिक्षण एवं स्पर्धाओं का आयोजन भी किया जा सकता है। लेकिन इस प्रकार के संचालन की सफलता व्यायाम शाला के आकार, स्वरूप एवं उपलब्ध साधन-सुविधाओं पर निर्भर करती है। अतः व्यायाम शाला निर्माण करने पूर्व उमड़ी योजना से सम्बद्ध समस्त तत्वों पर विचार कर लेना दूरदृशिता का घोतक है।

(ix) व्यायामशाला में आवश्यक उपकरण एवं सामग्री सकलेन —

व्यायाम शाला में जिम्नास्टिक्स, शरीर सीप्टब, एवं शरीर अनुकूलन तथा तुरंगादि के उपकरणों की सुविधाएँ होनी चाहिए। इस दृष्टि से एक अच्छी व्यायाम में व्यायाम के निम्नांकित उपकरण होना आवश्यक है :—

बालिंग होस; पोमेलहास; बालिंग बक; बीट थोड़; होरिजेन्टल बार; बैयार; घनइबन बास; बाल बास; डिपिंग बास; रोमनरिस (स्वीग एवं टैन्मन सहित); बलाइन्विंग रोप; सेटर रोप; फोम लैण्डिंग पिट, मलखम्ब; मुगदर; बैले फोम; लैण्डिंग मेट्रस; रेस्टलिंग मेट; जिम्नास्टिक बैच; एडजस्टेबल बैच; बुडन फार्म: लैगकल मशीन; पुलीज; स्वेट स्टैण्ड; रिस्ट रोलर, सुपर पावर रैक, पार्प रैक, डम्बलन्म, स्वीग डम्बलन्म, डिस्क रैक, यारवैल सेट, मिटप्रप बोर्ड्स, मैटिंग बाहम, जिम्नास्टिक स्टोरम, यह शीरो, फस्टर्एड बाकम, थ्रेटिंग मशीन, कारबोनेट दैमंगनेनिया तथा नापने का फीता आदि।

(x) आयोजित स्पर्धाएँ एवं क्रियाकलाप

(Organised Competition & Activities)

(i) जिम्नास्टिक्स (Gymnastics) —

Boys—

1. Parallel Bar (Compulsory or Optional)

2. Vaulting Horse (" ")

3. Grouped Exercise (" ")

4. Horizontal Bar (Compulsory)
5. Pommelled Horse "
6. Roman Rings "

Girls—

1. Beam Balance (Compulsory or Optional)
2. Ground Exercise (" ")
3. Uneven Bar (Compulsory)
4. Vaulting Horse (Optional)

(ii) भारोत्तोलन (Weight-Lifting)—

1. Fly weight	upto 52	Kilograms
2. Bentam weight	upto 56	"
3. Feather weight	upto 60	"
4. Light weight	upto 67½	"
5. Middle weight	upto 75	"
6. Light Heavy weight	upto 82½	"
7. Middle Heavy weight	upto 90	"
8. Heavy weight	110	"
9. Super Heavy weight morethan	110	"

(iii) कुश्टी (Wrestling)—

Weights	Juniors	Seniors
1. Paper weight	46 kg.	—
2. Pin weight	49 kg.	48 kg.
3. Fly weight	52 kg.	52 kg.
4. Bantam weight	57 kg.	57 kg.
5. Feather weight	62 kg.	62 kg.
6. Light weight	67 kg	68 kg.
7. Welter weight	73 kg.	74 kg.
8. Middle weight	79 kg.	82 kg.
9. Light Heavy weight	—	90 kg.
10. Heavy weight	—	100 kg.
11. Super Heavy weight	—	Above 100 kg.

तरणताल की आकृति और उसका निर्माण— (SHAPE & CONSTRUCTION OF SWIMMING POOL)

प्रकृति पर मानव विजय का अभियान उसके जीवन संघर्ष की लम्बी कहानी है। इस अभियान के क्रियाकलापों की नियन्त्रित एवं अधिकार प्राप्त चेष्टामों ने ही धीरे धीरे खेल-कीड़ा जगत में मनोरंजन एवं साहसिक क्रियाओं का स्थान प्राप्त कर निया है। जलीय क्रियाएं भी उनमें से एक हैं जिनका उद्दगम मानव सम्यता के संघर्षपूर्ण विकास साथ जुड़ा है। प्राचीन नदी-धाटियों की सम्यताएं इम बात के उदाहरण हैं कि जलीय स्त्रीतों के बिनारे आदिम मानव जीवन का पोषण हुआ। नदी, सरोवर और समुद्र में उसका तंरना, डुबकी लगाना, मछली पकड़ना, नौका चालन, तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्राएं करना जो उस समय मानव के जीवन-पोषण के आधार थे, वे भी इस विज्ञान के मुग में शारीरिक व्यायाम, स्वास्थ्य और खेल-कीड़ा मनोरंजन के साधन बन गये हैं। इनके सुधारात्मक स्वरूप से अनेकों प्रकार के कौशलयुक्त क्रियाएं इस प्रका विकसित हो गई हैं कि आज उनकी स्थर्द्धाएं आयोजित होती हैं, गौरव एवं सम्मान लिए पुरस्कार वितरण समारोह होते हैं, जिन्हे आम जनता देखती है। थी. ए. विलियम (J. F. William) के अनुसार Swimming is an important activity for the maintenance of good health as a means of wholesome recreation (Org. & Adm of Phy. Edu P-229)

जलीय कीड़ा दोन में उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आज समाज को शिक्षण-प्रशिक्षण एवं अभ्यास के लिए विशेष तकनीकी एवं नियमगत निर्मित तालाबो (Swimming Pools) की आवश्यकता है जिनमें सम्पूर्ण साधन, सुविधा उपलब्ध हो। अतः इस प्रकार के तरण-तालाबो की आकृति और निर्माण के निम्न प्रकार विन्दुवार विचारना आवश्यक है :—

क—तरणताल की आवश्यकता एवं उद्देश्य

ख—उसकी आकृति एवं स्वरूप

ग—तरणताल के प्रायतन की विवरण

घ—तरणताल प्रवेश मार्ग प्रणाली

ङ—तरणताल से जुड़ी सुविधाएं एवं उपकरण

च—जल स्वच्छता एवं शुद्धिकरण प्रणाली

छ—ताप व्यवस्था प्रणाली

ज—तालकटोरा तरणताल नई दिल्ली

झ—स्पर्धाएं एवं सचालन अधिकारी

क-तरण ताल की आवश्यकता और उद्देश्य -

(Need & Objectives of Swimming Pool)

मानव सभ्यता के विकास में नदी, सरोवर एवं जलाशय के जल का विशेष योगदान रहा है। जलीय स्त्रोतों के तटीय प्रदेशों में आदिम सभ्यता फली-फूली है। यही कारण है कि जल में विचरण एवं तैरना मानव प्रवृत्ति रही है। इसी प्रवृत्ति को प्रेरणा स्वरूप मानव ने जल पर विजय प्राप्त करने के साथ-साथ जलीय क्रियाकलापों एवं कर्तव्यों के द्वेष में इस कदर विकास किया है कि आज नदियों, सरोवरों एवं जलाशय के जल में विविध प्रकार के साहसिक करतव देखने को मिलते हैं।

तैराकी, गोताखोरी, विविध प्रकार से जल में विचरण करना, डुबकियाँ एवं लावाजी लगाना तथा संगीत की धून पर जल में नृत्य करना (Synchronized Swimming) आदि के कार्यक्रम आधुनिक युग की देन है। इन क्रियाकलापों एवं कर्तव्यों का विधिवत् नियमित शिक्षण और अभ्यास, प्रशिक्षण और कौशल्य नेपुष्ट्यता र्घाएँ एवं समारोहों शारीरिक स्वास्थ्य और मनोरजन आदि के लिए आधुनिक ढंग के एवं तात्पारों के निमिणि की समाज को आवश्यकता है, जिनमें बिना किसी याद्या एवं वरोद्यों के तैराकी एवं गोताखोरी के क्षेत्र में निम्नांकित उद्देश्य प्राप्ति का लाभ लोगों के मित सके :—


1. तैराकी एवं गोताखोरी में कौशल का विकास
(Developing Swimming & Diving Skills)
2. स्वास्थ्य एवं मोरंजन की उपलब्धि (Providing Health & Recreation)
3. जल-क्रीडाओं में स्पर्धा-आयोजन
(Organising Competition in water-sports)
4. जीवन सुरक्षा ज्ञान (Learning Life-Safety)
5. मानन्द और हृषे को भनुभूति (Realizing Pleasure & Enjoyment)
6. आत्मविस्वास और साहस वृद्धि (Improving Self-reliance & Adventure)
7. जलीय चिकित्सा प्रयोग (Applying Hydro-therapy treatment)
8. जल-क्रीडाओं का शिक्षण और प्रशिक्षण
(Teaching & Training in Aquatic skills)
9. साहसिक करतावों का विकास Developing water-sports)
10. सभ पर्यंत कार्यक्रमों का संचालन (Organising the year-Round Programmes)

ख-तरण ताल की आकृति एवं स्वरूप-

(Shape & Size of the Pool)

मुद्रितया दो प्रकार के तरण ताल होते हैं—सुले तरण ताल और बन्द तरण ताल। सुले तरण ताल उन्हें कहते हैं जिनके चारों तरफ चार दीवारी एवं ऊपर दूर नहीं होती है। बन्द तरण ताल के चारों तरफ दीवारें और ऊपर छत बनी होती है जिसका यह तार रहता है कि तैराक और उम्रके शिक्षण-प्रशिक्षण पर किसी प्रकार की जलबायी का बुध प्रभाव नहीं पड़ता है।

- तरण ताल लैब्रेर -



तरण ताल की आकृति एवं उतके स्वरूप की दृष्टि से निम्न प्रकार के तरर देखने को मिलते हैं—

- | | |
|---------------|----------------|
| आई आकृति वाले | जैड आकृति वाले |
| एल " " L | यू " " U |
| टी " " T | वर्गाकार " " □ |

ग-तरण ताल भायतन की बनावट-

(Construction of the Pool-Basin)

तरण ताल के भायतन को बनाने से पूर्व निम्नाकित विन्दुओं पर विचार का आवश्यक है—

1. भायतन की लम्बाई और चौड़ाई

2. आयतन की गहराई
3. आयतन की चार दिवारी
4. आयतन का फर्श एवं उसका ढाल
5. आयतन में लगे चिन्ह एवं उपयोगी उपकरण
6. आयतन के चारों ओर का ढेक क्षेत्र
7. होठ नुमा बने अति-प्रवाह परनाले
8. तैराकी प्रस्थान खण्ड एवं प्रारम्भ मंच
9. बैक स्ट्रोक के लिए हैण्ड-होल्ड ग्रिप
10. डुबकी जलाशय के यूदान बोड्स

1. तरण ताल आयतन की लम्बाई और चौड़ाई—

(Length & width of the Pool Basin)

मान्य स्तर की जल-कीड़ा प्रतियोगिताओं के लिए तरण ताल आयतन का नाप निम्न प्रकार का होना चाहिए :—

तैराकी हेतु तरण ताल— $50 \times 21 \times 1.80$ मी. (गहरा)

डुबकी हेतु जलाशय — $20 \times 20 \times 5.00$ मी. (गहरा)

इसके अलावा शिक्षण, अभ्यास एवं उपलब्ध साधन सुविधाओं के आधार पर थोटे-बड़े आकार के जलाशय एवं तरण ताल बनाये जा सकते हैं परन्तु उनकी लम्बाई का नाप 100 मीटर की भाजक संख्या जैसे 10 मी. 20 मी. अथवा 25 मी. रखना चाहिए। चौड़ाई का नाप 2.5 मीटर से भाज्य होने वाली संख्या जैसे 12.5 मीटर अथवा 15 मी. मानकर इसमें एक मीटर का नाप अधिक रखना चाहिए। जिससे तरण ताल की लम्बाई बाँजू के दोनों किनारों से 50-50 से. मी. जगह छोड़कर तरणताल में 8 गलियाँ बनाई जा सकें।

2. आयतन की गहराई—

(Depth of the Pool-Basin)

(प) तैराकी प्रतियोगिता के लिए — 1.80 मीटर

(व) प्रारम्भिक तैराकी शिक्षण के लिए— 1.00 मीटर से 1.50 मीटर

(स) वाटर पोलो के लिए — 1.80 मीटर

(द) डुबकी (डाइविंग) के जमिंग बोर्ड की ऊंचाई के आधार पर निम्न प्रकार जल-कुण्ड की गहराई रखते हैं :—

जल सतह से बोर्ड-ऊंचाई तालगहराई

एक मीटर के लिए 3.80 मीटर

तीन मीटर „ „ 4.00 मीटर

पांच मीटर ; „ „ 4.00 मीटर

साडे सात मीटर,,	4.50 मीटर
दस मीटर "	5.00 मीटर

3. आयतन की चार-दीवारी-

(Four walls of the Pool-Basin)

आयतन के चारों प्रोर की दीवारें सम्बद्ध बनो होनी चाहिए तथा उनके निम्ने वाले किनारों की समस्त कोर गोलाई में रखनी चाहिए । दीवार चिकनी एवं साक मुपरी बनी होनी चाहिए ।

4 आयतन का फर्श एवं उसका ढाल

(Floor & the slope of the Pool Basin)

तरणताल में फर्श का ढाल (Slope) तंराकी प्रस्थान खण्ड की तरफ से गोताखोरी जल कुण्ड की प्रोर रखा जाता है । तंराकी प्रस्थान खण्ड को कम गहरा छायबा छिकने द्वारा बाला भाग (Shallow-End-Side) कहते हैं प्रोर इसके सामने दूसरी प्रोर किनारे को गहरा द्वारा बाला भाग (Deep-End-Side) कहते हैं ।

ऐसे वह-प्रयोजनीय-ताल जिसमें प्रारम्भिक शिक्षण, तंराकी प्रतियोगिता एवं गोताखोरी का सम्मिलित प्रावधान रखना हो उसमें छिक्के द्वारा से लेकर गोताखोरी (डुबकी) के जल-कुण्ड प्रारम्भ होने की दूरी तक फर्श का ढालान $20 : 1$ के अनुपात रखा जाता है तथा डुबकी जल कुण्ड (डाइविं पूल) प्रारम्भ होते ही फर्श का ढालान $3 : 1$ के अनुपात में बदल जाता है ताकि गहरे द्वारा (Deep-End-Side) तक इसकी गहरी 5 मीटर हो जाये ।

लेकिन तंराकी एवं गोताखोरी के जलाशय (Pool) अलग-अलग बनाये जाने पर तली के फर्श का ढालान एवं गहराई को तस्तरी नुमा (Saucer-Shape) बनाया जाता है ताकि उसकी घुलाई, सफाई, एवं स्वच्छता में सरलता रहे प्रोर तली के मध्य लगे छोटे पाईप से सारा पानी बाहर निकल जाए । यही कारण है कि—

(प) तरण ताल की तली चारों प्रोर से 1.80 मीटर एवं मध्य से 2.50 मीटर गहरी बनाई जाती है ।

(ब) गोताखोरी की तली चारों प्रोर से थोड़ी ढालु रखकर 5 मीटर गहरी रखी जाती है ।

5. आयतन में लगे चिन्ह एवं उपयोगी उपकरण—

(Marking & Fixed Apparatus)

(प) मार्ग दर्शक फर्श रेखाएं—

(Surface Lane's Marker Guide Lines)

पृष्ठांक 96 के चित्र में दर्शाए गये सुरक्षार तरणताल के फर्श पर 8 गतियों की रेखाएँ

बनाने के लिए सम्बाई के दोनों किनारों से 50-50 से.मी. की जगह छोड़कर यह मार्ग दशंक रेखाएं 2.50-2.50 की दूरी में ताल के फर्श पर काले टाइलों के रंग से छिपले छोर एवं गहराई के छोर की दीवारों से 2 मीटर की दूरी पर एक मीटर की चाढ़ी रेखा के साथ टी (T) भाकार से आरम्भ होती है। प्रत्येक रेखा की लम्बाई 46 मीटर एवं चौड़ाई 30 से.मी. रहती है।

(३) जल सतह पर पथ प्रदर्शक मालाएं—

(Water-Surface Lane's Marker Ropes)

तरण ताल की जल-सतह पर 8 गलियों के लिए 2.50 मीटर चौड़ाई का प्रत्येक यह प्रथक प्रथक स्पष्ट दिखाने के लिए नाइलोन तार की माला जिसमें लकड़ी अथवा प्लास्टिक के रंगीन तारिंगे (Floats) पिरोये रहते हैं चौड़ाई की दीवारों के दोनों छोरों पर लगे दो किटों से बंधी रहती है। सम्बाई की बाजू दीवार के समानान्तर दोनों ओर 50-50 से.मी. की दूरी पर इसी प्रकार रस्से लगे रहते हैं।

(४) वापिस मोड़ सूचक ध्वज रस्सी—

(Turning Rope)

यह चौड़ाई के दोनों छोरों से 5 मीटर की दूरी पर जल सतह से 1.8 मीटर ऊंचाई पर तरणताल के बाहर लगे खम्बे में तरणताल के आर-पार बांधी जाती है।

(५) पुनःबुलाने की रस्सी—

(Recall or False Start Rope)

तरणताल में प्रस्थान क्षेत्र के सामने 15 मीटर की दूरी पर बाहर लगे खम्बों में तरण ताल के आर-पार एक रस्सी इस प्रकार से लगाई जाती है कि गलत प्रस्थान होने पर तुरन्त खुलकर जल सतह पर गिर जाने से तैराकों को लौटने का संकेत मिल सके।

(६) जल सतह के अन्दर बाजू की दीवार में बिड़कियों एवं प्रकाश व्यवस्था रहती है।

(७) बाजू की दीवार में सहारा लेने के लिए पुश्तवान लगे रहते हैं।

(८) तैराकी समापन के क्षेत्र पर विद्युतीय समय सूचक उपकरण (Touch Panel) प्रत्येक गली में लगे रहते हैं।

(९) बाटर पूलों सेल के खम्बे व नैंट आदि की उठाऊ व्यवस्था रहती है।

6. आयतन के चारों ओर का डैक क्षेत्र—

(Deck Area Around the Pool)

तरण ताल के चारों तरफ अधिकतम 5 मीटर चौड़ाई में डैक क्षेत्र बनाना चाहिए।

यह चुरुदरा एवं न फिसलने वाला थाना होता है तथा तरणताल के किनारों पर बनी नालियों की तरफ इसका 50 से.मी. चौड़ाई का क्षेत्र ईंचों कालू रहना चाहिए।

7. होठनुमां भ्रति प्रवाह परनाले— (Overflow gutters)

तरण ताल में तंराकी के कारण उत्पन्न सहर को तोड़ने के लिए एवं तंराकी के समय में वाधा उत्पन्न न हो, तथा पानी की सहर दीवार से टकराने पर दीवार से ढूने से बचाने के लिए आयतन की चार दीवारों के ऊपरी किनारे पर होटों के आयत में 20 से.मी. छोड़े तथा गहरे परनाले बनाये जाते हैं। इस प्रकार के बन्द पद्धति वे परनालों में अति प्रवाहित पानी वापिस घूमकर पुनः तरण ताल में आ जाने से जन मामा एवं सतह वरावर बनी रहती है।

8. तंराकी प्रस्थान खण्ड— (Starting Blocks)

तरणताल के प्रस्थान खण्ड का मंच जल सतह से 75 से.मी. ऊंचाई में चुनुमा प्लेट फार्म छिद्रले छोर (Shallow-end-Side) पर बने होते हैं। इस खण्ड व उपरी सतह 50×50 से.मी. वर्गकार माप में होती है तथा इसका ढाल 10° अधिक नहीं होना चाहिए। खण्ड की सतह न किसलने वाली सामग्री से ढकी रहती है प्रस्थान खण्ड के चारों तरफ प्रत्येक गली के नम्बर लिखे होने चाहिए और यह नम्बर का कम ताल के सामने तंराकी पथ के दाहिनी ओर से प्रारम्भ होना चाहिए। प्रस्थान प्रभाव और मोड़ छोरों पर रोशनी की तेजी 100 फुट कैण्डल से कम नहीं होनी चाहिए।

9. बैक स्ट्रोक के लिए हैण्ड-होल्ड ग्रिप— (Hand Hold Grip for Back stroke start)

आयतन की छिद्रले छोर की दीवार में प्रस्थान खण्ड के नीचे जल सतह से 2 से.मी. ऊंचाई पर प्रत्येक गली में बैक स्ट्रोक तंराकी को प्रारम्भ करने के लिए एक निश्चित हैण्ड होल्ड ग्रिप लगे रहते हैं।

10. गोता खोरी के स्प्रीग बोर्ड— (Diving Boards)

तरण ताल और गोताखोरी ताल के मध्य कम से कम 5 मीटर की दूरी हो चाहिए। गोताखोरी के ताल में दुबकी लगाने के लिए निम्न प्रकार से स्प्रीग बोर्ड विभिन्न ऊंचाइयों में लगे रहते हैं :—

बोर्ड संख्या	ऊंचाई	लम्बाई	चौड़ाई	किनारे से दूरी तक
एक	10 मी.	6 मी.	2 मी.	1.50 मी.
दो	7.5 मी.	6 मी.	1.5 मी.	1.50 मी.
तीन	5 मी.	6 मी.	1.5 मी.	1.25 मी.
चार	3 मी.	5 मी.	0.80 मी.	1.25 मी.
पांच	3 मी.	5 मी.	0.50 मी.	1.25 मी.
छ	1 मी.	5 मी.	0.50 मी.	1.05 मी.

जमिंग बोडं की ऊपरी सतह पर नारियल के फँस (Mats) लगे रहते हैं जो गोताथोर को वृद्धान संगति समय फिल्मने आदि को दुष्टना एवं चोट आदि लगने में रक्षा करते हैं। बन्द तरण ताल में ऊपर की छत जमिंग बोडं की सतह से 4.50 टीर ऊंची बनानी चाहिए।

(घ) तरण ताल प्रवेश मार्ग प्रणाली-

(Wade-Through-Pool-Cum-Shower)

अंग्रेजी भाषा में वेड (wade) का अर्थ है पानी में चलकर प्राप्ता। अतः ताल के के होते एवं प्रस्थान खण्ड पर आगमन के लिए तीराकों के बास्ते एक मार्ग बना होता है इसमें पांव एवं टंबने तक पानी में चलकर प्राप्ता होता है ताकि तरण ताल के जल में रों के साथ गन्दगी न आ सके। इस मार्ग में पानी सदैव बहता रहता है।

(इ) तरण ताल से जुड़ी अन्य सुविधाओं एवं उपकरण-

(Other Facilities & Appratus)

1. सुविधाएं-डैक ट्रैक, प्रवेश मार्ग, दर्शक दीर्घी, स्नान ग्रह एवं शौचालय, ड्रेसर्जिंग रूम, लाकर रूम, गर्म एवं ठण्डे जोखी, मनोरंजन कक्ष, आडिटोरियम, कैफ्टन, दृश्यक कक्ष, कार्यालय कक्ष, मालिश एवं धार्मिग अप कक्ष, व्यायाम ग्रह प्राथमिक अधिकारी कक्ष आदि।

2. उपकरण-बैरम बलीनर, लैंडर, स्टार्टिंग व्हाक्स, सरफेस लाइन-बोथर्ज, टर ट्रैस्टिंग किट, डैक बैन्चिज, स्कोर बोर्ड, बासं व खम्बे, जीवन मुरक्खा ट्यूब एवं रस्से, ब्रेश, रिकॉलरोप' टनिंग रोप, पबोटिड रोप, फस्ट एड वाक्स, बुलेटिन बोर्ड, मोटर ब्रैक, ब्लीचिंग पाउडर, बलोरीन एवं फिटकरी आदि।

(च) तरण ताल शुद्धिकरण प्रणाली-

(Water Cleaning Process)

तरण ताल अथवा ड्रूकी जल कुण्ड के जल की स्वच्छता एवं सफाई की व्यवस्था दोनों भ्रति आवश्यक है। इस कार्य के लिए तरण ताल के जल को खाली करके उसे दिवच्छ किया जाता है और फिर उसे पुनः तरण ताल में भेजा जाता है। ऐसी प्रक्रिया निम्न प्रकार की प्रणालियों द्वारा सम्पादित की जाती है :—

1. जल निकासीय प्रणाली (Pool's water empty System)

तरण ताल के चारों ओर की दीवार में जल सतह के किनारे होठनुमा (Lip Type Gutters) नालियां बनी रहती हैं जिनका कार्य सतह के ऊपर तैरते हुए गन्दे पदार्थ को जल सहर के साथ नाली के माध्यम से जल शुद्धिकरण हेतु ले जाता है।

इसी प्रकार तरण ताल के चारों ओर जल सतह के भराव को खाली करने के लिए तरण ताल के किनारे 50 से.मी. ढानू छोड़ एवं जाली से ढकी नालियों बनी रहती हैं

इनका कार्य भी तरण ताल के अधिक जल को बाहर निकाल कर जल शुद्धित प्रणाली हेतु भेजना है ।

तरण ताल के समूचे जल को छाली करने के लिए तली के अधिकतम द्वारा पर्याप्त जल निकासी खिंड (Suction outlet) रहते हैं जिनके द्वारा तरण ताल का शुद्धिकरण हेतु भेजा जाता है ।

2. जल शुद्धि करण एवं स्वच्छता प्राणाली—

तरण ताल का गन्दा जल बाहर निकालने के बाद उसे स्वच्छ एवं शुद्ध करने के लिए निम्नांकित प्रक्रियाएँ अपनाई जाती हैं :—

(अ) जल छानने की प्रक्रिया (Filtration Plant)

(ब) जल मन्थन प्रक्रिया (Skimming or Circulatory Plant)

(स) जल रसायन प्रक्रिया (Treatment Plant)

इस प्रकार तरण ताल से लगी जल निकासीय नालियों द्वारा बाहर भेजा जल व्यर्थी न होकर इसके पुनः उपयोग के लिए इसे सर्व प्रथम छाना जाता है ताकि कड़कट बाहर निकल जाये । फिर इसका मन्थन किया जाता है ताकि इसका एक तरफ ही जाए और इसमें आवसीजन का सम्मिश्रण किया जाता है । अन्त में पूर्णतया शुद्ध, स्वच्छ, दोष रहित एवं किटागु रहित बनाने के लिए इसमें ब्लोरिन, फिठकरी भादि के रसायनिक घोल मिलाकर इसको पुनः तरण ताल में भेज दिया जाता है । इस प्रकार जल शुद्धि के लिए प्रति 24 घण्टे में चार बार जल परिव्रस्त होता है ।

(छ) तरण ताल ताप व्यवस्था प्रणाली—

(Heating arrangement System)

तरण ताल का सम्पूर्ण बातावरण तंत्राक के लिये अनुचूल एवं सहनीय बनावें लिए गए रखना चाहिए है जिससे सम्भाली अस्तियोगियों को उड़े जल की ठिकाने होने वाले कम्पन एवं शारीरिक नुकसान से बचाया जा सके । इसके लिए तरणताल में एवं तंत्रावर, बोइलर और कुलिंग टावर प्लाष्ट संग्राहक तरणताल के जल एवं बातावरण को निम्न प्रकार बनाए रखना चाहिए :—

- (1) तंत्राकी प्रतियोगिता के लिए — 75° से 77° फैरनहाइट (24° से 25° सेंटीग्रेड)
- (2) तंत्राकी निक्षण के लिए — 78° से 80° „ (26° से 27° सेंटीग्रेड)
- (3) गोताघोरी जलाग्नि के लिए — 78° से 80° „ (26° से 27° सेंटीग्रेड)
- (4) तरण ताल बृद्धि का बायु ताप जलीय ताप से 50° फैरनहाइट अधिक रहा चाहिए ।

(१) ताल कटोरा तरण ताल नई दिल्ली-

नवम एशियाई खेल 1982 के आयोजन के लिये संग्रहग नी करोड़ की लागत से यह नई दिल्ली तरण ताल बनाया गया। इसमें 6000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है। यह रण तरण ताल 12½ एकड़ भूमि में अण्डाकार स्वरूप में बना हुआ है। इसमें कुल नी तरण ताल हैं, जिसमें तीराकों एवं गोताखोरों प्रतियोगिताओं के लिये दो खुले रण ताल हैं और तीराकों के अभ्यास एवं शारीरिक स्फूर्ति (Warming-up) के लिये उन बढ़ वातानुकूलित तरण ताल हैं जिनके क्रमशः माप निम्नांकित हैं :—

प्रयोजन	लम्बाई	चौड़ाई	गहराई
(तीराको के लिये)	50 मी.	×	26 मी.
(गोताखोरों के लिए)	25 मी.	×	5 मी.
(अभ्यासार्थ वातानुकूलित)	50 मी.	×	12.50 मी.

नवम एशियाई खेलों में इस तरण ताल में तीराको एवं गोताखोरों की कुल 34 व्योगितायें आयोजित हुई थीं जिसमें 18 पुरुषों के लिये तथा 16 महिलाओं के लिये। इस तालकटोरा तरण ताल स्टेडियम में 6 एयर कंप्लेक्शनर, होट-एवसचेंजर बूलिंग रा, वैइलर एवं फिल्टरेशन-प्लाष्ट लगे हुए हैं। इसमें इलेक्ट्रोनिक्स फिरिंशिंग टच तथा विद्युतीय स्कोर बोर्ड का भी प्रावधान है।

५) तीराको स्पर्धाएं और अधिकारीगण—

(Swimming Competition & Officials)

(क) स्पर्धा विन्दु—

तकनीक	पुरुष वर्ग	महिला वर्ग
फी स्टाइल	100,200,400,800,1500 मी.	100,200,400 मी.
(दोनों बाजू बारी-बारी से पीछे से घुमाकर सीने के बल फंटस्ट्रोक से तैरना)		
बैक स्ट्रोक	100,200 मीटर	100 मीटर
(दोनों बाजू बारी-बारी से उलटे घुमाकर पीठ के बल तैरना)		
बैस्ट स्ट्रोक	100,200 मीटर	100 मीटर
(दोनों हाथों को छातो के सामने एक साथ बढ़ाकर तैरना)		
बटर पलाई	100,200	—
(दोनों बाजू एक साथ कन्धों के ऊपर से लाकर तैरना)		
फी स्टाइल रिले	4 × 100 मीटर	4 × 100 मीटर
मिडले	4 × 100 मीटर	—
(क्रमशः बैक, बैस्ट, बटर एवं फी स्टाइल से तैरना)		
(घ) अधिकारी व्यवस्था—		

रेफरी	एक	टनिंग इन्सार्पेटर	एक(प्रत्येक गली में)
स्टार्टर	एक	एनाऊन्सर	दो
चीफटाइम कीपर-	एक	स्ट्रोक जज	दो
टाइम कीपर-	तीन	रिकार्डर	दो
चीफ जज	एक	हाउस बल्कं	एक
जजिज फोर एंडिंग-तीन (प्रत्येक गली में)			

सुसंचालित व्यायाम कार्यक्रम एवं शारीरिक स्वस्थता— (Well Conducted Exercise Programme & Physical Fitness)

आधुनिक शौद्धोगिक समाज ने आज हमारे सामने कोई एसी चुनौतियां न छढ़ी की हैं जैसे-कार्य व्यस्तता, मानसिक असंतुष्टता, उदासीनता, प्रयोगवृत्ति अस्वस्थता, और आतंकवाद से सुरक्षा आदि जिसके मुकाबले के लिए समूचे समाज में तैयार होना है। यह तभी सम्भव है जबकि व्यक्ति स्वयं में शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हो। शरीर आत्मा का मन्दिर है और इस मुद्दे मन्दिर में ही बल शाली आत्मा बन करती है जिसका प्रभाव व्यक्ति की साहसिक मन, विज्ञति पर भी पड़ता है। इसी संदर्भ में शिक्षा शास्त्री थी एल. एम. कदाम (L. M. Kadam) के सारणिति एवं उल्लेखनीय है—

“Mental and emotional development are based on the ~~bod~~
development. Social development is affected by the bodily development.
The bodily development helps in tackling successfully difficult
problems and helps in the development of knowledge.”
(Formulating Objectives of Primary Education-NCERT)

भारतीय शिक्षा शास्त्री अरविन्द के अनुसार—“ब्रह्म” वित्तों के सम्पर्क में उन्मे आत्मसात करने और अभिव्यक्त करने के लक्ष्य की प्रतिक्रिया के लिए शरीर ही ए ऐसा शक्तिशाली उपकरण है जो विधि, व्यवस्था, अनुशासन एवं प्रक्रिया से शासित है। इसके सही उपयोग न करने, इसकी उपेक्षा करने तथा इसे क्षति पूर्ण हृदय, मन और बुद्धि प्रभावहीन हो जाने हैं। इसे पूर्ण बनाना ही विवेक पूर्ण कार्य व्योक्ति लचीली एवं मजबूत मास पैशियों में कीलादी स्नायु-मण्डन का निर्माण होता।

अतः समूर्ण स्वस्थता एवं बल मंचन के लिए शरीर ही एक मात्र शक्ति है। इसे शक्ति शाली एवं स्वस्थ बनाने के लिए वैज्ञानिक विधि से व्यायाम देने वी है। व्यायाम से बल, दम, गति, लोच एवं स्फुरति का विकास होता है। इसके व्यायाम संचालक एवं स्वयं व्यायाम कर्ता को निष्ठाकृति तथ्यों का ज्ञान होना चाहिए।

1. शारीरिक स्वस्थता के मूल तत्त्व
2. मानव शरीर गंरुचता
3. मानव-पैशी व्यभाव एवं विशेषताएँ
4. शारीरिक व्यायामों का वर्गीकरण
5. व्यायाम का चयन एवं सिद्धान्त-पासना
6. शारीरिक मन्यानों पर व्यायामों का प्रभाव
7. शारीरिक स्वस्थता मुद्दों का व्यापारन

1. शारीरिक स्वस्थता के मूलतत्त्व-

(Basic Factors of Physical Fitness)

शारीरिक स्वस्थता के मूल तत्त्व हैं-बल, दम, गति, लोच और स्फूर्ति आदि। इनके बारे में जानकारी होना इसलिए जरूरी है कि शरीर में जिस सत्त्व की कमी हो उसके विकास के अनुसार व्यायाम क्रियाओं का चयन करके वह तत्त्व विकसित करना चाहिए।

- (प) बल (Strength)-मांसपेशियों में प्रतिरोध पर नियन्त्रण पाने की योग्यता बल है।
- (व) दम (Endurance)-मांसपेशियों द्वारा बिना धकान के लम्बे समय तक प्रतिरोध की क्षमता को दम कहते हैं।
- (स) गति (Speed)-मांसपेशियों के अधिकतम संकुचन एवं प्रसार के त्वरित परिवर्तन को गति कहते हैं।
- (द) लोच (Flexibility)-मांसपेशियों के गतियुक्त विस्तृत फैलाव एवं प्रसार क्षमता को लोच कहते हैं।
- (ऱ) स्फूर्ति (Agility)-शारीरिक गतियों पर चाहे अनुसार तीव्र नियन्त्रण एवं परिवर्तन करने की योग्यता को स्फूर्ति कहते हैं।

2. मानव शरीर संरचना-

हमारे शरीर के जीवन का सूक्ष्मतम एवं अन्तिम मूल आधार कोशिका (Cell) है। प्रत्येक अंग की कोशिका अलग-अलग होती है और एक ही प्रकार की कोशिकाएं मिलकर प्रपने अंगों से सम्बन्धित कठक (Tissue) बनाती हैं। इसी प्रकार एक ही कठक के कठक मिलकर शारीरिक अंग का निर्माण करते हैं। कोशिकाओं की यह विशेषता है कि ये शरीर को जिन्दा रखने के लिए कार्य करती रहती हैं तथा जीण-जीण होती रहती हैं। इनके स्वयं के जीणोंदार का आधार प्राणवायु (Oxygen) और विभिन्न गोपण तत्त्व-प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, गुर्जरा, लवण एवं जल आदि हैं। प्राणवायु ऐसे गुद वायुमण्डल से और पोषक तत्त्व हमें खाद्य पदार्थों से मिलते रहते हैं।

इन कोशिकाओं के जीणोंदार में शारीरिक अंगों एवं उनसे सम्बन्धित संस्थानों का प्रमुख हाथ है। शरीर के समस्त संस्थान पारस्परिक सहयोग एवं मिलजुलकर महकार्य रूप से निरन्तर क्रियाशील रहते हैं। हमारे शरीर के इन संस्थानों जैसे अस्थि संस्थान, मांसपेशीय संस्थान, रक्त परिव्वरण, संस्थान, श्वसन संस्थान, पाचन संस्थान, उत्सर्जन संस्थान एवं स्नायुतन्त्र संस्थान आदि की सहकार्य कार्य प्रणाली की साम्य अवस्था को बोल चाल की भाषा में स्वास्थ्य कहते हैं।

कोशिकाओं (Cells) के धारण, पोषण और जीलोंदार के लिए शरीर में होने वाली रचनात्मक क्रिया को उपचय (Anabolism) और विनाशात्मक क्रिया को अपचय (Catabolism) कहते हैं तथा यह दोनों प्रकार की मिलीजुली प्रक्रिया चयननम् (Metabolism) कहलाती है। व्यायाम का ध्येय शरीर की इस मैटाबोलिज्म प्रक्रिया में मदद करना तथा विविध शारीरिक स्थितियों में साम्यावस्था लाकर उन्हें स्वतं बनारे रखना है।

3. मासपेशीय स्वभाव एवं विशेषताएँ—

हमारे शरीर में प्रमुखतया तीन प्रकार की मासपेशीयाँ हैं जो अपनी विशेषताओं के अनुसार कार्य करती रहती हैं।

(अ) ऐच्छिक (Voluntary)—इन्हें अस्थि मासपेशियाँ कहते हैं। बनावट से दृष्टि से ये धारोधार होती हैं तथा अस्थि की इच्छानुसार क्रिया करती हैं।

(ब) अनैच्छिक (Non-Voluntary)—इनका किसी अस्थि से सम्बन्ध नहीं होता है। शरीर की प्रमुख बड़ी प्रतियाँ एवं अंग इन्हीं से निर्मित हैं। यह चिकनी, गिरावटी आदि धारोधार होती है तथा अस्थि-पंजर के अन्दर सुरक्षित रहकर स्वतः क्रियाशील रहती है।

(स) हृदय सम्बन्धी (Cardiac)—यह धारोधार तथा बिना धारोधार मात्र पेशी हैं जो हमारे शरीर की प्रमुख कार्यशाला हृदय को बनाती है।

उपरोक्त तीनों प्रकार की मासपेशियों की अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं—

(1) अस्थि कंकाल को ढके रखकर समूरण शरीर को सुरक्षा प्रदान करना।

(2) परस्पर समूहों में सहकार्य रूप से एक दूसरे के विरोधी रूप में कार्य करना अर्थात् यदि मासपेशियों एक समूह फैलता है तो दूसरे समूह का स्वतः ही सिकुड़ता इसे Reciprocal Innervation कहते हैं।

(3) अस्थि संधि के साथ मिलकर तीव्र एकत्र का कार्य करना।

(4) एक से अधिक संधि-जोड़ों पर एक साथ मिलकर कार्य करना।

(5) मावश्यकतानुसार मिकुड़न, फैलाव, सोच-फुलाव, बड़ाव एवं शिथिल हो जाना।

(6) बाहरी विर्यों पदार्थों के विरुद्ध प्रतिक्रिया करना।

4. शारीरिक व्यायामों का वैज्ञानिक वर्गीकरण—

मानव शरीर एक मशीन की मात्रा है अनेकों अंग एक साथ मिलकर किसी भी क्रिया का सम्पादन करते हैं। इस मैकेनिकल परिवर्तन से उत्पन्न मासपेशियों में संकुचन और फैलाव की क्रिया को Muscle Sliding Theory कहते हैं जिसके अनुसार व्यायामिक विद्युतों से उत्पन्न मासपेशीय गति मिलान के अनुसार व्यायाम को हम घार भारों में विभाजित कर सकते हैं—

(अ) गतियुक्त (Isotonic or Dynamic)—अर्थात् प्रतिरोध के विरुद्ध संकुचन एवं प्रसार करना।

- (व) स्थिर (Isometric or Static)—ग्रथात् प्रतिरोध के विरुद्ध तनाव बनाये रखना ।
- (स) गतियुक्त एवं स्थिर मिश्रित (Isometronic)—ग्रथात् प्रतिरोध के विरुद्ध सकृचन और प्रसार के साथ-साथ शरीर की विशिष्ट स्थिति पर तनाव बनाना ।
- (द) यन्त्रयुक्त गति (Isokinetic)—ग्रथात् शरीर को किसी मान्त्रिकी उपकरण के साथ जोड़े रखकर निरन्तर गति बनाये रखना ।

5. व्यायामों का चयन एवं सिद्धांत पालना—

व्यायाम का क्षेत्र बहुत बड़ा है । इसमें ग्रनेकों प्रकार की गतिविधियाँ एवं क्रियाओं का प्रावधान है । परन्तु व्यायाम का प्रमुख सिद्धांत मांसपेशियों की क्रियाओं के अनुकूल ही व्यायाम का चयन करना चाहिए । इसी प्रकार शारीरिक स्वस्थता के किसी गुणधर्म की विकसित करते की दृष्टि से भी व्यायामिक क्रिया का चयन करना चाहिए । ऐसा विचार फर व्यायाम करना अधिक साभप्रद होगा तथा किये गये व्यायाम से वाधित उद्देश्यों की विप्रति हो सकेगी ।

व्यायाम करने के कुछेक नियम, सम्बन्धी सिद्धांतों की अनुपालना भी स्वास्थ्य विकास में सहयोगी सिद्ध होती है । जैसे :—

1. व्यायाम सुले स्थान पर करें ।
2. व्यायाम में नियमितता बनाये रखें ।
3. व्यायाम के लिए स्थाई स्थान का चयन करें ।
4. व्यायाम करते समय सदैव नाक से श्वास लेवें ।
5. व्यायाम खाली पेट (भोजन के सम्पूर्ण पाचन के बाद) करें ।
6. व्यायाम के समय प्रसन्नचित रहें ।
7. व्यायाम की मात्रा (Load) क्रमशः यथा शक्ति बढ़ते रहें ।
8. व्यायाम शारीरिक क्षमता एवं आँख वर्ग की ध्यान में रखकर करें ।
9. व्यायाम से शरीर में अधिक थकान महसूस होने पर उसे रोक देवें ।
10. 40 वर्ष की उम्र के बाद कठोर एवं तीव्र गति के व्यायाम न करें ।
11. शरीर में बल, दम एवं स्फूर्ति वृद्धि के लिए क्रमशः स्थिर एवं गतियुक्त व्यायामों का चयन करें ।
12. खिलाड़ियों की शारीरिक स्वस्थता एवं उनमें खेल-क्रीड़ा कीशल्य नीपुणता विकास के लिए निम्न प्रकार के व्यायामों का चयन किया जावे :—

(i) General Exercise

(ii) Specific Exercise

(iii) Exercise for Competitive games situation.

6. शरीर के विभिन्न स्थानों पर व्यायाम का प्रभाव—

(क) हृदय और रक्त परिवर्तन संस्थान—

निरन्तर व्यायाम करने से हृदय का माप बड़ा हो जाता है । हृदय की मांसपेशियों

में सिकुड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। हृदय द्वारा अधिक मात्रा में तथा अधिक शक्ति के साथ रक्त को धकेलने की शक्ति का विकास हो जाता है। हृदय के कार्य करने की क्षमता में सुधार होता है। विश्रान्ति काल में हृदय धड़कन कम और कार्य करते समय उसमें धीरी गति से बूढ़ि होने की क्षमता का विकास होता है। रक्त नाड़ियों में रक्त को से जाने वाली शक्ति का विकास होता है। रक्त कोशिकाओं की संध्या में युद्ध होती है। रक्त में एवं बलोरोस्टोल का घटना प्रारम्भ हो जाता है। रक्त दबाव भी कम होता है। गर्भी के विद्यु शरीर की सहनशक्ति बढ़ती है तथा शरीर की ताप अनुवूलन शक्ति बढ़ती है।

(ए) इवांस संस्थान पर व्यायाम का प्रभाव-

फुप्फुस की कार्य क्षमता बढ़ती है। उमका फेलाव बढ़ने से अधिकतम प्राणवायु नियंत्रित की जा सकता है। फुप्फुस की मांसपेशियों का दमखम बढ़ता है जिससे इवांस लेने एवं उसके बाहर निकालने में कठिनाई उत्पन्न नहीं होती है। अधिकतम प्राणवायु प्राप्त करने एवं उसके अधिकतम उपयोग करने का विकास होता है। इवांस क्रिया में बांधा न होने पर व्यक्ति को किसी प्रकार की घटन का अनुभव नहीं होता है। प्राणवायु ऋण (Oxygen Debt) कम हो जाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर खिलाड़ियों में द्वितीय वायु (Second Wind) का आवागमन प्रारम्भ होने में कठिनाई नहीं होती है।

(ग) मासपेशीय संस्थान पर प्रभाव —

मांसपेशियों में शक्ति का विकास होता है तथा उनके दम, स्फूर्ति एवं लोच में बृद्धि होता है। व्यर्थ को चर्बी कम होने से मोटापा कम होता है। स्नायु-मांसपेशीय तनुओं के उपयोग से उनकी कार्य करने की योग्यता में त्वरिता एवं स्फूर्ति का विकास होता है। मांसपेशियों के सुप्त उत्तकों को व्यायाम द्वारा रक्त एवं पीपक तत्त्व पहुँचने से वे भी क्रियाशील होने लगते हैं। मांसपेशियों में सौन्दर्यवर्धक फुलावट आ जाती है। उनका बजन भी बढ़ने लगता है वे अस्थियों एवं अस्थिपत्तर के अध्दर छिपे मूल्यवान अंगों की सुरक्षा करने में समर्थ हो जाती हैं। शरीर में सौन्दर्यपरक एवं तालबद्ध गति का विकास होती है। शरीर का बजन नियन्त्रित रहता है। मांसपेशीय समूहों में विरोधी क्रिया करने की कार्य क्षमता बढ़ती है उनमें समन्वयित गति का विकास होता है। शरीर का गठन सुन्दर सही एवं दोष रहित ही जाता है तथा दुर्घटना होने की सम्भावनाएं कम हो जाती हैं।

(घ) पाचन संस्थान पर प्रभाव-

भोजन का सुपाचन होता है। शरीर का ऐटायोलिजम सही होता है। छोटी एवं बड़ी प्रातः, दायाकाम एवं पेट की सामग्रियों को व्यायाम मिलने से उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। वे विस्तै पदार्थ बाहर फेंकने तथा पोषकतत्व रक्त तक पहुँचाने में कार्यक्षम होते हैं।

३) उत्सर्जन संस्थान पर प्रभाव—

व्यायाम करने से पसीना आता है जिसके माध्यम से शरीर के विपरीते पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। मेटाबोलिजम सही होने से श्वास, त्वचा, गुदों एवं बड़ी आत के द्वारा विपरीते पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। आरोग्यता एवं स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। इन नियोगिक शक्ति का विकास होता है।

४) स्नायु-तन्त्र संस्थान पर प्रभाव—

मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। मन प्रसन्न एवं प्रफुल्लित रहता है। संवेग नियंत्रित होते हैं। शारीरिक स्वस्थता से मानसिक स्वस्थता को बल मिलता है। निराशा, अव्यक्तिगत विषयों के दबावों से मुक्ति मिलती है क्योंकि व्यायाम और खेल अच्छे मनोरजनक हैं। समाज में अन्य लोगों से सम्पर्क सूत्र बढ़ाने का यह अच्छा साधन है। स्नायु-संपर्णीय अग्र-प्रत्यंग परस्पर कार्य करने से उनमें समन्वय का विकास होता है जिससे ये कौशल्य नैपुण्यता में वृद्धि होती है।

५) स्त्राविक ग्रन्थियों पर प्रभाव—

अन्त-श्वाकीय ग्रन्थियों का कार्य सन्तुलित रहता है। उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। ये शरीर के सन्तुलित विकास में सहयोग मिलता है।

६) जानेन्द्रियों पर प्रभाव—

प्रत्यक्षीकरण अधिगम में सुधार होता है। प्रतिक्रियात्मक गति प्रभावी होती है। यु-मांसल अधिगम विकसित होता है। भाँखों से देखकर सही कार्य करने एवं शारीरिक क्रिया सही एवं तुरन्त होने की गुणात्मता में विकास होता है।

In a nut-shell, the following advantages are :—

- Resting Heart rate decreases.
- Working Heart rate increases slowly.
- Stroke Volume increases.
- Cardiac output increases.
- Heart size develops.
- Muscle Tonus increases.
- Muscle's Hypertrophy develops.
- Reciprocal Innervation corrected.
- Oxygen Debt decreases.
- Second-wind crosses.
- Vital capacity increases.
- Breathing rate slows.
- Oxygen consumption increases.
- Lactic Acid Level lowers.
- Musculature strength, Endurance & Flexibility increases.

16. Blood chlorostrol decreases.
17. Blood Pressure decreases.
18. Perceptual Learning improves.
19. Visual-cues & aquity develops.
20. Sensor Motor learning develops.
21. Ageing process delays.
22. Neuro-Muscular Skills enhances.
23. Mental tension relaxes.
24. Prevention of Diseases.
25. Worthy use of leisure.
26. Social contact maintains.

In this context an old poem is rememberable—

By exercise our muscles are energized;
 Brain is strengthened and nerves are vitalised.
 By exercise the lungs are made strong;
 Blood is purified and the life becomes long.

7 शारीरिक स्वस्थता के पच गुणात्मकों का मापांकन—

विकसित गुणात्मक	मापांकन यन्त्र.
I बल (Strength) के लिए वाजूधों की दोनों मास पेशियों पाव और पीठ की „ हाय की पकड़ की „	(i) केबिंग टैम्पिंग मीटर (ii) डाइनामो मीटर (iii) प्रिप डाइनामो मीटर
II दम (Strength) के लिए एवं काढ़ियों वस्त्रवूलर एण्डोरेम्स	(i) 12 मिनट चलना (Cooer's Test) (ii) 60 मिनट दौड़ और चलना (APPHER Test) (iii) 3 मिनट शटल रन (Meclay Test)
III गति (Speed) के लिए	50 मीटर दौड़
IV लोच (Flexibility) के लिए	(i) गोत्रियों मीटर घयवा फ्लेशमोमीटर (ii) कास वैबलर टैस्ट
V इकूति (Agility) के लिए	(i) 4×40 मीटर शटल दौड़ (ii) स्लेट प्रस्ट (Butipy's Test))

शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने भी लोगों में शारीरिक स्वस्थता के विकास के लिए राष्ट्रीय शारीरिक स्वस्थता कार्यप्रम (National Physical Fitness Program) प्रकाशित किया है जिसका उद्देश्य शरीर स्वस्थता के पंच मूलभूत तत्वों की जांच हस्ता है। इन्हे विकसित करने के लिए इस कार्यक्रम में प्रत्येक पुरुष-महिलाओं की उनकी ग्रनु वर्गनुसार विभिन्न तारक स्तर के आधार पर शरीर की नैसर्गिक क्रियाओं में भाग देलाना है जिससे उनकी शारीरिक स्वस्थता के स्तर में विकास किया जा सके।

व्यासार्थ प्रश्न :-

1. What points will you bear in mind in the construction and care of a Gymnasium Hall? Discuss.
2. जिम्मेजिधम एवं तरण ताल की देखरेख एवं साज-सुज्जा पर संक्षिप्त लेख लिखिये।
3. आधुनिक मिश्रित व्यायाम शाला में सामग्री और सुविधाओं का विस्तार पूर्वक बरेंग कीजिए।
4. किसी ग्रन्तभेदवनीय जिम्माजिधम के लिए उपकरणों की स्थिति दर्शाते हुए विभिन्न प्रकार के आवश्यक जिम्मास्टिक उपकरणों का विवरण प्रस्तुत करें। तरण-पुक्कर का महत्व एवं उपयोगिता बताये। तरण पुक्कर अध्यो तथा कैसे साफ रखा जा सकता है?
5. शारीरिक स्वस्थता विकास विधिवत व्यायामिक विद्याओं के सचालन पर भी निर्भर है। चर्चा कीजिए।



6 | उपस्कर एवं उपकरण व्यवस्थाएँ

आध्ययन विन्दु :-

- उपकरणों का महत्व और उपयोगिता
- उपकरण व्यवस्था के आधारभूत सिद्धान्त
- उपकरणों का चयन एवं क्रय प्रणाली
- उपकरण देखरेख एवं रख-रखाव
- अनुपयोगी उपकरणों का अपलेखन
- उपकरण निलामी-प्रक्रिया
- शिक्षण सहायक-सामग्री

उपकरणों का महत्व एवं उपयोगिता-

शारीरिक शिक्षा के शिक्षण प्रशिक्षण को प्रभावी एवं महत्वपूर्ण बनाने एवं विषय से सम्बन्धित विविध क्रिया - कलापों को उचित प्रकार सम्पादित करने के विभिन्न प्रकार के उपस्कर, उपकरण एवं सामग्री की आवश्यकता होती है। शारीरिक शिक्षा में उपकरण एवं सामग्री भावि शिक्षण के प्रभावी माध्यम हैं। उपकरण एवं के प्रभाव में प्रशिक्षण भूमूल रहता है। शारीरिक शिक्षा और सेल कोडाग्रो में शिक्षण माध्यम से बालक के उचित विकास के लिये प्रयोज्य सामग्री और सेल-उपकरणों का आवश्यक है, क्योंकि शिक्षण कार्यक्रम का उचित संचालन इनके सही उपयोग द्वारा निर्भर करता है। विधिवत निमित भूम्देएवं उपयुक्त उपकरणों की उपलब्धि से प्रक्रिया में नियन्त्रित साम प्राप्त होते हैं :—

1. शिक्षण उपलब्धि वृद्धि (Increase performance)
2. उत्तम प्रधिगम (Better learning)
3. शिक्षण पद्धतियों में सहायता (Help in teaching methods)
4. कार्यक्रम में सफलता (Success in programme)

5. साम्भव वैज्ञानिक शिक्षण (Fruitful scientific teaching)
6. कौशल-अभ्यास के पर्याप्त प्रबोधन (Plentiful opportunities for practicing skills)
7. सक्रिय संभागिता (Active participation)
8. नियन्त्रित कार्य-समय का निराकरण (Avoid wastage of time)
9. दुष्टना से सुरक्षा (Avoid, Accidents)
10. कार्यक्रम की विविधता, संृद्धि और मनोरंजन में योगदान
(Add in variety, richness & enjoyment)

इस प्रकार शारीरिक शिक्षा के शिक्षण एवं बालकों के अधिगम (Learning) खेल-क्रीड़ा के उपकरणों की महत्ता एवं उपयोगिता को भूलाया नहीं जा सकता है। सी सन्दर्भ में अमेरिका के प्रसिद्ध शारीरिक शिक्षाविद थी वाल्टमर एवं एसलिंगर (Vollmer & Esslinger) के शब्दों में—Good Equipment contributes to a better climate and increases pride in performance. (Org & Adm. p 322)

शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन के नदीय परमार्थ वोडे शिक्षा मंत्रालय भारत रकार ने अपने राष्ट्रीय योजना प्रतिवेदन के पृष्ठ 11 पर उपकरणों की महत्ता की तर इस प्रकार इंगित किया है—(Equipment adds to variety, richness & enjoyment)

उपकरण व्यवस्था के आधारभूत सिद्धान्त-

विद्यालय में व्यायाम और खेल-क्रीड़ा उपकरणों का प्रावधान होना एक अच्छी तर है। लेकिन इन उपकरणों को उपलब्ध एवं जुटाने का कार्य और इनका समुचित उपयोग उपयुक्त समय पर होना आवश्यक है। जिससे उपकरणों को भण्डार- गृह में व्यर्थ दे रहने से बचाया जा सके और नियमगत सही निर्मित उपकरण प्राप्त हो सके। अतः उपकरण जुटाने एवं उनके चयन हेतु अधीलिखित तथ्यों एवं सिद्धान्तों को ध्विगत रूपना आवश्यक है :—

- (1) विद्यालय में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों का संचालन
(Programme organising in the school)
- (2) विद्यालय में उपलब्ध खेल-क्रीड़ा दोत्र सुविधाएं
(Facilities available in play field Area)
- (3) विद्यालय बजट में उपलब्ध वित्तीय-राशि
(Finance available in the school Budget)
- (4) मंभागी द्यात्र संृद्धि
(Participated student's strength)

- (5) भण्डार-गृह में पूर्वतया उपलब्ध उपकरण
(Available equipment in the present stock)
- (6) विविध परियोजनायें एवं उनका आयोजन
(Various Projects & their organisation)

पर्याप्त उपकरण मुद्रिधार्मों के सन्दर्भ में भारतीय शारीरिक शिक्षाविद् एवं एन्सी उपाधि प्राप्त थी पी. एम. जोसेफ के शब्दों में—“Equipment should be adequate in terms of numbers for fruitful teaching and plentiful opportunities to practise skills. These facilities avoid wastage of time and promote active participation.” (Org & Adm. p. 73.)

उपकरणों का चयन एवं क्रय प्रणाली—

- (क) उपकरण चयन एवं माग पत्र तयार करना—

सेल उपकरणों के चयन के साथ-साथ उनके क्रय करने में आवश्यक सावधानि बरतनी पड़ती है, जिससे गुणात्मक एवं संख्यात्मक इष्ट से सुन्दर, विश्वसनीय, निष्ठ तुक्ल एवं टिकाऊ उपकरण प्राप्त हों तथा विद्यालय में छात्रों के अभ्यास, उनके बौद्ध विकास एवं प्रतियोगिताओं के लिये वे उपयोगी सिद्ध हो सकें। इस कार्य के लिए इन्हे लिखित बिन्दुओं को इष्टिगत रखना आवश्यक है :—

- (1) उपकरण का स्तर
(Standardization of equipment)
- (2) उपकरण का टिकाऊपत, कार्य कुशलता एवं गुणात्मकता
(Durability, quality & workmanship)
- (3) उपकरण का उपयोगिता एवं लागत मूल्य
(Utility & cost of maintenance)
- (4) उपकरण का गुणात्मक विशेषतायें एवं क्रय मूल्य
(Specification & purchase price)
- (5) प्रतिष्ठित एवं विश्वसनीय विक्रेता
(Reputed & reliable firm)
- (6) उपलब्ध धन-राशि और उसकी अधिकतम उपयोगिता
(Funds Available & its maximum utility)
- (7) वित्तीय क्रय नियमों की पालना
(Adopting Financial purchase rules)

इस प्रकार सस्ते, सुन्दर व टिकाऊ उपकरणों के चयन करने में उपरोक्त वर्णित प्रधानिया बरतना आवश्यक है। इससे विभागीय नियमों का पालन ही नहीं अपितु द्यालयी धन के दुरुपयोग होने की सम्भावनाओं से बचा जा सकता है।

४) उपकरण क्रय प्रणाली प्रारम्भ करना-

- (1) उपकरण प्रस्तावों पर संस्था के प्रभुख की स्वीकृति प्राप्त करना
(Receiving Sanction Order)
- (2) विभिन्न व्यापारियों से उपकरणों के विशेष विवरण सहित दर्रे मंगवाना
(Calling Tenders for Quotations)
- (3) प्राप्त दरों का तुलनात्मक विवरण तैयार करना
(Preparing comparative statement)
- (4) कम दरों वाली फर्म को उपकरण क्रय आदेश विशेष विवरण सहित भिजवाना
(Placeing order to reliable & selecting firms with specification)
- (5) क्रय आदेशानुसार प्राप्त उपकरणों की जांच एवं प्रमाणिकरण बिल पर कराना
(Checking & verifying the Purchased articles)
- (6) भण्डार पजिका में उपकरण का एन्ड्राज स्टोर कीपर से लेना
(Getting stock entries on the bills)
- (7) बिल पर संस्थान प्रधान द्वारा भुगतान जारी के आदेश कराना
(Issuing payment order on the Bill)
- (8) फर्म को राशि का भुगतान करके रसीद प्राप्त करना
(Receiving Cash payment Receipt)
- (9) रोकड़ बही में राशि का एन्ड्राज करना
(Compeletting Cash Book entry)
- (10) भण्डार का भौतिक प्रमाणीकरण एवं सत्यापन करना
(Physical verification at the end of the session)

I Tender Calling Proforma

Letter No.....

Date.....

M/s

From.....

.....

.....

Dear Sirs,

We need the following sport's articles for our institution and request you to send the closed Tender with the sample required as per given Specifications for the same by date in the office hours

Thanking You

Signature

Head of the institution

(Seal)

S. No.	Name of Article	Quality & specification	Quantity
1	2	3	4

II Comparative Statement

S.No.	Name of Articles	Name & Rates of Different Firms			
		Firm I	Firm II	Firm III	Firm IV
1	2	3	4	5	6
Name of Lower Rate Firms		Remarks & Approved of Articles			
	7			8	

III Purchasing Order

Letter No.

Date.....

M/s

From.....

Yours quotation & sample for the articles mentioned below has been accepted, please supply them as early as possible by date. Also please send your bill in Triplicate for payment.

S.No.	Article	Rate	Quality	Quantity	Amount
1	2	3	4	5	6

Signature of the
Head Master with seal

उपकरणों की देखरेख एवं रखरखाव-

(Care & Maintenance of Equipments)

विद्यालय में शारीरिक शिक्षा विषय से सम्बन्धित सेल-कीड़ा उपकरणों के समुचित उपयोग एवं उनके सुरक्षित रखरखाव के लिये निम्नलिखित तथ्यों पर विन्दुवार विचार करना चाहिए है :-

- (1) पर्याप्त एवं सुविधाजनक भण्डार कक्ष का प्रावधान
(Provision of adequate & facilitated Store Room)
- (2) भण्डार-उपकरण पंजिकाओं का सही रखरखाव
(Proper maintenance of stock registers)
- (3) उपकरणों की सही साज-संवार
(Proper maintenance of articles)
- (4) उपकरणों की सही देख-रेख एवं उपयोग
(Proper care and use of articles)
- 5) अनुपयोगी उपकरणों का अपलेखन
(Disposing off the unserviceable articles)

1. सुविधाजनक भण्डार गृह-

(Well facilitated Store-Room)

सेल-कीड़ा उपकरणों की सुरक्षा, रखरखाव एवं उनके सदृश्योग के लिए एक प्रबन्धा एवं उपयुक्त सुविधाजनक भण्डार गृह होना चाहिये जिसमें अधोलिखित विशेषताओं का होना चाहिए है :-

- (1) भण्डार गृह विद्यालय-कीड़ागण के समीप स्थित हो ।
(Proper Location)
- (2) उसमें पर्याप्त प्रकाश एवं रोशनी का प्रावधान हो ।
(Adequate light arrangement)
- (3) वह स्वच्छ एवं हवादार हो ।
(Cleaned & Afty)
- (4) भण्डार कक्ष में सिलन न हो ।
(Free from dampness)
- (5) शुष्क पौर औतल हो ।
(Dry & Cool)
- (6) हानिप्रद कीट-पतंगों से सुरक्षित हो ।
(Well protected against moths, Roaches, Rats and white-ants)

- (7) उसमें अलमीरा, स्टैण्ड, सन्हूक आदि की पर्याप्त सुविधाएँ हों।
(Provision of shelves, frames, stands, boxes, cupboard and almirah)
- (8) जाली-जंगलेदार दरवाजों का प्रावधान हो।
(Provision of caged doors)
- (9) भण्डार कक्ष में सुरक्षित तालाबन्दी हो।
(Safe locking)
- (10) उपकरणों की किसी अनुसार वर्गीकृत भण्डार हो।
(Separate storage for each sports-articles)

2. भण्डार उपकरण सम्बन्धी पंजिकायें एवं पत्रावलियाँ-

(Store Article's Registers & files)

कीड़ा-उपकरणों के रखरखाव के लिये निम्नलिखित अभिलेखों को रखना प्रावधान है :-

- (अ) भण्डार उपकरण रजिस्टर (Stock-Registers)
 - (1) स्थाई (Permanent)
 - (2) अस्थाई (Perishable)
- (ब) उपकरण नेत-देन रजिस्टर (Issue Register)
- (स) वित नियन्त्रण हेतु वाच एण्ड वार्ड रजिस्टर (Watch & Ward Register)
- (द) वार्षिक भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन पत्रावली (Annual physical verification file)
- (च) उपकरण क्रय प्रस्ताव पत्रावली (Articles purchase file)
- (छ) विविध पत्र अवहार पत्रावली (Correspondence file)

3. उपकरणों की देखरेख, साज-संवार एवं उपयोग-

Care Maintenance, & Use of Article's)

सेल-उपकरणों की साज-संवार उनकी, किसी, प्रकार एवं गुणों को हानिगत कर की जाती है। इस दृष्टि से इनका वर्गीकरण करके इन्हे भण्डार में उठा जाता है ताकि उन्हें घराव होने से बचाया जाता है। सेल उपकरणों को उनके रखरखाव एवं साज-संवार की दृष्टि से निम्न प्रकार विभाजित किया जा सकता है :-

[प] चमड़े का सामान

(Leather Goods)

चमड़े के सामान पर शुष्क एवं गर्म जलवायु का प्रभाव पड़ता है तथा उन पर वायरल तथा तेजी से भी उनके घराव होने का भय रहता है। अतः इनकी सुरक्षा विषय के दिन तक इनको उपयोग में लाने के लिये इन्हें पोलीथील की बैती में रखा जाना चाहिये तथा आवश्यकता होने पर इनकी सुरक्षा के लिये मरण्डो का तेल का प्रयोग करा जाना चाहिए।

[३] रबड़ का सामान-

(Rubber goods)

रबड़ का सामान भी शुष्क एवं तपत से खराब हो जाता है। इसे अधिक समय तक टिकाऊ एवं उपयोगी बनाये रखने के लिए प्रीस, तेल अथवा सेलखड़ो का पाउडर प्रयोग में लेना चाहिए।

[४] लकड़ी का सामान-

(Wooden articles)

धूल, गम्दगी, अधिक सीलन एवं शुष्क वातावरण से लकड़ी का सामान खराब हो जाता है। इसे दीमक का कीड़ा, चूहे आदि नुकसान पहुँचा सकते हैं। लकड़ी के सामान को अधिक समय तक टिकाऊ रखने के लिए गुनगुना-गम्ब अलसी का तेल काम में लेना चाहिए।

[५] मूती व ऊनी कपड़े का सामान-

(Cotton & Woolen Articles)

इन्हें सुरक्षित रखने के लिये धुलाई एवं ड्राइविंग लाइनिंग बांधित है। ऊनी कपड़े को औद्धा सगाने से बचाने के लिये फिलाइल की गोलियाँ काम में लेनी चाहिए।

[६] पातु निमित सामान-

(Metal goods)

ये उपकरण लोहे, पीतल, एलमोनियम आदि के भी बने होते हैं। इनकी सुरक्षा के लिये उन पर प्रीस का प्रयोग करना चाहिए।

[७] अन्य ऐत उपकरण-

(Other articles)

प्रीटी नेट्स(Nets) को शुष्क रखान पर छूटियों पर टाँगे जावें। रैकिट्स को प्रेस-पीछड़ों में रखे जावें। मटलकोक-नमो के स्थान पर रखी जायें। गड़ी (Matresses) रसाई(Mails) आदि चपटी रखी जावें, रोल न की जावें। पैड वर्गी रा लकड़ी के दराजे में रखे जावें। जेवेलिन को जमीन की ओर नोक रखकर स्टेण्ड में सीधे रखे जावें।

4. उपकरणों का सही उपयोग-

(Proper use of articles)

उपकरणों का सुपयोग हो। उनकी घोरी-चकारी न हो, उनका मेलों के लिये उपयोग दरभंग हो, इस रूप से उन पर निम्न कार्यालयी करनी चाहिये। जैसे :-

(1) उपकरणों पर मोहर सगाना (Stamping)

(2) सरमदत बराना (Repairing)

- (3) स्वच्छ रखना (Cleaning)
- (4) जारी करना (Issuing)
- (5) जांच करना (Checking)
- (6) प्रमाणीकरण करना (Verifying)
- (7) अपलेखन (Disposing off)
- (8) स्टॉक से बाहर करना (Deleting)

अनुपयोगी उपकरणों का अपलेखन-

(Disposing off or write off the unused articles)

जो उपकरण खेलों में प्रयोग लाने अथवा किन्हीं अन्य कारणों से खो राब हो जाते हैं उनको भण्डार से खारीज बरना अथवा उनका अपलेखन करना जरूरी है। यह अपलेखन उपकरणों को निलाम करके, जलाकर अथवा नष्ट करके किया जाता है इसके लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए :-

- [अ] भण्डार उपकरणों का वार्षिक भौतिक सत्यापन
(Annual Physical verification of the store's-articles)
- [ब] पाच प्रतियों में सर्वे रिपोर्ट की तैयारी
(Preparing survey Reports)
- [स] भौतिक प्रमाणीकरण समिति की अनुशया
(Recommendation of the Committee)
- [द] सदम अधिकारी की स्वीकृति
(Receiving Sanction of the competent authority)
- [च] अनुपयोगीकरण की सही प्रक्रिया का प्रारम्भ
(Adopting Correct procedure for written off the articles)
- [छ] निलामी सूचना का प्रसारण
(Serving notice for auction)
- [ज] निर्धारित राशि का जमा
(Depositing the prescribed amounts from the party)
- [झ] स्टाक रजिस्टर से खारीजीकरण
(Disposing off or Deleting from stock Register)
- [ए] संस्था प्रधान का प्रमाणीकरण
(Verification from the Head of Institution)

अपलेखन प्रक्रिया-

(Disposing procedure)

प्रत्येक मन्त्र के अन्त में भण्डार का भौतिक सत्यापन, संस्था प्रधान द्वारा निर्धारित मरम्या रिमी अधिकारी द्वारा कराया जाता है। भण्डारी अधिकारी को इस

की पूर्व तैयारी अपने स्तर पर करके जो उपकरण अनुपयोगी हैं अर्थात् जैसे :- जलाने योग्य, निलाम करने योग्य, मरम्मत योग्य आदि उनकी प्रथम जांच कराने हेतु सूचियाँ बना देनी चाहिए ताकि समिति उन्हे देखकर अपनी रिपोर्ट एवं अनुशंसा निम्न प्रपत्र में कर सके :-

उपकरण सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रपत्र (SURVEY REPORT PROFORMA)

नाम	उपकरण	संख्या	क्रमिय	राशि	उपकरण हालत	खराब का कारण	अधिकारी की अनुशंसा	सदम अधिकारी की स्वीकृति
2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि गरोत्तम विधियों समस्त उपकरण अनुपयोगी हैं तथा विद्यालय निरीक्षण के नियम निरीक्षक महोदय द्वारा इसकी जांच कराई गई है।

प्रशान्नाचार्य

प्रमाण-पत्र

मैंने उपरोक्त समस्त उपकरणों की जांच करली है तथा इन्हें विलंबुल अनुपयोगी पाया है जो नियम अवधारा निलाम करके खारीज करने योग्य है।

निरीक्षक/उच्च अधिकारी

उपकरण निलामी-विधि प्रक्रिया - (AUCTION PROCESS)

(अ) निलामी-दिवस पूर्व कार्यवाही-

- (1) सर्वे रिपोर्ट पोच प्रतियों में बनाना।
- (2) प्रति वित्तिय घटियों के अनुरूप सदम अधिकारी को भेजकर स्वीकृति प्राप्त करना।
- (3) स्वीकृति प्राप्त होने पर उपकरण निलामी कार्य हेतु विभागीय उच्च अधिकारी को मान्य समिति का गठन कराने के लिए निवेदन करना।
- (4) विभागीय गठित समिति को बैठक एवं निलामी दिवसों की तिथि निर्धारित करना।
- (5) सामान निलामी की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु जन सम्पर्क अधिकारी को लिखना।

(ष) निलामी दिवस के दिन की कार्यवाही-

1. सर्वे रिपोर्ट के अनुसार पृथक-पृथक एक जैसे उपकरणों की छेरियाँ जचाकर और उसकी पृथक-पृथक सूची बनाकर समिति के सामने जांच हेतु रखना।

2. समिति के द्वारा जांच एवं मिलान करने के पश्चात् सूचियों पर प्रसारीकरण हस्ताक्षर प्राप्त करना ।
3. प्रारम्भिक सरकारी बोली की राशि एवं बोली-दाताओं ने जमा स्वरूप पार्श्व राशि मूल्य-निधीरण का निर्णय समिति की बैठक में लेना ।
4. उपस्थित बोली दाताओं की सूची तैयार करना, उनके हस्ताक्षर लेना तथा जमानत स्वरूप अग्रिम सुरक्षा राशि प्राप्त करना ।
5. समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम सरकारी बोली से निलामी की कार्यवैध प्रारम्भ करना तथा जो बोली बढ़े अथवा जिस पर बोली छूटे उसका इन नामजद लेखा जीखा रखना ।
6. जिसके नाम बोली छूटे उसके हस्ताक्षर प्राप्त करना तथा उससे बोली की सीधी प्राप्त करके उसे सामान लेजाने की स्वीकृति देना ।

(स) निलामी पश्चात् कार्यवाही-

- (1) समस्त सम्बन्धित कागजों व अभिलेखों पर संस्था प्रधान सहित समिति उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर कराकर निलामी कार्यवाही का प्रतिवेदन व अधिकारियों को भेजने के लिए 10 प्रतियों में तैयार करना तथा उस समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर लेना ।
- (2) निलामी से प्राप्त राशि चातान द्वारा सरकारी बातें में जमा करने कार्यवाही करना ।
- (3) खेल-क्रीड़ा भण्डार उपकरण पंजिकाओं में से खारिज समान को निकालने की कार्यवाही करना ।

शिक्षण सहायक सामग्री-

(TEACHING MATERIAL AID)

सहायक सामग्री शारीरिक शिक्षा के बेसाधान हैं जिनका प्रयोग करके मारी शिक्षक पाठ्ययस्तु को सरल, स्पष्ट एवं रोचक बनाता है। इनकी सहायता से बोड़ी-बो शिक्षण के प्रति द्याव प्रेरित होते हैं। किया कलापो का शिक्षण आकर्षक और प्राप्त हो जाता है। शारीरिक शिक्षण पद्धति मफल और रोचक होती है। शिक्षक घपने में सकृदान्त प्राप्त करता है और उसके द्वारा प्रस्तुत ज्ञान की द्याप द्यावों के हृदय-पद्धति अभिट प्रभाव डालती है जिससे द्यावों के मेल-बोड़ा कौशल शिक्षण के विकास में सह प्राप्त होता है। शारीरिक शिक्षा के बोत्र में सेन कोड़ा उपकरणों के प्रतिविज्ञ प्रसार की महावक सामग्रियो वा उपयोग किया जाता है उन्हें हम शिक्षण सामग्री बहते हैं।

- 1) परम्परागत सामग्री :-श्यामपट्ट, पुस्तक एवं पत्र पत्रिकायें आदि ।
- 2) शान्तिक सामग्री :-मोखिक उद्धरण एवं वक्तव्य आदि ।
- 3) प्रदर्शनात्मक सामग्री :-चित्र, खेल-बूह रचनाएँ जैव, चार्ट, रेखाचित्र व रेखाकृति, स्टोप बाच, बुलबर्कर, ध्यायाम साइकिल, केलकुलेटर व नापने के फीते मॉडल, नमूने, वजन मापक मशीन आदि ।
- 4) अध्य-शय सामग्री :-टेलीविजन, स्लाइड, मैजिक लैन्टन, चलचित्र, प्रोजेक्टर मशीन आदि ।

नियासार्थ प्रश्न : -

- शारीरिक शिक्षक को कौन-कौन से अभिलेख एवं पंजी को रखना आवश्यक है ? ऐसे प में स्टाक रजिस्टर की उपयोगिता बताइए ।
- विभिन्न खेलकूद के उपकरणों की सुरक्षा अपनी छोला में आप किस प्रकार करेंगे ? घरांव उपकरणों के लिए खारिज प्रपत्र (सर्वे रिपोर्ट) का चार्ट बनाइए ।
- आप किस भाषाएँ पर शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी सामग्री को स्वीकारेंगे, काम में लेंगे तथा रख करेंगे ।
- शारीरिक शिक्षा में खेल सामग्री की देखभाल तथा भरभरत का क्या महत्व है ?
- खेल-बूह के सामान को स्वीकारने तथा उनको व्यवस्था से रखने के लिए आप क्या सावधानियाँ बताएंगे ।



7 | शारीरिक शिक्षा और खेल-क्रीड़ा में : कुशल नेतृत्व, योग्यताएं एवं उत्तरदायित्व

अध्ययन विष्टु :-

- प्रस्तावना
- शारीरिक शिक्षा अध्यापकीय गुण एवं योग्यताएं
- विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक का उत्तरदायित्व
- विद्यार्थी नेतृत्व के गुण एवं उपयोगिता
- शारीरिक शिक्षण हेतु समय एवं कालांश निर्धारण

प्रस्तावना-

आज के बालक कल आने वाले समाज के नेतृत्व के प्रतिविम्ब हैं, जैसा वे प्रभी सीखेंगे वह सा ही वे भावी समाज के लिये अपना उत्तरदायित्व बहन करेंगे। इसलिए ये आने वाले कल को अच्छा बनाना है तो जिनके हाथों में कल की बागडोर होगी, उन शिक्षण एवं मार्गदर्शन के लिये आज कुशल और प्रवीण नेतृत्व की आवश्यकता है जिन आने वाले समय में आज का बालक अपने भावी जीवन के लिये इस प्रकार तैयार रहे, वह अपने जीवन के सामाजिक तथा सास्कृतिक दोषों में प्रभावी नेतृत्व की भूमिका निभ सके। सामान्यतया विद्यालयी शिक्षण के दोष में नेतृत्व तीन प्रकार के हैं :-

- अ. कुशल नेतृत्व (प्रशिक्षित)
- ब. स्वयंसेवी नेतृत्व (अप्रशिक्षित)
- ग. विद्यार्थी नेतृत्व (मार्गदर्शित)

विद्यालयी-शिक्षण के कार्यक्रम में शारीरिक शिक्षा भी एक ऐसा महत्वपूर्ण दिश है जिसमें कुशल और नेपुण्य नेतृत्व की आवश्यकता है। यह एक ऐसा तकनीकी विषय है, जिसके द्वारा संचालित कार्यक्रमों में बालकों को उनकी बृहद मायियेशीय व्यायामों तक खेल-क्रीड़ा विधाकालायों में मध्योग्य भाग दिलाकर उन्हें इस प्रकार से सीधने-सियाने के प्रयोग वर्गमें जाने हैं जिसमें उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावात्मक द्वारा विभिन्न पहलुओं दो दृष्टिकोण रखने हुए उनके व्याक्तिगत में मूलनात्मक परिवर्तन भाग ।

उचित परिवर्तन के लिये उचित निर्देशन तथा पश्च-प्रदर्शन की आवश्यकता है और ऐसे सफल नेतृत्व के लिये आज स्वस्थ्य और चरित्रमान तथा अपने विषय में योग्य नेपुण्य शिक्षक की ज़रूरत है। समाज की आदाओं में शिक्षक को राष्ट्र के निर्माता के रूप में सम्मान दिया जाता रहा है। शिक्षक का भी यह दायित्व हो जाता है कि वह अपना सम्मान बनाये रखने के लिये प्रभावी नेतृत्व की भूमिका निभाये और निष्ठा के साथ राष्ट्र सेवा करने में पूर्णतया सामर्थ्यवान् हो।

शारीरिक शिक्षा के दोनों में भी ऐसे ही प्रभावी नेतृत्व की आवश्यकता है जिसके मार्गदर्शन में हमारे राष्ट्र का भावी नागरिक बलिष्ठ और स्वस्थ्य बने रहकर राष्ट्र के उत्तम नैतिक चरित्र का निर्माण करने में समर्थ हो वयोंकि 'स्वास्थ्य और चरित्र' दोनों ही मूल्यानं वस्तुयें हैं। जहाँ एक और स्वास्थ्य सामाजिक गुणों का आधार माना जाता है वहाँ दूसरी और चरित्र राष्ट्र की नींव है।

भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ० राधाकृष्णन के शब्दों में 'चरित्र वह वस्तु है जिस पर राष्ट्र के भाग्य का निर्माण होता है।' तुच्छ चरित्र वाले लोग श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण कभी नहीं कर सकते।' हमारे प्रथम प्रधान मंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू के अनुसार— "The most important thing for a nation is to produce men & women good & true."

विद्यालयों में अच्छे नेतृत्व के लिये अच्छे शिक्षकों की आवश्यकता है चाहे वे किसी भी विषय के वयों न हों। विद्यालय की बड़ी इमारत और उसमें उपलब्ध शिक्षण के सम्पूर्ण उपकरण, साधन-सुविधायें, प्रधानाचार्य और प्रबन्ध समिति आदि सब व्यर्थ हैं यदि वहाँ पर कुशल शिक्षण का नेतृत्व नहीं है। विद्यालय के संचालन और व्यवस्थापन में, उत्तम शिक्षण और निरीक्षण में, अनुशासन और चरित्र निर्माण में ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो कुशल, अनुभवी, प्रशिक्षित और निष्ठावान हो। यही बात शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में भी लागू होती है क्योंकि बालकों के अच्छे स्वास्थ्य, शरीर सामर्थ्यता, खेल-क्रीड़ा कौशल और मनोरंजन के विकास में शारीरिक शिक्षक को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है जो बालकों के भावी जीवन के लिये उपयोगी हो।

शारीरिक शिक्षा अध्यापकीय गुण एवं योग्यताएँ :-

शारीरिक शिक्षा और खेल-क्रीड़ा के क्षेत्र में अच्छा एवं तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित नेतृत्व उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न स्तर एवं अवधि के पाठ्यक्रम और प्रशिक्षिण यरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित किये जाते हैं। इन व्यावसायिक नेतृत्व वीयारों के प्रशिक्षिणों में भाग लेने वाले प्रत्याशियों को इनमें प्रवेश लेने के लिए निर्धारित न्यूनतम संक्षणिक अवधि अध्यवा प्रशिक्षणिक योग्यताएँ रखनी हीती है तथा निश्चित अवधि का प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के बाद प्रत्याशी को विश्वविद्यालय अवधा बोर्ड द्वारा

प्रदत्त उपाधि अथवा प्रमाण पत्र से विभूषित किया जाता है। शारीरिक शिक्षकों के निवे इस प्रकार की उपाधियों, डिप्लोमा एवं प्रमाण-पत्रों आंदि पाठ्यक्रम प्रशिक्षणों के नाम इन प्रकार हैः—

— शारीरिक शिक्षा और सेल-कोड़ा प्रशिक्षण उपाधियां एवं प्रमाण पत्र —

शारीरिक शिक्षा के दोष में	सेल-कोड़ा प्रशिक्षण के दोष में
1. पी. एच. डी. (Phd.) श्रीवर्षीय	1. मास्टर्स डिप्लोमा एडवान्स कोर्स (ट्रिवर्षी)
2. एम. फिल (M. Phil) एक वर्षीय	2. डिप्लोमा रैम्प्युलर कोर्स (एक वर्षीय)
3. मास्टर्स डिप्लोमा (MPE/MPED) द्विवर्षीय	3. डिप्लोमा कन्फेस्ट कोर्स (6 माह)
4. बैचलर्स डिप्लोमा अथवा डिप्लोमा-	4. ओरियंटेशन प्रमाणपत्र कोर्स ($\frac{1}{2}$ वर्ष)
(i) B.P.E. (श्रीवर्षीय)	सेवारत शारीरिक शिक्षकों हेतु
(ii) B.P. Ed. (एक वर्षीय)	5. रिफेशर कोर्स (सेवारत शारीरिक शिक्षकों हेतु)
(iii) D.P. Ed (एक वर्षीय)	
5. प्रमाण पत्र कोर्स (C.P. Ed.) एक वर्षीय	
6. प्रमाण पत्र कोर्स वाइफोकल द्विवर्षीय	

इस प्रकार शारीरिक शिक्षा और सेल प्रशिक्षण के दोष में उपरोक्त योग्य धारी व्यक्ति ही कुशल एवं तकनीकी नेतृत्व वहन करने के योग्य माने जाते हैं। इन ही नहीं एक अच्छे शारीरिक शिक्षक अथवा सेल प्रशिक्षक के लिए एक आदर्श जिन होना पहली शर्त है। इस दृष्टि से यह व्यक्ति ऐसा गुणवान होना चाहिये जिसमें आराधिक प्रोग्राम के साथ-साथ निम्नलिखित योग्यताएँ भी विद्यमान हों :—

(1) शैक्षणिक योग्यताएँ (Educational) सेवा नियमानुसार—

हार्ड स्कूल; स्नातक और स्नातकोत्तर।

(2) व्यावसायिक योग्यताएँ (Professional) सेवा नियमानुसार—
उपरोक्त उल्लेखित योग्यताएँ।

(3) व्यक्तिगत विकास सम्बन्धी गुण (Personality development) :—

a. शारीरिक स्वस्थता (Physical Fitness) गुणठित शरीर, सौन्दर्यपूर्ण शारीरिक कौशलनन्दुशयता, प्रभावशूलंयागी, प्रगतिशील स्वभाव, स्वस्थ, मुम्दर, भालू में गाहमी प्राप्ति गुण रखने यादा।

b. मानविक चेतन्यता (Mental Alertness)- दृष्टि निर्णय शक्ति, गहन विनाश, विचार योग्यता विवेचनशील एवं युद्धमान, मानविक मध्यनकाता, ज्ञानयान, रिएक्ट्रेशन, व्यापकशील, अधिकारीवीक्षण, वैज्ञानिक स्मादि गुण रखने यादा।

- ग. सामाजिक समायोजन (Social Adjustment)—सहयोग, सहानुभूति, सहिष्णुता, दयालु, निष्ठावान, न्यायी, पथ प्रदर्शक, उत्साही, स्वः मनुशासित, उत्तरदायी, मानवीय एवं मंत्री भाव आदि गुण रखने वाला ।
- घ. सुदृढ़ नैतिक-चरित्र (Sound Moral Character)—निष्कपट, ईमानदार, निष्पक्ष, सदाचारी, समय पाबन्द, अद्वावान, निष्ठावान, हड़ जीवन दर्शन आदि ।
- (4) खेल-कीड़ा कौशल नैपुण्यता (Sport's skills abilities)—खेल विशेष में उत्तम ज्ञान, प्रशिक्षण, अभ्यास, प्रायोगिक शिक्षण, कौशल क्रियान्विति, प्रभावी, प्रदर्शन, निरीक्षण, पर्यंतेक्षण तथा, दोष शोधण तथा दोष निवारण क्षमताएं एवं योग्यताएं आदि ।
- (5) नेतृत्व योग्यता—
(Leadership Qualities)
- अ. शिक्षण कार्यक्रम के आयोजन एवं नियोजन की योग्यता
 - ब. कार्यक्रमों के सफल संचालन की योग्यता
 - स. प्रबन्ध एवं प्रशासन की योग्यता
 - द. निरीक्षण एवं पर्यंतेक्षण की योग्यता
- (6) व्यक्तिगत अभिरुचियों (Personal Hobbies)—उपरोक्त योग्यताओं के अतिरिक्त एक अच्छे शारीरिक शिक्षक अवयव प्रशिक्षक में कुछेक विशिष्ट अभिरुचियों में भी प्रवीष्टता होनी चाहिये जैसे चित्रकला, संगीत, साहित्य लेखन एवं पठन पाठन, फोटोग्राफी, बागवानी, भ्रवकाश समय के मनोरंजनीय खेल आदि ।

विद्यालय में शारीरिक शिक्षक का उत्तरदायित्व एवं कार्य-

(Role of Physical Education Teacher in the school)

शिक्षा का उद्देश्य बालक का चढ़ा-मुखी विकास करना है। इसी उद्देश्य प्राप्ति के लक्ष्य को सामने रखकर विद्यालयों में अनेकों विषयों का शिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जाता है। उनमें से शारीरिक शिक्षा का विषय भी एक है जिसका प्रत्यक्ष उद्देश्य—‘बालकों के स्वास्थ्य, शारीरिक स्वस्थता, शरीर सुडौलता एवं सौन्दर्यता, खेल-कीड़ा कौशल पौर मनोरंजन आदि का विकास करना है। इसीलिये विद्यालय में संचालित ऐसे क्रियाकलापों के आयोजन, जो शरीर की बड़ी मास-पेशीयों, तीव्र गतियुक्त व्यायामिक क्रियाओं एवं खेल-कीड़ाओं से सम्बन्धित होते हैं बोल चाल की आम भाषा में उसे शारीरिक शिक्षा कहा जाता है। इसके शिक्षण पर ध्यान देना जरूरी है। यह शिक्षण कार्य जिस प्रशिक्षित अध्यापक के नेतृत्व में किया जाता है उसे हम शारीरिक शिक्षक कहते हैं।

विषय शोध को रधि में शारीरिक शिक्षक के महत्वानुसार उत्तरदायित एवं शिक्षण सार्व से निम्न प्रकार विभागित किया जा गता है :—

1. शारीरिक शिक्षा व्यवस्थाओं के शिक्षण गम्भीरी
(Instructional)
2. गत-क्रीड़ा कौशल विकास गम्भीरी
(Skills Developmental)
3. स्वास्थ्य सम्बन्धी
(Health Related)
4. मनोरंजन गम्भीरी
(Recreational)
5. गैतिक-चरित्र विकास गम्भीरी
(Moral & character developmental)
6. प्रबन्ध, प्रशासन और दर्यवेशी गम्भीरी
(Organisation Administrative & Supervisory)
7. सामाजिक गम्भीर व्यापना गम्भीरी
(Social adjustment related)

(क) उत्तरदायित वहनता हेतु निर्धारित समय-

विद्यालय में प्रत्येक विषय के शिक्षण के लिये अधिकार वाढ़कम निर्धारित है है और उस विषय की महत्वा एवं उसके शिक्षण के ममूर्ण सम्बादन के लिये समय कालाशों की अवधि भी निर्धारित है। इसी प्रकार शारीरिक शिक्षा की प्रवृत्ति विद्या एवं कौशल नेपुण्यता के लिये भी निम्न प्रकार से समय और कालाश देय है शारीरिक शिक्षक अपना उत्तरदायित सम्पादित करता है :—

समय निर्धारण	आधोगित कार्यक्रम
1. विद्यालयी समय सारिणी अनुसार प्रीपम काल मे-मध्यावकाश पूर्व निर्धारित कालाशों मे शीतकाल मे-मध्यावकाश पश्चात् निर्धारित कालाशों मे	कालावार निर्देशन वा कार्य (यनिवार्य)- (1) खेल-क्रीड़ा कौशल शिक्षण एवं गम्भीर (2) शरीर विकासात्मक एवं अनुकूलन
2. विद्यालयी समय पूर्व अथवा पश्चात् प्रातः एवं सायं	खेल-क्रीड़ाओं मे समूह गम्भीर (वैकल्पिक)- 1. क्रीड़ा कौशल गम्भीर एवं संभागित 2. गहन खेल प्रशिक्षण (कोर्चिंग) 3. सीमान्तर्गत वाह्य खेल प्रतियोगिताएं 4. व्यायाम प्रदर्शन तंयारी आदि।

(स) विषयान्तर्गत उत्तरदायित्व सम्बन्धी क्रियाकलाप—

उपरोक्त वर्णित अवधि को निर्धारित कालांशों में शारीरिक शिक्षक को जिन क्रियाकलापों एवं गतिविधियों को शिक्षण हेतु संचालन करना पड़ता है, वे निम्न प्रकार हैं-

1. विकासात्मक क्रियाकलाप—

(Developmental Activities)

- (क) ग्रनीपचारिक अध्यवा नैसर्प्रिक शारीरिक क्रियाएं
- (ख) प्रनुकरण एवं अभिनय के खेल एवं क्रियाएं
- (ग) ग्रोपचारिक शैक्षिक व्यायाम और ड्रूल की क्रियाएं
- (घ) परम्परागत व्यायामिक क्रियाएं

लय और तालबद्ध व्यायाम के क्रियाकलाप—

(Rhythmic Activities)

- (क) लोक एवं परम्परागत क्रियाएं
- (ख) आषुनिक फैनसी ड्रूल
- (ग) व्यायामिक उपकरण सहित क्रियाएं
- (घ) उपकरण रहित क्रियाएं आदि

खेल-क्रीड़ा क्रियाकलाप —

(Games & Sports Activities)

- (क) बड़ी दलीय खेल, एकल खेल तथा मनोरंजनीय बाल-क्रीड़ाएं
- (ख) दौड़ एण्ड फील्ड सम्बन्धी दीड़, कूद और फैक क्रियाएं
- (ग) जल-थल और नभ के साहसिक खेल

व्यायामिक क्रियाकलाप—

(Gymnastic Activities)

- (क) उपकरण सहित (भारतीय एवं पाश्चात्य व्यायाम)
- (ख) ग्राउन्ड जिम्नास्टिक एवं टम्बलिंग आदि

5. द्वन्द्वात्मक क्रियाकलाप—

(Dual Activities)

- (क) शस्त्र संचालन द्वन्द्व विद्या
- (ख) घरीर लड़न्त, कुश्ती, जुड़ो, घावसिंग एवं कराटे आदि

6. जलीय क्रियाकलाप—

(Aquatics Activities)

- (क) तैराकी
- (ख) गोताखोरी
- (ग) जल नृत्य, विविध खेल एवं मनोरंजन आदि

7. शरीर अनुकूलन, स्वस्थता और योग व्यायाम के क्रियाकलाप—
 (Body Adaptive, Remedial, Fitness & Yogic Exercises Activities)
- (क) आसन
 - (ख) प्राणयाम
 - (ग) शरीर शुद्धि यष्टि क्रियाएँ
 - (घ) शरीर गठन दोप निवारण व्यायाम
8. मनोरंजनीय क्रियाकलाप—
 (Recreational Activities)
- (क) शिविर
 - (ख) पिकनिक ग्रथवा सैरसपाटा
 - (ग) हाइक एवं शैक्षिक पर्यटन
 - (घ) प्राकृतिक घ्रमण आदि।
9. सामाजिक एवं राष्ट्रीय परियोजनाएँ—
 (Social & National Projects)
- (क) राष्ट्रीय सेत दिवस एवं कीड़ा सम्मेलन
 - (ख) राष्ट्रीय शारीरिक स्वस्थता परीक्षण सप्ताह
 - (ग) स्वाधीनता एवं गणतन्त्र दिवस
 - (घ) बाल दिवस एवं शिक्षक दिवस
 - (ङ) सफाई एवं स्वच्छता दिवस
 - (च) सामाजिक पर्व एवं उत्सव समारोह
 - (छ) अन्तर सूली प्रतियोगिताएँ
 - (ज) समाज सेवा एवं श्रमदान शिविर
 - (झ) खेल प्रशिक्षण शिविर आदि
 - (झ) अन्तंसदनीय मेल स्पर्धाएँ

इसलिए यदि शारीरिक शिक्षक कार्यों एवं उत्तरदायित्व का भती-भाँति विद्या जाये तो यह किसी भी स्तर पर किसी अभ्यं विषय से कम महत्वपूर्ण नहीं जरूरत इस चात की है कि इस विषय की महत्ता को समझने हुए विद्यालय में आवास प्रौद्योगिक एवं मानवीय, साधन-सुविधाएँ (Infrastructures & Facilities) उपकरण जावे, गुणियांजित एवं सोइैश्यूलं कार्यक्रम आयोजित हों, क्रियाकलापों के साथ विद्यालय के लिए समय सारिए ही में समुचित समय एवं कालांश दिये जायें, भव्य विषयों भाँति इसे भी पाठ्यक्रम में समान दर्जा दिया जावे तथा इस विषय के प्रभावी परीक्षण मूल्यांकन की ध्यवस्था हो। ऐसा होने पर ही शारीरिक शिक्षक के कार्य एवं उत्तरदायित्व को पर्याप्त यश मिलेगा, इसके कार्य-सम्बादन से मोइैश्यूलं परिणाम सामने आयेंगे तो शारीरिक नियन्त्रक के कार्यों की धृति को बहुती पर कसा जा सकेगा।

(८) शारीरिक शिक्षक का न्यूनतम उत्तरदायित्व-

सारांश में हम कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा के विषय क्षेत्र एवं क्रियाकलापों को देखने पर यह स्पष्ट नजर आता है कि शारीरिक शिक्षक का कार्य-दोष विस्तृत होने से उसका उत्तरदायित्व भी बहुत महत्वपूर्ण है। अतः विद्यालयों में प्रदत्त समय, कलांश, ग्रन्थन-सुविधाएं, निर्धारित पाठ्यक्रम तथा विभागीय आदेश निर्देशों के आधार पर शारीरिक शिक्षक का न्यूनतम उत्तरदायित्व निम्न प्रकार उल्लेखित किया जा सकता है :-

- (1) शारीरिक शिक्षा का कक्षावार निर्देशन सम्बन्धी सेल-क्रीड़ा कोशल का शिक्षण।
- (2) शारीरिक दोष निवारण, उपचार एवं शरीर अनुकूलन के कार्य।
- (3) स्वास्थ्य सेवा के कार्य।
- (4) मनोरंजनीय क्रिया कलापों के आयोजन।
- (5) सांयकालीन सेल-क्रीड़ा अभ्यास कार्यक्रम।
- (6) सीमान्तर्गत सेल स्पर्धा कार्यक्रम का सचालन।
- (7) अन्तर-स्कूली सेल प्रतियोगिता सम्बन्धी कार्य।
- (8) विशिष्ट सेल बलबों का गठन।
- (9) सेल दलों का चयन एवं उनका गहन सेल प्रशिक्षण।
- (10) सामाजिक एवं राष्ट्रीय दिवसों पर व्यायाम प्रदर्शन।
- (11) विधालयी सेल-प्रांगण विकास एवं रखरखाव।
- (12) सेल-क्रीड़ा भण्डार एवं कार्यालय प्रबन्ध।

इस प्रकार शारीरिक शिक्षक का दायित्व केवल मात्र उसके अपने विषय के शिक्षण के सीमित नहीं है, बल्कि उसके साथ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के प्रयोजन में निहित प्रबन्ध, प्रशासन और पर्यवेक्षण जैसे महत्वपूर्ण दायित्व से भी सम्बन्धित है जिसका सफल निर्वाह एक अच्छे शारीरिक शिक्षक की नेतृत्व योग्यता पर आधारित है।

(९) उत्तरदायित्व वहनता में उत्पन्न समस्याएं-

शारीरिक शिक्षक के कार्यों के बारे में समुचित जानकारी के पश्चात इस विषय के शिक्षण को उपयोगिता और आवश्यकता को विधालयों में बालक के सर्वांगीण विकास के लिये महत्वपूर्ण समझा गया है, परन्तु आज भी शिक्षा के साथ जुड़ी हुई शारीरिक शिक्षा प्रणाली और विकलांग सी प्रतीत होती है। जो लक्ष्य और उद्देश्य इसके द्वारा पूरे होने चाहिये थे वे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। यदि सारांश रूप में देखा जाये तो इसके कुछेक कारण निम्नांकित हैं :-

- (1) भव्य विषयों के समकक्ष मान्य स्थिति का अभाव।
- (2) अध्ययन-अध्यापन की सुविधाओं की अभावग्रस्त स्थिति।

- (3) संस्था प्रधान की अरुचि एवं अज्ञान स्थिति ।
- (4) भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की कमी ।
- (5) पर्यंवेक्षण और निरीक्षण की अपर्याप्ति स्थिति ।
- (6) वित्तीय सुविधाओं की अनुपरावधता ।
- (7) प्रशासन एवं विभाग की निपटिक्यता एवं अनदेखी ।
- (8) अभिभावकों एवं बालकों की रुचि में परिवर्तन ।
- (9) शिक्षण हेतु समय-सारिणी में प्रदत उपयुक्त समय के आवेदन का अभाव ।
- (10) शारीरिक शिक्षक के ज्ञान, प्रशिक्षण एवं नेतृत्व में गिरावट ।
- (11.) समाज में विषय-उपयोगिता के प्रति आकर्षण का अभाव ।

शारीरिक शिक्षा में विद्यार्थी नेतृत्व के गुण एवं उपयोगिता-

आज के बालक आने वाले कल के नागरिक हैं उन्हें अपने राष्ट्र के निम्नालिखित विकास की जिम्मेदारी का भार लेना है। इसलिये विद्यालय ही ऐसा केन्द्र है जहाँ विद्यार्थी में प्रजातन्त्रीय नेतृत्व तथा अनुकरण के गुणों के विकास के लिये पूर्ण प्रयत्न प्राप्त कराये जा सकते हैं और उन्हें उचित मार्गदर्शन दिया जा सकता है।

(अ) विद्यार्थी नेतृत्व की उपयोगिता-

शारीरिक शिक्षा में कार्यक्रमों की विविधता है। अनेक खेल क्रीड़ाओं में विभिन्न भाग लेते हैं। अतः शिक्षक के लिये भी विद्यार्थी नेता के उपयोग की आवश्यकता पड़ती है। जिससे उसका अध्ययन व अध्यापन कार्य सरल और सहज बन सके। इसलिये पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों का उपयोग निम्न प्रकार से किया जा सकता है :—

1. कक्षा नायक, दलनायक व समूहनायक के रूप में ।
2. उपकरण व सामग्री मैदान पर पहुंचाने व देखरेख के लिए ।
3. खेल-प्रागणों की सफाई उनके रखरखाव व चिन्हांकन के लिए ।
4. पाठ शिक्षण प्रक्रिया में प्रदर्शन देने के लिए ।
5. विद्यार्थियों को उपस्थिति व सूचना एकत्र करने हेतु ।
6. समूह को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने हेतु ।
7. विविध परियोजनाओं के आयोजन, नियोजन और संचालन में सहयोग प्राप्ति ।
8. अनुशासन बताये रखने में सहयोग प्राप्ति के लिए ।
9. सूचना पहुंचाने में सहयोग प्राप्ति ।
10. विविध समा और संगोष्ठियों की व्यवस्था के लिए ।

(ब) विद्यार्थी नेतृत्व के गुण-

1. ज्ञानवान् एवं बुद्धिमान् ।

3. शारीरिक और मानसिक स्वस्थता ।
4. नियमित व अनुशासित ।
5. सहयोगी, उदार और सहिष्णु ।
6. साहसी, निष्पक्ष, ईमानदार और कर्तव्य परायण ।
7. परिश्रमी, सहनशील, संगठनशील ।
8. दूरदर्शी, विपरीत परिस्थितियों में नियन्त्रण योग्यता ।
9. प्रसन्नचित ।
10. उत्तम चरित्र, अच्छी आदतें और मधुर व्यवहार ।

(स) विद्यार्थी नेता के चयन की पद्धति—

1. प्रजातान्त्रिक प्रणाली से—(कक्षा छात्रों द्वारा चुनाव)
2. मनोनीत प्रणाली से—(बारी-बारी से अवधा रूचि अनुसार)

(द) विद्यार्थी नेतृत्व का प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन—

अवकाश अवधि में नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जाने चाहिये । इसके प्रतिरिक्त शिक्षक द्वारा यथा समय उन्हें कार्य करने के अवसर देकर प्रोत्साहित करना चाहिये । विशेष सेर, शिविर, पिकनिक, हाईक, भौतिक यात्रायें आयोजित किये जावें । उत्तम नेतृत्व के प्रोत्साहन के लिये प्रभाग पत्र, फोटोग्राफ परिचय व प्रशस्ता व पत्रिका सेव का उपयोग भी किया जाना चाहिये । सम्मान-पट्ट, सूचना-पट्ट पर नामों की सूचि व शिक्षा शुल्क या अन्य शुल्क में मुक्ति की सुविधाओं से भी नेतृत्व प्रशिक्षण को बल मिलता है तथा विद्यार्थी नेतृत्व को प्रोत्साहन दिया जा सकता है ।

शारीरिक शिक्षण हेतु समय एवं कालांश निर्धारण—

विद्यालय में शारीरिक शिक्षा विषय के शिक्षण के लिये उपयुक्त समय के निर्धारण की समस्या सदैय एक चर्चा का विषय रहा है । विद्यालयी पाठ्यक्रम में अन्य दिपयों की भाँति इस विषय के शिक्षण के लिये भी समय का प्रावधान है । परन्तु विद्यालयी समय सारिणी में कालांशों के लिये समय दिया जाना परिस्थितिवश एक समस्या का विषय बन गया है । शाविर वे कौनसी ऐसी परिस्थितियां हैं जो व्यवहारिक रूप में शारीरिक शिक्षा विषय जिसल के लिये समय सारिणी बनाते समय कठिनाई उत्पन्न करती है । जिसके बारए अन्य विषयों की भाँति प्रत्येक विद्यालय के लिए एक जैसे समय और कालांशों की समस्पता नहीं रहती है ।

1. जलवायु विभिन्नता—

हमारे देश में एक जैसी जलवायु नहीं है । समूचे देश में अलग-अलग धोर की जलवायु भलग-भलग है । किसी स्थान में सर्व धर्धिक पड़ती है तो कही गर्भी यहूत है । किसी स्थान का जलवायु नम है तो कही शुष्क जलवायु है ।

2. भौगोलिक स्थितियों में विभिन्नता—

भारत एक बड़ा देश है। यहाँ की भौगोलिक स्थितियों में बहुत भिन्नताएँ हैं। यही राज्य में अनेकों प्रकार की भौगोलिक भिन्नताएँ देखने को मिलती हैं। कहों पर पर्वतीं स्थल हैं तो कहीं पर पठारी प्रदेश है। कहीं पर उबड़खावड़ मिट्टी के टीलों के स्थान हैं तो कहीं पर समतल मैदानी प्रदेश है।

3. विद्यालयों की स्थितियों में विभिन्नता—

हमारे देश में पारी, आवास एवं खेल प्रांगण सुविधा की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के विद्यालय हैं। जैसे—

अ. एक पारी अथवा दो पारी के विद्यालय

ब. छात्रावास सुविधा सहित अथवा छात्रावास रहित विद्यालय

स. विद्यालय भवन के पास अथवा दूर स्थित खेल-प्रांगण के विद्यालय

द. पर्मास अथवा सिभित खेल प्रांगण विद्यालय

च. व्यायामगृह सहित अथवा व्यायामगृह रहित विद्यालय

छ. खेल प्रांगण अभावग्रस्त विद्यालय

उपरोक्त प्रमुख विभिन्नताओं के कारण समस्त विद्यालयों में ग्रारेकि विषय-शिक्षण के लिये देय समय और कालांशों में भिन्नताएँ होता स्वाभाविक। इसके अतिरिक्त इस विषय के अध्ययन अथवा सीखने-सिखाने के लिये समय तारिखी कालांशों का प्रावधान न रखने के निम्न कारण भी हैं—

(क) खेल उपकरणों को अपर्याप्त स्थिति

(ख) प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव

(ग) विद्यार्थी संघटा एवं कक्षा वर्गों की अधिवयता

(घ) अन्य विषयों को अधिक कालाश देने पर घल

(ङ) इस विषय के प्रति विद्यालय प्रधान की भनदेखी एवं लापरवाही

जिन विद्यालयों में साधारणीन खेल संचालन की व्यवस्था है वहाँ पर भी प्रतिदिन ऐसी स्थिति बनती जा रही है कि खेल प्रांगण सूते दियाई देते हैं। उनकी उपयोग नहीं हो पा रहा है। उनकी भी यह समस्या है कि—

(क) महरों में दूर दराज से धानको की पुनः सूत आने की स्थिति नहीं है।

(ख) प्रामाण्य विद्यालयों में दूर गांव से धाने को गमस्या है।

(ग) विद्यालयों के मनोरंजन में परिवर्तन आ गया है।

(घ) धाविक युग में धानको डारा गृह उद्योग में मृद्योग लिया जाता है।

(ङ) विषय भार वे बाग्य धानकों को स्वास्थ्य भी करना होता है।

(ण) अभिभावकों द्वारा प्राप्तगदगों एवं धर्मनि भी एक कारण है।

शारीरिक शिक्षण के लिये उपयुक्त समय-

शारीरिक शिक्षा विषय के शिक्षण एवं अभ्यास के लिये विद्यालयी समय में से कितना समय दिया जावे ? इस विषय का शिक्षण किस समय में किस प्रकार से सचालित हो ? इस सम्बन्ध में शिक्षा मंत्रालय के शारीरिक शिक्षा मनोरंजन केन्द्रीय परामर्श बोर्ड द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन (सन् 1956) के पृष्ठ 16 पर शारीरिक शिक्षा विषय शिक्षण के लिये उपयुक्त समय निम्न प्रकार से बताया गया है—

१. स्कूल समय में—निर्देशन कालांश (कक्षावार अनिवार्य)

गम मौसम में—प्रातः 7 से 9.30 बजे के मध्य अर्थात् समय सारिणी में मध्यावकाश पूर्व शीत मौसम में—अपराह्न 2 से 4.30 बजे के मध्य अर्थात् समय सारिणी में मध्यावकाश के पश्चात्

२. स्कूल समय पश्चात्—संभागित्व कालांश (वैकल्पिक)

गम मौसम में—सायं 5.30 से 7 बजे तक

शीत मौसम में—सायं 4.30 से 6 बजे तक

ईश्वर भाई पटेल कमेटी जिसे रिव्यु कमेटी भी कहते हैं इसकी अनुशंसा अनुसार निर्देशन कालांशों के लिए समय का निर्धारण निम्न प्रकार किया गया है—

कक्षा १ में ५ तक के लिये—एक घण्टा प्रतिकक्षा प्रतिदिन 180 कार्य दिवस तक

कक्षा ६ से १० तक के लिये—चार कालांश प्रतिकक्षा प्रति सप्ताह 130 कार्य दिवस तक

३. शारीरिक शिक्षा में कालांश विभाजन एवं उनके प्रकार —

(अ) स्कूल समयावधि में (अनिवार्य कार्यक्रम)–

१. निर्देशन कालांश (Instructional Period) कोशल शिक्षण के लिए

२. अभ्यास कालांश (Practice period) कोशल अभ्यास के लिये

३. सामुहिक अन्तिम सेल कालांश (Games Period) सबको भाग दिलाने के लिए

(ब) स्कूल समयावधि पश्चात् (वैकल्पिक कार्यक्रम)

१. संभागित्व अवधि स्वेच्छा कालांशों (Participation or voluntary period)

इस अवधि के कालान्वी में सार्याकालीन समूहवार सेलों के आयोजन, गहन सेल-प्रशिक्षण, घन्तः कक्षा स्पष्टियों, दूसरे स्कूल से मंत्री मेच, व्यायाम प्रदर्शन आदि की तर्फारी से कार्यक्रम रखे जा सकते हैं।

प्रभ्यासार्थ प्रश्न—

- प्रादर्श शारीरिक शिक्षक में आवश्यक गुणों का वर्णन करो । स्कूल में शारीरिक शिक्षकों को किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । बताइए ।
- प्राप्त नेतृता में क्या गुण होने चाहिये । संघों में वर्णन कीजिए ।

अध्ययन विन्दु :-

- प्रस्तावना
- कार्यालय व्यवस्था
- विद्यालयी अभिलेखों का प्रयोजन
- अभिलेख रख-रखाव के बुनियादी सिद्धान्त
- अभिलेखों के प्रकार एवं उनका क्षेत्र
- शारीरिक शिक्षा एवं खेल-क्रीड़ा सम्बन्धी अभिलेख

प्रस्तावना—

किसी भी संगठन अथवा शिक्षण संस्था का कार्यालय उस संस्था के संचालन धूरी है। कार्यालय संस्था प्रधान का ऐमा महत्वपूर्ण एवं सहयोगी गन्धि है जिसके पार वह संस्था के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्त होता है। कार्यालय अभिलेख के रखरखाव का व्यक्तिगत घर है जिसका प्रमुख उद्देश्य विद्यालय के प्रत्येक घटक मांगदर्शित करना तथा शक्तिक प्रगति में सहायता देना है।

कार्यालय व्यवस्था—

कार्यालय का उत्तरदायित्व कार्यालय के प्रमुख के प्रति रहता है। कार्यालय को सहायता के लिए मध्यालयिक कामिक नियुक्त होते हैं। जिनके कार्य एवं उत्तरदायित्व का गृष्म-पृष्ठ बट्टवारा रहता है तथा ये सब आपसी तारा मेल में कार्यालय का दायित्व हन करते हैं। कार्यालय विद्यालयी संगठन का वह केन्द्र विन्दु है जहां पर विद्यालय नियन्त्रित ममता अभिलेख रखे जाते हैं।

विद्यालयी अभिलेखों का प्रयोजन—

विद्यालय एक सामाजिक मंस्था है जो अभिभावकों, दात्रों, गवार तथा ममाद के उत्तरदायों है। इसलिए विद्यालयी मंगठन की भूतकालीन एवं वर्तमान इस उत्तर-

देशों, भाकांक्षाओं एवं उपलब्धियों, तथा उसकी कार्य दक्षता एवं उपयोगिता का स्पष्ट प्राप्त करने तथा उसका अवलोकन करने के लिए विद्यालय में विभिन्न प्रकार के अभिलेख, प्रतिवेदन एवं रजिस्टर आदि रखना आवश्यक है। साधारणतया यह कहा जाता है कि अभिलेखों को रखने का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक छात्र को उसके व्यक्तिगत एवं सिक्षिक प्रगति में सहायता करना है। इसके अलावा भी अभिलेखों के द्वारा निम्नलिखित देशों की भी पूर्ति होती है :—

- 1) राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग की कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति ।
- 2) शैक्षिक कार्यक्रम की प्रभावशोलता एवं उसके मूल्यांकन की पूर्ति
- 3) अभिभावकों की आवश्यकताओं की पूर्ति
- 4) शैक्षिक मनुसन्धान एवं सुधार की पूर्ति
- 5) सूचनाओं के सही एवं स्पष्ट संकलन की पूर्ति

इसलिए सत्यां - प्रधान का यह एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है कि वह छात्र एवं विद्यालय के सम्बन्ध में पूर्ण अभिलेख रखे, क्योंकि विद्यालय द्वारा अभिलेख रखे जाने के लिए निम्नांकित लाभ प्राप्त होते हैं :—

- 1) छात्रों की संख्या, उनकी वक्षा, लिंग तथा नगरीय व ग्रामीण आदि प्रगति विवरण, आय-व्यय का ब्यौरा आदि के प्रतिवेदन समय-समय पर राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को भेजने पड़ते हैं ।
- 2) छात्रों का सामयिक मूल्यांकन, उसके आधार पर ज्ञात दुर्बलताएं एवं श्रेष्ठताएं, तथा शैक्षिक कार्यक्रम की प्रगति का समूचित ज्ञान होता है ।
- 3) छात्रों की प्रगति के सम्बन्ध में समय-समय पर उनके अभिभावकों को 'सूचना' भेजने में सहायता मिलती है ।
- 4) शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य एवं उसका पाठ्यक्रम, उसकी शिक्षण विधि एवं विभिन्न प्रवृत्तियां, संसाधन एवं सुविधाएं, आय-व्यय की स्थिति तथा बिलाडियों एवं छात्रों के स्तर में वृद्धि आदि का पता चलता है ।
- 5) अभिलेखों द्वारा सूचनाओं के संकलन एवं उनका सही और स्पष्ट ज्ञान होने पर योजना निर्माण एवं उसके विकास में सहायता मिलती है, जिसके आधार पर आवश्यक सुधार की कार्यवाही की जा सकती है ।
- 6) छात्रों की आवश्यकताओं का पता चलता है तथा उनकी योग्यता एवं रचि के मनुसार ऐल-क्रीड़ाओं के उचित निर्देशन में सहायता मिलती है ।
- 7) अभिलेखों से संस्था में कार्यरत कार्मिकों के कार्य का मूल्यांकन होता है। इन्हीं से उनकी कार्य क्षमता, निष्पक्षता एवं सत्यता की पुष्टि होती है ।
- 8) अभिलेख भविष्य के मार्गदर्शक हैं जिनके सहारे भावी कार्यक्रम, योजनाएं, वार्षिक पचांग बनाये जाते हैं ।

(क) अभिलेख ही उपलब्ध संसाधन, सुविधाओं एवं उपकरणों आदि की सुरक्षा एवं उनके रखरखाव में सहायता प्रदान करते हैं।

अभिलेख रखरखाव के बुनियादी सिद्धान्त--

अभिलेखों को वास्तविक रूप में उपयोगी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उनके रखरखाव पर उपयुक्त ध्यान दिया जावे। इसके लिए निम्नांकित बातों को ध्यान में रखा चाहिए :-

1. अभिलेख क्रमबद्ध एवं समुच्चय रूप में (Cumulative) हों।
2. वे स्थाई रूप से विद्यालय के रिकाङ्ग में सुरक्षित रखे जाएं।
3. सुव्यवस्थित हों।
4. सहज में उपलब्ध हो सकें।
5. पूर्ण हों।
6. विद्यालय के स्वरूप एवं उद्देश्यों से सम्बन्धित हों। तथा,
7. नुकसान पहुँचाने वाले कीटागुओं एवं जीवाणुओं से उन्हें सुरक्षित रखा जाए।

अभिलेखों के प्रकार एवं उनका क्षेत्र-

प्रश्नण सत्याग्रहों से गम्भन्धित अभिलेख, प्रतिवेदन, रजिस्टर एवं पश्चात्यादि को व्यवस्था की दृष्टि से निम्नांकित शीर्षकों में वर्गीकृत किया जा सकता है—

- (क) सामान्य कार्यों सम्बन्धी
- (ख) वित्तीय कार्यों सम्बन्धी
- (ग) उपकरण एवं मामग्री सम्बन्धी
- (घ) पत्र व्यवहार सम्बन्धी
- (इ) जैकलिक कार्यों सम्बन्धी
- (च) शारीरिक विकास एवं गेल-श्रीड़ा कलाप सम्बन्धी

(क) सामान्य कार्यों सम्बन्धी—

विद्यालय फलेंडर, लौंग बुक, दर्शक-पुस्तिका, वामिक सेवा विवरण, सेवा पुस्तिका एवं मधिम रोपन, शिलाको की ध्यक्तिगत फाइले, कार्यालय निवेश पुस्तिका, वर्मेशी उपस्थिति रजिस्टर प्रादि।

(ख) वित्तीय कार्यों सम्बन्धी—

रोड़ यहां एवं वहां घासा, घेतन विष, ऐस्ट्रोटेंग गोन (भरपाउ गिरिहाँ) एवं देवी रजिस्टर, धिन रजिस्टर, राजकीय घनुदान फाइल, डान रजिस्टर, दात्र वर्ग रजिस्टर, बोप एवं उपकोप में जमा की गई धीरे के मार्गेश का रजिस्टर, मधिम घनुदान-पुस्तिका, छुट्टा प्रानि रजिस्टर, घुरुक माफ करने के त्रु प्राल धारित दर्ता है।

फाइल, मामिक विवरण फाइल, अवकाश रजिस्टर, विभिन्न प्रकार के बजीफो के लिए प्राप्त प्रावेदन पत्रों की फाइल, बजीफा (छात्र वृत्ति) प्राप्ति एवं चुकारा रजिस्टर, छात्रों की बकाया रकम रजिस्टर आदि ।

(ग) उपकरण एवं सामग्री सम्बन्धी—

फर्नीचर आदि का स्टाक रजिस्टर, फर्नीचर निर्गम (Issue) रजिस्टर, स्टेशनरी निर्गम रजिस्टर, सेल-बूद उपकरण रजिस्टर, पुस्तकालय एसेशन रजिस्टर, पुस्तकालय निर्गम रजिस्टर, पत्रिका एवं समाचार पत्र रजिस्टर, पुस्तकालय कैटेलाग, उद्योग सामग्री रजिस्टर आदि ।

(घ) पत्र व्यवहार सम्बन्धी—

पत्र प्राप्ति एवं पत्र रखानगी रजिस्टर, डाक बुक, सर्विस स्टाम्प रजिस्टर, विभागीय आदेशों एवं परिषदों की फाइल, पार्सल पुस्तिका, रेलवे पासंत पुस्तिका, मीमों पुस्तिका, आकस्मिक अवकाश फाइल आदि ।

(ङ) शैक्षणिक कार्य सम्बन्धी—

i) पाठ्यक्रम तथा दैनिक कार्य सम्बन्धी—

कक्षा समय तालिका, शिक्षक समय तालिका, सामान्य समय तालिका, सप्त-प्रति एवं माहवार कार्यक्रम, शिक्षक डायरी, गृहकार्य समय तालिका, प्रवृत्ति-विभाजन रजिस्टर, विद्यक मुक्तकालाश रजिस्टर आदि ।

ii) विद्यालय प्रबोध एवं उपस्थिति सम्बन्धी—

प्रबोध रजिस्टर, छात्र उपस्थिति रजिस्टर, शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर, विद्यालय निवृत्ति एवं स्थानान्तरण प्रमाण पत्र रजिस्टर आदि ।

iii) परीक्षा सम्बन्धी :—

मासिक अध्यवा अर्ध वार्षिक परीक्षा रजिस्टर, विद्यालयी परीक्षा परिणाम रजिस्टर, मार्गदर्शक परीक्षा-परिणाम रजिस्टर, संचित अभिलेख रजिस्टर आदि ।

iv) पर्यवेक्षण एवं शिक्षण सम्बन्धी :—

प्रधानाध्यापक पर्यवेक्षण रजिस्टर, दण्ड एवं पुरस्कार सम्बन्धी रजिस्टर, प्रावेट ट्रॉफेन रजिस्टर, निर्देश पुस्तिका, आदेश पुस्तिका, निर्देश अभिलेख, आप्र-इन्स्प्रिटेशन फाइल, मारीटिक स्वान्ध्य, चरित्र, रचन, अभिवृत्ति, पार्श्वतार प्रवृत्ति पादि सम्बन्धी आप्र-विकान प्रगति रजिस्टर, शिक्षक व्यावसायिक प्रगति रजिस्टर आदि ।

(घ) मारीटिक शिक्षण एवं गेल-बीड़ा कार्यप्रम सम्बन्धी—

एप्र उपस्थिति रजिस्टर, मारीटिक समवा मारपन रजिस्टर (NPED OR NPPR) मासिक एवं उपकरण भण्डार रजिस्टर, उपकरण निर्गम रजिस्टर, बीड़ा एवं अभिरिक्षा, बट्ट अप्प नियमक रजिस्टर, गेल-बीड़ा शोग्य नेतृत्व रजिस्टर, मार्ग्य अप्प रजिस्टर, मीमांसनंत स्पष्टी कार्यवप रजिस्टर, अनुर-विद्यालयी प्रतिवेदिता

अभिलेख पत्रावली, आदेश एवं कायं वितरण पुस्तिका, शारीरिक पत्रांग, खेल संबंधी बैठक कार्यालयि पुस्तिका, सामग्री क्षय पत्रावली, भण्डार भोजिक सत्यापन पत्रावली, पाठ्यक्रम पत्रावली, निरीक्षण प्रतिवेदन पत्रावली, प्रशिक्षण शिविर रजिस्टर, परीक्षा एवं मूल्यांकन पत्रावली, उदयीमान प्रतीभाशाली एवं छिलाड़ी प्रशंसक रजिस्टर आदि।

इस प्रकार विद्यालय के सफल कायं के लिए तथा शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, बैत-कीड़ा एवं मनोरजन आदि कार्यक्रम के सुरक्षालन के लिए सुव्यवस्थित कार्यालय एवं उससे सम्बन्धित अभिलेखों का भलीभांति रखरखाव होना आवश्यक है। इसी अभिलेखों का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक धान-धाना को उसके व्याकृत्व एवं शैक्षिक प्रणाली सहायता करना है।

अभ्यासार्थ प्रश्न-

1. विद्यालयों में कार्यालय व्यवस्था के साथ-साथ अभिलेखों के प्रयोगन एवं उनके महत्व पर प्रकाश दर्शाइए।
2. अभिलेखों के रख रखाव में बुनियादी सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए।
3. शिक्षण संस्था में विस-किस प्रकार के अभिलेखों की आवश्यकता होती है? व्याख्या करें।
4. शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम में रिकार्ड-स एवं रजिस्टर्स का महत्व बताइये तथा कुछ आवश्यक अभिलेखों का उल्लेख कीजिए।
5. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण अभिलेख एवं कागज-पत्र कौनसे हैं? उनके महत्व को संक्षिप्त में समझाइये।
6. शारीरिक शिक्षक को कौन-कौन से अभिलेख एवं पंजी को रखना आवश्यक है? संक्षेप में प्रत्येक रजिस्टर की उपयोगिता बताइए।



9 | आय-व्ययक एवं वित्त-व्यवस्था

अध्ययन बिन्दु :-

क्र प्रस्तावना

क्र वित्त एवं आय-व्ययक का अर्थ और महत्व

क्र बजट निर्माण के मार्गदर्शक सिद्धान्त एवं सौपान

क्र बजट का प्रारूप एवं तैयारी के मद

क्र बजट उपयोग में आवश्यक सांबंधानियाँ

क्र बजट का लेखा और अंकेक्षण

प्रस्तावना

किसी भी संस्था के सुसंचालन में वित्त अथवा धन का भारी योगदान है। विना अर्थ व्यवस्था के संस्था अथवा उसमें संचालित कार्यक्रमों में बाधा आ जाती है। वित्त हमारे सेल-वूड शिक्षण कार्यक्रम के विकास तथा उसे आकर्षक बनाने में उपयोगी भूमि है। वित्तीय उपलब्धि से संस्था का बजट तैयार किया जाता है। वित्त एवं बजट तैयारी से कार्य-योजना को सफलता मिलती जाती है। शारीरिक शिक्षा और सेल-क्रीड़ा आदि कार्यक्रम के सफल संचालन तथा आयोजन के लिए आवश्यक धन-राशि की घ्यवस्था किस प्रकार कहा से हो, किन-किन उपायों पर आधारित हो तथा उपलब्ध वित्त एवं धन का उपयोग कैसे किया जाये आदि बातों की तकनीकी जानकारी होना शारीरिक शिक्षक के लिए आवश्यक है।

वित्त एवं आय-व्ययक (बजट) का अर्थ और महत्व-

(क) वित्त से अभिप्राय—

वित्त से तात्पर्य अर्थ अथवा धन घ्यवस्था से है जिसका उपयोग कार्यक्रम के आयोजन, आवश्यकताओं की पूर्ति तथा साधन सुविधाओं के संकलन में किया जाता है। किसी भी संस्था अथवा उसमें कार्यरत व्यक्ति की कार्य क्षमता का आधार हो वित्त है। अतः संस्था के कार्यक्रम के सुसंचालन हेतु धन की प्राप्ति और व्यय को वित्त घ्यवस्था बहुत ही ज्ञानीय है। जे. एफ. विलियम (J. F. Williams) के मनुसार—“Finance is concerned with obtaining money and spending it”

(ख) बजट (आय-व्ययक) से अभिप्राय—

उपलब्ध वित्त के साधार पर बजट (आय-व्ययक) निर्मित किया जाता है, ताकि धन का उपयोग योजना बद्ध रूप में किया जा सके। वित्त का सही विवरण बजट द्वारा ही सम्भव है। बजट समुनित आय-व्यय पर नियन्त्रण रखता है और कार्यक्रम के योजनाबद्ध सचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः आय तथा वर्ष की योजना को बजट कह सकते हैं। देखा जाये तो यह अनुमानित आय पहले वाले वर्ष प्रारूप है। श्री पो एम जोसेफ (P. M. Joseph) के शब्दों में बजट से अभिप्राय "Proposed income and expenditure account for a year will be known as budget" श्री वाट्टमर और एसलिंगर (Vollmer & Esslinger) के अनुमान "Budget is a prepared statement of estimated income & expenditure"

आय-व्यय का सम्पूर्ण लिखित विवरण ही बजट कहलाता है। यह एक महत्वपूर्ण हथियार है जिसके द्वारा सस्था अथवा किसी भी कार्यक्रम के लिये उप आय अथवा वित्त के अपव्यय को रोका जा सकता है। ठोस वित्त व्यवस्था का यही बजट है, जिसे वर्ष के प्रारम्भ में अग्रिम रूप से अनुमानित आय-व्यय के चिह्न स्वरूप में तैयार किया जाता है। इस प्रकार से प्रत्येक सस्था अथवा संगठन कार्यक्रमों के सुनियीजित सचालन के किये वर्ष-भर का अनुमानित आय-व्यय का जोखा तैयार करती है। यह आय-व्यय के लेखे-जोखे का प्रारम्भिक अनुमान करने के लिए निम्नांकित विन्दुओं पर विचार करना आवश्यक है—

1. वर्ष भर में होने वाली क्रियाओं का लक्ष्य क्या है ?
2. इन क्रियाओं के लिये कितने धन की आवश्यकता है ?
3. कितना धन हमारे पास है ?
4. किन-किन साधनों की हमें आवश्यकता होगी ?
5. उनके जुटाने में किन-किन मदों पर कितना-कितना धन व्यय होगा ? आदि।

बजट निर्माण के मार्ग दर्शक सौपान्त—

वित्त के उपयोगार्थ राजकीय नियम बने हुए है। जिनके अनुमान वित्तीय

1 अप्रैल से प्रारम्भ होता है तथा 31 मार्च इसकी अन्तिम तिथि होती है। वित्तीय के अन्त में प्रत्येक विद्यालय को सम्पूर्ण वित्तीय सत्र का आय-व्यय का मही वि भेजना पड़ता है। विद्यालय के लिए राज्य सरकार अथवा विभाग द्वारा राजकीय आवधित एवं स्वीकृत बजट हेतु देय राजि का उपयोग इसी वित्तीय अवधि के मध्य नियमानुसूल है। अतः जिस वित्तीय मत्र के लिये जिस बजट-मद में जो राजि इ अथवा आवधित होती है वह उसी मत्र की अवधि में मार्च माह के अन्त तक आ सकती है। भगले मत्र में उपयोग नहीं किया जा सकता है।

विद्यालयी बजट का निर्माण आगामी वित्तीय सत्र आने से पूर्व ही कर लिया जाता है। यह आगामी वर्ष का आय-व्यय का सच्चा चिह्न होता है जिसकी अप्रिम रूप में तंत्यारी, प्रस्तुतीकरण, जाँच और विचार विमर्श चलतात् अनुमोदन हो जाता है। इसे अनुमानित बजट प्रस्ताव कहते हैं। श्री पी. एम. जोसेफ के अनुमार—“Planning in advance the income and expenditure for a specified period for a special project is budget making”

बजट बनाते समय पिछले वर्ष का बजट सामने रखकर प्रस्तावित बजट की विशिष्ट आय-व्यय के अनुमानों का उल्लेख किया जाता है इसके अतिरिक्त निम्नांकित बातों को दृष्टिगत रखा जाना चाहिये :—

1. पिछले तीन वर्षों की आय-व्यय देखना तथा गतवर्ष के बजट का अध्ययन और उचित मूल्यांकन करना।
2. पांच वर्ष में होने वाली अनुमानित आय के अनुमान लगाना तथा सही आंकड़ों पर अधिरित आय के स्थोतों की जानकारी करना।
3. पूर्वतया सेचालित कार्यक्रमों के लिये व्यय के अनुमान रखना।
4. नवीन कार्यक्रम के लिये आय-व्यय की सीमाएं निर्धारित करना।
5. आगामी वर्ष के लिये आय-व्यय के अनुमान तंत्यार करना।
6. व्यवधान को रोकना तथा आय-व्यय में भतुलन बनाये रखना।

इस प्रवार उपरोक्त विन्दुओं को ध्यान में रखकर आय-व्यय के अनुमान ज्ञात करके बजट का कच्चा चिप तंत्यार कर लिया जाता है और तत्पश्चात् इसे त्रियान्वित करने एवं प्रभाग स्वरूप देने के लिए इस पर श्रीपचारिक स्वीकृति निम्नांकित प्रतिया गे निकलने के बाद समिति द्वारा प्राप्त होती है—

1. भवस्तु आय-व्यय के अनुमानों की सूची तंत्यार करना।
2. मूल्य पर जनतांत्रिक रूप से विचारना एवं संजोधन करना।
3. सभी आवश्यकताओं के लिये अनुमानित व्यय का निश्चय करना।
4. बजट पर पहने दाने स्थाई पांचों पर विचार करना।
5. सभी दांधों पर विचार करके बजट को प्रनिहित रूप देना।
6. बजट के पनिहित रूप पर भेतून-श्रीदा ममिति द्वारा स्वीकृति प्राप्त करना।
7. स्वीकृत-व्यवहार के अनुमार व्यय करना।
8. इन में बजट की मशनताओं का मूल्यांकन करना।

गारीरिक शिक्षा एवं देल बजट का प्राप्त तथा उसमें आय-व्यय के मद-

बजट के शास्त्र में आय तथा व्यय के पृष्ठ-पृष्ठ सामने दिखिया मर्दी शा रिप्पल होता है। उपरोक्त प्रक्रियानुमार गारीरिक शिक्षक द्वारा गवर्नर द्वारा प्राप्त में

मनुमानित बजट का प्राप्त तैयार कर सिया जाता है। ये मनुमानित बजट के प्रस्ताव देत विकास समिति को बैठक में प्रस्तुत किये जाते हैं। बजट के प्रत्येक बिन्दु पर चर्चा एवं विचार विभाग पश्चात् योग्यता संगोष्ठन सहित बजट पर स्वीकृति मिल जाती है। इस प्रकार प्रस्तावित बजट की रूप रेखा निम्न प्रकार चार भागों में विभासी होती है—

प्रथम भाग-प्रस्तावित योजना की रूपरेखा, योजना से सम्बद्ध कार्यक्रम
तितियों का उल्लेख

द्वितीय भाग-भाष्य व्यय के मनुमानित बजट का प्राप्त
तृतीय भाग-भाष्य व्यय के मनुमानितों का विस्तृत वितरण
चतुर्थ भाग-भाष्य व्यय के प्रस्तावों की प्राप्ति के उपाय

(क) बजट का स्वरूप (मनुमानित)

1. संस्था का नाम
2. मुख्य बजट नाम
3. वित्तीय सत्र

आय	राशि	व्यय	राशि
1. गत सत्र की बचत राशि	750-00	1. उपकरण क्रय	4000-
2. कीड़ा शुल्क से प्राप्ति	11000-00	2. मैदान निर्माण व सुधार कार्य	1500-
3. जन सहयोग	500-00	3. उपकरण मरम्मत	100-
4. सेल-बलव शुल्क	330-00	4. खिलाड़ी गणवेश	2000-
5. मैदान किराया	120 00	5. रेल अधवा वस्तु भाड़ा	1500-
6. नीलाम सामग्री से प्राप्ति	150-00	6. मांदास एवं भोजन	1500-
7. विविध आय, घास विक्रय चारगाह, मैदान किराया आदि	150-00	7. ग्रल्पहार	250-
		8. अन्तसदनीय कार्यक्रम	500-
		9. रा. शा क्षमता परीक्षण	150-
		10. प्रशिक्षक-रेमेन्युरेशन	100-
		11. स्टाफ यात्रा व दैनिक भ्रता	—
		12. निरायिक धोनररियम	—
		13. प्रमाणपत्र, कार्यक्रम मुद्रण	150-00
		14. स्टेशनरी	150-00
		15. पारितोषिक	500-00
		16. विविध व्यय	300-00
आय योग	13,000-00	व्यय योग	12,700-00
		शेष वचत	300-00
		शेष राशि	13,000-00

(८) ग्रच्छे बजट की विशेषताएँ—

- | | | |
|------------------|------------------|-------------------------|
| १ प्रजातान्त्रिक | २ सर्वंहितकारी | ३ अनुमोदित |
| ४ परिवर्तनशील | ५ स्पष्ट एवं सरल | ६ वित्तीय स्थिति अनुकूल |
| ७ संतुलित | | |

विद्यालय खेल समिति की बैठक सभा के प्रारम्भ में की जाती है। इस समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है—

१. विद्यालय प्रधान — पदेन अध्यक्ष
२. प्रथम सहायक — पदेन उपाध्यक्ष
३. चयनित सदस्य — छात्र नेतागण
४. मनोनीत सदस्य — खेल प्रभारी अध्यापकगण
५. सचिव — शारीरिक शिक्षक

जिट का उपयोग करते समय आवश्यक सावधानियाँ—

१. व्यय पर नियन्त्रण और मितव्ययता
२. प्रत्येक व्यय की पावती लेकर उसका एन्ड्राज करना
३. नियमानुसार वीस रुपये अधिक राशि के बिल अयवा पावती पर रेवेन्यू स्टाम्प लगाना
४. प्रत्येक व्यय पर संस्था प्रधान से स्वीकृति प्राप्त करना
५. व्यय राशि का सम्बन्धित मद में उल्लेख करना
६. भाय-व्यय में संतुलन बनाये रखना
७. कम राशि व्यय से अधिकतम उपयोग एवं लाभ प्राप्त करना
८. भग्रिम राशि एवं मुगतानों पर रोक रखना
९. विभागीय क्रय नियमों का ध्यान रखना
१०. प्रतिदिन के भाय-व्यय की रोकड़ तैयार रखना
११. प्रतिवर्ष भाय-व्यय का आडिट करवाना
१२. वाच एण्ड वाहं रजिस्टर (वित्त नियन्त्रक पंजियका) में प्रत्येक व्यय का उल्लेख रखना
१३. प्रतिदिन के व्यय की पृष्ठक पुस्तिका रखना

वित्त नियन्त्रण रजिस्टर का प्रारूप

उपररण का नाम आवटित राशि वर्ष

क्रमांक	दिनांक	राशि	दित नम्बर	बकाया राशि
1	2	3	4	5

बजट का लेखा एवं अंकेक्षण—

बजट अर्थात् आय-व्यय का लेखा-जोखा रखने को एकाउण्टिंग कहते हैं। इस सम्बन्ध में आय-व्यय के उपयोग में आवश्यक सावधानियों एवं नियमों की अनुसारता आदि जिन बातों का इस अध्याय में उल्लेख किया गया है, उनका ध्यान रखना चाहिए।

अंकेक्षण (आइट) वह शास्त्र है। जिसके द्वारा संस्था के लेहे-जोखे (एकाउन्ट) को जाच की जाती है इससे वित्त पर नियन्त्रण रहता है। आइटर-आय व्यय से सम्बन्धित आलेख और प्रलेखों (रिकाइंस एण्ड रजिस्टर्म) को उचित प्रकार से रखने के निर्देश देकर मार्गदर्शित करते हैं। अतः सत्र के अन्त में समस्त लेखों की चार्ट-एकाउन्ट में जाच करा लेनी चाहिए तथा उनके द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शन अनुसार नियमों की पालना करनी चाहिए। अंकेक्षण में सामान्यतया निम्नांकित बातों को देखा जाता है :—

1. सम्पूर्ण बजट का अनुमोदन
2. व्यय का अनुमोदन
3. व्यय में विभागीय नियमों की पालना
4. व्यय की रसीदें एवं राशि प्राप्ति प्रमाणीकरण
5. रोकड़ पुस्तिका में आय-व्यय का उल्लेख
6. सक्षम अधिकारी द्वारा व्यय करना
7. आलेख एवं प्रलेखों का सही उपयोग

लेखा-जोखा एवं अंकेक्षण सम्बन्धी आवश्यक अभिलेख—

रजिस्टर्स—विल नम्बरिंग, कोपालय आवक जावक, भुगतान प्राप्ति आय-व्यय, छूट और पोर्टिंग
जी.पी.एफ., रिकवरी, वेतन पोस्टिंग, वापिक वेतन वृद्धि, एडवान्स अण राइट
चालान, मनियाँडर एवं ट्राप्ट, शुल्क पोस्टिंग, काशन मनि, इम्प्रेस,
विजली-पानी-एवं टेलीफोन आदि रजिस्टर्म

पश्चात्तियाँ-वेतन विल, यात्रा विल, चिकित्सा विल, एक बी.सी. विल, बाउचर, चालान-
प्रपत्र, व्यय विवरण, बजट, आय, निविदा, ए.सी. रोल, ए सी विल, प्राइट
प्रतिवेदन, फ्रो बी. आइटम, पी.डी. एकाउण्ट, पोस्टल आईंटर, दावदूँन,
अर्थक दण्ड, हितकारी निधि, रोकड़ चाजे हस्तान्तरण, शुल्क मुक्ति, एन.डी.सी.
पैन्शन एवं वेतन स्थीरीकरण आदि पश्चात्तियाँ

पुस्तिकाएं-राजकीय निधि रोकड़ बही, राजकीय रसीद बुक, द्वात्र निधि रोकड़ बही,
राजकीय रसीद बुक एवं पास बुक, पी.डी. एकाउन्ट की बैंक बुक एवं पास बुक,
जी.पी.एफ. पास बुक आदि पुस्तिकाएं।

नोट-रीता योंदूं गम्भीर वित्तीय अभिनेत्र-उपरोक्तानुमार भवग से रखे जावे।

ग्रन्थासार्थ प्रश्न-

1. What principles will you follow in preparing a budget for your school ? Prepare a Model budget for your school or college in the light of these principles.
 2. Discuss the need and importance of Budget for Physical Education department. Prepare budget for a Higher Secondary school having total enrolment of 1100 students, Games fee is collected @ Rupees one per month from each student.
- स्कूली राज्य फुटबाल प्रतियोगिता के लिए बजट बनाइये तथा विभिन्न व्यय हेतु द्रव्य संयंह के माध्यनों का वर्णन कीजिए।
- एक महाविद्यालय के खेलकूद बजट से आपका क्या तात्पर्य है ? इसमें आप आय-ध्यय के कौन-कौन से मुद्द्य मद रखने का सुझाव रखेंगे और क्यों ?



अध्ययन बिन्दु :-

- प्रस्तावना
- प्रशिक्षणालय भवन एवं कक्षालय
- पुस्तकालय सेवा
- छात्रावास व्यवस्था
- शारीरिक शिक्षा शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
- भारतीय विश्वविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा का अध्ययन

प्रस्तावना—

ऐसा माना जाता है कि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं राष्ट्र के वे कारबाहे हैं, उन्हें निर्माता बनाये जाते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण के उद्देश्य और सिद्धान्त भी सामाजिक प्रशिक्षण के अनुरूप एवं पूरक हैं। क्योंकि शारीरिक शिक्षा सामाजिक शिक्षा कोई अलग प्रकार की शिक्षा नहीं है। इस सम्बन्ध में ध्रान्ति निवारणार्थ राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं शोध प्रशिक्षण संस्थान का कथन उल्लेखनीय है—

Physical Education is not to be confused with Physical Training or Sports. It is much broader in its scope and objectives. It is an integral part of the total process of education which contributes to the development of all aspects of the personality of the child—physical, mental, emotional and social. (A draft curriculum for classes I to V, p. 109—NCERT)

यह मरण है कि किसी भी देश की प्रगति उस देश के मौजवानों के हंगों पर रहती है। शिक्षा का यह उद्देश्य है कि बासकों और नवयुवकों को बल, बुद्धि, कार्य दोनों से इस प्रवारद्ध करना है कि ये इस भार को हमते-मैलते उठा सकें। इस पृष्ठ

भूमि में शारीरिक शिक्षा के प्रशिक्षण संस्थानों को भी तैयार होना है ताकि वे अच्छे शारीरिक शिक्षक राष्ट्र को देने में समर्थ हों। इस इविट से शारीरिक-शिक्षा प्रशिक्षणालयों के समुचित गठन, संचालन और नवीनतम प्रगति के संसाधनों पर विचारना आवश्यक है।

प्रशिक्षण-संस्था का भवन एवं कक्षालय-

शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान सरकारी का मन्दिर है अतः जिस प्रकार मन्दिर ऐ परिकल्पना सत्य, शिवम् और सुन्दरम् भावनाओं में निहारी जाती है उसी प्रकार शिक्षण का मन्दिर(भवन) भी शान्तिपूर्ण प्राकृतिक स्थल पर प्रदृष्टित बातावरण से दूर चारों ओर दुने बातावरण में खूबसूरत बना होना चाहिए। इस सम्बन्ध में योजना निर्माण विभागित बातों को ध्यान में रखना भी चाहित है—

(१) शिक्षण कक्ष (Academic Block)—

१. आवश्यक भूमि छोड़—30 एकड़ (कम से कम)
(भवन छोड़ 10 एकड़ एवं खेल-कीड़ा छोड़ 20 एकड़)
२. भवन की प्राकृति—(T) (L) (H) (U) (E) आदि
३. भवन की दिशा—उत्तर दिशा सर्वोत्तम
४. भवन को कुर्सी-ऊँची श्रेष्ठतम
५. भवनीय कक्षालयों का माप—25 फिट × 20 फिट × 14 फिट
(प्रत्येक छात्र के लिए कम से कम 12 वर्गफिट छोड़नुसार)
६. अन्य ध्यानार्थ विन्दु—कक्षालयों के दोनों तरफ बरामदे, कमरों के अन्दर पर्याप्त रोशनी, भासने-सामने खिड़कियां व दरवाजे आदि।
७. संसाधन एवं सुविधाएं—जल एवं प्रकाश, शोचालय-मुमालय एवं स्नान घर, शुद्ध पेय-जल आदि की पर्याप्त सुविधाएं इसके अलावा मध्याह्न अल्पाहार कक्ष, स्वास्थ्य प्रद एवं आराम देह कुसिया-डैस्क एवं फर्नीचर आदि।
८. भवन का आत पड़ोस-हरियाली युक्त, खुला, सुन्दर, हवादार, भावागमन में सरल, दुर्घटना एवं प्रदूषण से सुरक्षित।

(२) प्रशासनिक कक्ष (Administrative Block)—

शिक्षण भवन से संलग्न ही प्रशासनिक भवन बना होता है जिसके साथ विभिन्न कक्ष बने होते हैं जैसे—प्रधानाचार्य कक्ष, व्याख्याता कक्ष, सभा कक्ष, कार्यालय कक्ष, भवित्वेव कक्ष, भवदार कक्ष, प्रशासन सुविधाएं आदि।

(३) अन्य संसाधन एवं सुविधाएं—

प्रयोग शाला एवं अनुसंधान कक्ष, स्वास्थ्य केन्द्र, ध्यायाम चिकित्सा केन्द्र, शरीर पर्युक्तन केन्द्र, भवित्विक कक्ष, ओडिटोरियम, स्टाफ आवास बवाट्स, प्रदर्शनी कक्ष, विभिन्न खेलों के प्रांगण, घावन-परिषथ, जिम्मेजियम, स्वीमिंग पूल आदि।

पुस्तकालय सेवा—

पुस्तकालय एक ऐसा भरना है जहाँ से ज्ञान प्रवाहित होकर शिक्षा और संस्कृति के मैदान को सीचित करता है। अतः गिक्षण भवन से संसाधन कक्षालयों एवं प्रशासनिक ब्लॉक की तरह पुस्तकालय भवन का निर्माण करना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। पुस्तकालय केवल अध्ययन केन्द्र ही नहीं, अपितु भनोरंजन का भी उपयोगी साधन है। इसमें शिक्षक एवं शिक्षाधियों के लिए पाठ्य-पुस्तकों के अलावा अन्य पठन-योग्य रचिकर पुस्तकें, पत्रिकाएं एवं समाचार पत्र सुसज्जित रहते हैं।

(क) पुस्तकालय का महत्व एवं उपयोगिता—

1. पुस्तकालय संस्कृति का भण्डार है।
2. पुस्तकालय ज्ञान का द्वार है।
3. पुस्तकालय प्रगति का महत्वपूर्ण साधन है।
4. पुस्तकालय शैक्षिक जीवन की धुरी है।
5. पुस्तकालय मानसिक क्षितिज के विस्तार का साधन है।
6. पुस्तकालय स्वशिक्षा एवं स्वतन्त्र अध्ययन का केन्द्र है।
7. पुस्तकालय मौलिकता के विकास में सहायक है।
8. पुस्तकालय निर्धन विद्यार्थियों का सहयोगी है।
9. पुस्तकालय शिक्षकों के लिए ज्ञान का स्त्रोत है।
10. पुस्तकालय अवकाश काट का रचिकर साधन है।

(ख) पुस्तकालय सेवा के लिए आवश्यकताएँ—

इस प्रकार यदि पुस्तकालय का उपयोग वौद्धिक जीवन, पर्यावेक्षित अध्ययन तथा ज्ञान-प्रसार के केन्द्र भ्रयवा स्त्रोत के रूप में करना चाहते हैं तो सुनियोजित एवं सुनियोजित पुस्तकालय की व्यवस्था के लिए निम्नाकित संसाधन-सुविधा एवं आवश्यकताएं होती चाहिए:-

पुस्तकालय भवन, पर्याप्त फनिचर, वाचनालय सामग्री, पर्याप्त पुस्तकें एवं पत्रिकाएं, प्रशिक्षित स्टाफ एवं कर्मचारीगण, सुविधापूर्ण उपयुक्त समय, विद्यार्थियों के लिए नियंत्रित समय-तालिका, पुस्तकालय उपयोग प्रोत्साहन योजना, समुचित पर्यावरण एवं रख रखाव, मूल्यांकन योजना आदि।

शिक्षण प्रणिक्षण विद्यालय का पुस्तकालय समुचित साधन-सुविधा सहित तथा कोलाहल रहित स्थान पर होना चाहिए ताकि शिक्षक एवं शिक्षार्थी इसका लाभ उठाने तथा इस तक जाने के लिए लानायित हो सकें। पुस्तकालय सेवा के प्रधिवरतम उपयोग के लिए इसके युलने का समय शैक्षिक समयोपरान्त एवं अवकाश दिवसों में नियंत्रित करना चाहिए। रविवार के स्थान पर पुस्तकालय का अवकाश सोमवार के दिन रखा ताकि इसका प्रधिकरण लाभ उठाया जा सके।

छात्रावास-

शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में बाहरी प्रत्याशियों (पुरुष एवं महिला) के लिए अलग-अलग समुचित सुविधापूर्ण छात्रावासों का होना एक आवश्यकता है। आवास को दृष्टि से छात्रावास के प्रत्येक कमरे में तीन-तीन प्रशिक्षणाधियों के एक साथ रहने की सम्भूल्प सुविधा होनी चाहिए। उच्च स्तरीय स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के लिए सिंगल-सिटेड कमरे बनाये जाने चाहिए, इसके लिए क्रमशः 10×18 फिट एवं 10×6 फिट के माप के कक्ष उचित रहते हैं।

छात्रावास के साथ अन्य सुविधाएं भी होनी चाहिए जैसे—

भोजन कक्ष एवं कैप्टन, इनानघर, शौचालय एवं मुत्रालय, भनोरंजन कक्ष, पंथ जलगृह, पर्यावरणीय सुविधा, अतिथि गृह, छात्रावास अधिदेशक आवास, चौकीदार कक्ष, प्रायग्रीक चिकित्सा कक्ष आदि।

शारीरिक शिक्षा में शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम-

भारत में ही नहीं अपितु अन्य राष्ट्रों में भी अनेकों ऐसे विश्वविद्यालय, शिक्षा बोर्ड, सरकारी तथा गैर सरकारी शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय एवं महाविद्यालय आदि शैक्षिक संस्थान हैं, जो शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिद्धित एवं कुशल नेतृत्व तैयार करने के उद्देश्य से शिक्षक प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण दायित्व वहन कर रहे हैं। ये संस्थाएं अथवा संस्थान किसी न किसी विश्वविद्यालय अथवा विभागीय शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध एवं मान्यता प्राप्त हैं। इनके द्वारा विभिन्न स्तरानुसार जिस नामकरण से उपाधिया एवं प्रमाणण-पद प्रदान किये जाते हैं उनका विषय प्रसंगत विवरण पृष्ठांक 126 पर किया जा चुका है, जिन्हें देखने से प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के नामकरण, अवधि एवं उसके स्तर में उत्पन्न विभिन्नताओं का स्पष्ट ज्ञान होता है।

वास्तव में इस प्रकार की विविधता की स्थिति को राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता में परिणित करने की आवश्यकता है। अब राष्ट्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने के सम्बन्ध में शिक्षा का विषय संविधान की राज्य सूचि से हटकर समवर्ती सूची में आ गया है। प्रतः इस तरफ भी राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को एकरूपता में परिवर्तित करने की सम्भावनाएं बनी हैं।

शारीरिक शिक्षा में शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का संयोजन सामान्य रूप में ज्ञान प्राप्ति, योग्यता विकास एवं कार्य क्षमता वृद्धि के उद्देश्य से निम्न प्रकार तीन पक्षों में विभाजित किया जाता है—

1. सैद्धान्तिक ज्ञान (THEORITICAL KNOWLEDGE)
2. प्रायोगिक कार्य (PRACTICAL WORK)
3. प्रध्यापन योग्यता (TEACHING ABILITY)

— पाठ्यक्रम का स्वरूप एवं रूपरेखा —

(1) संदृष्टिक ज्ञान

(THEORITICAL KNOWLEDGE)

स्नातक स्तर पाठ्यक्रम (B.P. Ed.)

स्नातकोत्तर स्तर पाठ्यक्रम (M.P. Ed.)

1. शारीरिक शिक्षा के सिद्धान्त एवं मूल आधार
2. शारीरिक शिक्षा का इतिहास
3. शारीरिक शिक्षा का मनोविज्ञान
4. सगठन एवं प्रशासन
5. शिक्षण पद्धति एवं नेतृत्व प्रशिक्षण
6. शारीरिक शिक्षा में पर्यावेक्षण
7. स्वास्थ्य शिक्षा एवं मनोरजन
8. शरीर रचना-शरीर किया एवं व्यायाम विज्ञान
9. योग विद्या एवं भारोग्यता
10. ओफिसियेटिंग एवं कोचिंग

1. तुलनात्मक सारीरिक शिक्षा
2. शोष प्रक्रिया एवं सोषयकि
3. मूल्यांकन एवं भाषण
4. पाठ्यक्रम नियोजन एवं पर्यवेक्षण
5. सेल-क्रीड़ा प्रशिक्षण विज्ञान
6. सेल-क्रीड़ा मनोविज्ञान
7. सेल-क्रीड़ा शौषधि-विज्ञान
8. समुदायिक मनोरंजन
9. योग विज्ञान
10. व्यायामिक चिकित्सा एवं सेल दुर्घटन
11. शोष लेखन कार्य

(2) प्रायोगिक कार्य

(PRACTICAL WORK OR SKILLS & PROWESS)

- निम्न समूहों में सामान्य ज्ञान-कोशल शिक्षण
1. प्रमुख सेल
 2. जिम्नास्टिक्स
 3. धावन परिपथ
 4. रिदमिक्स
 5. व्यक्तिक हृदय
 6. लघु सेल एवं रिले
 7. जल क्रीड़ाए

किन्हीं दो सेल क्रीड़ाओं में-

1. उच्च स्तरीय प्रशिक्षण
2. सेल को तकनीक एवं उसमें चालुयता
3. सेल की ब्युहरचना

(3) अध्यापन योग्यता
(TEACHING ABILITY)

पाठ शिक्षण योजना—
प्रभ्यास
शिक्षण प्रक्रिया

एडवान्स पाठ शिक्षण योजना—
विशिष्ट प्रशिक्षण
उच्च स्तरीय शिक्षण

भारतीय विश्वविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा का अध्ययन—

भारत में लगभग 11 राज्यों के 30 विश्वविद्यालयों में उच्च स्तरीय स्नातक एवं स्नातकीय पाठ्यक्रम संचालित हैं—

राज्यों के नाम	विश्वविद्यालय
1. महाराष्ट्र	— बम्बई, *तांगपुर, *अमरावती, *मराठवाडा (ओरंगावाड़) रविशक्ति (रायपुर), शिवाजी (कोल्हापुर)
2. तमिल नाडु	— *मद्रास, अनामलाई, *भरतियार (कोयम्बूर), *मदुरई
3. पंजाब	— *पंजाब (चण्डीगढ़), *पंजाबी (पटियाला), *गुरुनानकदेव (अमृतसर)
4. कर्नाटक	— *बंगलूरु, *मैसूर, कर्नाटक (धारवाड़)
5. आनंद प्रदेश	— आनंद (वाल्टेर-विश्वविद्यालय), उसमानिया (हैदराबाद)
6. पश्चिमी बंगाल	— कलकत्ता, कल्याणी, बर्देश्वार
7. उत्तर प्रदेश	— लखनऊ, वाराणसी
8. मध्य प्रदेश	— *जिवाजी (वालियर), रानी दुर्गावती (जबलपुर)
9. गुजरात	— गुजरात (अहमदाबाद)
10. हरियाणा	— हरियाणा कृषि (हिसार), *कुरुक्षेत्र
11. जम्मू कश्मीर	— काश्मीर (श्रीनगर)

नोट:-चिन्हाकित विश्वविद्यालयों में द्वि वर्षीय मास्टर्स डिप्री स्तर का पाठ्यक्रम संचालित है। उपरोक्त के अलावा कुछेक राज्य ऐसे भी हैं जिनमें शिक्षा विभाग प्रशासन स्वयं अपने स्तर पर शारीरिक शिक्षक प्रमाण-पत्र एवं डिप्लोमा कोर्स चला रहे हैं। राजस्थान में भी इसी प्रकार सन् 1957 से राजकीय, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर में संचालित है। जिसमें प्रमाण-पत्र एवं डिप्लोमा कोर्स संचालित है।

अभ्यासार्थ प्रश्न :-

1. एक आदर्श शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षणालय के संगठन की योजना में किन-किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है ? वर्णन करें।
2. पुस्तकालय के महत्व एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालिये।
3. अच्छे नेतृत्व के लिए शारीरिक शिक्षा में किस प्रकार के पाठ्यक्रम की आवश्यकता है ? विवेचना करें।

11 | शारीरिक शिक्षण कार्यक्रम का नियोजन

अध्ययन विन्दु :-

- प्रस्तावना
 - कार्यक्रम नियोजन का अभिप्राय, उद्देश्य एवं महत्व
 - कार्यक्रम नियोजन के अधारभूत सिद्धान्त
 - कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया एवं उनके स्वरूप
 - कार्यक्रम आयोजन में उत्पन्न शंकायें एवं उनका समाधान
 - कार्यक्रम आयोजन में सफलता प्राप्ति के आधार
-

प्रस्तावना—

शारीरिक शिक्षा के विषय-टोड़ में निर्धारित पाठ्यग्रन्थानुसार विभिन्न प्रकार क्रियाकलापों की कक्षावार रूपरेखा है, जिसके अनुसार सम्पूर्ण वर्ष शिक्षण का कार्य संचालित करना होता है। गिधण कार्यक्रम चाहे सेंडान्टिक हो अथवा प्रायोगिक दोनों प्रकार के शिक्षण का वैज्ञानिक ढांग से नियोजन और आयोजन का सम्पूर्ण उत्तराधित शारीरिक गिधक का है। अतः शारीरिक गिधण के कार्यक्रम को सम्पादित एवं निस्पादित करने के लिए सत्र प्रारम्भ पूर्व ही उसकी सम्पूर्ण योजना तैयार करना आवश्यक है।

कार्यक्रम नियोजन का अभिप्राय, उद्देश्य एवं महत्व—

शिक्षण कार्यक्रम के सोहेश्यपूर्ण एवं सुनियोजित संचालन के लिए पाठ्यक्रम उत्तेजित विषय-वस्तु की कक्षावार रूपरेखा को गूढ़, गहन, प्रभावी एवं उपयोगी बनाने की कार्य योजना को नियोजन कहते हैं। इन कार्य योजनाओं के विभिन्न स्वरूपों विवरण निम्न प्रकार हैं—

- (1) अल्पकालीन एवं दीघकालीन योजनाएं
- (2) विगिट एवं सामान्य योजनाएं
- (3) व्यक्तिक एवं सामुहिक योजनाएं
- (4) वार्षिक, मासिक एवं दैनिक योजनाएं

किसी भी कार्यं श्रयवा परियोजना को प्रारम्भ करने से पूर्व उसके समस्त पहलुओं र सोच-विचार करके प्रभावी कार्यं योजना निर्मित करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसे हम नियोजन (Programme Planning) कहते हैं। इसका उद्देश्य उपलब्ध साधनों के आधार पर निर्धारित समय में शिक्षण कार्य-योजना से सम्बन्धित उद्देश्यों को प्राप्त रता है।

शिक्षा में नियोजन का बहुत बड़ा महत्व है। इससे शिक्षण-प्रणाली के विभिन्न टकों एवं इकाइयों में उचित सम्बन्ध एवं पारस्परिक नालमेल की स्थापना सम्भव है, जसके फल स्वरूप शिक्षण को सुनिश्चित दिशा प्राप्त होती है और इसका प्रभाव मार्गी राष्ट्रीय विकास योजनाओं के दीर्घकालीन उद्देश्यों पर भी पड़ता है। अतः शिक्षण के क्षेत्र में नियोजन एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक कार्य है जिसके द्वारा निम्नांकित आम प्राप्त होते हैं—

- (1) शिक्षण के आयोजन में सन्तुलन रहता है।
- (2) लक्ष्य और उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता मिलती है।
- (3) कार्य-योजना के समस्त पक्षों की स्पष्ट जानकारी होती है।
- (4) समस्त इकाइयों में समन्वय बना रहता है।
- (5) शिक्षण के स्तर में वृद्धि एवं विकास होता है।
- (6) उपलब्ध साधन-सुविधाओं का समुचित उपयोग होता है।
- (7) समूचा कार्यक्रम व्यवधान रहित हो जाता है।
- (8) अनावश्यक पुनरावृति से बचा जा सकता है।
- (9) कार्यकर्ताओं में आम विश्वास बढ़ता है।
- (10) समय और शक्ति की बचत होती है।
- (11) बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है।

कार्यक्रम नियोजन के आधारभूत सिद्धान्त—

कार्यक्रम नियोजन के आधारभूत सिद्धान्तों की जानकारी से पूर्व नियोजनकर्ता को शिक्षण की कुछेक बुनियादी बातों जैसे-शारीरिक शिक्षा के दार्शनिक पहलुओं, उसकी राष्ट्रीय आवश्यकताओं एवं वर्तमान परिषेध में निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्यों आदि का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के क्रियाकलापों के शिक्षण की प्रकृति एवं उसके उद्देश्य की जानकारी भी कार्यक्रम नियोजन में मदद करती है। इस सम्बन्ध में यद्यपि प्रथम अध्याय एवं अन्य अध्यायों में विषय प्रसंगत लिखा जा सका है किर भी सारांश में शारीरिक शिक्षण के क्रियाकलापों के सौदेश्यपूर्ण आयोजन को निम्नांकित चार्ट से समझा जा सकता है—

PROGRAMME कार्यक्रम	NATURE प्रकृति	PURPOSE उद्देश्य
Core Activities	— Compulsory —	Physical Fitness
Related Activities	— Elective —	Skills Teaching
Adaptive Activities	— Selective —	Posture Correction
Participation Activities	— Optional —	Skills Practice & Recreation

अतः शारीरिक शिक्षण के लिए उपरोक्त उल्लेखित तथ्यों के अतिरिक्त भवने एवं कार्यक्रम सम्बन्धी विस्तृत जानकारी होना भी कार्य, योजना निर्माण में मदद है। शिक्षण के क्षेत्र में सामान्यतया वार्षिक, मासिक एवं दैनिक योजनाओं का करना होता है अतः कार्यक्रम नियोजन की दृष्टि से इस प्रकार की कार्य योजनाओं में बनते समय निम्नांकित बुनियादी सिद्धान्तों(Basic Principles) की ध्यान में रखना आवश्यक है :-

1. कक्षावार निर्मित पाठ्यक्रम की उपलब्धि
2. पाठ्यक्रम में प्रदत समयावधि एवं कालांश संरूपा
3. पाठ्यक्रम का इकाइयों में विभाजन
4. इकाई अनुसार कालांशों का निर्धारण
5. विषय-वस्तु सम्बद्ध श्रेष्ठता उद्देश्यों का चयन
6. शिक्षण की पद्धतियों एवं तकनीकों का चयन
7. उपलब्ध भौतिक संसाधन एवं सुविधाओं का सही उपयोग
8. उपलब्ध मानवीय संसाधनों (शिक्षक नेतृत्व एवं विद्यार्थी संरूपा) का उपयोग
9. विद्यार्थियों की व्यक्तिक रूचियाँ, आवश्यकताएँ एवं विभिन्नताएँ
10. शिक्षण प्रक्रिया में अन्य विषयों से सह-सम्बद्धता
11. मापन एवं भूल्यांकन उपकरणों का चयन

(1) कक्षावार निर्मित पाठ्यक्रम उपलब्धि-

शारीरिक शिक्षा की योजना बनाते समय पहली एवं प्राथमिक आवश्यकता कलावार पाठ्यक्रम को अवलोकन करने की है। अतः कार्यक्रम नियोजनकर्ता को चाहिए कि पाठ्यक्रम का गहन अवलोकन करे। विषय-वस्तु के उद्देश्य प्राप्ति के आधार पर उनका चयन एवं वर्गीकरण करे। विषय वस्तु के चयन करते समय ध्यान उन्हें इकाइयों में विभाजित करते समय विद्यातय की मन्य परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए।

(2) शिक्षण कार्यक्रम हेतु उपलब्ध समय-

शारीरिक शिक्षा को प्राप्त होने वाले समय को ध्यान में रखकर कलागत और कार्य तर समयावधि एवं काल छण्ड का ज्ञान होना आवश्यक है। किस गतिविधि द्वारा

क्रियाकलाप के लिए कितना समय दिया गया है अथवा कार्यक्रम नियोजन करते समय किस प्रवृत्ति के लिये कितना समय दिया जाना चाहिये इसका निश्चित अनुमान शिक्षण योजना की सफलता के लिये पहले से लगाना आवश्यक है ।

(3) पाठ्यक्रम का इकाइयों में विभाजन-

शारीरिक शिक्षण का शिक्षण, निर्देशन एवं अभ्यास कार्य सही तरीके से आयोजित किया जा सके, इसके लिए कक्षावार पाठ्यक्रम को इकाइयों में विभाजित करते हुए बालकों के शिक्षण के लिये विषय-वस्तु का चयन कर लेना चाहिये । चयनित पाठ्यवस्तु को शिक्षण की इटिट से क्रमबद्ध सजाना भी आवश्यक है ।

(4). कालांशों का निर्धारण-

विभाजित इकाई में किस गतिविधि के शिक्षण के लिये कितने कालांश लगने सम्भावी हैं इसकी स्पष्ट जानकारी होनी चाहिये ।

(5) अपेक्षित उद्देश्यों का चयन-

शिक्षण उद्देश्य परक होना चाहिए । विभाजित इकाई के अनुसार जो पाठ्य वस्तु सीधनी-सिखानी है उनसे किन उद्देश्यों की पूर्ति होनी है, इसका उल्लेख भी शिक्षण-योजना में होना आवश्यक है । अतः शिक्षण के लिये इकाइयों में निर्धारित गतिविधियों को उनके प्रभाव की इटिट से तथा प्राप्त होने वाले उद्देश्यों के सम्बन्ध में देखा और परखा जाना चाहिये ।

(6) शिक्षण की अभिगम्भी (पद्धतियों) एवं तकनीकों का चयन-

शिक्षण के स्तर, में सुधार और उसकी परिशुद्धता के लिये अनेकों प्रकार के अभियांत्रिक अथवा तकनीकों को शिक्षण प्रक्रिया के विकास के लिये प्रयोग किया जाता है । अतः बालकों की आवश्यकता और उचित के साथ-साथ शारीरिक शिक्षा की गतिविधि की प्रकृति को देखकर विविध प्रकार के अभिगम्भी एवं तकनीकों को अपनाने के लिये उन पर पहिले से विचार कर लेना चाहिये, जिससे आवश्यकतानुसार साधनों और उपकरणों की पूर्व जानकारी हो सके ।

(7) उपलब्ध भौतिक साधन-सुविधाओं का सही उपयोग-

शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों का शिक्षण उपलब्धि परकं बनाने और उनके व्यवहारिक क्रियान्वयन के लिये साधन-सुविधाओं, खेल-कीड़ा उपकरणों तथा अश्य-दश्य सहायक सामग्री आदि के बारे में पहिले से विचार करना अच्छा रहता है । ऐसा करने पर शिक्षण कार्यक्रम अधिकाधिक वस्तुनिष्ठ बन जाता है तथा किसी भी प्रकार की दुर्घटना से सुरक्षा रहने में सहायता मिलती है ।

(8): उपलब्ध मानवीय सुविधाओं (नेतृत्व एवं विद्यार्थी संघ्या) का ज्ञान-

शारीरिक शिक्षण का कार्यक्रम सरल एवं सुविधा पूर्ण संचालन के लिए शारीरिक शिक्षकों की आवश्यक रहती है । अतः कार्य योजना बनाने समय उपलब्ध शारीरिक शिक्षक, छात्र संघ्या एवं वक्षा संघ्या का पूर्व ज्ञान होना भी जरूरी है ।

(9) विद्यार्थियों की व्यक्तिक रुचियां आवश्यकताएं एवं विभिन्नताएं—

शिक्षण की प्रक्रिया में अनेकों विद्यार्थी सम्पर्क में आते हैं। उनमें आयु, स्तर, वर्ष एवं लिंग की दफ्टर से विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसी प्रकार उनकी रुचियों, गमिति रुचियों, क्षमताओं एवं योग्यताओं में भी विभिन्नताएं होते से उनको आवश्यकतानुसार शारीरिक शिक्षा का शिक्षण-कार्य संचालन करना लाभप्रद एवं सोहेश्य पूर्ण रहता है। भल्का योजना बनाते समय इन पर विचार करना शारीरिक शिक्षक का दायित्व है।

(10) शारीरिक शिक्षण की प्रक्रिया में अन्य शैक्षिक विषय से सह-सम्बद्धता—

बालक के एकीकृत शिक्षण और समेकित विकास (Integrated teaching - Unified development) के लिये शारीरिक शिक्षा के क्रियाकलापों में जहाँ अन्य विषयों के सीखते-सिखाने के अवसर उपलब्ध होते हैं, वहाँ व्यवहारिक सह-सम्बन्ध संस्थापित करना आवश्यक है। ऐसा करने पर शारीरिक शिक्षण कार्यक्रम अधिक रुचिश्च और साथें बन जाता है। समुदाय की इस विषय के प्रति उदासोनता नहीं रहती है शारीरिक-शिक्षा के शिक्षा के साथ जुड़े-लक्ष्य की पूर्ति होती है। अतः शिक्षण योजना बनाने से पूर्व अन्य विषयों की विषय-सामग्री से सह सम्बन्धता के अवसर भी इन निकालने चाहिये।

(11) मापन तथा मूल्यांकन उपकरणों का चयन—

बालकों की प्रगति के मापन तथा मूल्यांकन में किस-किस प्रकार के उपकरण उपयोग में आयेंगे आदि बातों पर पहले विचार कर लेने से योजना में लक्ष्य प्राप्ति के निश्चित सोपानों को निर्धारित कर पाने में बड़ी सहायता मिलती है। इतना ही नहीं अपितु शारीरिक शिक्षक को मूल्यांकन के आधार पर शिक्षण कार्यक्रम एवं निमित फायदे-योजना को सही दिशा देने में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। बालकों के लिये गतिविधि के चयन में निश्चितता होती है। अतः शिक्षण योजना के साथ-साथ मूल्यांकन योजना की अलग से बनाने पर भी विचार करना जरूरी है।

कार्यक्रम नियोजन की प्रक्रिया एवं उनके स्वरूप—

शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति पाठ्यक्रम में उल्लेखित विषयों, पाठ्येतर प्रवृत्तियों एवं विशिष्ट पारियोजनाओं में भन्ते निहित क्रियाकलापों की क्रियान्वति से सम्बन्ध है। शारीरिक शिक्षा का विषय भी उनमें में एक है। अतः शारीरिक शिक्षक को विषय सम्बद्ध कार्यक्रम वा नियोजन सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व कर लेना चाहिए।

नियोजन प्रक्रिया में विषय सम्बन्धी उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट होना तथा उनका ज्ञान होना और उद्देश्य-ज्ञान के आधार पर विषय वस्तुओं का वर्गीकरण करना एवं मट्टरण्डों आवश्यकता है। क्योंकि उद्देश्यों वी सम्बन्धता एवं उनके वर्गीकरण के प्राप्तर पर गिरावट को सरम प्रभावी एवं स्विकर बनाने की हाफ्ट से विषय-वस्तु (क्रियाकलापों)

विभिन्न इकाइयों में विभाजित किया जाता है। इन शिक्षण की नियोजित इकाइयों गठन इन्हें विषय सम्बन्धी उद्देश्यों अर्थात् ज्ञान, अवधीन, ज्ञानोपयोग, कौशल ने पुण्यता अधिक, अभिवृत्ति तथा रसानुभूति के आधार पर वर्गीकृत करके किया जाता है। शारीरिक शिक्षा के विषय में भी इन समस्त उद्देश्यों को प्राप्त करने की गुणजाइश है।

इस प्रकार सारांश में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि नियोजन प्रक्रिया के अन्तर्गत पाठ्यक्रम की इकाइयों, उनके उद्देश्यों, उनके मध्य कालांश विभाजन तथा उन्हें ग्रीन डप सब्वार एवं माहवार विभाजन में निश्चित किया जाता है जिससे दैनिक उपयोग हेतु शैक्षिक योजना का क्रियान्वयन सम्भव हो जाता है।

अतः शारीरिक शिक्षक को सत्रारम्भ पूर्व अपने विषय से सम्बंधित शिक्षण कार्य का सम्पूर्ण नियोजन निम्नांकित स्वरूपों में करना अपेक्षित है—

1. वार्षिक योजना तैयार करना ।
2. इकाई योजना तैयार करना ।
3. दैनिक पाठ योजना का प्रावधान करना ।
4. प्रदत्त पाठ्येत्तर प्रवृत्ति (Co-curricular Activity) सम्बन्धी योजना बनाना ।
5. विशिष्ट परियोजना (Special Project) सम्बन्धी योजना बनाना ।
6. शिक्षक डायरी में महत्वपूर्ण सूचनाएं अभिलेखित करना जैसे—
अवकाश सूची, माहवार कार्य दिवस सूची, जांच एवं परीक्षा तिथि सूची,
पाठ्य पुस्तक सूची, समय तालिका एवं वांछित ग्रादेश-निर्देश आदि ।

(ग) वार्षिक योजना (ANNUAL PLAN) एवं उसका प्रारूप—

शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों की प्रभावी क्रियान्वयन के लिये शारीरिक शिक्षकों को विभिन्न कक्षावार वार्षिक योजना बना लेनी चाहिये। योजना बनाने में पूर्वोलिलिखित सिद्धान्तों को ध्यान में रखना आवश्यक है। योजना बनाने से शारीरिक शिक्षक को सम्पूर्ण सत्र में सैद्धान्तिक शिक्षण, कौशल शिक्षण एवं व्यवहारिक ग्रन्थास की वटिट से वर्ष के विस उप सत्र अवधि माह तक यथा कार्य सम्पूर्ण कर सकता है, इसकी भी सुस्पष्ट जानकारी रहती है तथा शिक्षण और ग्रन्थास दोनों कार्य सन्तुलित रूप में यथा समय सम्पन्न हो पाते हैं।

वार्षिक योजना का चार्ट बनाते समय निम्नांकित विन्दुओं पर ध्यान देना आवश्यक है—

1. सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को इकाइयों में विभाजन करलें।
2. इकाइयों को शिक्षण योजना को कार्यागत तथा कक्षेतर कार्यक्रम में अलग-भलग करलें।
3. सम्पूर्ण सत्र को उप सत्र में बांटले।
4. प्रत्येक माह के कार्य दिवस जात करलें।
5. माह में उपलब्ध कक्षावार कालाशों की संख्या प्राप्त करलें।
6. माहवार इकाईयों का संयोजन करलें।

7. वांछित सहायक सामग्री व साधन जुटाले ।
8. संक्षिप्त मूल्यांकन रूप-रेखा बनाले ।
9. कौशल शिक्षण एवं अभ्यास के पृथक-पृथक कालांश निर्धारित करले ।
10. अन्य विषयों के साथ सम्बन्ध स्थापना ढूँढ़ले ।
11. कक्षेतार क्रिया कलापों के लिये देय समय-निर्धारित करले ।

शारीरिक शिक्षा वायिक योजना का प्रारूप

योजना सम..... कक्षा.....

कक्षागत कार्यक्रम-कुल कार्य दिवस "कुल निर्देशन कालांश"

कक्षेतार कार्यक्रम-कुल कार्य दिवस" "कुल अभ्यास कालांश"

क्र.सं.	उप सम एवं उसके कार्य दिवस	माहवार कुल कार्य दिवस	माहवार कक्षागत कार्य हेतु निर्देशन कालांश	शिक्षण एवं अभ्यास हेतु विभाजित इकाईया एवं उप इकाईया	विभाजित इ इसों के शिक्षण एवं अभ्यास देय कालांश
1	2	3	4	5	6

शिक्षण एवं अभ्यास इकाई का अन्य शैक्षिक विषय से सम्बन्ध स्थापन	कक्षेतार कार्यक्रम हेतु देय कालांश	आवश्यक उपकरण एवं साधन सुविधाएं	संक्षिप्त मूल्यांकन निर्देशन	सेंद्रान्तिक	क्रियात्मक
7	8	9	10	11	

नोट :- बालक के मूल्यांकन हेतु प्रत्येक उपसत्र के अन्त में विद्यालयी प्रतियोगिताओं में प्रावधान रखना चाहिए ।

(ब) इकाई योजना (UNIT PLAN) एवं उसका प्रारूप—

वायिक योजना से जहां मोटे रूप में वर्ण भर के कार्यक्रमों के संचालन व सम्पादन की कक्षावार रूपरेखा एवं उपलब्ध समय की स्थिति स्पष्ट होती है वहां इकाई योजना में कक्षागत शिक्षण एवं क्रियात्मक अभ्यास की रूपित से करणीय कार्यों के चरणों तथा उद्देश्यों में लेकर मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण और अभ्यास की समूर्ण प्रविधि की उपलब्धि-परक पृष्ठ भूमि पर अम बढ़ शिक्षण आधारित हो जाता है और निश्चयात्मक रूप में वह उपलब्धि-परक प्रमाणित होता है ।

इकाई क्या है ?

शिक्षण प्रक्रिया में किसी शैक्षिक विषय के पाठ्यक्रम में प्रस्तावित अध्ययन अनुभवों को उद्देश्यों के अन्तसम्बन्धों तथा अधिगम (Learning) के मनोर्वजानिक पक्षों को एक में रखकर जिन सुमंगठित समुच्चयों (समूहों) में समेकित (Unified) कर प्रस्तावित किया जाता है उसे शिक्षण इकाई (Teaching Unit) कहते हैं। इकाई निऱ्पण में विषय वस्तु अथवा गतिविधियों को इस प्रकार सुनियोजित किया जाता है कि निकटतम प्रकृति एवं अन्तसम्बन्धों वाले अध्ययन के प्रनुभव-विन्दु एक साथ संयुक्त हो जाये। ऐसा कर के पूरे कार्यक्रम को उचित इकाईयों में बांटकर शिक्षण प्रक्रिया को सरल स्वरूप प्रदान किया जा सकता है।

शारीरिक शिक्षा में इकाई योजना का प्रयोग—

इकाई निऱ्पण की यह प्रक्रिया वौद्धिक विषयों में सरलता पूर्वक अपनाई जा सकती है। शारीरिक शिक्षा का विषय क्रियापरक होने से इकाई निऱ्पण में अपेक्षाकृत कुछ फ़िलाई अनुभव की जा सकती है फिर भी इकाई निऱ्पण के निम्नलिखित आधारों को पाठ्य में रखते हुए चैष्टा की जा सकती है :—

1. गतिविधियों में अन्तसम्बद्धता।
2. गतिविधियों में कौशल विकास की समानता।
3. गतिविधियों में संयुक्त एवं सम्मिलिष्ट होने की सम्भावनायें।
4. गतिविधियों में परस्पर सीखने समझने की एक समता।

इस प्रकार शारीरिक शिक्षा के किसी भी कक्षा के लिये प्रस्तावित कार्यक्रम को प्रयोगतः उपयुक्त इकाईयों में विभाजित करना चाहिये तत्पश्चात् बनने वाली इकाईयों की योजना बनाकर अपने समेकित शिक्षण कार्य को सम्पन्न करना चाहिए।

—: इकाई योजना का प्रारूप :—

विषय.....	इकाई का नाम.....	कक्षा.....
कक्षागत शिक्षण के लिये आवश्यक कालांश.....		
कक्ष स्तर अध्यास के लिये आवश्यक समय.....	उप इकाई 1, 2, 3	

पाठ्य वस्तु का उद्देश्य			संदानिक अध्ययन विन्दु	संदर्भितक शिक्षण के अभिगम, तकनीके एवं युक्तियाँ		अध्यास-क्रिया
ज्ञान	कौशल	अभिवृति	5	6		7
1	2	3	4			
अध्यास-क्रिया सम्बन्धी अभिगम, तकनीकी व युक्तियाँ			आवश्यक साधन, उपकरण एवं सहायक सामग्री			मूल्यांकन
8			9	10	11	उपचारात्मक अध्यास

दैनिक पाठ-योजना और उसका स्वरूप :-

(DAILY LESSON PLAN)

दैनिक पाठ योजना उपलब्धिप्रकरण की कुंजी है। दैनिक पाठ योजना बनाकर शिक्षण देने से अधिगम (सीखने) को गति मिलती है तथा उसमें निरन्तरता भी रहती है। शिक्षा शास्त्री वित्तिग एण्ड बिट्टिग (Binning & Bining) के अनुसार-Daily lesson planning involves defining the objectives, selecting & arranging the subject matter and determining the method and procedure. अर्थात् दैनिक पाठ योजना के निर्माण में उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्यक्रम का चयन करना तथा उसे क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करना और प्रस्तुतीकरण की विधियों तथा प्रक्रिया का निर्धारण करना है।

“शारीरिक शिक्षा के, विशेषज्ञ बलाइडनेप तथा हेगमैन की पुस्तिका टिचिय मेयडस फार फिजिकल एजुकेशन के पृष्ठ 166-167 के उल्लेख अनुसार—” शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों की शिक्षण प्रक्रिया को सम्पन्न करने में दैनिक पाठ-योजना बनाने से शिक्षण को सुविचारित रूप में प्रस्तुत करने, अध्यास की क्रियान्वति रखे, उपलब्ध समय का पूरा-पूरा सदृपयोग करने तथा अपने शिक्षण को निश्चयता प्रदान करते हुये अपने द्वारा सम्पन्न किये जा रहे कार्य में अच्छी उपलब्धियां प्राप्त करने वा विश्वास रहता है और अध्यापक स्वयं एवं उसके शिक्षार्थी विपरीत परिणामों से सुरक्षित रहते हैं।

दैनिक पाठ-योजना का स्वरूप-

साधारणतया शारीरिक शिक्षा के शिक्षण कार्य की दैनिक पाठ-योजना बनाने में अनेक स्वरूप अथवा प्रारूप (Format) प्रचलित हैं किन्तु प्रारूप कैसा भी अपनाया जाए उसमें निम्नांकित पक्षों का समावेश होना नितान्त आवश्यक है :—

1. पाठ के विशिष्ट उद्देश्य ।
2. अधिगम अनुभव उनसे मध्यद क्रियाएँ और उनके प्रमुख शिक्षण एवं अध्यास विन्दु ।
3. शिक्षण अभियांत्रों, तकनीकों एवं युक्तियों का उल्लेख ।
4. शिक्षण को सहायक सामग्री तथा व्यवहारिक अस्थायम हेतु साधन व उपकरण ।
5. मूल्यांकन ।

उपरोक्त पांचों का समावेश एक अच्छी एवं उपयोगी दैनिक पाठ-योजना में होना नितान्त आवश्यक है तथा यह भी द्योन रखने की बात है कि पूर्व में समझी-सीधी गई क्रियाओं के ज्ञान के क्रमिक मह-सम्बन्ध एवं शिक्षक-शिक्षार्थी द्वारा किये जाने वाले अध्यास कार्यों के प्रति चर्चा करने का श्रावणान भी दैनिक पाठ-योजना में रखा जाना चाहिए। इससे शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों के सीखने-सीखाने व समझने में अमरुदता एवं परिशुद्धना बनाये रखने में महायता मिलती है। इन सभी पक्षों को ध्यान में रखने ही शारीरिक शिक्षा के शिक्षण की दैनिक पाठ योजना तिम्ह प्रसार के प्राप्त में बनाई जा सकती है।

—: दैनिक पाठ योजना का प्रारूप :-

कक्षा विषय दिनांक

इकाई उपदेशदि

शिक्षण के लिये देय समय अध्यास के लिये देय समय

1-विविध उद्देश्य-

(क) ज्ञान सापेक्ष (ख) कौशल सापेक्ष (ग) अभिवृति सापेक्ष

2-प्रमुख अधिगम विन्दु-

(क) कक्षागत संदर्भान्तर के शिक्षण से सम्बन्धित विन्दु-
(ख) व्यवहारिक अध्यासगत क्रियाकलाप-

3-शिक्षण प्रक्रिया-

(क) अधिगम (Methods)
(ख) अधिगम (Learning) विन्दुओं के अनुरूप तकनीक (Techniques)
(ग) युक्तिया (Devices)

4-शिक्षण संहारणके सामग्री तथा क्रियाकलापों से सम्बन्धित साधन एवं उपकरण-

5-मूल्यांकन-

(क) कक्षागत (मौखिक)- (ख) प्रदर्शनगत व्यवहारिक (Practical)-

6-गूर्द में सीखी समझी गई वार्तों से संबंधित-

दैनिक पाठ योजना में नियोजित एवं निरूपित प्रक्रियायें मुख्यतः किसी लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास हैं। इनमें कभी भी जटिलताएँ अवश्य प्रतिबद्धता की आरोपण न होकर सचीलापन एवं परिवर्तन की गुणालय परिस्थिति अनुरूप सदैव बनी रहनी चाहिये। शिक्षण कार्य का एकसा प्रभावी नियोजन करना चाहिये ताकि क्रियान्वयन के स्तर पर शिक्षक और उसके बालकों को किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव न करना पड़े और योजना के अनुरूप शिक्षक के लिये अनुकूल प्रसारित हो। इसके लिये कुशल शिक्षक को स्वयं के विचारों के साथ-साथ अन्य विदेशीज्ञों के अनुभवों का लाभ लेना भी चाहियत है।

दैनिक पाठ योजना के प्रकार—

पाठ योजना की सेवनों से विभिन्न प्रकार के उपायमों (Approaches) का प्रयोग करने वाले मिलता है। जैसे—

1. हरबर्ट पच-पद उपाय (Herbart's Five steps Approach)
2. ब्लूम मूल्यांकन उपाय (Bloom's Evaluation Approach)
3. डीवी प्रोजेक्ट उपाय (Dewey's Project Approach)
4. मोरिसन चक्रीय उपाय (Morison's Cycling Approach)

उपरोक्त नामकरण में सम्बन्धित शिक्षाविदों द्वारा प्रस्तुत शिक्षण के उपायमें इन्होंने अवलोकन करने पर प्रमुखतया किसी भी पाठ योजना की शिक्षण प्रक्रिया में निम्नालिखी तीन सौपानों का प्रयोग किया जाता है—

1. प्रस्तावना Introductory Phase)—In-Put

इसमें छात्रों को नवीन अनुभवों को प्रहरण करने के लिए प्रेरित किया जाता है। उन्हें शिक्षण क्रियाओं के उद्देश्य से परिचित कराया जाता है तथा शिक्षण की मावधारणा को छात्र रूचि के साथ अनुभव करने लगते हैं।

2. प्रस्तुतीकरण (Presentation Phase)—Process

इस भाग में छात्रों को सीखने-सिखाने के अनुभव कराये जाते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में क्रियाकलापों के माध्यम से विविध घटनाएँ उपलब्ध कराये जाते हैं तथा सभस्त्र निवारण एवं विषय-वस्तु के ज्ञानांजन हेतु विभिन्न पद्धतियों, प्राविधियों एवं मुक्तिर्थ प्रयोग में लाई जाती हैं।

3. निष्कर्ष (Concluding Phase)—Out Put

इस भाग में विषय-वस्तु के परिणाम ज्ञात करने हेतु शिक्षण का मूल्यांकन किया जाता है। निर्धारित उद्देश्यों की उपलब्धि का मापन एवं अवलोकन किया जाता है। इसमें छात्र अपने सीखे हुए अनुभवों की व्यवस्था पुनर्नस्थापना करके करते हैं।

शारीरिक शिक्षा पाठ योजना में ब्लूम का योगदान—

शिक्षा विद श्री डॉ. एस. ब्लूम (B.S. Bloom) ने शिक्षा को त्रिपदी (Tripartite) बताते हुए उसके निम्नांकित उद्देश्य निर्धारित किए हैं—

1. शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना

(Formulation of Education Objectives)

2. अधिगम के अनुभव प्रदान करना

(Creating Learning Experiences)

3. व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना

(Evaluating Change of Behaviour)

श्री ब्लूम ने अपने उपरोक्त उद्देश्यों के सन्दर्भ में शिक्षण प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थी के व्यवहारों में तीन प्रकार से समन्वयित एवं सामर्जस्यपूर्ण परिवर्तन होने की पुष्टि की तदानुवूल पाठ योजना बनाने का सुझाव दिया है। यथा :—

व्यवहार परिवर्तन	पाठ योजना
1. ज्ञानात्मक (Cognitive).	1. ज्ञानांजन पाठ योजना
2. भावात्मक (Affective)	2. रसानुभूति पाठ योजना
3. क्रियात्मक (Psycho-Motor)	3. कोशल पाठ योजना

त्री ब्लूम की पाठ योजनाओं का उद्देश्य एवं उसका प्रारूप—

१. ज्ञानात्मक पाठ योजना (Knowledge Lesson Plan)—

इसका उद्देश्य विषय-वस्तु सम्बन्धी सिद्धान्त, नियम एवं तथ्यों का बोध कराना। इसमें प्रस्तुतीकरण पर अधिक बल दिया जाता है। हरबट योजना इसमें अधिक प्रयुक्त है।

२. रसानुभूति पाठ योजना (Appreciation Lesson Plan)—

इसमें साहित्य, कला, संगीत तथा कविता के माध्यम से विद्यार्थियों को भावात्मक औ सौन्दर्यनुभूति कराई जाती है।

३. कौशल पाठ योजना (Skill Lesson Plan)—

इसका उद्देश्य स्नायु-मासपेशीय समन्वय का विकास करना तथा शारीरिक शृंखलाओं से सम्बन्धित भंग-प्रत्यंगों में स्वस्थता लाना है। इसके अन्तर्गत शारीरिक शिक्षा शृंखल-शिक्षण, खेल-क्रीड़ा कौशल, उद्योग, कृषि, संगीत-बादन तथा शारीरिक त्रिपं-युक्त वृहद मांस पेशियों का शिक्षण समाहित है।

— शारीरिक शिक्षा पाठ योजना का प्रारूप —

विद्यालय का नाम	प्रधायापक का नाम
स्थान	विषय-खेल/एथलेटिक/श्रीप-/अनौपचारिक चयनित क्रिया कलाप
कालांशावधि एवं संख्या	सहायक सामग्री
दिनांक	
शिक्षण का पूर्व ज्ञान-	सामान्य उद्देश्य-
	विशिष्ट उद्देश्य-

— शिक्षण पाठ प्रक्रिया —

प्रधायापक कार्य	विद्यार्थी कार्य	शिक्षण विधि एवं प्रविधियाँ	शिक्षण उद्देश्य अथवा सीखने के परिणाम
I प्रस्तावना (Introduction)	प्रधायापक वे निर्देशों के प्रनुसार कार्य	स्थाया, आदेश, प्रादेश, प्रनुदेश, प्रनुकरण, प्रदर्शन, इथ-थथ्य, वाद-विवाद, प्रश्नोत्तर पाठ्यवस्तु	ज्ञान, अवबोध, ज्ञान प्रयोग, सर्वज्ञात्मक, कौशल विकास, रुचि, अभिवृत्ति, रसानुभूति
II प्रस्तुतीकरण (Presentation)		प्रादि।	
III मूल्यांकन (Evaluation)			

मनोरंजन

खेल-क्रीड़ाए
एवं
पाठ समापन कार्य

इव धनुषासन
जन्मनीय नेतृत्व एवं
नागरिकता विकास

कार्यक्रम आयोजन में उत्पन्न शंकायें और उनका समाधान-

(अ) क्या शारीरिक शिक्षा और सेल-फीडा के कार्यक्रम निम्न परिस्थितियों आयोजित करना बालकों के स्वास्थ्य और शारीरिक विकास को दृष्टि से लाभप्रद है?

1. भोजन करने के बाद प्रातः स्कूल में उपस्थित होने पर।

2. भोजन के चार-पाँच घण्टे पश्चात् सांयकाल भूखा पेट होने पर।

3. बालकों की पौषण युक्त भोजन का अभाव होने की स्थिति में।

4. बालकों के दूर घरों से स्कूल पैदल चलकर आने पर।

समाज में उत्पन्न उपरोक्त शंकायुक्त प्रश्नों के समाधान के प्रत्युत्तर में धनेशीत मेडीकल एसोशियेशन के प्रतिवेदन एवं जर्मनी में हुए शोधकार्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि—भोजन लेने के बाद बालक अपने घर और गली में अपने साथियों के साथ मुक्त एवं स्वतन्त्र अवस्था में खूब खेलते हैं उच्चल-कूद मचाते हैं, इधर-उधर भाग-भाग करते हैं परन्तु उनके स्वास्थ्य तथा शरीर पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव देहते ही नहीं मिलता है और ऐसी क्रियाएँ करने पर उन्हें स्वयं को भी कोई कठिनाई का भुग्तन नहीं होता है। लेकिन उसके विपरीत तो व दबाव-युक्त शारीरिक शिक्षण के क्रियाकलाप अथवा खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिना हानिकर सिद्ध हुआ है।

इसी प्रकार सामान्य भूख महसूस करने वाले अथवा अपर्याप्त पौष्टि बालकों अथवा दूर से चलकर स्कूल आने वाले जिन बालकों को खेलों में भाग लेते देखा गया है उनमें स्वास्थ्य तथा शारीरिक क्षमताओं पर भी किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पाया गया है।

इस सन्दर्भ में यह कहना व्यवहारिक रूप से सही प्रतीत होता है कि विद्यालयी कार्यक्रम में स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा और सेल-फीडा के क्रियाकलाप यदि मनोरोगों की दृष्टि में आयोजित किये जाते हैं तो बालकों द्वारा उनकी स्वयं की एवं अथवा स्वेच्छा में भाग लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आयोजनकारी का यह दायित्व है कि उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में बालकों को भारी दबाव-युक्त शारीरिक शिक्षा और सेल-फीडा के स्वर्गान्वयन कार्यक्रम से दूर रखना आवश्यक है।

कार्यक्रम संचालन में सफलता प्राप्ति के आधार-

विद्यालयी कार्यक्रम में शिक्षा का यह पदा जो शारीरिक विद्याकलापों के मुनियोजित एवं मोटे शृंखलाएँ कोशल-शिक्षण और उसके भ्रम्यान से भ्रम्यन्ति है वे मामान्य रूप में शारीरिक शिक्षा यहा जाता है। शारीरिक विद्याकलापों के निशान यह प्रक्रिया विद्यालयी पाठ्यक्रमानुसार बढ़ावार गंतानित की जाती है जिसमें मात्र बादाव के मर्मांदीरण एवं मर्मूर्ल अविनियक की विकास की प्रोग्राम की प्रोग्रामीयन रखकर हिता

से तालमेल स्थापित करना है। इतना ही नहीं सोधे रुप में शारीरिक शिक्षा से बालक के स्वास्थ्य, उम्रकी शारीरिक मामव्यंता, स्नायु-मौसपेशीय समन्वय, संवेगात्मक नियन्त्रण एवं सामाजीकरण के विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। शारीरिक शिक्षा के समूर्ण कार्यक्रमों के आयोजन में यह आवश्यक है कि कार्यक्रम की क्रियान्वयति को ध्यवहारिक और उपलब्धिप्रक बनाते हुए बालकों को बुद्धि और विकास में सम्पन्न योगदान प्रदान करना चाहिए तथा सामान्य शिक्षा से तालमेल करने के प्रयास किये जाने चाहिए। इस इटिंग से कार्यक्रम के सकल संचालन एवं आयोजन के लिये शारीरिक शिक्षक द्वारा निम्नांकित गतियों को ध्यान में रखकर कार्यक्रम को प्रभावी एवं हितकर बनाना उचित होगा :—

1. बालकों के लिये शारीरिक क्रियाकलापों एवं प्रवृत्तियों का चयन उनके प्रभाव की इटिंग से किया जाये।
2. प्रवृत्ति के चयन में बालकों की आयु लिंग, रूचि, यत, कौण्ठ आदि को ध्यान में रखकर प्राकृतिक चेष्टाओं जैसे दौड़ना, मूदना, फैकना, चढ़ना खीचना एवं घकेलना आदि को अधिक महत्व दिया जाये।
3. सुस्त बालकों के लिये कार्यक्रम में भाग दिलाने के अवसर उपलब्ध कराये जावें। केवल प्रतिमाशाली छात्र ही नहीं पर्याप्ति कमजोर एवं सुस्त छात्रों को भी भाग दिलाया जावे।
4. कार्यक्रम एवं प्रवृत्तियों के आयोजन में विविधता पर ध्यान दिया जाये जिससे बालकों की रूचि एवं भाग लेने की इच्छाओं को प्रोत्साहन मिले।
5. शारीरिक शिक्षण के कार्यक्रम में स्वास्थ्य-शिक्षण, स्वास्थ्य परीक्षा, आरोग्य जान और स्वस्थप्रद आदर्तों के निर्माण का प्रावधान रखा जावें।
6. उपलब्ध सांघनं सुविधाओं का समूर्ण उपयोग लेते हुए उनमें दिन प्रतिदिन बुद्धि की जावे।
7. कार्यक्रम में खेल-क्रीड़ा प्रतियोगिताओं एवं स्पर्धाओं का विवेक पूर्ण समर्पण किया जावे। केवल मात्र जिसने पछाड़ दिया वह औष्ठ है और जो पिछड़ गया वह विवरणी भर के लिये पिछड़ गया पर ही यदि वह दिया गया तो बालकों में गर्व और अद्वितीय अनीतियों, ईर्ष्या, हृष, घृणा, चोथ, असत्य और नियशा देंगे और उन्होंने भी सम्भावनायें बनेगी।
8. बालकों की आयु, भार, ऊँचाई व क्रीड़ा-कौशल इत्यादि प्रणाली भनुसार दलीय खेलों को महत्व दिया जाये।
9. कार्यक्रम आयोजन में ऋतु, मौसम, जनवायु एवं आश्रित धर्याएँ जैसे दृश्य रखा जाये।

10. क्रियाकलापों के संचालन और शिक्षण में शारीरिक शिक्षक स्वयं प्रभावशुद्ध प्रपत्ती पूर्व तैयारी एवं स्वाध्याय पर बल देना न भूले ।
11. संस्था प्रधानों द्वारा रिवत कालांशों के बहाने मात्र में शारीरिक शिक्षा के न कराये जावे, ऐसा किये जाने पर बालकों एवं शिक्षकों की मनःस्थिति पर उपभोग पड़ता है और वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होती ।
12. विद्यालय को नियमित समय-सारिणी में शारीरिक शिक्षा के क्रियाकलापों के शिक्षण को उचित स्थान देकर कक्षावार खेल-क्रीड़ा के कौशल-शिक्षण एवं उनके प्रभाव कार्यक्रमों पर बल दिया जावे । वैकल्पिक खेल-क्रीड़ा हेतु सांयकाल नियमित स्थान कक्षेतर कार्यक्रम कराये जावे ।
13. सत्र के प्रारम्भ से अन्त तक का ऐसा योजनाबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जावे, जो वार्षिक योजना, मासिक योजना और दैनिक पाठ-योजना में विभाजित हो ।
14. बालकों की इस विषय के प्रति अभिरूचि विकसित करने और नवीनतम ज्ञान वृद्धि के लिये दैनिक समाचार, खेल-क्रीड़ा और व्यायाम आदि के पोस्टरों प्रादि दो श्यामपट्ट पर लगाया जावे ।
15. कक्षा और क्रीड़ागणों को पृथक-पृथक न समझते हुये विद्यालय में, स्वस्थ एवं सामूहिक प्रद वातावरण विकसित किया जावे ।
16. बालकों को कराये गये क्रियाकलापों के माध्यम से सच्ची स्पोर्ट-संमैल-शिक्षा भावना विकसित कर जननन्त्रीय अनुशासन पद्धति पर बल दिया जाये ।

अभ्यासार्थ प्रश्न-

1. What principles are involved in Programme-Planning in Physical education ?
2. विद्यालय के शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम को तैयार करते समय आप किन-किन बातों को ध्यान में रखेंगे ? संसभाइये ।
3. शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम की सफलता का मूल्यांकन आप किस प्रकार करते मूल्यांकन के आधारभूत तत्वों का उल्लेख करिये ।
4. दैनिक पाठ योजना के संगठन में वैज्ञानिक प्रक्रिया क्या है ? बताइए ।
5. दैनिक पाठ योजना के प्रकार का वर्णन करते हुए उसके किसी एक प्रकार के प्रारूप का नक्शा बनायें ।

12 समय-तालिका अथवा समय-विभाग-चक्र

प्रध्ययन विन्दु :-

- प्रस्तावना
- समय-तालिका का श्र्वय एवं परिभाषा
- आवश्यकता एवं महत्व
- समय-तालिका नियोजनार्थ आवश्यक ग्रालेख एवं दस्तावेज़
- समय-तालिका निर्माण के आधारभूत सिद्धान्त
- समय-तालिका के प्रकार एवं प्रारूप
- शारीरिक शिक्षा के क्रियाकलाप एवं कालांश आवंटन

प्रस्तावना-

किसी भी कार्य योजना को भवी-भाँति नियोजन करने के पश्चात् उसके नियोजन एवं संचालन के लिए समय-तालिका का महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यालयों में भी इसी प्रकार शिक्षा-योजना के कार्य को मुचाह रूप से संचालित करने के लिए समय-सारिणी बनाई जाती है। समय-सारिणी अथवा समय-तालिका एक ऐसा विवरण-पत्रक अथवा नवकाश है जिसके माध्यम से विद्यालय के समूचे कार्यक्रम को व्यवस्थित ढंग से खलाया जाता है। यह एक ऐसा दर्पण है जिसके देखने पर विद्यालय का कार्य-प्रणाली का पल भर में पता लग जाता है।

समय-तालिका का श्र्वय एवं परिभाषा-

विद्यालयी समय तालिका एक ऐसा मानचित्र है, जिसमें विद्यालय के नियोजित समय का विभिन्न विषयों के शिक्षण के लिए माध्यंटन रहता है। इससे हमको यह जात होता है कि विभिन्न विषयों के शिक्षण तथा प्रबृत्तियों के संचालन की किस-किस समय और कितनी-कितनी देरी तक चलने की प्रपेक्षा है तथा किस शिक्षक को कौनसा विषय का पढ़ाना है, और किस प्रवृत्ति का किस समय संचालन करना है।

शिक्षा शास्त्री टण्डन एवं त्रिपाठी (Tondon & Tripalbi) के ग्रनुसार—"महाविभाग चुक्र बहु योजना है जिसमें विद्यालय की दैनिक क्रियाओं, विषयों, कक्षाशेष समय का विभाजन दर्शाया जाता है।"

अतः समय-तालिका एक दर्पण के समान है जिसमें विद्यालय का सम्पूर्ण कार्य प्रतिविम्बित होता है। कुछेक विद्यानो ने समय भारिणी को विद्युतीय स्पार्क लगवाना दी है जिसके द्वारा विद्यालय के शिक्षण कार्य को गति एवं शक्ति मिलती है सारांश में हम इसे विद्यालय में संचालित विषयाध्ययन एवं प्रवृत्तियों की विधियुक्त पूर्ण-ध्यवस्थित ऐसी योजना कह सकते हैं जिसमें विद्यालय के दैनिक समय का विषय विषयों, प्रवृत्तियों और कक्षाओं के मध्य आवंटन दर्शाया होता है।

समय-तालिका की आवश्यकता एवं महत्व—

समय-तालिका विद्यालय-कार्य का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिस विद्यार्थी, शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के दफ्टरियों से निर्माण करना अनिवार्य है, क्यों सब विषयों एवं प्रवृत्तियों का विस्तार एवं महत्व समान नहीं होता, अतः इसमें विद्यालय का आवंटन इनमें से प्रत्येक की आवश्यकतानुसार किया जाना अपेक्षित है।

वास्तव में समय-तालिका विद्यालय के प्रभावशाली कार्य का एक आवश्यक सा है। इसीलिए समय-तालिका को द्वितीय-विद्यालयी-पढ़ी (Second school Well) की संज्ञा दी गई है। अच्छी समय-तालिका का महत्व उसके लाभ पर निर्भर करता है। समय सारिणी द्वारा हमें निर्मांकित लाभ प्राप्त होते हैं :-

1. विद्यालय का कार्य निर्विघ्न एवं सुध्यवस्थित संचालित रहता है।
2. विद्यालयी-समय और शक्ति का सही उपयोग होता है।
3. इसके द्वारा शिक्षकों में कार्य का आवंटन उचित रूप में होता है।
4. विभिन्न विषयों में विद्यालय समय का आवंटन उचित रूप में किया जाता है।
5. इससे शिष्टाचार में ग्रनुसारन स्थापित करने में सहायता प्रदानी है।
6. इससे नियमित और समय-पाचनी की आदतों का निर्माण होता है।
7. संचालित कार्यक्रम के निरीक्षण एवं प्रयोगशाला करने में सहायता रहती है।
8. अध्यापकों के कार्य कुशलता में बढ़ि होती है।
9. शारीरिक एवं मानसिक योग्यता के उपाय प्राप्त होते हैं।
10. विद्यार्थी एवं शिक्षक अपने दैनिक कार्यों के प्रति पूर्व में जागरूक रहते हैं।

इस प्रकार समय-तालिका न केवल विद्यालय कार्य को मुख्याजनक बताती बल्कि विद्यालय की प्रभावशीलता उसपर निर्भर करती है। अतः समय तालिका निर्माण विद्यालय के उद्देश्यों की खफल प्राप्ति के लिए अपरिहार्य रूप में आवश्यक नहीं अपितु महत्वपूर्ण है।

समय-तालिका नियोजनार्थ आवश्यक अलेख एवं दस्तावेज़—

विद्यालय की व्यापक समय-सारिणी में शारीरिक शिक्षा विषयों का उल्लेख अन्य विषयों की भाँति रहता है। किंतु भी शारीरिक शिक्षक को विस्तृत एवं सम्पूर्ण विवरण पूर्णत शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल-क्रीड़ा एवं मनोरंजन आदि शिक्षण कार्य के पैदानिक ज्ञान, कौशल-शिक्षण एवं अभ्यासार्थ भाँति प्रायोगिक कार्यों के लिए व्यापक समय-सारिणी की रचना करती रहती है इसलिए इसके नियोजनार्थ निम्नांकित अलेख-उल्लेख एवं दस्तावेजों का संकलन आवश्यक है :—

1. शारीरिक शिक्षा का पाठ्यक्रम ।
2. निमित् इकाईयों की सूची ।
3. कठागत एवं कठेतर अवधि प्रनुसार क्रियाकलापों का विभाजन ।
4. शासन एवं विभागीय पंचाग तथा निदेश पुस्तका ।
5. आवश्यक परियोजनाओं की घोषित तिथिया ।
6. विद्यालयी वार्षिक कार्य योजना पचांग से प्राप्त सूचानाएँ ।
 - (अ) विद्यालय के कुल कार्य दिवस
 - (ब) अवकाश दिवस
 - (स) उत्सव दिवस
 - (द) सेस्था प्रधान द्वारा घोषित अवकाश
 - (च) जिलाधीश द्वारा घोषित अवकाश
 - (छ) विद्यालय द्वारा घोषित परख एवं परीक्षण तिथियाँ
 - (झ) बोड़ द्वारा घोषित परीक्षा तिथियाँ ।
7. गत वर्ष की समय-सारिणी एवं व्यापक वार्षिक पंचाग ।
8. उपलब्ध सुविधानुसार आयोग्य क्रियाकलापों की सूची ।
9. विद्यालय की स्थिति, स्तर एवं प्रकार ।
10. विद्यार्थी कक्षा संचय एवं शिक्षक संख्या ।
11. आवंटित समयावधि एवं कालांश ।
12. सामुदायिक वातावरण एवं स्थानीय रुचि ।
13. उपलब्ध शारीरिक शिक्षा के संसाधन एवं सुविधाएँ ।

समय-तालिका निर्माण के आधारभूत सिद्धान्त—

समय-तालिका बनाने में कुछेक आवश्यक सूचनाओं की जानकारी एवं उनका संकलन करना जरूरी है। ये सूचनाएँ समय-सारिणी तैयारी के प्राधार हैं इस सम्बन्ध में पूर्वतया उल्लेख किया जा चुका है। चूंकि समय-सारिणी की रचना करना एक अति जटिल एवं मानसिक परिव्रम वा कार्य है, भले ही इसकी रचना करते समय निम्नांकित बातों एवं स्थियों की जिन्हें बुनियादी सिद्धान्त भी कहते हैं, ध्यान में रखना आवश्यक है :—

1. कालांश एवं समय निर्धारण का सिद्धान्त-

विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रममें विद्यालय-सत्र की अवधि, विद्यालय शिक्षण की अवधि, विद्यालय के दैनिक कालांशों की संख्या एवं समयावधि तथा प्रत्येक विषय की घाँटि शारीरिक शिक्षा विषय सम्बन्धी कालांशों के निर्धारण का उल्लेख किया जाता है। प्रत्येक विद्यालय के लिए इन विभागीय नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसलिए समय-तात्त्विका का निर्माण इन नियमों की सीमा के अन्तर्गत करना अपरिवर्तनीय अतः समय-सारिणी को नियमानुसूल एवं प्रभावशाली बनाने के लिए भालाश निर्धारण सिद्धान्त को ध्यान में रखना चाहिए। शारीरिक शिक्षा के कालांश निर्धारण बादत वर्त पूर्व अध्यायों में यथा स्थान की जा चुकी है। उसे ध्यान में रखा जावे।

2. समय-तात्त्विका की पूर्णता का सिद्धान्त-

विद्यालय के कार्यक्रम में विभिन्न विषयों सम्बन्धी शिक्षण के अतिरिक्त दूसरे पाठ्य तंत्र प्रवृत्तियों आदि का संबलन किया जाता है। समय-सारिणी में इन सब पाठ्य तंत्र प्रवृत्तियों को यथोचित स्थान दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से निर्मित समय सारिणी जिसमें शिक्षण विषयों के साथ-साथ पाठ्य तंत्र प्रवृत्तियों का भी समुचित दर्लेत है। अपने आप में सब प्रकार से पूर्ण होती है।

3. शिक्षकों द्वारा कार्य के उचित वितरण का सिद्धान्त-

समय-तात्त्विका निर्माण करते समय शिक्षक की योग्यता, रुचि तथा शारीरिक एवं मानसिक क्षमता का ध्यान रखना आवश्यक है, तदानुसार ही विद्यालय के कार्य वितरण किया जाना चाहिए। ऐसाप्रकार जाने पर ही वह अपने कार्य के सम्पादन हेतु पूर्ण ग्राहक करता है।

4. समान कार्य विभाजन का सिद्धान्त-

न्याय और धर्म विभाजन के नियमानुसार शिक्षकों को प्रदत्त कार्य में कठिनाई व सरताता का सत्तुलन होना चाहिए। कार्य का वितरण होना भी महत्व-पूर्ण तथ्य है। किसी को कार्य अधिक और किसी को कार्य कम पक्षपात की स्थिति दर्शाता है। समय-सारिणी में इस प्रकार से पक्षपात की गन्ध धाने से शिक्षकों में अत्यन्तोष ही नहीं अपरिपर स्पर्शर ईर्ष्या, दौष एवं तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसका विद्यालय के बातावरण एवं विषय शिक्षण के स्तर पर दुरा पड़ता है।

5. व्यक्तिक विभिन्नताओं की सुहत्ता का सिद्धान्त-

समय-सारिणी का निर्माण करते समय बालकों की व्यक्तिक विभिन्नताओं के आधार पर शारीरिक शिक्षा के क्रियाकलापों का चयन किया जाता है। ये व्यक्तिगत विभिन्नताएँ हैं बालकों की आवश्यकताओं, रुचि, क्षमता एवं योग्यताएँ आदि, अतः समय सारिणी में बालकों की आयु, स्तर, लिंग, रुचियाँ, मानसिक अवस्थाएँ शारीरिक क्षमताएँ और योग्यताओं को दर्शात रखना चाहिए।

6. उपलब्ध साधन-सुविधाओं के समुचित उपयोग का सिद्धान्त-

शारीरिक शिक्षण कार्यक्रम का विधिवत् संचालन विद्यालय में उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय सुविधाओं पर निर्भर करता है। समय-सारिणी की रचना करते समय कुंगल नेतृत्व के साथ-साथ शिक्षण स्थलों की संरचना एवं सेलों के प्रांगण, जिम्माजियम, तरणाताल और धावन परियंत्रणा की सुविधाओं को ध्यान में रखना चाहिए।

7. थकावट से मुक्त रखने का सिद्धान्त-

थकान चाहे शारीरिक हो अथवा मानसिक दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, तथा बालक के शिक्षण में थकावट डालती है। अतः समय-सारिणी की रचना विषय, समयावधि, प्रदत्त कालांश एवं दिनचर्या की दृष्टि से इस प्रकार करनी चाहिए कि बालकों को थकावट, अरुचि एवं अप्रसन्नता महसूस न नहो। शिक्षण के क्षेत्र में थकान के निवारण बाबत समय-सारिणी का निर्माण निम्नांकित बातों की ध्यान में रखकर करना चाहिए:-

(प) सप्ताहिक दिवसों की स्थिति की दृष्टि से थकान—

मानसिक ताजगी एवं नवीन शक्ति की दृष्टि से सप्ताह में मंगल और बुद्धवार का दिन सर्वथेठ होता है तथा बालकों में शनिवार व सोमवार थकान के दिन महसूस किये जाते हैं।

(ब) संमूणे दिवस की दृष्टि से थकान—

दिन आरम्भ के साथ मानसिक ताजगी में क्रमिक वृद्धि होती है और प्रातः के मध्यभाग तक ताजगी अपनी चरम सीमा तक पहुँच जाती है। इस प्रकार प्रातः काल का प्रत्येक भाग अपराह्न की अपेक्षा अधिक ताजगी देने वाला होता है।

(स) विद्यालयी कालांशों की दृष्टि से थकान—

प्रातः काल में दूसरा और तीसरा कालांश और अपराह्न में दूसरा कालांश ताजगी की दृष्टि से उत्तम रहता है। इसी प्रकार थकान की दृष्टि से प्रतिदिन का अन्तिम कालांश सर्वाधिक थकान वाला समय होता है।

(द) विषय सूचि की दृष्टि से थकान—

भाषा, गणित और विज्ञान के विषय अधिक थकान देने वाले होते हैं जबकि हस्तकला, उद्योग, शारीरिक शिक्षा, चित्रकला और संगीत जैसे विषय ताजगी देने वाले होते हैं।

प्रतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखकर समय सारिणी में थकान पैदा करने वाले विषयों के लिये कालांश की मध्यधि कम तथा उनकी सद्या अधिक रखनी चाहिये। शारीरिक शिक्षा में निर्देशन एवं कौशल भूम्यास शिक्षण के लिये केन्द्रीय परामर्श बोर्ड की भग्नुशंसानुसार ग्रोपमकाल की समय-सारिणी में मध्यान्तर घटवास पूर्व प्रथम चारों

ग्रोर पांचों कालांशों में तथा शीतकाल में मध्यान्तर अवधारणा पश्चात् के अन्तिम चारों कालांशों में शारीरिक शिक्षा के क्रियालापों का कौशल दिया जाना चाहिये। इस प्रकार यह भी निर्देशित किया गया है कि शारीरिक शिक्षक को उक्त कालांशों को एक अध्ययन-अध्यापन में असुविधा एवं यकान विकसित होना स्वाभाविक है।

8. विविधता का सिद्धान्त-

समय सारिणी बनाते समय विविधता के सिद्धान्त की अनुपालनों से शिक्षण में रुचि बनी रहती है। यह सिद्धान्त भी यकान-नाशक उपाय है; क्योंकि छात्रों को एक ही स्थान पर एक ही अध्यापक द्वारा एक ही विषय का शिक्षण निरसता पैदा करता है। इसलिए समय सारिणी में विविधता लाने के लिए निम्न उपायों को काम में लेना चाहिए-

- (अ) स्थान परिवर्तन से विविधता लाना
- (ब) विषय परिवर्तन करके विविधता लाना
- (स) अध्यापक परिवर्तन करके विविधता लाना
- (द) लघु एवं दीर्घ विद्यानित कालांश देकर विविधता लाना

9. नमनीयता अथवा लचीलेपन का सिद्धान्त—

समय सारिणी में जटिलता को स्थान नहीं दिया जाना चाहिये लेकिन इसी नमनीयता भी नहीं होनी चाहिये कि प्रतिदिन परिवर्तन की आवश्यकता पड़े। समय-संभरण पर अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों का निवारण पर्याप्त परिवर्तन करके किया जाना चाहिये। कभी-कभी स्थानीय परिस्थितियों के फलस्वरूप परिवर्तन की समस्या की निवारण करना पड़ता है।

10. विश्वास्ति कालांश का सिद्धान्त—

समय-सारिणी अच्छे शिक्षण कार्यक्रम का आधार है अतः इसकी रचना में सबसे प्रमुख तत्व यकान से बचाव रखते हुए प्रभावी एवं रुचिकर शिक्षण कार्यक्रम का संचालन करना है। इस इष्ट से कठिन विषय शिक्षण कालांशों के पश्चात् लड़वा अवकाश अथवा मध्यावकाश के कालांश रखना आवश्यक है। बालक इन कालांशों का लाभ स्वेच्छा से स्वयं को ताजगी लाने की चेष्टाओं में लगाकर प्राप्त करते हैं तथा आगे के शिक्षण में भाग लेने के लिये पुनः तैयार हो जाते हैं।

11. सप्ताहान्त मनोरंजन का सिद्धान्त—

बालक सम्पूर्ण सप्ताह के शिक्षण कार्यक्रम में थक करे अध्ययन के प्रति रुचि एवं यकान का अनुभव करने लगते हैं। इस प्रकार की मनोवैज्ञानिक यकान को दूर करने तथा पुनः नवशक्ति प्राप्ति हेतु मनोरंजन की आवश्यकता होती है। अतः समय सारिणी में सप्ताह के अन्तिम दिन सांस्कृतिक क्रियाकलाप, पिकनिक, हाईक, जिविर आदि घायोंजित करने चाहिये तथा सीमान्तर्गत खेल-क्रीड़ा स्पर्धाओं का ग्रावधान भी समय-सारिणी में खेल मनोरंजन के लिये रखना चाहिये।

12. सरल और स्पष्ट रूपरेखा का सिद्धान्त—

समय-सारिणी का विवरण पत्रक इस प्रकार का बना हुआ होना चाहिये जो अली प्रकार सरल रूप से समझ में आजाये। इस प्रकार का समय विभाग चक्र-पत्रक जिसे समझने में कठिनाई उत्पन्न हो मनोवैज्ञानिक इंटि से हुँ भलाइट उत्पन्न करने वाला होता है तथा इससे कार्यक्रम को संचालित करने में व्यवहार्य की दैरी होती है।

13. शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति का सिद्धान्त—

समय सारिणी वही उपयोगी एवं लाभप्रद रहती है जिसके अनुसार कार्यक्रम संचालन से शैक्षिक लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, लेकिन यह तभी सम्भव है जबकि शिक्षण के लिये क्रियाकलापों का चयन उनके प्रभाव की इंटि से किया जाये। अतः में यह कहा जा सकता है कि समय-सारिणी इस प्रकार से व्यवहारिक हो जिससे विद्यालयी शिक्षण ढारा निर्धारित पाठ्यक्रम की पूर्ति की जा सके।

समय-तालिका के प्रकार एवं उसका प्रारूप—

- विद्यालयों में सामान्यतया निम्न प्रकार के समय-विभाग-चक्र देखने को मिलते हैं—
1. व्यापक समय विभाग चक्र (वार्षिक पचांग)
 2. कक्षावार समय विभाग चक्र
 3. शिक्षकवार समय विभाग चक्र

इनके अतिरिक्त भी विशिष्ट समय-विभाग-चक्र-पत्रक पाये जाते हैं।

- (क) रिक्त कालांश विवरण समय-विभाग चक्र
- (ख) विषयवार समय-विभाग चक्र
- (ग) पाठ्येत्तर प्रदूतियों का समय-विभाग चक्र
- (घ) साथंकालीन वैकल्पिक सेल-फ्रीडा कार्यक्रम समय-विभाग चक्र
- (ड) पर्यवेक्षण कार्यक्रम समय-तालिका
- (च) गृह कार्य समय-तालिका

सामान्यतया शारीरिक शिक्षण कार्य के लिए दो प्रकार को समय-सारिणी होती है।

- (क) व्यापक समय-तालिका (वार्षिक पचांग) (ख) दैनिक समय-तालिका

उक्त दोनों प्रकार को समय-तालिकाओं के प्रथम का प्रारूप आगे पृष्ठ पर दिया है। विद्यालयी समय-विभाजन में सुविधा की इंटि से शारीरिक शिक्षा एवं सेल-कार्यक्रम को उचित प्रकार संचालित करने के लिए समय का प्रावधान इस प्रकार है—

1. शुग्र काल-खण्ड (Zero Period)-प्रातः प्रार्थना समय के साथ।
2. निर्देशन काल-खण्ड (Instructional Period)-धीरम में पूर्वोत्तर एवं खीर उत्तरोत्तर के 4 कालांश।
3. सेल काल-खण्ड धनिवार्य (Block-Games Period)-मीसम अनुसार विद्यालय समय-सारिणी का प्रथम धनिवार्य कालांश।
4. संभागी सेल खण्ड (Participation Period)-सायंकाल 4.30 से 6.30 त

(क) शारीरिक शिक्षा व्यायाम समय-तात्त्विका का प्रारूप

(इ) दंतिक समय सारिए (प्राह्लप)

.....तक
.....से
.....प्रभावी दिनांक
.....प्रकृति

शारीरिक शिक्षा के क्रिया-कलाप एवं कालांश आवंटन—

समय-सारिणी कार्यक्रम नियोजन का प्रमुख दस्तावेज़ ही नहीं मपिंतु शारीरिक शिक्षण के उत्तरदायित्व एवं कल्याण-कार्य के निष्पादन की प्रमुख आधारशिला है। इसी प्रस्तु में समुचित जानकारी के लिए प्रध्याय 7 एवं 11 का अवलोकन करना बांधित होगा क्योंकि इस विषय के लिए उपयुक्त समय और कालांशों के निर्धारण, शारीरिक-शिक्षण के कुशल नेतृत्व एवं उत्तरदायित्व बहनता के सन्दर्भ में ध्यावत चर्चा की गई है।

समय-सारिणी का बनाना परिश्रम एवं विवेक पूर्ण कार्य है। इसके बनाने में विद्य सिद्धान्तों मूलभूत तत्वों एवं अन्य सहयोगी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। ऐसे बाबूद भी यह एक विवारणीय विन्दु है, कि किस क्रियाकलाप के लिए कौनसा कालांश प्रथम समय निर्धारित किया जावे, ताकि शिक्षण एवं अभ्यास आदि सोहेश्यपूर्ण रूप संचालित हो सकें। इस समस्या के निवारणार्थ शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इशांत राष्ट्रीय स्वस्थता कार्यक्रम (National Fitness Core Syllabus, 1960) के द्वारा गये क्रियाकलापों के सुझावों के आधार पर निम्न प्रकार वर्णन करना उचित होगा।

१. एफ. सी. पाठ्यक्रम के क्रियाकलाप—

1. ध्यायाम अभ्यास सारिणियाँ
2. कवायद एवं मार्चिंग
3. लेजिम एवं अन्य उपकरणयुक्त ध्यायाम-ड्रिल
4. त्रिमास्टिक्स, मल्लखम्ब, लोक नृत्य एवं सामुहिक गीत
5. बड़े सेल, छोटे सेल तथा रिले
6. धावन-पदीय एवं दोश्रीय क्रियाकलाप
7. मुकाबले एवं दून्ड के क्रियाकलाप
8. स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, सेल-बूद तथा धारणे तापस्त्रिका का गैदानितिक ज्ञानारम्भ शिक्षण

कार्यक्रमों के लिए कालांश एवं समय आवंटन शीघ्रमात्राकाल में—

कालांश	समय	क्रियाकलाप
I	7-00 से 7-35	(i) लेजिम एवं अन्य उपकरणयुक्त ध्यायाम-ड्रिल (ii) बड़े सेल, छोटे सेल तथा रिले आदि
II	7-35 से 8-10	(i) कवायद एवं मार्चिंग (ii) धावन-पद और दोश्रीय क्रीडाएं
III	8-30 से 9-05	(i) ध्यायाम सारिणी (ii) त्रिमास्टिक्स, मल्लखम्ब, लोकनृत्य आदि (iii) मुकाबले एवं दून्ड के क्रियाकलाप
IV	9-05 से 9-40	(i) रिले 8 के पनुगार संडानितिक शिक्षण

शीतकाल में—

V	1.40 से 2.20	(i) बिन्दु 8 के अनुसार संदान्तिक शिक्षण
VI	2.20 से 3.00	(i) व्यायाम सारिणी (ii) जिम्नास्टिक, मलखम्भ; लोकनृत्य आदि (iii) गुकावले एवं दृष्टि के क्रियाकलाप
VII	3.10 से 3.50	(i) कवायद एवं मार्चिंग (ii) धावन—पथ और क्षेत्रीय क्रीड़ाएं
VIII	3.50 से 4.30	(i) लेजियम एवं उपकरणयुक्त व्यायाम-ड्रिल (ii) घड़े खेल, छोटे खेल तथा रिले आदि।

इस प्रकार शारीरिक शिक्षण की समय-सारिणी बनाते समय उपरोक्त निर्देशन के कालांशों में बताये अनुसार क्रियाकलापों का आयोजन करना चाहिए। इसके बनाव सार्वकालीन क्षेत्र कार्यक्रम यथावत चलते रहना चाहिए। शारीरिक शिक्षा की विशिष्ट प्रेरियोजनाओं का नियोजन भी सप्ताहान्त दिवसों, उपसत्र एवं भावधार निर्धारित कर लेना चाहिए।

अभ्यासार्थ प्रश्न—

- (i) किसी विद्यालय की शारीरिक शिक्षां की समय-सारिणी बनाते समय कौन-कौन से तत्व एवं कारण प्रभाव डालते हैं। सम्भागी कालखण्ड को स्पष्ट कीजिए।
- (ii) कार्यक्रम के नियोजन में समय-सारिणी का क्या महत्व है? इसके बनाने में ध्यान बिन्दुओं का उल्लेख करिये।
- (iii) “समय-तालिका विद्यालय की द्वितीय घड़ी (Second school watch) है। व्याख्या करें।



13 पाठ्यक्रम का संकलन एवं संगठन

अध्ययन विन्दु :-

- प्रस्तावना
- पाठ्यक्रम का अर्थ, परिभाषा और महत्व
- पाठ्यक्रम संगठन के मूल आधार एवं मार्गदर्शक सिद्धान्त
- पाठ्यक्रम निर्माण-प्रक्रिया के सौपान

प्रस्तावना-

प्रवोन काल में पाठ्यक्रम वौदिक विषयों के अध्ययन तक ही सीमित रहता था, लेकिन वाह इसकी सीमा बहुत विस्तृत हो गई है। आज पाठ्यक्रम में वे सब अनुभव सम्मिलित हो जाते हैं। जो किसी वास्तव को किसी वैदिक संस्था में कक्षा-कक्ष, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, ऐसे के मैदान, विन्नेजियम, त्रारणाताल, और साहित्यिक एवं सांस्कृतिक किया-यंच पर प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि खेल के मैदान खुली पाठ्यालायें हैं जहाँ पर वास्तव का समुचित विकास होता है। यतः शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति वास्तव क्रियाकलापों के उचित शिक्षण में निहित है। इस रूप से शारीरिक शिक्षकों को पाठ्यक्रम-संगठन का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है।

पाठ्यक्रम का अर्थ, परिभाषा और महत्व-

शिक्षा के तीन मुख्य घंटे होते हैं—गिराव, शिक्षावी और पाठ्यक्रम। शिक्षा के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए इन तीनों घंटों का बहुत महत्व है। शारीरिक शिक्षा भी शिक्षा का एक अभियान है, यतः शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए उपर्योग सम्बन्धित विषयों, विद्याकलापों एवं गतिविधियों का ज्ञान, उनका शिक्षण एवं प्रशिक्षण चाहार घंटा रुप का पाठ्यक्रम, शिक्षा घंटा शारीरिक शिक्षा व रोकी की प्राप्ति का एक साधन है।

अंग्रेजी में इसके लिए करीक्यूलम (Curriculum) शब्द का प्रयोग दिया जाता है जो एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ है 'दौड़ का मैदान' (Race Course)। जिम प्रकार दौड़ के मैदान में दौड़कर ही कोई खिलाड़ी अपने लक्ष्य तक पहुँचता है तो उसी प्रकार पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद ही कोई व्यक्ति शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का सकता है।

पाठ्यक्रम की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं—

(1) वाल्टर सी. के अनुसार—"पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव निहित हैं जिनके बालक विद्यालय के निर्देशन में प्राप्त करते हैं। इसमें कक्षा-कक्ष की कियाए तथा उसने बाहर के समस्त कार्य एवं खेल आदि मिमिलित किए जाते हैं।

(2) शारीरिक शिक्षण विद श्री कावल एवं फैस (Cowell & France) के अनुसार
The curriculum is a series of rich and guided experiences with some order of progression and directed to-wards the achievement of certain objectives.

(3) J.F. Williams—curriculum represents the course of study for planned experiences of children of various levels. अर्थात् पाठ्यक्रम प्रध्यनार्थ विषय-वस्तु की कक्षावार वह रूपरेखा है जिसकी क्रियान्वयन विविध स्तरानुसार प्रध्यापन द्वारा सम्पादित की जाती है।

(4) D. G. Wakherkar—The term curriculum refers to various educational activities carried out in a school under the supervision of authority.

(5) Sujan Singh—Curriculum is specified course of study for class or classes.

सारांश में पाठ्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षण से सम्बद्ध पाठ्यवस्तु की कमबद्ध एवं प्रगतिशील सूचि होती है, जिसका उपयोग बालकों को विविध जीवाणुक अनुभव उनके आवश्यकतानुसार प्रदान कराकर उसके व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। शारीरिक शिक्षा भी अपने शारीरिक शिक्षा क्रियाकलापों के माध्यम से शिक्षा के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में महायता प्रदान करती है यद्योंकि इस विषय के पाठ्यक्रम द्वारा प्रयोग (Learning) के ऐसे अनुभव कराये जाते हैं जो बालक की योग्यता, विनतन प्रक्रिया, शारीरिक क्षमता एवं कौशल में वृद्धि करे और उसके व्यक्तित्व विकास में सहायक हो।

शारीरिक शिक्षा को प्रतिक्रिया में पाठ्यवर्ष का महत्व—

हर समाज, राज्य अथवा राष्ट्र के अपने मूल्य, मान्यताएं और आवश्यकताएं होती हैं। इनकी प्राप्ति के लिए वह शिक्षा में कुछ वीधि-विधान बनाती है और शिक्षा के उद्देश्य निर्दिष्ट करता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 'जिन' विषयों का ज्ञान एवं

शिक्षाओं का निश्चल आवश्यक समझा जाता है। उन्हें पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम शिक्षण और शिक्षार्थीयों के सामने स्पष्ट लक्ष्य निश्चित करता है। अतः शिक्षा के सुनियोजित संचालन के लिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। सारोंग में पाठ्यक्रम से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं—

1. शिक्षण की प्रक्रिया व्यवस्थित होती है।
2. समय और शक्ति का सदृप्योग होता है।
3. बालकों की यनोवंजातिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है।
4. निर्धारित उद्देश्य प्राप्त होते हैं।
5. शिक्षक एवं शिक्षार्थी को पथ-ग्रादर्शन प्राप्त होता है।
6. संसाधन एवं सुविधाएं जुटाने में सरलता रहती है।
7. विद्यालयों में समय-सारिणी बनाने का आधार मिलता है।
8. मूल्यांकन सम्भव और सरल हो जाता है।
9. शिक्षा की क्रियान्वयन में एकलक्ष्य बनी रहती है।
10. समाज एवं राज्य की प्रवेशाएं एवं आकांक्षाओं की उपलब्धि होती है।

पाठ्यक्रम संगठन के मूल-आधार एवं सिद्धान्त—

शारीरिक शिक्षा में पाठ्यक्रम निर्मित करना कोई मरत कार्य नहीं है और इसकी मरमत करना किसी एक व्यक्ति के हाथ को बात भी नहीं है। शारीरिक शिक्षा का व्यापक शीर्ष है, इसके अनेकों क्रियाकलाप हैं। अतः इसके संगठन एवं संचालन के लिये शारीरिक शिक्षा के विशेषज्ञों एवं अनुभवी निर्णायकान् व्यक्तियों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करना आवश्यक है, जिसमें अनुभवी शारीरिक शिक्षक, शारीरिक शिक्षा के विभागीय प्रधिकारी, शिक्षा बोर्ड के सदस्य, विद्यालय प्रधान, चिकित्सक एवं अभिभावक आदि को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये। इस प्रकार से निर्मित उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम समिति को पाठ्यक्रम के गठन करने हेतु अधोलिखित आधारभूत तथ्यों को दर्शात् रखकर कार्यवाही प्रारम्भ करनी होती है।

1. शिक्षा दर्शन
(Education Philosophy)
2. सामाजिक दर्शन
(Social Philosophy)
3. शिक्षा के निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्य
(Prescribed Aims & objectives of Education)
4. बालक प्रकृति एवं मनोविज्ञान
(Child's Nature & Psychology)
5. आर्थिक एवं राजनीतिक आधार
(Economic & Political Bases)

6. उद्देश्यों का निर्धारण
(Statement of objectives)
7. क्रियाकलापों के चयन का आधार
(Basis for the selection of Activities)
8. कार्यक्रम मूल्यांकन के आधार
(Evaluation of the programme)
9. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं उसके आधार
(Historical Aspects & its Bases)
10. रचनात्मक अनुभव
(Creative Experiences)

पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है और इन उद्देश्यों के निश्चित आधार होते हैं—समाज की परम्पराएं, धार्मिक स्थिति, दार्शनिक विचारधाराएं, भारिक स्थिति, गौद्योगिक स्थिति, वैज्ञानिक अविष्कार और सामाजिक परिवर्तन। इस प्रकार इन आधारों ने पाठ्यक्रम निर्माण के लिए शिक्षा को विभिन्न इटिंग्सों पर दिए हैं। यात्रा ये इटिंग्सों पर ही पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धान्त बन गये हैं। ये मिथान्त हो लोकतन्त्रीय देश की शिक्षा के पाठ्यक्रम के मूल आधार हैं। इस प्रकार पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धान्त निम्न प्रकार हैं—

1. पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों के अनुकूल होना चाहिए।
2. पाठ्यक्रम में मानव जीवन के समस्त अनुभवों का समावेश होना चाहिए।
3. पाठ्यक्रम में सामान्य ज्ञान एवं क्रियाएं अनिवार्य और ऐच्छिक होना चाहिए।
4. पाठ्यक्रम वच्चों की रुचि, रुक्खान, योग्यता और आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए।
5. पाठ्यक्रम में विषय एवं क्रियाओं का क्रम उपयोगिता की इटिंग से होना चाहिए।
6. पाठ्यक्रम के विभिन्न विषय एवं क्रियाओं में सहसम्बन्ध होना चाहिए।
7. विभिन्न स्तरों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम होना चाहिए।
8. विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रम में सुसम्बन्ध होना चाहिए।
9. पाठ्यक्रम वच्चों को जान तथा क्रिया-कीशल की ओर आकर्षित करने वाला होना चाहिए।
10. पाठ्यक्रम उपलब्ध संसाधन एवं सुविधाओं के अनुसार होना चाहिए।
11. पाठ्यक्रम में विषयगत धारित समय को ध्यान में रखना चाहिए।
12. पाठ्यक्रम पर्यावरण पर आधारित होना चाहिए।
13. पाठ्यक्रम प्रवृत्ति परक एवं न्यूनतम अधिगम क्षमताएं रखने वाला होना चाहिए।
14. पाठ्यक्रम पर्याप्त स्टाफ एवं उसकी योग्यता स्तर को इटिंग रखकर बनाना चाहिए।
15. पाठ्यक्रम प्रोफेशनल परिणामों की सफलता को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए।

यतः पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय हमें उसके आधार तथा उपरोक्त महत्वपूर्ण सिद्धान्त-विशेषताओं को ध्यान में रखना होगा। इसके अतिरिक्त यह बात भी समझनी होगी कि किसी भी एक स्तर के लिए पाठ्यक्रम अथवा पाठ्यचर्चा का निर्माण करते समय इन सब सिद्धान्तों का इस सावधानी के साथ पालन करना चाहिए कि किसी एक का पालन करने में दूसरे सिद्धान्त का विरोध न हो।

पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया के सौपान-

श्री पी. एम. जोसेफ (P. M. Joseph) के अनुसार पाठ्यक्रम संकलन एवं संगठन के प्रमुख चरण क्रमशः निम्न प्रकार है—

1. लक्ष्य एवं उद्देश्यों का निर्धारण करना।
2. गत पाठ्यक्रमों का अध्ययन करना।
3. स्थानीय संसाधनों एवं सुविधाओं पर विचार करना।
4. उद्देश्य परक क्रियाकलापों का चयन करना।
5. चयनित क्रियाकलापों को क्रमबद्ध संयोजित करना।
6. कक्षा स्तर अनुसार उन्हें वर्गीकृत करना।
7. पाठ्यक्रम का प्रारूप तैयार करना।
8. निर्मित पाठ्यक्रम का पुनर्विस्तोकन करना।
9. कुछेक विद्यालयों में पाठ्यक्रम वितरित करना।
10. अनुभव तथा अभ्यास तौर पर 2-3 वर्ष लागू करना।
11. पाठ्यक्रम पर आलोचनात्मक सुभाव प्राप्त करना।
12. प्राप्त सुभावों के तहत उसमें संशोधन करना।
13. पाठ्यक्रम मुद्रित कराकर उसे अन्तिम रूप देना।

पाठ्यक्रम निर्माण के जिन सिद्धान्तों एवं प्रक्रिया का वर्णन किया गया है उन वको ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम निर्मित करना चाहिए तभी उसे दोषभुक्त किया जा सकता है। हमें चाहिए कि पाठ्यक्रम में जीवन से सम्बन्धित सभी विषयों और क्रियाओं को स्थान देवे।

अभ्यासार्थ प्रश्न-

1. पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं? नियोजित शिक्षा के दोनों में इसकी क्या उपयोगिता है?
2. पाठ्यक्रम निर्माण के मुख्य आधार एवं सिद्धान्त कौन-कौन से हैं? सविस्तार वर्णन कीजिए।

14 | शारीरिक शिक्षा में मूल्यांकन और मापन

अध्ययन विन्दु :-

- प्रस्तावना
- मूल्यांकन का अर्थ
- मूल्यांकन, मापन और परीक्षण
- मूल्यांकन की उपयोगिता
- मूल्यांकन की रीतियाँ एवं तकनीकें
- मूल्यांकन परिशुद्धता के आधार एवं विशेषताएँ

प्रस्तावना-

शिक्षा की प्रक्रिया में निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्य, तथा इसके मनुष्य सीखने सिखाने की परिस्थितियाँ एवं अपेक्षित उपलब्धियों की जानकारी मूल्यांकन से ही सम्भव है। मूल्यांकन ही एक ऐसा यन्त्र है जिसके जरिये हम शिक्षा में इन तीनों पदों की सफलता की सीमाओं एवं स्तर का पता लगा सकते हैं।

मूल्यांकन का अर्थ—

शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयत्नों के परिणामों एवं उनके प्रभावों की जानकारी के लिए ध्यनायों जाने वाली प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन से ही शिक्षा के सम्पूर्ण प्रभाव और प्राप्त गुणों का ज्ञान होता है।

शारीरिक शिक्षाविद कार्ल विलिगूज (Karl Willigooch) के मनुसार—“मूल्यांकन मात्र द्वारा की उपलब्धियों को जांचने तक ही सीमित नहीं है यथितु शिक्षण द्वारा उहौं परिणामों के घनुभव (Learning experiences) कराने के लिए प्रत्युत परिदिक्षितों तथा परिणामों की उपलेपन वा जांचने-परेंगे वार महत्वपूर्ण यन्त्र है।” (Evaluations in Health & Phy. Edu. P. 3)

मूल्यांकन का परीक्षण और मापन से सम्बन्ध-

मूल्यांकन के साथ परीक्षण और मापन (Test and Measurement) शब्दों का बहुतायत से प्रयोग होता है। इन्हें एक-दूसरे के समरूप भी स्वीकारा जाता है, लेकिन इनमें अनिष्ट रूप में सम्बन्ध होते हुए भी अन्तर है।

मूल्यांकन द्वारा किसी कार्य में प्राप्त उपलब्धि का समग्र रूप में मूल्य का निर्धारण होता है, प्रथम उसके स्तर एवं कोटि का पता चलता है जबकि परीक्षण एवं मापन उपलब्धि का प्रयोग भिन्न ग्रन्थों में किया जाता है। उदाहरणतया परीक्षण निश्चित सीमा में निश्चित प्रक्रिया द्वारा उपलब्धियों के स्तर को जांचने एवं परखने से सम्बन्धित है तथा मापन से हमें किसी कार्य में कितनी उपलब्धि हृदृश है का पता चलता है। मापन पुण्यता की मात्रा, उसकी गति एवं निरन्तरता एवं स्तर का बोध कराता है। जबकि मूल्यांकन के सहारे शिक्षण-प्रक्रिया की उपयोगिता की सभी दृष्टियों से तथ्य-परक गतारी की जा सकती है, अतः मूल्यांकन का दोनों व्यापक है।

मूल्यांकन की उपयोगिता-

विना मूल्यांकन शिक्षण कार्यक्रमों का नियोजन, निरूपण, आयोजन एवं क्रियान्वयन सह व्यर्थ एवं अर्थ होता है। शिक्षण योजना की सार्थकता-निरर्थकता, संकलित विवादों की उपयोगिता-प्रत्युपयोगिता, तथा शिक्षक प्रबल्लों की सफलता-असफलता के ज्ञान एवं ध्यानात्मक भी मूल्यांकन है। इसके द्वारा छात्रों पर हुए प्रभावों और प्राप्त गुणों का मापन किया जा सकता है। अतः शिक्षा में मूल्यांकन की उपयोगिता का पता उससे प्राप्त होने वाले निम्नांकित सामनों से पता चलता है—

1. इससे शिक्षायों, शिक्षक एवं शिक्षण प्रक्रिया के गुण-दोषों का पता चलता है।
2. शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन एवं परिशोधन करने के उपयोगी दिशा-निर्देश मिलते हैं।
3. शिक्षण कार्यक्रम अधिकाधिक उपलब्धि परक बनाने में सहायता मिलती है।
4. शिक्षण वद्धतियों एवं तकनीकों की उपयोगिता का पता चलता है।
5. विद्योग्नि के ध्यानारों की प्राप्ति होती है।

मूल्यांकन से शारीरिक शिक्षा में होने वाले विशिष्ट सामन निम्न प्रकार हैं—

1. विनाहों की दायताओं का ज्ञान होता है।
2. दायतानुमार उनके बर्जीकरण करने में सहायता मिलती है।
3. विनाहियों के विकास एवं उपलब्धियों के स्तर का ज्ञान होता है।
4. शारीरिक शिक्षण क्रियाओं में भाग लेने के प्रति उनमें त्रिज्ञासा, प्रेरणा आगरवाला एवं नगन का विकास होता है।
5. विनाहियों की स्वर्ण की दायता का ज्ञान होता है।
6. अक्तिक निर्देशन के ध्यानारों की प्राप्ति होती है।
7. विनाहियों द्वारा दायता के विवरण लिखना है।

मूल्यांकन की रीतियाँ एवं तकनीकें—

शारीरिक शिक्षा का विषय क्रियापरक एवं व्यवहार-प्रधान अधिक है जब फि अन्य विषय पुस्तकीय एवं सूचना-प्रधान है। इस दृष्टि से शारीरिक शिक्षक को अपने विषय के प्रति अधिक चेष्टावान रहकर अपने विषय के सन्दर्भ में मूल्यांकन को बड़ी निपुणता के साथ अपनाना चाहिए। इसके लिए उसे मूल्यांकन की निम्नांकित रीतियों एवं विधाओं से परिचित होना आवश्यक है :—

1. अवलोकन (Observation)—

शारीरिक शिक्षा के क्रियाकलाप व्यवहार और कौशल-परक हैं। अतः अवलोकन के माध्यम से बालकों की रूचियों, वृत्तियों एवं क्रियाकलापों की कमियों को देखा जा सकता है।

2. चैक लिस्ट और रेटिंग स्केल (Check list & Rating scale)—

इसके द्वारा खिलाड़ियों की अपेक्षित व्यवहारों एवं क्रियाओं की कमिक वस्तुनिष्ठ सूची के आधार पर उनका अकन किया जाता है।

3. प्रश्नावली (Questionnaire)—

जिस पक्ष का मूल्यांकन करना है उससे सम्बन्धित अपेक्षित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सूची बनाकर मूल्यांकन किया जाता है।

4. साक्षात्कार (Interview)—

शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में साक्षात्कार के द्वारा बालकों के मानसिक शिक्षा संपादन की गुणवता सम्बन्धी पक्ष को मीखिक प्रश्नों के आधार पर जांचा-परखा जा सकता है।

5. अनवरत अभिलेख (Progress-Report)—

अनवरत अभिलेख वालों के क्रमिक विकास सम्बन्धी तथ्यपरक जानकारी देने वाला मूल्यांकन है यह परोक्ष-निरीक्षण के आधार पर लिखित रूप में रखा जाने वाला प्रयत्न का लेखा-जोखा है। इसमें विद्यार्थी की उपलब्धि, कौशल एवं निपुणता तथा व्यवहारणत विकास सम्बन्धी बातों का पाठिक, मासिक एवं सामयिक (Periodical) विवरण अक्षित किया जाता है।

6. मीखिक एवं लिखित जाच-परीक्षा (Oral & written tests)—

यह ज्ञान पक्ष को जाचने-परखने में अधिक लाभप्रद रहता है। शारीरिक शिक्षा के मन्दर्भ में मीखिक एवं लिखित जाच या परीक्षा का प्रयोग शारीरिक शिक्षा के मैट्टान्टिक पक्ष के बारे में जिकारियों की जानकारी के मूल्यांकन की दृष्टि से अधिक वारंगर प्रमाणित हो सकता है।

7. प्रदर्शन जाच (Practical Demonstration)—

शारीरिक शिक्षा में प्रभावी मूल्यांकन की दृष्टि से प्रदर्शन जाच सबसे उपयुक्त एवं नहीं है। इसके माध्यम से बालकों के कौशल गिरण के स्तर का पता चलता है।

३. स्वजांच-प्रदर्शन-प्रवत्तियाँ (Self-testing Activities)-

शारीरिक शिक्षा में इस जाच तकनीक का भी बहुत महत्व है। शिक्षार्थी स्वयं सीखे हुए शारीरिक क्रियाकलापों के कौशल-स्तर को जांच कर लेते हैं। शारीरिक शिक्षा में इस तकनीक का सर्वाधिक प्रयोग चाहिये है। इसके अतिरिक्त अन्य रीतियाँ हैं—

9. सामुहिक ग्रालेस पथ (Cumulative Records)

10. व्यक्तिक-प्रध्ययन (Case study)

11. सर्वेक्षण (Survey)

12. परखें (Tests) आदि।

मूल्यांकन परिशुद्धता की विशेषताएँ—

मूल्यांकन की तकनीक उसकी उपयोगिता के आधार पर काम में ली जाती है किर भी मध्ये एवं सही परिणामों की प्राप्ति के लिए मूल्यांकन के लिए उपयोग में लाई गई तकनीक में निम्नांकित विशेषताओं का होना चाहिये है, और इन्हें मूल्यांकन परिशुद्धता के आधार भी कहते हैं।

1. प्रमाणिकता (Validity)—परीक्षण किसी विशिष्ट गुण की मापने में सत्य प्रमाणित होना चाहिए।

2. विश्वसनीयता(Reliability)—परीक्षण बार-बार प्रयोग करने पर भी खरा हो।

3. वास्तविकता (Practicability)—वातावरण अनुकूल उपयोग करने योग्य हो।

4. वस्तुनिष्ठता (Objectivity)—परीक्षण के प्रयोग से सीधे एवं स्पष्ट उत्तर प्राप्त हों।

5. व्यापकता (Comprehensiveness)—परीक्षण में समस्त योग्यताओं के जाचने की क्षमता एवं व्यापकता होनी चाहिए।

6. सुनिश्चितता(Definite procedure)—परीक्षण की एक सुनिश्चित प्रक्रिया होनी चाहिए।

7. रोचकता (Interesting)—उसमें बालकों में रुचि लाने की क्षमता होनी चाहिए।

8. मित्तव्ययता(Economical)—परीक्षण आयोजन की दृष्टि से कम खर्चित होना चाहिए।

9. सरलता (Easy to organise)—परीक्षण संचालन की दृष्टि सरल, समझ में आने योग्य तथा कम समय में आयोज्य होना चाहिये।

10. नैदानिक (Diagnostic)—परीक्षण दोष ढूँढने में तीव्र होना चाहिए।

शारीरिक शिक्षा में प्रचलित परीक्षण—

1. स्वास्थ्य परीक्षण (Medical Test)

2. शारीरिक क्षमता परीक्षण (Physical Fitness Test)

3. कोड़ा-कौशल परीक्षण (Games skills Test)

4. वर्गीकरण परीक्षण (Classification Test)

5. ज्ञान परीक्षण (Knowledge Test)

इसके भौतिक शिक्षायियों के विभिन्न प्रकार की योग्यताओं के मापन एवं परीक्षण के लिए निम्नांकित परीक्षणों का आयोजन किया जाता है—

1. बुद्धि परीक्षण (Intelligence Test)
2. अभिरूचि परीक्षण (Aptitude Test)
3. मनोवैज्ञानिक परीक्षण (Psychological Test)
4. उपलब्धि परीक्षण (Achievement Test)
5. शक्ति परीक्षण (Power Test)
6. गति परीक्षण (Speed Test)
7. दम परीक्षण (Endurance Test)
8. स्फूर्ति परीक्षण (Agility Test)
9. बल परीक्षण (Strength Test)
10. शरीर-सतुलन परीक्षण (Body Balance Test)

शारीरिक शिक्षा के दोष में कायंरत विद्वानों एवं संस्थाओं ने अनेकों परीक्षण के तरोंके की जात किए हैं जो उन्हों के नाम से प्रसिद्ध हैं जैसे—

- (a) APPHER Speed & Fitness Test
- (b) Rozer's Power Test
- (c) Bucher Self Testing Scale
- (d) Henry & Scot Intelligence Test
- (e) Cozon & Mcloy skills Achievement Test
- (f) N.P F.P. Fitness Test
- (g) Defence Physical Fitness Test
- (h) Mcloy Classification Test

अध्यासार्थ प्रश्न—

1. शारीरिक-शिक्षा में मृत्युंकन एवं मापन से ग्राप क्या समझते हैं। इसकी उपयोगिताओं पर प्रकाश डालें।
2. अच्छे परीक्षण में कौन-कौनसी विशेषताएं होनी चाहिए ? बिन्दुवार उल्लेख करें।
3. शारीरिक शिक्षा के दोष में उपयोगी परीक्षणों का वर्णन करें।

15 | विद्यालयीन स्वास्थ्य - शिक्षा संगठन

रध्ययन बिन्दुः—

- प्रस्तावना—
- स्वास्थ्य शिक्षा से अभिप्राय
- स्वास्थ्य शिक्षा का लक्ष्य एवं उद्देश्य
- स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम
- स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व
- स्वास्थ्य शिक्षा के विकास में शारीरिक शिक्षक का कार्य

प्रस्तावना—

स्वस्थ व्यक्ति किसी राष्ट्र की सम्पत्ति होते हैं। स्वस्थ नर, नारी एवं बालक ही राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता रखते हैं। बालक राष्ट्र को नीद है। राष्ट्र के विकास में उनका स्वस्थ, बलवान और चरित्रवान होना आवश्यक है। बालक के स्वास्थ्य का उत्तरदायित्व प्रमुखतया उसके घर और कुटुम्ब पर होता है, परन्तु बालक विद्यालय में प्रतिदिन कम से कम 5 घण्टे रहकर अपने भावी जीवन के लिए शिक्षा प्राप्त करता है अतः विद्यालय का भी यह प्रमुख दायित्व बनता है कि बालकों में स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा और उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान करे। इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा के दो त्रै में विद्यालयीन स्वास्थ्य शिक्षा का प्रारम्भ हुआ।

स्वास्थ्य शिक्षा से अभिप्राय—

स्वास्थ्य शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है, स्वास्थ्य और शिक्षा। प्रथम स्वास्थ्य क्या है? इस पर हम विचार करेंगे और फिर शिक्षा के अभिप्राय के बारे में जानकारी करेंगे तब ही स्वास्थ्य शिक्षा का भर्यं स्पष्ट होना सार्वक सिद्ध होगा।

(क) स्वास्थ्य (Health)-

सामान्यतया स्वास्थ्य का अर्थ केवल शारीरिक आरोग्यता से लिया जाता है परन्तु यह एक पक्षीय अर्थ है, नवीनतम दृष्टिकोण से व्यक्ति केवल शारीरिक दृष्टि ही नहीं, अपितु सामाजिक एवं मानसिक दृष्टि से भी स्वास्थ्य होना चाहिए, तभी उसे स्वास्थ्य बाला व्यक्ति कहा जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संघ (W.H.O.) के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा इस प्रकार है—Health is a state of complete physical, mental and social well being and not merely the absence of disease or infirmity अर्थात् शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से पूर्णतया सुखी होना स्वास्थ्य है, केवल रोग या विकृति से भ्रुक्त रहना स्वास्थ्य नहीं है।

शारीरिक शिक्षा विद श्री जे. एफ. विलियम (J. F. William) के शब्दों में Health is that quality of life which enables the individual to live more and serve best. अर्थात् स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है, जिससे व्यक्ति प्रत्यन्त उत्तम से जीवन-यापन करता है तथा थेट्स सेवा करता है।

(ख) शिक्षा (Education)

अब शिक्षण शब्द पर धोड़ा विचार करना है। शिक्षण शब्द का अर्थ है—सीधा या संस्कारित होना। इसे स्पष्ट करने पर हम कह सकते हैं कि शिक्षण का तात्पर्य अनुभव से सीखना या संस्कारित होना या स्वयं में कुछ संपरिवर्तन (Modification), आता है अर्थात् अनुभवों से सीखने को ही शिक्षण कहा जाता है। जन्म से मृत्यु तक सीखना लगा रहता है। डमविल (Dumvill) के अनुसार—Education in its widest sense includes all the influences which act upon an individual during his passage from cradle to the grave.

शिक्षण प्रक्रिया के विषय में प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री डीवी (DEWEY) के विचार में—Education is a process of living through continuous reconstruction and reorganisation of experiences. अर्थात् जीवन प्रक्रिया में अनुभवों की रचना एवं पुनर्रचना ही शिक्षा है।

(ग) स्वास्थ्य शिक्षा (Health Education)—

स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्वरूप जानने के पश्चात् अब स्वास्थ्य शिक्षा के अर्थ सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। अर्थात् स्वास्थ्य-शिक्षा का तात्पर्य स्वास्थ्य से संबंधित उन विविध प्रकार के अनुभवों के गुजरने की प्रक्रिया में से है जिनके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में स्वास्थ्य प्राप्ति सम्भव्यी संपरिवर्तन आं जायें। वस्तुतः स्वास्थ्य शिक्षण के तीन उद्देश्य हैं स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान की वृद्धि, आदतों का निर्माण तथा वृत्तियों में परिवर्तन। इन्द्रभं में थी डा. थामस वूड (Dr. Thomas Wood) के अनुसार—Health Education

the sum of experiences which favourably influence habits, attitudes, and knowledge relating to individual, community and social health. अर्थात् स्वास्थ्य शिक्षा उन सब ग्रनुभवों का योग है जो हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक तथा सामुदायिक स्वास्थ्य से सम्बन्धित भादतो, वृत्तियों सथा ज्ञान पर लाभदायक प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा एक ऐसी पद्धति है जो वैयक्तिक तथा सामुदायिक स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान, प्रवृत्तियाँ, एवं आचरण को सफल बनाने के लिए नए-नए ग्रनुभव प्रदान करती है। यहाँ यह भी कहना तर्क संगत होगा कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रच्छी शिक्षा और अच्छी शिक्षा के लिए अच्छा स्वास्थ्य होना मुख्य जीवन की ग्रनिवार्य रातं है।

जूँकि बालक राष्ट्र की नीव हैं वे भावी राष्ट्र निर्माता हैं। इसलिए राष्ट्र को भी उनके स्वास्थ्य एवं इस विषय के शिक्षण के प्रति जागरूक होना चाहिए; उन्हें अच्छे से अच्छे बातावरण में रखकर उन पर इस प्रकार के संस्कार कराने का प्रयास होना चाहिए, जिनके कारण उनका वर्तमान तथा भविष्य का जीवन उज्ज्वल तथा सुखमय हो। वे दीर्घायु रहकर राष्ट्र की सेवा कर सकें। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर छात्र की स्वास्थ्य शिक्षा का भार विद्यालय को स्वयं उठाना चाहिये। जूँकि स्वास्थ्य शिक्षा का शारीरिक शिक्षा से बहुत निकट का सम्बन्ध है, इसी लिए राष्ट्रीय शिक्षा कमीशन एवं समितियों तथा एन. सी. ई. आर. टी. की अनुशंसानुसार विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा का दायित्व शारीरिक शिक्षा के प्रध्यापक को सीप रखा है।

स्वास्थ्य शिक्षा का लक्ष्य एवं उद्देश्य-

(क) लक्ष्य (Aim)—

शिक्षा के तीन पक्ष होते हैं :- 1. ज्ञान (Knowledge), 2. आचरण (Behaviour or Skill) तथा 3. अभिवृति (Attitude or Habit)। स्वास्थ्य शिक्षा का लक्ष्य बालकों को अच्छे स्वास्थ्य प्रद बातावरण देकर उनमें अच्छे आचारण एवं भादतों का बोजारोपण करना है। डा. डेल्बर्ट ओबर्टेफर (Dr. Delbert Oberteuffer) के अनुसार—“विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है कि व्यक्ति अपने स्वास्थ्य से सम्बन्धित सभी स्थितियों में अनुकूल आचारण करे।” इस प्रकार स्वास्थ्य शिक्षा का ध्येय बालकों को केवल ज्ञान देने तक ही समिति नहीं है अपितु अभ्यास और अभिवृत्तियाँ परिवर्तित करने की अनुकूल प्रभावशाली परिस्थितियाँ देना भी है।

(ख) उद्देश्य (Objectives)—

श्री सो. ई. टनंर ने अपनी स्वास्थ्य विषय सम्बन्धी पुस्तक जिसका नाम Unesco Source Book है, में लिखा है कि छात्र का विकास अंधिकातर स्वास्थ्य शिक्षा पर निर्भर करता है। भ्रतः विद्यालयी स्वास्थ्य शिक्षा में निम्नाकिंत उद्देश्यों का पालन करना चाहिए :-

- (1) विद्यालय में स्वास्थ्य पूर्ण बातावरण बनाये रखना।

- (2) वातकों में ऐसी स्वाभाविक आदतों का विकास करना जो स्वास्थ्यप्रद है।
- (3) संकामक रोगों से बचाने के उपाय करना।
- (4) विद्यालय, घर और समाज में उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए पारस्पारिक सहयोग विकसित करना।
- (5) शारीरिक रोगों को जांच करना व सुधारने योग्य द्वात्रों को सुधारने का प्रयत्न करना।
- (6) द्वात्रों में स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान एवं अभिवृत्ति का विकास करना ताकि व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए लिए बुद्धिमतापूर्वक तिर्णय ले सकें।
- (7) सभी द्वात्रों का स्वास्थ्य निरोक्षण करना तथा उन्हें निर्देशन देना।

स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम-

अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि स्वास्थ्य शिक्षा के उपरोक्त लक्ष्य एवं उद्देश्यों के परिवेष्य में अथवा उनकी प्राप्ति के लिए विद्यालय में नियमित रूप से योजनाबद्द उच्च कार्यक्रम किये जावें। जिनका नियोजन एवं आयोजन इस प्रकार से हो कि जिससे वातकों के ज्ञान, कौशल (आचरण) एवं इष्टिकोण (अभिवृत्ति) में बांधित परिवर्तन लाकर उपरोक्त उल्लेखित स्वास्थ्य शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

इस प्रकार विद्यालयीय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के तीन प्रमुख आधार हैं—

- (क) स्वास्थ्य शिक्षण (Health Instruction)
- (ख) स्वास्थ्यप्रद वातावरण (Health Environment)
- (ग) स्वास्थ्य सेवाएँ (Health Services)

1. स्वास्थ्य शिक्षण-

(Health Instruction)

स्वास्थ्य शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों को 'ज्ञानाभृत पिलाना' ही नहीं बल्कि इसके साथ-साथ उन्हें इस ज्ञान का व्यवहार की इष्टि से जीवन में क्षमा उपयोग है और उन्हें किस प्रकार आचरण में लाया जा सकता है इस ज्ञान का मार्गदर्शन भी करता है। केवल पुस्तकीय-कीट बनाकर उनकी परीक्षा तक उन्हें सीमित कर देना गलत होगा। परन्तु स्वास्थ्य शिक्षण कार्यक्रम में स्वास्थ्य विषय से सम्बन्धित निम्नांकित तथ्यों को बताना, पढ़ाना एवं उनका ज्ञान प्रदान करना चाहिए :—

क— शरीर रचना तथा शरीर-किया विज्ञान

ख— व्यक्तिक व्यक्ति एवं स्वच्छता

ग— व्यायाम एवं खेल-कूद का महत्व

घ— संतुलित पोषण और आहार विज्ञान

इ— रोग परिचय एवं उपचार

ঝ— शरीर-मन सम्बन्ध एवं मन: स्वास्थ्य

छ- उचित विद्यालय एवं मनोरंजन

ज- दुर्घटनाएँ एवं प्रथमोपचार

झ- सुरक्षा ज्ञान

य- यीन शिक्षा

स्वास्थ्यप्रद वातावरण अथवा पर्यंवेक्षण-

(Health Environment or Supervision)

विद्यालय का वातावरण भी स्वस्थ होना आवश्यक है। जैसा वातावरण होगा उसी कार की द्वाप बालक के जीवन पर पड़ेगी। इसलिए विद्यालय का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपने छात्रों को स्वास्थ्य शिक्षा के लिये विद्यालय में उत्तम पर्यंवेक्षण एवं निरोक्षण करारा स्वास्थ्यप्रद वातावरण बनाये रखे। विद्यालय का शैक्षिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं भौतिक वातावरण बालक के स्वास्थ्य विकास के अनुदूल होना चाहिए। विद्यालयी वातावरण को तीन प्रकार से विभाजित किया जा सकता है:-

(क) विद्यालय-प्रतिष्ठान—

इसमें विद्यालय भवन एवं उसका आस-पड़ीस का वातावरण आता है। अतः विद्यालय भवन में सामान्य शिक्षण कक्ष, एवं दूसरे विशिष्ट कक्ष जिसमें जलपान कक्ष, याऊँ, मनोरंजन कक्ष, स्वास्थ्य कक्ष, रूग्ण कक्ष आदि में स्वच्छता, संवातन एवं प्रकाश की दृष्टि से उचित व्यवस्थाएँ होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त विद्यालय के आसपास का वातावरण भी स्वास्थ्यप्रद होना चाहिए। विद्यालय से संलग्न क्रीड़ा क्षेत्र, व्यायाम स्थल, नारणताल, जलपान, छात्रावास, शौच एवं मूत्र स्थान तथा उद्यान आदि स्थलों की साफ-मुक्ती एवं स्वास्थ्यप्रद व्यवस्थायें होनी चाहिए।

(ख) प्रशासनिक वातावरण—

विद्यालय में समय-तालिका का निर्माण थकान एवं मनोरंजन को दृष्टिगत रखकर होना चाहिए। इसके लिए विषय अध्ययन भार की दबाव पूर्ण स्थितियों को भी सुधारने की जरूरत है।

(ग) अध्यापकों का व्यवहार एवं कार्य

बालकों के साथ अध्यापकों के ताड़नापूर्ण तथा आक्रोशपूर्ण रवैये से भी विद्यालय का वातावरण मानसिक दृष्टि से तनावपूर्ण बनता है जिसका प्रभाव उनके सम्पूर्ण स्वास्थ्य पर पड़ता है। अतः अध्यापकों का महयोगी एवं स्नेहपूर्ण व्यवहार, दैनिक निरोक्षण एवं पर्यंवेक्षण, उनकी स्वयं की अच्छी आदतों एवं व्यवहारों के प्रभाव से भी, विद्यालयी वातावरण को स्वस्थ बनाये रखने में सहयोगी है।

3. स्वास्थ्य सेवाएँ—

(Health Services)

विद्यालयीन स्वास्थ्य कार्यक्रम को तीसरा महत्वपूर्ण अंग स्वास्थ्य सेवाएँ हैं। स्वास्थ्य सेवा से तात्पर्य स्वास्थ्य विषयक प्रावश्यक व्यवस्थाएँ करना प्रयत्न सुविधाएँ

जुटाना है। स्वास्थ्य के विकास के लिए जिन व्यवस्था धर्मवा प्रदनद्वयों को जुटाया जाता उन्हे स्वास्थ्य सेवाएँ कहते हैं। स्वास्थ्य सेवामी के अन्तर्गत जितने भी कार्य रखे जाने वे सेवा भाव से किये जाते हैं, भलः विद्यालयी स्वास्थ्य मेवामों में निष्ठाकृत प्रबन्ध प्रचलन कराये जाते हैं :—

- (क) वैद्यकीय परीक्षण (Medical test) उपाय उसका धनुसरण
- (ख) टीके लगाने की व्यवस्था
- (ग) प्रथमोपचार व्यवस्था
- (घ) मध्याह्न जलपान व्यवस्था
- (च) इच्छ-रक्षण व्यवस्था
- (छ) शारीरिक दोष निवारक व्यवस्था
- (ज) मार्गदर्शन व्यवस्था

स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व—

विश्व का सबसे बड़ा मुख्य मानव की स्वस्थ देह में निवास करता है। एक ग्रन्ती लोकोक्ति के पनुसार—He who has health has hope and who has hope has all. अर्थात् जहाँ सांस (स्वास्थ्य) वहाँ आस भीर जहाँ भास वहाँ मब कुछ है। स्वास्थ्य शिक्षा के महत्व पर और देते हुए स्वामी विवेकानन्द ने एक स्थान पर यह लिखा है—
व्यक्ति चाहे मन से निर्बल हो या शरीर से वह कभी भी आत्मा के दर्शन नहीं कर सकता।
क्योंकि ऐसे व्यक्ति में शक्ति, श्रोज, आत्म सम्मान और सहन शीलता शादि गुणों का अभाव रहता है।

स्वास्थ्य की महत्ता के विषय में एक प्राचीन कविता इस प्रकार है—

The greatest blessings on the earth is health;

The wisest proverb says, health is wealth.

A rich who is ill, is poor with all his wealth;

A poor Cooley is rich, if he is in good health.

राष्ट्रमहत्ता की इच्छा से देखा जाय तो स्वास्थ्य एक भूलभूत धारणकर्ता है। स्वस्थ व्यक्ति अपना स्वयं का जीवन सार्वक बनाने में तो सफल हो ही जाता है परन्तु साथ ही वह अपने राष्ट्र के लिये भी एक स्वस्थ एवं उपयोगी नायरिक सिद्ध होता है। इस सम्बन्ध में कुछेक कहावते भी इस प्रकार सोक्षिय हैं :—

- (a) Fit people fit Nation.
- (b) Build healthier, live longer.
- (c) Life is a flower in which health is honey.

स्वास्थ्य शिक्षा के विकास में शारीरिक शिक्षक का कार्य—

1. धावी के जीवन से सम्बन्धित सम्पूर्ण वातातरण का सर्वेक्षण करना।
2. संकामक रोगों की रोकपात्र के उपाय करना।

3. द्यात्रों में स्वच्छ रहने की आदतें डालना ।
4. द्यात्रों के स्थान्ध्य का निरीक्षण करवाना ।
5. सामुदायिक स्वास्थ्य एवं मनोरंजन सम्बन्धी कार्य कराना ।
6. मध्य-दिवसीय भोजन का प्रयोग कराना ।
7. कथा-कथ, जलगृह, भोजन कथा, प्रसाधन एवं दोल-प्रांगणों की स्वच्छता पर ध्यान रखना ।
8. द्यात्रों में उत्पन्न आसन (Posture) के दोषों को दूर करना ।
9. द्यात्रों के समक्ष सुन्दर एवं स्वस्थ आदर्श प्रस्तुत करना ।

भ्यासार्थ प्रश्न-

1. Define Health Education, What are the aims and objectives of imparting health education in school.
2. "A healthy mind lives in a healthy body." Discuss.
3. Describe the role of P. E. T. in the School Health Education programme.
4. स्वास्थ्य शिक्षा के लिए शारीरिक शिक्षा शिक्षक के योगदानों का उल्लेख कीजिए ।
5. विद्यालयीन स्वास्थ्य शिक्षण वया है । विद्यालय में इसके कार्यक्रम नियोजन पर प्रकाश डालिये ।



16 | शिविर, पिकनिक, हाइक और पर्यटन

अध्ययन विन्दु :-

- प्रस्तावना
 - शिविर का अर्थ, महत्व एवं प्रकार
 - शिविर नियोजन के मार्गदर्शक सिद्धान्त
 - शिविर-संगठन संरचना एवं उसके निदेशक तत्व
 - शिविर समय-सारिणी एवं क्रियाकलाप
 - पिकनिक, हाइक एवं भ्रमण
 - शैक्षिक पर्यटन एवं फिल्ड-ट्रिप्स
-

प्रस्तावना-

मानव जीवन सदैव प्रकृति की गोद में खेलता और पलता रहा है। इसी पालन-पोषण एवं जीवन-शापन की तभी प्रक्रिया के दौरान मानव ने प्रकृति के स्वामाव को जानने का अभ्यास किया है। प्रकृति में विचरण करते हुए उसने नये-नये ग्रनुभव प्राप्त किये हैं और वपीती में अपनी आने वाली पीढ़ी को सौप दिये हैं। कभी उसने प्रकृति के सामने अपनी हार स्वीकार की है तो कभी उसने जीत की ऊँचाईयों को प्राप्त किया है। जीने के लिये संघर्ष की इसी प्रक्रिया के इतिहास ने मानव संस्कृति और सम्यता के विकास की नई दिशायें दी है। यह विकास उसके संघर्षपूर्ण पुरुषार्थ का फल है, जिसके कारण आयु-तिकतम वैज्ञानिक शाविष्टारी, ग्रनुशक्ति के शोधपूर्ण कार्यों एवं तकनीकी विकास द्वारा जल, धन और नभ पर काफी कुछ कानून पा लिया है तथा आगे भी व्यापास जारी हैं। आज हम देखते हैं कि उद्योग और कृषि के क्षेत्र में स्वचलित यन्त्रों, मशीनों और कम्प्युटर के उपयोग से उत्पादन में बृद्धि होई है। दूरसंचार और आवागमन के क्षेत्र में समय और हीरी पर विजय प्राप्त होई है। आयु-विज्ञान और आवास के क्षेत्र में वैज्ञानिक और यांत्रिक उपयोग होने से जीवन-शापन के भौतिक मुद्दों को प्राप्त किया है।

इस प्रकार मानव के संघर्ष और स्पर्धायुक्त जीवन ने जहां एक और भौतिक सुखों के उपभोग का आनन्द लिया है वहां दूसरी और जीवन सुरक्षा का भय, जलवायु प्रदूषण, और-शराबे व कोलाहल की बेचैनी, अशान्तिपूर्ण व्यस्थ जीवन, शारीरिक और मानसिक दुर्बलता, आत्म निवृत्तता तथा मानवीय स्नेह और प्यार मोहब्बत के भाई-चारों के सुखों की समाप्ति जैसे दोष उत्पन्न हो गये हैं। सत्य वात यह है कि अति भौतिक सुखों में लिप्त मानव को सच्चा आनन्द और शान्ति कहां, उसे तो अपने चारों ओर रात-दिन बेचैनी ही दिखाई देती है जिसकी चिन्ता में वह दिन-प्रतिदिन घकता जा रहा है।

ऐसी स्थिति से मानव-मन रोजमर्रा के भौतिक जीवन में संघर्ष और स्पर्धायुक्त जिन्दगी से उत्पन्न थकान व उबन जैसी परेशानी के उपचार के लिये शहर और नगर के भौतिक वातावरण से दूर ऐसे प्राकृतिक वातावरण में जाना चाहता है जहां प्रकृति अपना सम्पूर्ण सौन्दर्य बत्तेर हुए हो। जहां हरे-बूँझों पर पक्षी मुक्त अवस्था में चह-चहा रहे हो। जहां सूर्य, चन्द्र और तारे अपना प्रकाश दे रहे हों। सम्भवतया मनुष्य जीवन के इसी आनन्द की लालसा ने शिविर, सैर-सपाटे और भ्रमण आदि जैसे कार्यक्रमों को जन्म दिया जिससे वह प्रकृति की गोद में कुछ दिन रहकर शारीरिक स्वस्थता, मन-प्रफुल्लता और आत्म-शान्ति के परम सुखों का उपभोग करके जीवन में पुनः कार्यशक्ति अर्जित करने का लाभ प्राप्त कर सके।

शिविर का अर्थ, महत्व एवं प्रकार-

अर्थ (Meaning)-

शिविर प्रकृति की गोद में जीने की वह कला है जिसमें सामुदायिक जीवन द्वारा स्वावलम्बन, स्वतन्त्रता, चरित्र-निर्माण और ध्यवहारिक ज्ञान प्राप्ति के समूचे अवसर मिलते हो। शिविर के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिये निम्नप्रकार से परिभाषित किया जा सकता है :-

- (1) शिविर शहर के कृत्रिम जीवन से जंगल के प्राकृतिक वातावरण की ओर अवकाश के समय में जाने का एक ऐसा प्रयास है, जिसमें भाग लेने से जीवन को एक उत्ताह, ताजगी, शक्ति और स्वास्थ्य आनन्द की प्राप्ति होती है।
- (2) शिविर से अभिप्राय प्रकृति की गोद में नये अनुभवों के अर्जन से प्रकृति के रवानाय का अहसास करना है।
- (3) "शिविर उनमुक्त वातावरण में आत्म-आनन्द की अनुभूति है।"
- (4) "Camping is an outing programme which leads a man near to nature."
- (5) Camping is a company of others in the natural environment people get great educational and social values.

महत्व (Importance)-

शिविर से जीवन में एक नया उल्हास और उत्साह का परिवर्तन आता है। ध्यक्ति को तनावपूर्ण जीवन से कुछ मुक्ति एवं राहत मिलती है। वह शोजमर्रा के कार्य के अतिरिक्त अवकाश का समय निकाल कर मनोरंजन प्राप्त करता है। उसमें कार्य करने की शक्ति आती है उसे अपने प्राकृतिक एवं भूगोलिक बातोंवरण का ज्ञान प्राप्त होता है। सारांश में शिविर से हमें निम्नांकित लाभ प्राप्त होते हैं :-

1. प्राकृतिक जीवन का बोध ।
2. स्वावलम्बी जीवन का अनुभव ।
3. साहस और आत्म विश्वास में वृद्धि ।
4. सामुदायिक जीवन-यापन की योग्यता का विकास ।
5. कार्य के अनिवार्यता विश्वान्ति काल भ्रष्टवा अवकाश अवधि का सुधारणा ।
6. स्वतन्त्रता और उन्मुखता जीवन का आनन्द ।
7. नेतृत्व और चरित्र विकास का प्रायोगिक शिक्षण ।
8. शरीर श्रम का महत्व और प्रतिष्ठा ।
9. प्राकृतिक साधनों से भूगोलिक ज्ञान का प्रायोगिक शिक्षण ।
10. नवीनता और मनोरंजन की अनुभूति ।
11. सौन्दर्यानुभूति और जीने की कला का ज्ञान ।

शिविर के प्रकार-

(Types of the camps)

भ्रष्टवा के आधार पर - एक दिवसीय, सप्ताहान्त्र द्विवसीय शिविर,

एक सप्ताह भ्रष्टवा एक माह सम्मी भ्रष्टवा के शिविर ।

आवासीय आधार पर - स्थायी शिविर और सफरी शिविर

पार्य-क्षेत्र के आधार पर - एन.सी.सी., स्कार्डिंग, बेल-कीड़ा प्रशिक्षण शिविर, एन.सी.सी.

युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर, योग प्रशिक्षण शिविर, प्रीड़ि शिक्षा प्रशिक्षण शिविर ।

भ्रायु, तिग, घर्ग एवं रुचि के आधार पर - यात्रा, युवा, महिला एवं प्रोड पादि शिविर ।

शिविर नियोजन के मार्गदर्शक सिद्धान्त-

(Basic Principles for organising the Camps)

(क) शिविर स्थान

(ख) शिविर मुख्या एवं स्वाम्य

(ग) शिविर धर्षण एवं समय

(घ) शिविर उपकरण एवं धन्य मंसाधन-मुक्तियाँ

(इ) शिविर वार्यक्रम एवं दिनचर्या

१ शिविर प्रबन्ध एवं प्रशासन ।

शिविर की परियोजना के सफल संचालन के लिये उसके पूर्व नियोजन के विन्दुओं पर विचार करना जरूरी है, क्योंकि शिविर नियोजन के कुछेक ऐसे निर्देशक सिद्धान्त हैं जिसके प्रत्येक पहलू पर गहन चिन्तन पश्चात् उनकी समुचित व्यवस्था करना शिविर संचालक का दायित्व है। जिससे शिविर के सफल आयोजन में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। शिविर नियोजन के ये आवश्यक घटक एवं मार्गदर्शक तत्व निम्न प्रकार हैं :—

(क) शिविर के लिये उपयुक्त स्थान—

(Comp Venue & site)

सबसे प्रथम शिविर की सफलता का आधार उपयुक्त स्थान का चयन करता है। शिविर के लिये स्थान ऐसा होना चाहिये जहां पर आवास की व्यवस्था के लिए समुचित साधन उपलब्ध हों। आवागमन के पूर्ण साधन उपलब्ध हों। शिविर का स्थल शहरी बस्ती से कुछ दूरी पर ऐसे स्थान पर हो जहां पर किसी प्रकार का खतरा न हो।

(ख) शिविर की अवधि एवं समय—

(Duration & Time)

शिविर आयोजन के लिए स्थान-क्षेत्र की जलवायु एवं मौसम को ध्यान में रखकर शिविर समय का निर्धारण करना चाहिये। सामान्यता हमारे देश में शिविर आयोजित करने के लिए उपयुक्त समय इस प्रकार हैं।

(1) शरद ऋतु में—नवम्बर का प्रथम सप्ताह

(2) बसंत ऋतु में—फरवरी माह

शिविर की अवधि का निर्णय शिविर के प्रकार और उसके कार्यक्रम पर भी निर्भर करता है, फिर भी शिविर की अवधि कम में कम सात दिन और अधिकतम 21 दिन की होनी चाहिये।

(ग) शिविर स्वास्थ्य और सुरक्षा—

(Health & Safety)

शिविर आयोजन पूर्व शिविराधियों को संख्या को दृष्टिगत रखते हुए उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिये प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, सम्पर्कीय रोग नियारण, पेय जल स्वच्छता, विधनकारी कोट, मच्छर एवं जंगली जानवारों से बचाव तथा असमाजिक तात्कालिकों पर निगरानी और उनसे सुरक्षा के समस्त उपाय कर लेने चाहिये।

(घ) शिविर उपकरण एवं अन्य संसाधन सुविधायों—

(Appratus & Facilities)

शिविर नियोजन में शिविर आयोजन सम्बन्धी उपकरण गुविधायों एवं अन्य संसाधनों पर पूर्ण विचार करना जरूरी है जैसे :—

(1) शिविर का आवासीय क्षेत्र और उससे सम्बन्धित उपकरण एवं संसाधन

जैसे—कृष्ण, कमरे, दरियां, भवन, स्नान गृह, मंडाग, जल, बिजुत् ५५

आदि।

- (2) शिविर की भोजन व्यवस्था हेतु खाद्य सामग्री का प्रबन्ध, रसीई पर, भैंडार गृह, पाकविद्या पटुता, शाकाहारिता एवं भोजन बनाने के बत्तें व इनमें आदि की सुविधाएँ।
- (3) शिविर रोशनी हेतु पेट्रोमेक्स आदि की व्यवस्था।
- (4) शिविर आवागमन व्यवस्था।
- (5) शिविर अनुशासन व्यवस्था।
- (6) शिविर कार्य विवरण व्यवस्था।
- (7) शिविर प्रशासकीय कार्यालय व अधिकारी निवास व्यवस्था।
- (8) शिविर शिक्षण हेतु कक्ष-कक्ष व्यवस्था।
- (9) स्थानीय प्रशासन एवं समाज स्वीकृति आदि।

इ- शिविर कार्यक्रम एवं दिनचर्या—

(Camp Programme & Daily time table)—

शिविर का आपोजन उद्देश्यनिष्ठ होना चाहिये। निरउद्देश्यपूर्ण किया गया तो असफल होने से अलोचना का विषय बन जाता है। शिविर को सोहेश्यपूर्ण बनाने के लिए शिविर दिनचर्या के कार्यक्रम को मुख्य रूप से तिनांकित तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है :-

- (1) कार्य अध्ययन, स्वयं सेवा और उद्योग
(Work studies, Self Services & Craft)
- (2) विश्राम (Rest)
- (3) मनोरंजन, भगीत और भ्रमण
(Recreation, Music & Trekking etc.)

शिविर का कार्यक्रम निविराधियों को आयु, लिंग, अभियंचि, योग्यता, अमता और कौशल को ध्वनित रखते हुए बनाना चाहिये। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम को सफलता के लिये यह आवश्यक है कि वह अम-विभाजन, सक्रीय-संभागित्व, मानव-कल्याणवारी, जवनोपयोगी और नमनीयता के सिद्धान्तों पर आधारित होना चाहिये। इस दृष्टिये आदेश वार्यक्रम सफलता को प्राप्त करने में मद्दत मिल होता है।

(न) शिविर प्रशासन और प्रशासन (Organisation & Administration)

शिविर के महत्व मनोरंजन के निम्न शिविर को विविध व्यवस्थाओं, कार्य एवं दायित्व के अनुगार निविर में भाग लेने वाले निविराधियों की पृष्ठफ-पृष्ठक मिलिया मिलित पर देनी चाहिये और प्रश्नेश समिति को कार्य प्रणाली के गुम्बंधालन, देखरेख एवं मानसिकते से विवेदन करने की व्यवस्था दी जानी है। निविर प्रशोर्वत मार्गांशी मिलियों निम्न प्रारंभ में घनाई जाती है :-


- (1) प्रश्न और व्यवस्था मिलित
- (2) राजेश्वर मिलित

- (3) भोजन समिति
- (4) मनोरंजन और केम्पफायर समिति
- (5) स्वास्थ्य पौर सुरक्षा समिति
- (6) साहित्य समिति
- (7) अनुशासन समिति

शिविर संगठन संरचना एवं उसके निदेशक तत्व-

संगठन एवं प्रशासन की इटिंग से शिविर कार्यकारिणी एवं संगठन-मण्डल का गठन किया जाता है जिनके अधिनस्थ शिविर संचालक, सहायक शिविर संचालक, पृथक-पृथक व्यवस्था समितियों के संचालक परामर्शद, छात्र समूह के प्रूप लीडरसं, प्लाटन लीडर व प्लाटन बने होते हैं इस प्रकार के संगठनात्मक प्रशासनिक ढाँचे में नीचे का अधिकारी घपने उपर वाले अधिकारी के प्रति पूर्ण उत्तरदायी रहता है ।

- शिविर संगठन संरचना का स्वरूप -



शिविर संगठन संरचना के निर्देशक तत्व-

1. शिविर संगठन सरल, संदान्तिक और प्रशासकीय होना चाहिये ।
2. शिविरार्थियों के समूह सुविधाजनक और समान संख्या में बनाने चाहिये तथा प्रत्येक समूह इकाई का एक परामर्पक अध्यापक होना चाहिये ।
3. शिविर संगठन आवश्यकता एवं परिस्थिति अनुसार लचीला होना चाहिये ।
4. जिम्मेदारियों का विभाजन नेतृत्व योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिये ।
5. समस्त के लिए सक्रीय सहभागी होने के अवसर प्राप्त होने चाहिये ।
6. शिविरार्थियों के व्यक्तिगत कल्याण की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये ।
7. शिविरार्थियों को शिविर कियाओं के आयोजन, व्यवस्थायें और निर्माण में सहयोग देते होने चाहिये ।
8. शिविरार्थियों को संगठन के तन्त्र, समस्याओं, पद्धतियों और उद्देश्यों की प्रवणता होनी चाहिये ।
9. शिविर संगठन से जीवनोपयोगी कोशल्य एवं गुणों का विकास होना चाहिये ।
10. बन्धुत्व, समूह मानना, सहयोग के गुणों का विकास होना चाहिये ।

शिविर समय-सारिरणी एवं क्रियाकलाप-

(Camp Programme & Activities)

प्रातःकालीन		सायंकालीन	
प्रातः जागरण	5.00	रचनात्मक शिक्षण कार्य	2.30
उपस्थिति व ईश प्रार्थना	6.00	चाप	3.30
सामृद्धिक व्यायाम	6.30	प्रायोगिक प्रशिक्षण	4.00
प्रायोगिक शिक्षण कार्य	7.00	ऐच्छिक खेल	5.00
स्वल्पाहार	7.45	उपस्थिति	6.00
शिविर निरीक्षण	8.10	रात्रि भोजन	7.30
संदान्तिक शिक्षण	9.00	शिविर विनोद एवं मनोरंजन	8.30
स्नान व भोजन	11.00	रात्रि नायन	10.00
विद्वाम एवं स्वाध्याय	1.00		

शिविर के क्रियाकलाप-

(Camp Activities)

1. समाज रोका एवं धर्म कार्य-

शिविर स्थान, निवास स्थल, गेल प्रांगण, समा स्थल, राहक आदि का निर्माण गुणर एवं स्वच्छता के कार्य तथा वृद्धारोपण आदि ।

2. कला उद्योग कार्य-

कागज, चित्रकला, रंगाई, मिट्टी के प्रतिरूप, शिल्पकला, हस्तकला, बुनाई, ड्रूप ब्रॉडिंग, जात बनाना, टोकरी बनाना, धमड़े का कार्य, रस्मी बनाना, चाट गुड़ी कार्य, गाठ बनाना, पतंग बनाना, पातु कार्य, तार के कार्य जिम्माई आदि ।

शिविर कायं-

कैम्प फायर, भ्रमण, भोजन पकाना व परोसना, शिविर क्षेत्र सौफ करना, शिविर क्राप्ट, प्रथमोपाचार, पट्टियों का ज्ञान, शिविर सम्बन्धी सैद्धान्तिक कक्षाओं का आयोजन, सैरसपाटा, खोज एवं पदयात्रा आदि।

नैसर्गिक अध्ययन कार्य-

पशु पक्षी, जीव जन्तु आदि के स्वभाव, आवाजों की पहचान, पेड़ पौधों का ज्ञान, मिट्टी व चट्टान के प्रकार, भरने, जल प्रपात, नदी नाले, जंगल और प्राकृतिक रूपणियता के बन्नभव।

१. नाटक, संगीत और गीत गायेन।
 २. खेल-क्रीड़ा कियायें एवं शिविर खेल स्पर्धायें।
 ३. प्रदर्शनी एवं व्यायाम प्रदर्शन।
 ४. सेवा कार्यों का आयोजन सड़कें, बृक्षारोपण, ग्राम सफाई रक्तदान तथा प्रोडे शिक्षा
 ५. जल कीड़ायें।
 ६. शिविर भोजन कार्य।
 ७. शिविर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा।
 ८. शिविर पर्यावरण शादि।

पिकनिक, हार्डक एवं झंसगण-

(क) सैरसपाटा अथवा मडल-

(Picnic & Hike)

- #### 1. पिकनिक का भर्ये और महत्व

दैनिक कार्य की उद्देश्य एवं धकान से मुक्ति प्राप्ति के लिये विभिन्न पारा के गुहाओं प्राकृतिक स्थल पर घपने परिवार, सहपाठियों और धर्मगुरुओं द्वारा एकाधिक विधि के लिये मनोरूप विविधता है।

पिकनिक का हमारे जीवन में यहात गहराय है। यह प्रगताश्व में भासा का ध्वनीय उठाने के लिये भनोरजन का अच्छा साधन है। युद्धी के दिन यथा प्रताह के अस्तित्व विन शनिवार भ्रयवा रविवार को भासा-प्रता के प्राकृतिक रूप से यहूधकर पिकनिक का भ्रायोजन करके जीवन में हृषील्हास प्रौर भ्रानन्द की प्राप्ति ही जाती है। जिससे धोजार्ह की कार्य की यकान और मन की उम्मन से उत्पन्न शारीरिक प्रौर ग्रान्तिक रागाओं को हटाकर खेन की राहत मिल सके।

यह कम यद्यें पर आयोजित परस्पर प्रेम और स्नेह मिलन वा एक उपयोगी मनोरंजन कार्यक्रम है। इसके आयोजन में भी बहुत सरलता रहती है। सोग इग प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेकर धानन्द प्राप्ति के साथ-साथ अपने अवसाय के उत्साह और कार्य करने की शक्ति प्राप्त करते हैं।

पिकनिक का शोषणिक मूल्य भी कम नहीं है। अक्ति को प्राहृतिक बातावरण में स्वावलम्बी बनकर कार्य करने से नये-नये विविध घनुभव और ज्ञान प्राप्त होते हैं। सभल मित्र, परिवार एवं सहपाठी गणी के एक साथ एक स्थान पर एकत्र होने से पारस्परिक स्नेहपूर्ण घनिष्ठ सम्बन्धों की स्थापना होती है। आपसी परिचय बढ़ता है जिससे भावी जीवन में एक दूसरे के दुख-दद में सहयोग को भावना का विकास होता है।

(ख) पिकनिक का नियोजन। व आयोजन-

हिसी भी कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिये उसका पूर्ण नियोजन करना तथा उससे सम्बन्धित समस्त व्यवस्थाओं पर विचार करना अति आवश्यक है। इसके आयोजन के लिये कुछेक घनुभवी घनिष्ठों की एक आयोजन समिति बना लेनी चाहिये। तथा पिकनिक सम्बन्धी समस्त कार्यों पर गहराई से विचार कर व्यवस्था सम्बन्धी स्पर्शों तैयार कर लेनी चाहिये। पिकनिक आयोजन एवं व्यवस्था सम्बन्धी विचारणीय विनिमय प्रकार हैं :-

- क- सभीप वा समस्त सुविधा-युक्त स्थान का चयन
- ख- उपयुक्त भवकाश तिथि एवं भवधि
- ग- आवागमन का माध्यम
- घ- मनोरंजन के सुन्दर कार्यक्रम
- ङ- आवश्यक सामग्री उपकरण एवं खाद्य-पदार्थ का संकलन
- च- सफाई स्वच्छता एवं जल व्यवस्था
- छ- व्यय का भनुमान एवं अर्थ प्रबन्ध
- ज- खेल-क्रोडा एवं फोटो ग्राफी
- झ- व्यवस्था उत्तरदायित्व वितरण कार्य
प्रवास एवं स्थल व्यवस्था
आवागमन व्यवस्था
आहार-विहार व्यवस्था
मनोरंजन कार्यक्रम व्यवस्था
अर्थ सकलत व्यवस्था।

3. पिकनिक कार्यक्रम-

प्रातःकालीन

- 6-00 बजे एकत्रीकरण
- 6-30 , प्रस्थान
- 8-30 , गतंध्य स्थान पर पहुँच
- 8-30 , भत्यहार
- 9-30 , प्राहृतिक स्थल विहार और सौन्दर्य रसस्वादन
- 11-00 , मनोरंजन कार्यक्रम का प्रारम्भ

- 12-30 बजे अपराह्न भोजन,
 1-00 „ विश्राम
 3-00 „ खेल-फोड़ा कार्यक्रम
 4-30 „ चाय
 5-00 „ लघु भ्रमण
 5-30 „ घर के लिये वापसी

(ग) पिकनिक, भ्रमण और पर्यटन में अन्तर :-

(Difference between Picnic, Hike & Excursion)

- (i) पिकनिक एक दिन में छोटी यात्रा का कार्यक्रम है। जबकि भ्रमण कार्यक्रम एक अधिक बार भी हो सकता है।
- (ii) पिकनिक में कुछेक परिचित सोंगों का समूह होता है जो अपने साथ ही भोजन से जाते हैं तथा अपने समूह में ही मनोरंजन करते हैं। जबकि भ्रमण में जाने वाले सोंगों के समूह का उद्देश्य आनन्द की अपेक्षा नवीन ज्ञान, शिक्षण और साहसिक लाभ कार्यों को करने में होता है।
- (iii) पर्यटन दो-तीन सप्ताह का होता है तथा इसका उद्देश्य दर्शनीय स्थलों का अवलोकन करना है। इसके द्वारा प्रत्यक्ष दर्शन लाभ से गैक्षणिक ज्ञानार्जन, स्वास्थ्य लाभ और प्रसन्नता की प्राप्ति होती है।

शैक्षिक पर्यटन एवं फिल्ड-ट्रिप्स

(Excursion or Field Trips)

(क) पर्यटन का उद्देश्य एवं महत्व-

शिक्षण प्रक्रिया का उद्देश्य अधिगम की परिस्थितियों को उत्पन्न करना है, जिसमें द्यात्र सीखने के अनुभव प्राप्त कर सकें। कक्षा विकास में अधिकांश रूप से द्यात्र अव्य-दृश्य में भीखने का अनुभव प्राप्त करते हैं। इसमें द्यात्र की स्मरण शक्ति और वल्पना शक्ति के अधिक कार्य करना होता है। जिसमें उसे प्रत्यक्ष मूल्यना न मिलने पर वास्तविक अनुभव भी नहीं होता है। अतः द्यात्रों को वास्तविक ज्ञान लिये प्रत्यक्षीकरण द्वारा अनुभव प्राप्त कराने के लिये शैक्षिक पर्यटन को शिक्षण की प्रभावशाली विधि के रूप में उपयोग किया जाता है।

विभिन्न विषयों की पाठ्यवस्तु का वास्तविक अनुभवों द्वारा ज्ञान प्रदान करने वे लिये पर्यटन अधिक उपयोगी है। इस विधि के द्वारा सुले तथा स्वतन्त्र यातावरण में द्यात्र को लाकर उन्हें सामाजिक प्रशिक्षण के अवसर दिये जाते हैं जिससे बालक भूगोल प्राकृतिक भौगोलिक, इतिहास, उद्योग, सामाजिक संस्थाओं, राजकीय भवनों एवं विषय सम्बद्ध विषय वस्तु का वास्तविक प्रत्यक्ष रूप से दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। इस प्रका पर्यटन का जीवन में अप्रलिखित महत्व है :-

1. कक्षा शिक्षण को सोचकता एवं धोधगम्यता में बढ़िया
2. जीवनोपयोगी ज्ञान एवं अनुभवों को प्राप्ति
3. वास्तविक प्रत्यक्षीकरण द्वारा प्रत्यक्षों का वैध
4. भावात्मक योग्यताओं का विकास
5. सौन्दर्यानुभूति
6. सामुदायिक जीवन के अवसरों की प्राप्ति
7. सामाजिक गुणों का विकास
8. राष्ट्रीय भावना का विकास
9. आनन्द एवं मनोरजन की अनुभूति
10. सूचनाओं तथा तथ्यों का ज्ञान
11. निर्देशन पाठ का समुचित उपयोग करने का ज्ञान ।

(ख) शैक्षिक पर्यटन के वैज्ञानिक आधार-

1. यह मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित है। अधिगम में प्रत्यक्षीकरण के अवसर मिलते हैं। क्योंकि इष्य-ज्ञानेन्द्री द्वारा ध्यानों को सीखने में सुगमता होती है।
2. छात्रों को वास्तविक अनुभवों द्वारा सीखने की परिस्थिति मिलती है।
3. यह सामाजिक सिद्धान्तों पर आधारित है। छात्रों में सहयोग की भावना का विकास होता है।
4. छात्रों की निरीक्षण, कल्पना शक्ति तथा अन्वेषण आदि क्षमताओं के लिए वास्तविक परिस्थितिया मिलती है।
5. छात्रों में स्थली तथा इष्यों को सौन्दर्यानुभूति के वांस्तविक अनुभव प्रहृण होते हैं।
6. शैक्षिक पर्यटनों से छात्रों की उत्सुकता की संतुष्टि होती है।
7. भावी-जीवन के लिये साहस एवं उत्साह बना रहता है।
8. लोक जीवन की सामाजिक एवं सांस्कृतिक भाकी देखने की अनुभूतियाँ होती हैं।
9. राष्ट्रीय विकास की सही स्थिति का अवलोकन होता है।

(ग) पर्यटन के नियोजन एवं आयोजन सम्बन्धी तत्व-

1. विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण करना।
2. उद्देश्य सम्बद्ध व्यवस्थाओं का चयन करना।
3. संस्थागत नियमों को अनुपालना एवं अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करना।
4. पर्यटन की तिथि एवं समय निर्धारित कर कार्यक्रम बनाना।
5. छात्रों को मन्द्या निर्धारण एवं अनुसार प्रभारियों आदि की नियुक्तिया करना।
6. समस्त आर्थिक व्यवस्था करना।
7. छात्रों के लिये निर्देशन पत्र तैयार करना।

8. दृश्यों स्थल एवं मन्त्रियांगी की पूरी जानकारी करते हुए उनमें अनुभवित लेना ।
9. दृश्यों स्थल पर आवास एवं भौजत व्यवस्था सुम्पूर्ण योजना पूर्वं निर्धारित करना ।
10. पर्यटन के यातायात की सुविधाओं की पूर्वं में व्यवस्था करना ।
11. पर्यटन में छात्रों को किसी-किस समय किस स्थल पर मिलेगे आदि चांचित निर्देश यथा समय देना ।
12. प्रत्येक छात्र वया सर्वेक्षण करेगा तथा वया कार्यक्रम है उसे समस्त निर्देशों से अवगत करना ।
13. प्रत्येक छात्र को यात्रा कार्यक्रम उसके परिचय पत्र एवं रेल टिकिट नम्बर सहित प्रसारित करना ।
14. छात्र अपने साथ वया-वया सामान कितने बजन तक साथ लेंगे आदि का निर्देशन देना एवं सामान का पूर्वं निरीक्षण करना ।

इस प्रकार शैक्षिक पर्यटनों को प्रभावी बनाने तथा पर्यटन के उद्देश्यों को प्राप्ति करने की दृष्टि से पर्यटन प्रभारी को निम्नांकित पांच बातों को ध्यान में रखना चाहिये—

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. छात्रों को प्रोत्साहित करना | (Preparing students) |
| 2. पर्यटन की व्यवस्था करना | (Conducting Field trips) |
| 3. अनुसरण करना | (Following up) |
| 4. छात्रों का परीक्षण लेना | (Testing students) |
| 5. ज्ञान-समीक्षा करना | (Reviewing of knowledge) |

अन्यासार्थ प्रश्न—

1. Distinguish between Hike, Picnic & Excursion. Plan a programme of a Hike for a week.
2. What is an ideal camp site ? Plan a programme of work-Camp for two weeks for high school for two hundred students both boys and girls.
3. स्थान वा पुनाय, दिनचर्या, आरोग्य एवं मुरला को यास तौर से ध्यान में रखते हुए किसी वासवर शिविर के संगठन की विवेचना कीजिए ।
4. कैसे से आप वया समझते हैं ? इसके साथन के मांगदर्जन सिद्धान्तों का उल्लेख कीजिये ।
5. ध्यांकत्व निर्माण में बेमिथ सहायक होता है । इस व्यवन की पुष्टि कीजिए ।
6. निविर कितने प्रधार के होते हैं ? श्रोडो के 10 दिवसीय निविर आयोजनाएँ कार्यक्रम संयार कीजिए ।

17 | शारीरिक शिक्षा में निरीक्षण-पर्यवेक्षण

अध्ययन विन्दु :-

- प्रस्तावना
- पर्यवेक्षण का अर्थ, परिभाषा एवं निरीक्षण से अन्तर
- पर्यवेक्षण का महत्व और उसकी आवश्यकता
- पर्यवेक्षण के उद्देश्य
- पर्यवेक्षण के बुनियादी सिद्धान्त
- पर्यवेक्षणीय सेवाएं एवं उत्तरदायित्व
- पर्यवेक्षणीय प्राविधियां एवं तकनीकें
- पर्यवेक्षक योग्यताएं एवं गुण
- पर्यवेक्षणीय मूल्यांकन-कसौटी के आधार
- शारीरिक शिक्षा में पर्यवेक्षण की स्थिति

प्रस्तावना-

शैक्षिक संगठन एवं प्रशासन के संग पर्यवेक्षण एक कड़ी की भाँति जुड़ा हुआ है। विद्यालय शिक्षण की प्रगति के अवलोकन के लिए तथा उसे सही दिशा देने के लिये, ताकि शिक्षा के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके, पर्यवेक्षण की आवश्यकता पूर्व में भी थी, अब भी है, और आगे भी रहेगी। शिक्षण प्रक्रिया के विकास के लिए संगठन, प्रशासन और पर्यवेक्षण का अटूट सम्बन्ध हो नहीं अपितु ये एक दूसरे में समाहित हैं।

आज जिसे हम पर्यवेक्षण कहते हैं, 20 वीं सदी के प्रारम्भ होने तक इसे निरीक्षण के नाम से जाना जाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि पर्यवेक्षण का जन्म निरीक्षण के नामकरण से सन् 1709 में अमरीका के बोस्टन नगर में हुआ। शिला विभाग द्वारा सर्व-प्रथम इस शहर के विद्यालयों में उपलब्ध उपकरण, साधन-मुद्रिताएं एवं कार्यरत आधारों के गिरण कार्यों को देखने तथा शासन को उसकी रिपोर्ट प्रेपित करने के उद्देश्य से दर्शा पर स्थानीय प्रधानाध्यापकों की एक निरीक्षण समिति का गठन किया गया।

शारीरिक शिक्षा तथा उसके क्रियाकलाप शिक्षा के सबल तथा महत्वपूर्ण अंग हैं अतः इनके विकास के लिए भी प्रमेरीका के बोस्टन एवं कानसेस शहरों से प्रयास प्रारम्भ हुए। व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में सर्वप्रथम सन् 1861 में बोस्टन नगर में शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय खोला गया। यहाँ से प्रशिक्षित लोगों को विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के सुपरीनेंटेंडेन्ट के पदों पर रखा गया तथा सन् 1885 में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में, निरीक्षण-पर्यवेक्षण का श्री गणेश कानसेस सिटी में श्री कार्ल बिट्ज (Carl Betz) को डायरेक्टर फिजिकल ट्रेनिंग के पद पर नियुक्ति के साथ हुआ, जिसका उद्देश्य कार्यरत अध्यापकों को शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षित करना तथा प्रशिक्षण प्राप्त शारीरिक शिक्षकों के कार्य एवं विद्यालयों में संचालित इस विषय के शिक्षण कार्यक्रमों का अवलोकन करके विभाग को निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इस श्री गणेश के बाद अमेरिका के अन्य नगरों मेरीलैंड, न्यूयाक और कैलीफोर्निया में भी राज्य स्तर पर शारीरिक शिक्षा के पर्यवेक्षक नियुक्त किये गये।

भारत में विद्यालयों निरीक्षण का प्रारम्भ ब्रिटिश सरकार द्वारा शिक्षण संस्थाओं को प्रदत्त आधिक अनुदान देने के साथ हुआ। जिसका उद्देश्य अनुदान-राशि का सही उपयोग, विभागीय नियमों की पालना तथा विभाग को शिक्षण कार्य की प्रगति की अवगति निरीक्षण रिपोर्ट भेजकर करना था।

इस प्रकार 20 वीं सदी के मध्य तक शिक्षा जगत में आधुनिक पर्यवेक्षण को निरीक्षण के नाम से जाना जाता था। तत्कालीन निरीक्षण का प्रमुख कार्य विद्यालयों के शिक्षण कार्य में दोष ढूँढना (Fault-Finding) तथा विभागीय नियमों का कठोरता से पालन करवाना था, यद्यपि निरीक्षण कर्ता से यह आशा रखी जाती थी कि यह शिक्षकों की समस्याओं को भी हल करेगा, उन्हें मार्गदर्शन एवं परामर्शदान देकर व्यावसायिक नेतृत्व प्रदान करेगा परन्तु दोष निष्कालने और नियमों के कठोर पालन कराने की प्राक्रिया में यह कार्य गोल छोड़ द्या रहा।

पर्यवेक्षण का अर्थ, परिभाषा और निरीक्षण से अन्तर-

अमेरिका के निया शास्त्री श्री बट्टर (Butter) ने सर्वप्रथम सन् 1922 में निरीक्षण के स्थान पर पर्यवेक्षण शब्द का प्रयोग करते हुए उसके अर्थ को अपने निम्नान्वित वाक्यों में स्पष्ट किया—

The Supervision was related, "The improvement of teaching act and the improvement of teachers in service." अर्थात् पर्यवेक्षण से तात्पर्य शिक्षण कार्य और शिक्षण सेवाओं में प्रगति लाने से सम्बन्धित है। अतः इसके बाद से निरीक्षण-पर्यवेक्षण के द्वारा दोष ढूँढने वाली वात भी प्रमुखता न देकर अध्यापकीय शिक्षाओं एवं उसके शिक्षण वायों में गहरोग देने का सद्य निर्णायित किया गया।

आधुनिक पर्यवेक्षण संस्कृति सीखने की परिस्थितियों को उन्नत करने पर वल देत है। क्योंकि सीखने का बातावरण उत्पन्न करने का दायित्व प्रमुखतया शिक्षक का है इन पर्यवेक्षण का कार्य शिक्षण के गुण स्तर एवं उसकी कार्य क्षमता को उन्नत करना है जिसे फलस्वरूप सीखने-सिखाने की परिस्थितियों का समुचित विकास हो और विद्यार्थियों के बांधित लाभ मिलने के आसार पैदा हों। इस प्रकार पर्यवेक्षण से तात्पर्य शिक्षण प्रक्रिया के तीनों घटकों शिक्षक, शिक्षार्थी एवं शिक्षण के बातावरण का विकास करना है।

इसी सन्दर्भ में पर्यवेक्षण की तथाकथित परिभाषाय—

- (1) बर्टन एवं ब्रुकनर—पर्यवेक्षण एक कुशल तकनीकी सेवा है जिसका उद्देश्य उन सब अवस्थाओं का अध्ययन एवं उन्हें उन्नत करने का प्रयास करना है, जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं।
- (2) विलिस, ब्राउन एवं कैसेडी—पर्यवेक्षण वह क्रिया है जिसका उद्देश्य शिक्षकों को अपना कार्य उत्तम ढंग से करने में सहायता प्रदान करना है (Supervision is to help teachers to do their jobs better.)
- (3) Hughes & French—"Supervision is a service made available to assist teachers and others in discharging assignment to the best of their abilities."
- (4) Coffman—"Supervision is the vision in the old and beautiful sense of seeing things invisible."
- (5) Mildred E. Swearingen—"Supervision is an expert technical service primarily concerned with studying and improving condition that surround learning and pupil's growth."
- (6) Snyder & Scot—"Supervision is a problem-solving expert technical service for the improvement of teacher-pupil learning situation."

इस प्रकार उपरोक्त परिभाषाओं के मारांश स्वरूप में हम कह सकते हैं कि शिक्षण में पर्यवेक्षण महत्व की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सीखने-सिखाने की अवस्थाएँ (प्रधिगम अनुभवों) को सुधारने के प्रयत्नों में बालक का मस्तूर विकास किया जाता है।

पर्यंवेक्षण एवं निरीक्षण में अन्तर—

आधुनिक पर्यंवेक्षण एवं प्राचीन निरीक्षण शब्द से उत्पन्न भावनाओं एवं करणीय कार्यों के आधार पर दोनों के अन्तर को निम्न प्रकार समझा जा सकता है :—

पर्यंवेक्षण	निरीक्षण
(1) विचारधारा जनतान्त्रिक (Democratic)	(1) विचारधारा अधिनायकवादी (Authoritative)
(2) सहकारिक एवं मार्गदर्शक (Co-operative & Guiding)	(2) दोष-उजागर (Fault-finding)
(3) शिक्षक सम्मान देनेवाला (Respective teacher)	(3) शिक्षक को आलोचना करने वाला (Critic for teacher)
(4) सृजनात्मक (Creative)	(4) विनाशात्मक (Destructive)
(5) शिक्षक महत्ता (Teacher Importance)	(5) निरीक्षक महत्ता (Inspector Importance)
(6) बाल-केन्द्रित (Child-Centered)	(6) पाठ्यक्रम केन्द्रित (Curriculum-centered)
(7) नमनोव (Flexible)	(7) कठोर (Rigid)
(8) सुनियोजित (Well-planned)	(8) आकस्मिक (Casual)

पर्यंवेक्षण का महत्व और उसकी आवश्यकता—

पर्यंवेक्षण शिक्षा की परिस्थितियों को उद्घाट करने से प्रत्यक्ष सम्बन्धित है। पर्यंवेक्षण विद्यालय में प्रशासन पक्ष का प्रमुख अंग है इससिंह विद्यालय प्रधान का दायित्व भी शिक्षण प्रक्रिया को उद्घाट करने हेतु नेतृत्व एवं मार्गदर्शन प्रदान करता रहता है।

पर्यंवेक्षण एक भृत्यन्त जटिल कार्य है। शैक्षिक क्षेत्र में पर्यंवेक्षण का सम्बन्ध शिक्षण के विकास हेतु प्रयुक्त विभिन्न भौतिक एवं मानवीय साधनों से रहता है। भौतिक साधन हैं—वित्त, भवन, छात्रावास, सामग्री एवं उपकरण, सेत के मैदान, जिम्नोजियम, तरणाताल, धावन-परिपथ, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय आदि। तथा मानवीय साधन हैं—छात्र, अधिभावक, शिक्षक, अन्य कर्मचारी, समुदाय एवं राज्याधिकारी आदि। इन संसाधन सुविधाओं के भवित्व के अन्य अन्य तत्व भी हैं जिनका सम्बन्ध पर्यंवेक्षण से रहता है।

जैसे-पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, नियम एवं विनियम तथा सामाजिक आवश्यकताएँ आदि। पर्यवेक्षण का कार्य हन समस्त भौतिक, मानवीय साधन-सुविधाओं एवं प्राकृतिक तत्वों को इस प्रकार से समायोजित एवं एकरूप करना है, जिससे ये लाभप्रद हो रहा एकात्मक रूप में कार्य कर सके। अतः इन सबके सफल सम्पादन के लिए पर्यवेक्षण की आवश्यकता है।

इसके अलावा आधुनिक युग में ज्ञान विकास सम्बन्धी प्रयोगों बढ़ती जा रही है। शिक्षण में नए-नए शिक्षण साधनों एवं उनके प्रकारों में विकास हुआ है। नवीन शिक्षण विधियों का प्रादुर्भाव हुआ है। सेल की तकनीकों के विकास में कम्प्युटरों का उपयोग होने लगा है। इसमें मुख्यांकन की नवीन तकनीकों का प्रयोग किया जाने लगा है। अतः इन सबके समुचित प्रयोग एवं उपयोग के लिए तथा उपर्युक्त शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यों में मार्गदर्शन के लिए पर्यवेक्षण की आवश्यकता है।

इस प्रकार शारीरिक शिक्षा और सेलों के विकास, स्वास्थ्य संवर्धन एवं मनोरंजन के क्षेत्र में बढ़ते हुए क्रियाकलापों एवं समाज की आवश्यकताओं प्रयोगों और भाकांशों के परिवेद्य में तकनीकी पर्यवेक्षणीय सेवाओं की उपयोगिता और आवश्यकता के महत्व को समझा जाने लगा है। इसके अतिरिक्त निम्नांकित लाभ प्राप्ति की इष्टि से शारीरिक शिक्षा में पर्यवेक्षण की महत्ता है :—

1. निर्धारित पाठ्यक्रम का व्यवस्थित कार्यनियन।
2. शारीरिक शिक्षण शिक्षण की अविवायता।
3. उपलब्ध साधनों का सदृश्योग।
4. शिक्षकों एवं शिक्षाधियों की मन्दिरात्मक वृद्धि।
5. नये अभिगमों एवं प्राविधियों का विकास एवं शिक्षण।
6. विभागीय नियमों एवं आदेशों की परिपालना।
7. शिक्षकों में नवीनतम ज्ञान की आवश्यकता।
8. कार्यक्रम में एकरूपता एवं समरूप स्थिति की आवश्यकता।
9. विद्यालय प्रधानों में रुचि का विकास।
10. शारीरिक शिक्षा एवं सेल-फोड़ा क्रियाकलापों के शिक्षण स्तर में वृद्धि।

अतः शिक्षण कार्य में किसी भी कारणवश उत्पन्न शिक्षितता के निवारणार्थ पर्यवेक्षण की आवश्यकता है। पर्यवेक्षण निषिद्ध, निकम्भे एवं कामचोर लोगों पर निश्चाह रखता है, ऐसे लोग पर्यवेक्षण से भयभीत रहते हैं। इसके अलावा अच्छे कार्य करते वाले स्त्रीओं की सेवाओं का शिक्षण विकास हेतु उचित लाभ लिया जाता है। राष्ट्रीय शैक्षिक शोध परिषद (NCERT) के प्रतिवेदन अनुसार—The scheme of physical education

tion can be introduced effectively with in the existing facilities, if it is properly administered and supervised. इस प्रकार सारांश में हम कह सकते हैं कि विद्यालयों में शारीरिक शिक्षण कार्यों के सुखचालन, नियन्त्रण उनके मार्गदर्शन एवं सीधने-सिखाने की ग्रामस्थाओं के समुचित विकास के लिए पर्यंतेक्षण का महत्व ही नहीं भवितु अनिवार्यता है।

पर्यंतेक्षण के उद्देश्य-

पर्यंतेक्षण का प्रमुख उद्देश्य सीधने की प्रक्रिया को उप्रत करना है, परन्तु इससे शिक्षक, शिक्षण, साधन आदि अनेक मानवीय एवं भौतिक संसाधन-सुविधाएं सम्बन्धित हैं, और इसलिये पर्यंतेक्षणीय उद्देश्यों के अन्तर्गत इन सब संसाधनों की उप्रति तथा उनके प्रभावशाली उपयोग को समाविष्ट किया जाता है। इस प्रकार पर्यंतेक्षण के कुछ उद्देश्यों का उल्लेख निम्न प्रकार किया जा सकता है:—

1. शारीरिक शिक्षा के सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण करना ।
2. शारीरिक शिक्षकों को इनके बारे में स्पष्टतया परिचित करना ।
3. शारीरिक शिक्षकों को घालकों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं से अवगत करना तथा उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति एवं समस्याओं के समाधान में यथोचित सहायता प्रदान करना ।
4. शारीरिक शिक्षकों को उनके निर्देशन स्तर में बृद्धि हेतु शिक्षण की नवीन विधियों, तकनीकों एवं शैलियों से अवगत कराना ।
5. शारीरिक शिक्षकों की शिक्षण-कला, क्षमता एवं कृशलताओं को उप्रत एवं विकसित करना ।
6. शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सुधार एवं विकास करना ।
7. निर्धारित पाठ्यक्रम की क्रियान्वति में उत्पन्न समस्याओं के समाधान का मार्ग ढूँढकर शारीरिक शिक्षक को उसके कार्य में महयोग देना ।
8. स्वूली पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षण कार्यक्रम का तालमेल बैठाना ।
9. शारीरिक शिक्षकों को व्यवसायिक समस्याओं पर परामर्श देना ।
10. उनकी ध्यवसायिक उप्रति के निये साधन-गुविधाएं जुटाना ।
11. शारीरिक शिक्षकों की आर्थिक, सामाजिक, प्रशारणिक आदि कठिगाइयों को ज्ञात करके तथा सम्भव नियारण के प्रयाग करना ।
12. समाज को विद्यालयीय उद्देश्य तथा कार्यक्रम एवं उसकी निर्धारण गतिविधियों से परिचित कराना ।
13. योग्य नागरिकों से शारीरिक शिक्षा विकास कार्यक्रम एवं समाधान के बारे में सलाह लेना ।

14. समाज के अनुचित एवं असामाजिक तत्वों में शारीरिक शिक्षकों को बचाए एवं उनकी अनुचित मालोचना से रक्खा करना ।
15. शारीरिक शिक्षकों का द्याव्रों के विकास हेतु किये गये कार्यों का तरम्म एवं निष्पद्ध इटि से मूल्यांकन करना ।

पर्यवेक्षण के दुनियादी सिद्धान्त-

भाषुनिक पर्यवेक्षणीय प्रक्रिया सम्बन्धी धारणा में कई एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त हैं ये सिद्धान्त पर्यवेक्षण की कार्यविधियों अथवा कार्यपणालियों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं तथा इन कार्यविधियों के मूल्यांकन हेतु विश्वसनीय आधार उपलब्ध करते हैं। अब किसी भी पर्यवेक्षक को पर्यवेक्षण के सिद्धान्तों एवं मार्गदर्शक तत्वों का बोध होना आवश्यक है। इनको इटिगत रखकर किया गया पर्यवेक्षण का कार्य सरल, सुव्यवस्थित प्रभावी एवं उद्देश्य प्राप्ति की इटि से लाभप्रद रहता है। पर्यवेक्षण कार्य करते सम निम्नावित सिद्धान्तों को इटिगत रखना आवश्यक हैः—

1. पर्यवेक्षण का सम्पूर्ण कार्यक्रम सीखने एवं शिक्षण की प्रक्रियाओं को उच्च करने पर आधारित होना चाहिए।
2. पर्यवेक्षण कार्यक्रम स्वोकृत उद्देश्यों की ओर लक्षित होना चाहिये।
3. पर्यवेक्षण में समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों का सहकार्य भाग ग्रहण हो चाहिये।
4. पर्यवेक्षण में समस्त की योग्यताओं एवं क्षमताओं का उपयोग होना चाहिए।
5. पर्यवेक्षण में समस्त शक्तिलिक साधन-सुविधाओं एवं शिक्षा के घटकों के गुण दोषों को ध्यान में रखना चाहिए।
6. पर्यवेक्षण में शिक्षकों को उनके कार्य के प्रति सन्तुष्टि प्राप्ति को ध्यान में रखना चाहिए।
7. पर्यवेक्षण बाल-केन्द्रित होना चाहिए।
8. पर्यवेक्षण सोहेत्यपूर्ण एवं योजनाबद्ध होना चाहिए।
9. पर्यवेक्षण सस्यानुवूल प्रभावी होना चाहिए।
10. पर्यवेक्षण मानवीय सम्बन्धों पर आधारित होना चाहिए।
11. पर्यवेक्षण में नेतृत्वभाव, सहयोग एवं सहानुभूति होनी चाहिए।
12. पर्यवेक्षण में नमनीयता को प्रधानता देनी चाहिए।
13. पर्यवेक्षण में नवीन वैज्ञानिक विचारों, पढ़तियों एवं शोधपूर्ण कार्यों को स्थान देना चाहिए।
14. पर्यवेक्षण जनतानिक प्रणाली एवं विचारधारा पर आधारित होना चाहिए।

15. पर्यावेक्षण में विधिवत् मूल्यांकन का आधार निहित होना चाहिए।

इवान्स एंड गैंस (Evans & Gans) ने बहुत ही सरल शब्दों में पर्यावेक्षण के उद्देश्य आधारित सिद्धान्तों का उल्लेख निम्न प्रकार किया है—

1. प्रधिगम की स्थितियों की उम्रति

(Improvement of learning situation)

2. शिक्षण में अध्यापक को सहयोग

(Improvement of instruction to help the teacher)

3. बालक के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास

(Development of child's personality)

4. विवेकशील नेतृत्व

(Intelligent leadership)

5. वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग

(Use of scientific methods)

6. जनतान्त्रीय दर्शन

(Democratic philosophy)

7. उत्तम समझ ज्ञान, प्रौद्योगिकी और शैल

(Good understanding, knowledge & skills)

8. नोति निर्धारण में सहकारिता

(Cooperative formulation of policies)

9. समस्या निवारक कार्य

(Problem solving working)

10. सृजनात्मक विचार

(Creative thinking)

इस प्रकार आधुनिक पर्यावेक्षण परम्परागत निरीक्षणों की भाँति नहीं है। जनतान्त्रिक प्रजातान्त्रीय भावना के विकास के परिणाम स्वरूप शिक्षा भी प्रजातान्त्र द्वारा प्रभावित हुई है। अतः प्रजातान्त्रीय युगीन पर्यावेक्षण में उसके नियोजन, विधान्वयन एवं मूल्यांकन में शिक्षकों का सहयोग आवश्यक समझा जाता है, व्योकि तभी शिक्षक पूर्ण उत्साह एवं अवबोधपूर्वक ध्येय कार्य को सम्पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, जो प्रभावशाली सीखन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है।

इसीलिए पर्यावेक्षक को एक सलाहकार, निदेशक, सहयोगी कार्यकर्ता एवं सहायक के रूप में कार्य करना है। थो. पी. सी. रेन (P. C. Wren) के अनुमान "Supervision must be performed in the role of a friend and a helper not in the role of a spy and critic."

पर्यावेक्षणीय सेवाएं एवं उत्तरदायित्व-

यदि हम पर्यावेक्षणीय सेवाएं एवं उसके कार्यालयों के व्यवहारप्रद स्वरूप का अवलोकन करें तो उसके निम्नांकित तीन घंटों की इक्टिगत रपकर पर्यावेक्षण का कार्यालय का पता चलता है—

- (क) कार्य सम्बन्धी (Work related)
- (ख) प्रक्रिया सम्बन्धी (Process related)
- (ग) कुशलताएं सम्बन्धी (Skills related)

(क) कार्य सम्बन्धी व्यवहार का स्वरूप—

इसके प्रमुख गंतव्यक्रम वा शैक्षिक इकाइयों में गठन, मूल्यांकन का निर्धारण, शिक्षण संचालन की संगठनात्मक व्यवस्थाएं, शिक्षकों में कार्य वितरण, भौतिक सुविधाओं का प्राप्तधान, शिक्षण-सामग्री की उपलब्धि, नवीन शिक्षकों की नियुक्ति, समुदाय सम्बन्ध स्थापना एवं मूल्यांकन आयोजन आदि सम्मिलित हैं।

(ख) प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवहार का स्वरूप—

इसमें नियोजन, रागठन, नेतृत्व, नियन्त्रण एवं मूल्यांकन जैसा कार्य सम्मिलित है।

(ग) कुशलता सम्बन्धी व्यवहार का स्वरूप—

- (i) मानवीय कुशलताएं-साक्षात्कार, परिवीक्षण, विचार-विमर्श, चर्चाएं, कार्य गोष्ठी, प्रशिक्षण जिविर, मैट्रिनार, युलेटिन आदि।
- (ii) धारणात्मक कुशलताएं-विश्लेषण, निदान, समन्वय एवं ग्रालोचना करना आदि।
- (iii) तकनीकी कुशलताएं-बोलना, लिखना, प्रदर्शित करना एवं सभाध्यक्षता आदि।

शारीरिक शिक्षाविद डॉ. वाकेहरकर (Wakhekar) के ग्रनुमार—

1. पाठ्यक्रम संरचना (Curriculum construction)
2. शिक्षण पद्धतियों का विकास (Improvement of teaching methods)
3. क्रियाकलापों का संचालन (Conduct of the activity)
4. कार्यालय का विकास (Improvement of the programme)
5. कार्यालय का मूल्यांकन (Evaluation of the program)
6. व्यावसायिक ज्ञान-कौशल का विकास (Maintenance of professional knowledge & skills)
7. व्यावसायिक वृद्धि (Advancement of profession)

पर्यावेक्षक के उत्तरदायित्व—

शारीरिक शिक्षा में पर्यावेक्षक के कार्यों को हम निम्न प्रकार वर्णित कर सकते हैं—

1. प्रशासनिक कार्य सम्बन्धी

2. साधन सुविधा संयोजन सम्बन्धी
3. शिक्षण विकास सम्बन्धी
4. विशिष्ट सेवाएं एवं क्रियाकलाप सम्बन्धी
5. परिवेक्षण कार्य सम्बन्धी
6. जन-सम्पर्क एवं सामुदायिक क्रियाकलाप सम्बन्धी
7. कार्मिक व्यावसायिक वृद्धि एवं विकास सम्बन्धी

(i) प्रशासन सम्बन्धी—

संस्थापन, बजट, लेखा, योजना निर्माण, सतकंता एवं जांच, अध्यापक सेवा वृद्धि एवं विकास तथा विद्यालयी निरीक्षण आदि।

(ii) साधन-सुविधाओं का संयोजन—

भौतिक एवं मानवीय सुविधाओं को जुटाना, उपकरण आदि की व्यवस्थायें करना आदि।

(iii) शिक्षण विकास सम्बन्धी—

पाठ्यक्रम नियोजन एवं उसकी क्रियान्वति, नेतृत्व प्रदान करना आदि।

(iv) विशिष्ट सेवा एवं क्रियाकलाप सम्बन्धी—

विभिन्न परियोजनाएं, दिवस एवं समारोह, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा आदि।

(v) परिवेक्षण सम्बन्धी—

कक्षा-वैक्षण, मार्क्सिक पर्यवेक्षण, नियोजित पर्यवेक्षण, बैठक, संवाद प्रदर्शन आदि।

(vi) जन सम्पर्क एवं सामुदायिक क्रियाकलाप सम्बन्धी—

स्पोर्ट्स मीट, प्रदर्शन एवं मैत्री सेल स्पर्धाएं, राष्ट्रीय त्योहार और मेलों में शारीरिक शिक्षा एवं सेल कार्यक्रम आदि।

(vii) कार्मिक व्यावसायिक वृद्धि सम्बन्धी—

कार्य-गोष्टी, चर्चाएं, अभिनवन प्रशिक्षण, सेमिनार, सम्मेलन, बुलेटिन (लघु पत्रिका) पत्र प्रसारण, शोधकार्य, पुस्तकालय स्थापना एवं उच्च स्तरीय योग्यता वृद्धि आदि।

इस प्रकार एक पर्यवेक्षक की उपरोक्त उल्लेखित व्यवहारपरक सेवाएं एवं कार्यों का आधार विद्यालय की स्थिति है। उपरोक्त अनेकों प्रकार के कार्य निर्धारित हैं फिर भी पर्यवेक्षक को अपने पद के अनुकूल अर्थात् वह शारीरिक शिक्षक है अथवा श्रीडा प्रशिक्षक, जिला अधिकारी है अथवा राज्य अधिकारी, प्रधानाचार्य है अथवा प्रवक्ता उसी के अनुकूल उसे पर्यवेक्षण के दायित्व चहत करने होते हैं।

पर्यवेक्षण की प्राविधियाँ एवं तकनीकें—

शिक्षण कार्यक्रम के विकास एवं उसे समुचित दिशा प्रदान करने के लिए पर्यवेक्षण के दोनों में अनेकों तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। पर्यवेक्षक जिन तकनीकों को काम में लेता है उनके दो प्रमुख उद्देश्य हैं—

1. शिक्षण का विकास करना
 (Improvement of Instruction)

2. शिक्षकों की व्यावसायिक वृद्धि करना
 (Professional growth of teachers)

उपरोक्त दोनों उद्देश्य एक दूसरे में समाहित हैं जैसाकि यह स्पष्ट है कि शिक्षण का विकास करने के लिए शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि करना आवश्यक है। अतः उपरोक्त दोनों उद्देश्यों की एक संग आपूर्ति को विप्रियत रखते हुए विविध तकनीकों का उल्लेख निम्न प्रकार किया गया है—

(अ) व्यक्तिगत विकास के लिए—

1. कक्षालय शिक्षण का वीक्षण (Visitation or class-teaching observation)
2. प्रदर्शन (Demonstration)
3. संचाद (Discussion)
4. साक्षात्कार (Interviews)
5. लघु पत्रिका (Bulletins)
6. अन्तर्कक्षा वीक्षण (Inter-class observation)

(ब) सामुहिक विकास के लिए—

1. समूह सम्मेलन (Group conference)
2. कार्य गोष्ठी (Work shop)
3. सेवारत प्रशिक्षण (Inservice courses)
4. क्लिनिक्स (Clinics)
5. अग्रिम अध्ययन (Advance studies)
6. व्यावसायिक साहित्य (Professional literature)
7. व्यावसायिक परिषद (Professional Association)
8. शोध (Research)
9. सर्वेक्षण (Surveys)
10. पाठ्यक्रम शिक्षक संदर्भिका (Curriculum teacher guide)

1. कक्षालय-वीक्षण (Visitation)

कक्षा-वीक्षण पर्यवेक्षण की एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इस तकनीक की सफलता इस बात पर निर्भर है कि पर्यवेक्षक और शारीरिक शिक्षक दोनों इसके महत्व को समझें। इसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षण कार्य को उधन करना होता है त कि शारीरिक शिक्षक का मूल्यांकन। इस तकनीक का उपयोग शारीरिक शिक्षक के परामर्श से नियोजित करना उपयोगी रहता है। कक्षा में नियमित रूप से आयोजित एवं संचालित शिक्षण कार्य के भवलोकन पश्चात् मन्यविधि शारीरिक शिक्षक से उसके सम्बन्ध में चर्चा करना है, जिसमें अध्यापक को अपने सवाल एवं निर्वास बिन्दु ज्ञात हो सकें, और वह

उनके प्राधार पर अपने कार्य को उन्नत करने में सक्षम हो। पर्यवेक्षक ग्रथवा प्रधानाध्यापक को वहाँ में शिक्षक की आलोचना कदापि नहीं करना चाहिए। शिक्षक एवं शिक्षण की प्रगति की जानकारी के लिए पर्यवेक्षक द्वारा प्रत्येक कक्षालय-शिक्षण कार्य का अभिलेख रखा जाता है।

विसी भी विद्यालय के शिक्षण कार्य की प्रगति का अवलोकन करने के लिए इस प्रकार के वीक्षण का आयोजन वर्ष में एक-दो बार किया जाना चाहिए। इसके तीन प्रकार हैं नियोजित, आकस्मिक एवं आमन्त्रित। नियोजित पर्यवेक्षण में कक्षालय शिक्षण कार्य के बीक्षण हेतु पर्यवेक्षक द्वारा बीक्षण-कार्यक्रम (Visitation Programme) की योजना संस्था प्रधानों को भेजकर पर्यवेक्षण कार्य क्रम की निर्धारित तिथि एवं समयावधि से उन्हें सूचित कर दिया जाता है।

पर्यवेक्षक को विद्यालयी पर्यवेक्षण करते समय निम्नांकित प्रक्रिया उपयोग में लेनी चाहिए—

- (क) उपयुक्त समय पर संस्था से सम्बन्धित नगर में पहुँचना।
 - (घ) संस्था में पहुँचकर संस्था प्रधान, शारीरिक शिक्षक एवं अन्य स्टाफ से पारिचित होना।
 - (ग) प्रधानाध्यापक से कक्षालय-बीक्षण वाचत, संस्था-सारिणी, शिक्षण कार्यक्रम एवं उपलब्ध संसाधन-सुविधाओं एवं स्टाफ समस्या के बारे में जानकारी हेतु अनौपचारिक घर्चों करना एवं वस्तु स्थिति को समझना।
 - (प) कक्षालय में संचालित निर्देशन कार्यक्रम अन्तर्गत शारीरिक शिक्षक का मूल्यांकन निम्नांकित प्राधार विन्दुओं पर करना—
 - (i) प्रस्तुतीकरण (Presentation)
 - (ii) शिक्षण योग्यता (Teaching ability)
 - (iii) शिक्षण का प्रभाव (Impact of teaching)
 - (इ) शारीरिक शिक्षक द्वारा संचालित शिक्षण प्रतिया में पर्यवेक्षक द्वारा स्वाभाविक रूप से एक सहयोगी, पथ-प्रदर्शक एवं परामर्शदाता का कार्य करके ग्रध्यापक को प्रोत्संदित करना, क्योंकि हस्तांतरण प्रक्रके शिक्षण प्राप्तिया में अवश्य होने से ग्रध्यापक हुतोंगाहित होगा। यदि विसी विशेष कारणवश हस्तांतरण करना भी वहे तों वह अनीरावरिक रूप से याता होना चाहिए।
 - (ए) पर्यवेक्षण कार्य का समाप्ति स्टाफ-वैटक युनाइट उसमें सामान्य घर्चों नायोजित करके होना चाहिए। इन घर्चों में निशात के विराम हेतु रचनारमक सुभाव दिये जाने चाहिए। व्यक्तिगत घटांडों नहीं होनी चाहिए।
 - (ए) पर्यवेक्षक द्वारा अपने मुख्यालय पर पहुँचकर रचनारमक मुख्यवाँ गहित एक सप्ताह के भीतर पर्यवेक्षण का प्रतिवेदन संस्था प्रधान दो भेज देना चाहिए।
- 2. प्रदर्शन (Demonstration)**
- दृष्टीयने-विधाने वा मर्यादित प्रभावदाती तरीका है। इस तरीके के द्वारा

किसी भी कौशल शिक्षण की वास्तविक साकार परिस्थिति पर्यंवेक्षक द्वारा प्रस्तुत हो जाती हैं, जिसे शिक्षक भली-भांति देख सकते हैं तथा उसका अनुसरण करके वे स्वयं भी अपने शिक्षण में सुधार कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रदर्शन नवीन शिक्षकों के लिए अथवा ऐसे शिक्षकों की दृष्टि से भी जो नवीन शिक्षण-विधियों के सोखने में हचि रहते हैं विशेष रूप से मूल्यवान हैं।

कौशल-शिक्षण-प्रदर्शन के पश्चात् शिक्षक सम्मेलन आयोजित करने से प्रत्येह शिक्षक अपनी शकाओं का निवारण भी कर सकता है। यह कौशल शिक्षण-प्रदर्शन, पर्यंवेक्षक अथवा किसी भी बाह्य व्यक्ति द्वारा भी हो सकता है। शारीरिक शिक्षण की पाठ प्रक्रिया में इसका बहुत प्रयोग होता है।

3. सवाद (Discussion)

सवाद जिज्ञासा शान्त करने तथा उत्पन्न शंका के निवारण के लिए एक उपयोगी तकनीक है। कक्षालय शिक्षण-विकास के पश्चात् आयोज्य पर्यंवेक्षक वैठक में शिक्षक सवाद के द्वारा शंकाओं का निवारण कर अपनी विचार सन्तुष्टि करते हैं। इससे विचारों के आदान-प्रदान से शैक्षिक प्रगति के लिए स्वस्थ वातावरण बनता है। पर्यंवेक्षक एवं शिक्षक में पारस्परिक तालमेल विकसित हो जाता है जिसमें छात्र-शिक्षण की अधिगम अवस्थाओं में उत्तरति होती है। सवाद से वस्तु स्थिति की अवगति होती है। भावी कार्य-योजनाओं के निर्माण में सहायता एवं मार्गदर्शन प्राप्त होता है।

4. साक्षात्कार (Interviews)

पर्यंवेक्षक तकनीकों में साक्षात्कार भी एक तकनीक है। यह एक प्रकार से व्यक्तिक सम्मेलन का स्वरूप है। इसमें पर्यंवेक्षक शिक्षक को साक्षात्कार के लिए निर्धारित तिथि पर आमन्त्रित करता है तथा शिक्षण की अवस्थाओं के सुधारने वाले चर्चा की जाती हैं एवं परामर्श दिये जा सकते हैं।

5. लघु पत्रिका (Bulletins)

लघु-पत्रिका पर्यंवेक्षण की ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा सम्पूर्ण कर्मचारियों, शिक्षकों एवं सम्था प्रधानों को एक साथ शिक्षण के विभिन्न पक्षों पर आवश्यक निर्देश भेजा जा सकता है। सम्पर्क स्थापित करने अथवा सवाद और साक्षात्कार की अपेक्षा इसमें समय और शक्ति की बचत होती है। यह किसी भी प्रकार के संशोधन करने, निर्देश देने, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करने अथवा पाठ्यक्रम नियोजन एवं आयोजन में एवं मरल प्रभावी एवं उपयोगी माध्यन है। बुलेटिन घनेको प्रकार के होते हैं जैसे—सुभावा-त्मक, व्यक्तिगत, मार्गांशात्मक, अध्यापकों द्वारा सूजित, प्रशासनिक, मूल्यांकन प्रतिवेदन, पर्यंवेक्षण प्रतिवेदन आदि। इन बुलेटिनों (लघु पत्रिकाओं अथवा परिपत्रों)में विषय-वस्तु वा प्राधार गामान्यनया प्रशासनिक निर्देश, मूल्यनाम, पत्र-परिपत्र, निरीक्षण-पर्यंवेक्षण व्यक्तिक वैठक, समाचार पत्र-पत्रिकाएं, मूल्यांकन सेमिनार, सम्मेलन आदि होते हैं। इनी

यह विशेषताएँ हैं कि ये संक्षिप्त, विशिष्ट समस्या युक्त, समस्या निवारक, विषय केन्द्रित एवं समझ में आने योग्य होते हैं। अतः पर्यवेक्षण प्राविधियों में लघु पश्च-पत्रिकाएँ एवं परिपत्र (Bulletins) का बहुत महत्व है।

6. अन्तर्कक्षा-वीक्षण (Inter-class observation)

प्रत्येक विद्यालय में कुछ शिक्षक विशेष रूप से योग्य एवं कुशल होते हैं। नवीन शिक्षक एवं पुराने शिक्षकों के शिक्षण कार्य में भी अन्तर होता है। इसलिए पर्यवेक्षक एक योजनाबद्ध कार्यक्रमानुसार एक विद्यालय के अध्यापक को दूसरे विद्यालय में सचालित शिक्षण कार्यक्रम को देखने तथा परस्पर अनुभवों का आदान-प्रदान करने भेजता है। यह शिक्षण की उन्नति की दृष्टि से लाभप्रद तकनीक है तथा इससे दोषों का शीघ्र निवारण हो जाता है। यह कार्यक्रम संस्था प्रधानों के मार्ग दर्शन में योजना-बद्ध आयोज्य होना चाहिये।

7. समूह सम्मेलन (Group Conference)

व्यक्तिक अथवा समूह सम्मेलन, बाकपीठ, संगोष्ठी एवं बैठके आदि थ्रेप्टसम उपयोगी तकनीक हैं। पर्यवेक्षण प्राविधियों में शिक्षक-छात्र मध्य अविरत शिक्षण की अवस्थाओं (Learning situations) के सुधार एवं विकास के लिये ये अमूल्य माध्यम हैं।

इनमें अनेकों समस्याओं पर चर्चाएँ होती हैं तथा उनका समाधान किया जाता है। पर्यवेक्षक को भी अपने अध्यापकों को व्यक्तिगत रूप से जानने एवं मिलने के अवसर प्राप्त होते हैं। समूह सम्मेलन के सम्भागी अध्यापक गण परस्पर आमने-सामने विचार विमर्श करके संदिग्ध विचारों को स्पष्ट करते हैं एवं उनकी शकाइयों का समाधान होता है। सम्मेलन के अनेक प्रकार हैं—

1. Pre-induction conference—For newly recruited teachers.
2. Pre-teaching conference—For experienced teachers.
3. Pre-Visitation conference—Before starting class visit.
4. Post-visitation conference—For mutual discussion & collecting data.

सम्मेलन आयोजन सम्बन्धी आवश्यक विषय—

- (क) पूर्व नियोजन, तैयारी एवं कार्यक्रम का प्रसारण
- (ख) सवाल, चर्चा एवं व्यक्तिगत हेतु पर्यवेक्षक की तैयारी
- (ग) समय एवं तिथि का निर्धारण
- (घ) मुख्याजनक एवं धाराहरित स्थान का चयन
- (ङ) अच्छे हप्तौल्हासपूर्ण वातावरण से सम्मेलन का शुभारम्भ
- (च) महत्वपूर्ण घिन्दुओं पर विचार
- (थ) प्रध्यापकों को स्वयं विचार करने के अधिकारों की अधिकतम उपलब्धि

- (क) रचनात्मक आलोचना एवं समालोचना
- (ख) निरर्थक चाटुकारिता की अपेक्षा उत्कृष्ट कार्यों की प्रशंसा।
- (त) सम्मेलन आयोजन के अभिलेखों का रखरखाव
- (थ) सम्मेलन की रिपोर्ट का प्रसारण

सम्मेलन सम्बन्धी अभिलेखों का संकलन—

1. सम्मेलन अथवा संगोष्ठी आयोजन की तिथि
2. सम्मेलन के प्रारम्भ और समाप्ति का समय
3. सम्मेलन में उपस्थित सदस्यों की सूची
4. सम्मेलन के निर्णय, अनुशंसा एवं घोषणाओं का विवरण
5. उप समितियों के प्रतिवेदन
6. दैनिक कार्यक्रम का विवरण
7. समस्त चर्चाओं, एवं संबोधों का सारांश

8. कार्य-गोष्ठी (Work-Shop)

शिक्षकों की ज्ञान वृद्धि एवं उन्हें समृद्ध बनाने के लिए कार्यगोष्ठीयों का आयोजन शिक्षा जगत में आधुनिक प्रक्रिया है। अध्यापक इसमें सक्रिय सम्भागी के रूप में कार्य करता है। कार्यगोष्ठी निर्धारित समस्याओं को हल करने के लिए की जाती है। विषय में सम्बन्धित अध्यापकों को इसमें आमन्त्रित किया जाता है। शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय इसके संचालन का दायित्व सम्मानित है। समस्यावार अध्यापकों के विभिन्न छोटे-छोटे समूह बना दिये जाते हैं। सामान्यतया इसका समय कम से कम दो सप्ताह से लेकर अधिकतम छ सप्ताह तक पूर्वतया निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक समूह अपने में सम्बन्धित समस्याओं पर विचार करके जिस निर्णय पर पहुँचता है उसे समस्त दलों की समिलित बैठक के सामने रखा जाता है तथा अन्तिम निर्णय शासन अथवा विभाग को भेजकर उनकी कार्यान्वयन की जाती है। कार्यगोष्ठी से शिक्षक भी लाभान्वित होते हैं।

इसप्रकार शिक्षण के विकास हेतु पर्यवेक्षक द्वारा उपरोक्त विभिन्न पर्यवेक्षणीय तरनीकों का प्रयोग किया जाता है ताकि अधिगम की अवस्थाओं का विकास हो एवं आओं के लिए आयोजित शिक्षण कार्यक्रम का उन्हें पूरा-पूरा साभ मिल सके। यद्यपि कुछ ऐसी सह तरनीकें हैं जो प्रत्यक्ष रूप से शिक्षक के व्यावसायिक समृद्धि की दृष्टि से उपयोगी हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उनका प्रभाव भी शिक्षण के विकास पर पड़ता है ये इस प्रकार है—

1. सेवारत प्रशिक्षण (Inservice courses)
2. नवीनतम ज्ञान गोष्ठी (Clinics)
3. उच्च स्तरीय अध्ययन (Advance study)
4. व्यावसायिक संगठन (Professional Associations)

5. शोध कार्य (Research work)

6. व्यावसायिक साहित्य अध्ययन (Professional Literature study)

शारीरिक शिक्षा पर्यवेक्षक विभागीय निदेशों के अनुपालन में स्वयं के कार्य धोत्र के आधीन उपलब्ध साधन सुविधाओं के आधार पर शिक्षकों के व्यावसायिक ज्ञानविधन हेतु यथासमय उपरोक्त वर्णित प्राविधियों एवं सकलीकों का प्रयोग इनके आयोजन से बढ़ता है।

पर्यवेक्षक योग्यताएं एवं गुण—

पर्यवेक्षक के कार्य एवं व्यवहार का केन्द्र व्यक्ति है, न कि वस्तु। पर्यवेक्षक की सफलता इसी में है कि उसके द्वारा शिक्षण सम्बन्धी व्यक्तियों में ऐसे व्यवहार-परिवर्तन हों जिनका परिणाम उन्नत सीखने व शिक्षण की प्रक्रिया के समुचित विकास के रूप में उभर कर आवें। इस प्रकार पर्यवेक्षक का दायित्व शिक्षा के बांधित लक्ष्यों के अन्य व्यक्तियों के माध्यम में प्राप्त करने वा एक जटिल प्रयोग है। इसलिए लक्ष्य प्राप्ति में पर्यवेक्षक द्वारा अपने प्रशासनिक अधिकारों के प्रयोग बिना शिक्षकों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना उसकी स्वयं वीयोग्यता पर निर्भर करता है। उसके सफल पर्यवेक्षण द्वारा ही शिक्षक की अभिवृत्तियों, योग्यताओं एवं समझ में परिवर्तन आने का परिणाम ही उन्नत शिक्षण है। ऐसी स्थिति में पर्यवेक्षक की सफलता के लिए उसमें कुछ व्यक्तिगत तथा व्यवसायिक गुणों का होना आवश्यक है, जिससे वह बांधित प्रजातन्त्रात्मक नेतृत्व प्रदान कर सके। इस दृष्टि में शारीरिक शिक्षा के पर्यवेक्षक में निम्नांकित योग्यताएं एवं गुणों का होना बांधित है—

(क) व्यवसायिक योग्यताएं एवं गुण—

1. उच्च स्तरीय सामान्य शिक्षा
2. उच्च स्तरीय व्यावसायिक शिक्षा
3. कौशल शिक्षण में प्रवीणता
4. नेतृत्व कुशलता एवं संचालन क्षमता
5. शिक्षण विधियों एवं शिक्षण सामग्री का ज्ञान
6. शिक्षण-प्रक्रिया सम्बन्धी घटकों के मूल्यांकन की योग्यता
7. व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास की इच्छा व योग्यता
8. शोध एवं भनुमधान कार्यों में प्रवीणता

(ख) व्यक्तिगत विकास सम्बन्धी योग्यताएं एवं गुण—

1. उत्तम शारीरिक स्वस्थता
2. मानसिक तत्परता एवं स्वच्छ मस्तिष्क
3. समुदाय से सहयोग प्राप्ति क्षमता

4. स्टाफ का आदर एवं विश्वास प्राप्त करने की योग्यता
5. शिक्षकों की भावनाओं एवं प्रतिक्रियाओं के प्रति संवेदनशीलता
6. दृढ़ निश्चयता गम्भीरता, एवं दूरदृष्टिता
7. आशावादिता, धैर्यता एवं सहनशीलता
8. मौलिकता एवं साधन मम्पमता
9. विनोद प्रियता एवं सवाद कुशलता
10. निष्कपटता, न्यायप्रियता एवं तटस्थिता
11. समस्या समाधान सम्बन्धी धमता
12. साहस, आत्म विश्वास एवं स्वनियन्त्रणा
13. जन्तव्रीय कार्य प्रणाली एवं विश्वसनीयता

(ग) उच्च अधिकारियों से सम्बन्ध-स्थापन सम्बन्धी योग्यता—

1. कार्यक्षम (Efficient)
2. उत्तरदायी (Responsible)
3. निष्ठावान (Sincere)
4. आशापालक (Obedient)
5. चरित्रवान (Good-Charater)

(घ) अधिनस्त कार्यकर्ताओं से अच्छे सम्बन्ध की योग्यता—

1. विनम्र (Kind)
2. सहयोगी (Co-operative)
3. पथ प्रदर्शक (Guide)

(इ) अभिरुचि सम्बन्धी योग्यता—

1. साहित्य पठन (Literature Reading)
2. भाषण प्रदृष्टा (Eloquence capauly)
3. खेल-क्रीडा सम्भागित्व (Games & sports participation)
4. संगीत इच्छि (Music-interest)
5. स्वास्थ्य एवं व्यायाम (Health & Exercise)

पर्यवेक्षण मूल्यांकन-कसौटी के आधार-

पर्यवेक्षक के लिए स्वीकृत उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया का तथा उससे सम्बन्धित घटकों, जैसे शिक्षण विधियों, शिक्षक भावना (Morale), मानवीय एवं भौतिक साधनों का योगदान, आदि का सतत मूल्यांकन करना आवश्यक है, जिससे वह सम्बन्धित व्यक्तियों को उपयुक्त मार्ग-दर्शन प्रदान कर सके तथा विद्यालयी शिक्षण अभियान को सफल एवं उन्नत करने में सक्षम हो।

विद्यालय का निरीक्षण करते समय उसके प्रशासनिक पक्ष पर ही बल देना उचित नहीं होता, यत्कि शैक्षणिक पक्ष पर पर्याप्त बल देना आवश्यक होता है। विद्यालयों का निरीक्षण-पर्याप्तेशण नियोजित रूप में किया जाना आवश्यक है।

निरीक्षण रिपोर्ट में विद्यालय के कार्य का एक प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है। प्रत्येक राज्य ने निरीक्षण रिपोर्ट के प्रारूप का अलग-अलग रूप में विकास किया है। राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद ने कुछ वर्ष पूर्व विद्यालय मूल्यांकन की एक नमूने के रूप में कसोटी तैयार की है जिसे प्रत्येक राज्य अपनी परिचयति एवं आवश्यकता के अनुसार उसमें परिशोधन करके अपना सकता है। इस मूल्यांकन-कसोटी में विद्यालय के छः कार्यों का समावेश किया गया है—

1. भौतिक सुविधाएँ (Physical Facilities)

2. शिक्षक (Teacher)

3. पाठ्यक्रम (Curriculum)

4. शैक्षणिक कार्य (Teaching work)

5. प्रवृत्तियाँ (Activities)

6. मूल्यांकन विधियाँ (Evaluation Techniques)

इसके आधार पर ही भारीरिक शिक्षा पर्याप्तेशक के लिए विद्यालयी पर्याप्तेशण मूल्यांकन प्रपत्र का प्रारूप तैयार किया गया है जो अधीसियित है—

— पर्याप्तेशण मूल्यांकन-कसोटी प्रपत्र का प्रारूप —

(क)	संस्था का नाम.....	स्थान.....	जिला.....
(ग)	पर्याप्तेशण तिथि.....	गत पर्याप्तेशण तिथि.....
(ग)	कुल छात्र संख्या.....	विद्यालय संख्या.....
(घ)	भारीरिक शिक्षा अध्यापक संख्या.....		
(ङ)	मेरारत भारीरिक शिक्षा अध्यापक लेवा विवरण—		
(घ)	विद्यालय में उपनाम गेन प्राइल मुविधाएँ—		
(घ)	विद्यालयी मध्य साचिली एवं मंसातित वार्षिक्रम—		

1. विद्यालय वार्षिक्रम

2. कसोटी वार्षिक्रम

प्राप्त विद्यालयाप—

(1) दुर्ग विद्यालय वार्षिक्रम—(प्राइलिंग, एम. सी. सो. एवं घन्य)

दरारम्भ लेवा वार्षिक्रम—

- (क) स्वास्थ्य शिक्षण
 - (ख) स्वास्थ्य पर्यंवेक्षण
 - (ग) स्वास्थ्य सेवाएँ
- (3) सीमान्तर्गत खेल-क्रीड़ा कार्यक्रम
- (4) राष्ट्रीय शारीरिक स्वस्थता कार्यक्रम
- (5) विविध परियोजनाएँ
- (6) स्कूली खेल-क्रीड़ा प्रतियोगिताएँ एवं उपलब्धियाँ
- (7) विद्यालयी खेल समिति एवं विकास योजनाएँ
- (8) वित्त एवं बजट उपयोग
- (9) मनोरंजन कार्यक्रम एवं उपलब्ध सुविधाएँ
- (10) शिविर एवं पर्यटन
- (ज) पर्यंवेक्षक विचार एवं अनुशंसा—

(हस्ताक्षर)

पर्यंवेक्षक अधिकारी
नाम मय पद

शारीरिक शिक्षा और पर्यंवेक्षण स्थिति—

यदपि पर्यंवेक्षण शैक्षिक प्रगति के लिए अत्यन्त आवश्यक है, तथापि प्रधानाध्यापक एवं निरीक्षक दोनों के मौरां पर वर्तमान स्थिति अत्यधिक अमन्त्रोष्य जनक है। केवल वयोग्य वे प्रशासनिक कार्य को प्राथमिकता देते हैं। प्रधानाध्यापकों के पास शारीरिक शिक्षा वे शिक्षण कार्यक्रम हेतु सोचने-विचारने तक को समय नहीं है। इस कारण शारीरिक शिक्षा के अध्यापक के लिए वे समय में स्कूल के अन्दर एक अनोपचारिक, लक्ष्यहीन हृष्णकर लगाने, हाथ में छड़ा लिए अनुशासन की ठंडेदारी के अलावा बड़ा रह गया है।

शारीरिक शिक्षा के जिला स्तर पर पर्यंवेक्षक (निरीक्षक अधिकारी) नियुक्त है। उनके लिये निश्चित दियस-सूखा में दोरे करना स्कूली पर व्यतीत करना शासन द्वारा निर्धारित है। परन्तु उनके द्वारा भी निरीक्षण अनियोजित एवं अनोपचारिक परम्परा निभाने मात्र किया जाता है।

इस प्रकार शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों को शैक्षिक नेतृत्व न हो प्रधानाध्यापक से मिलता है और न अपने विषय के निरीक्षक (उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा) से मिल पा रहा है। इस प्रकार के मार्ग विहीन एवं दिशा विहीन कार्यक्रम में शिक्षण एवं मार्गने की प्रक्रिया का उग्रत होना गम्भय नहीं है। इसका परिणाम यह होता है कि अच्छे शिक्षक अच्छे नहीं रहते और बुरे शिक्षक अच्छे नहीं बनते। इससे शारीरिक शिक्षकों पर ही नहीं, द्यावों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नितिक्रम मन जीतान का पर अपर्याप्त यिना कार्य के बे भी अनुशासनहीन ही जाते हैं। वर्तमान यही स्थिति है और इस अन्तर्गत वा एक प्रमुख कारण है शारीरिक शिक्षा और शिक्षा के सेवा में प्रभावशाली पर्यंवेक्षण वा अवाय, किन पर राष्ट्रकार एवं प्रशासन को इशान देने की ज़रूरत है।

वस्तुतः शारीरिक शिक्षा में प्रभावी पर्यवेक्षण एवं उसके समुचित संगठनात्मक-स्वरूप का प्रभाव है। प्रारम्भ से ही शिक्षा-विकास के साथ-साथ इस विषय पर जिक्षाशास्त्रियों एवं प्रशासन का ध्यान न दिये जाने के कारण से यह विषय इतना पिछड़ गया है कि इसे सही दिशा मिलने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है, जो लक्ष्य एवं उद्देश्य प्राप्ति की अपेक्षाएँ थीं वह दूमिल होने के कारण प्रगति खुन्य के बराबर है। सामान्य शिक्षा के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण अधिकारियों के पास इतना समय नहीं है कि वे इस विषय के विकास के बारे में कुछ सोच-विचार कर सकें। उनमें तकनीकी ज्ञानभाव की वजय से न तो उनमें कोई अभिभूति देती है और न ही वे इस योग्य प्रतीत होते हैं कि सही मार्गदर्शन दे सकें। ऐसी स्थिति में प्रशासन एवं शिक्षा-विभाग द्वारा राज्य स्तर पर, मण्डल एवं जिला स्तर पर तथा ग्रामीण आंचल क्षेत्र में पचायत स्तर पर एक समानान्तर पर्यवेक्षण व्यवस्था कायम करने की आवश्यकता है ताकि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य एवं खेल-क्रीड़ा कियाकलापों से सम्बन्धित शिक्षण की अवस्थाओं एवं संसाधनों का विकास वैज्ञानिक तरीके से किया जा सके जिसका प्रभाव वांछित उद्देश्यों की उपलब्धियों में हो।

अभ्यासार्थ प्रश्न-

1. What personal traits would you expect in a supervisor ? How would these help in effectiveness. ?
2. Explain the importance of Bulletins as a supervisory method. Prepare a model bulletin on a topic of your choice.
3. पर्यवेक्षण की परिभाषा लिखें तथा सिखाने एवं सीखने की रीतियों में उच्चति हेतु पर्यवेक्षक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली किन्हीं दो तकनीकों को समझाएँ।
4. पर्यवेक्षण के क्या उद्देश्य हैं। निरीक्षण और पर्यवेक्षण में क्या अन्तर है ? स्पष्ट करें।
5. शारीरिक शिक्षा में पर्यवेक्षण की स्थित का उल्लेख करें तथा आप अपने राज्य के लिए पर्यवेक्षण की संगठनात्मक योजना प्रस्तुत करें।
6. शारीरिक शिक्षा में पर्यवेक्षण की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिये।

